भारतीय
रिज़र्व
बैंक
RESERVE
BANK
OF
INDIA

25161
4-8-88

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति-संबंधी रिपोर्ट 1986-87

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA 1986-87

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत
30 जून, 1987 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1987 submitted to the Central Government in terms of Section 36 (2) of the Banking Regulation Act, 1949

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति-संबंधी रिपोर्ट 1986-87
REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA 1986-87

प्रेषण-पत्र

LETTER OF TRANSMITTAL

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बंबई

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
BOMBAY

16 जनवरी 1988
26 पौष 1909 (शक)

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून, 1987 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट' की दो प्रतियां मैं इसके साथ प्रेषित करता हूं।

भवदीय,

(रा. ना. मलहोत्रा)
गवर्नर

January 16, 1988
Pausa 26, 1909 (Saka)

The Secretary to
the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi-110 001.

Dear Sir,

In pursuance of the provisions of Section 36 (2) of the Banking Regulation Act, 1949, I transmit herewith two copies of the Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1987.

Yours faithfully,

(R. N. Malhotra)
Governor.

विषय वस्तु / CONTENTS

1. प्रस्तावना / 1. INTRODUCTION

2. वाणिज्य बैंकिंग / 2. COMMERCIAL BANKING

		पृष्ठ सं. Page No.
विहगावलोकन	Overview	12
जमाराशियाँ और ऋण की प्रवृत्तियाँ	Trends in Deposits and Credit	12
निवेश और नकदी शेष	Investments and Cash Balances	17
रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त निभाव	Reserve Bank's Refinance Accommodation	17
ऋण नीति में हुई गतिविधियाँ	Developments in Credit Policy	20
विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते.	FCNR Accounts	31
विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियां	Deposits under FCNR and NRE Accounts	32
चयनात्मक ऋण नियंत्रण	Selective Credit Controls	33
ऋण बजट	Credit Budgets	33
शाखा विस्तार	Branch Expansion	34
विदेशों में शाखा विस्तार	Overseas Branch Expansion	37
भारत में विदेशी बैंक	Overseas Banks in India	37
कार्रवाई योजनाएं	Action Plans	42
ऋण का क्षेत्रीय वितरण	Sectoral Deployment of Credit	43
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादनः प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	Performance of Public Sector Banks: Advances to Priority Sectors	47
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन	Performance of Private Sector Banks in Priority Sector Lending	53
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण	Term Lending by Scheduled Commercial Banks	54
ऋण-जमा अनुपात	Credit-Deposit Ratio	54
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य-परिणाम	Working Results of Scheduled Commercial Banks	63
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Regional Rural Banks	73

विशेष ऋण योजनाएं/सुविधाएं	Special Credit Schemes/Facilities	
ऋण प्राधिकरण योजना	Credit Authorisation Scheme	78
रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान	Sick Industrial Undertakings	81
बागान के लिए ऋण	Loans for Plantations	83
स्वर्ण आभूषणों और ज्वैलरी पर अग्रिम	Advances against Gold Ornaments and Jewellery	83
भारत में रहकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करनेवाले निर्धन विद्यार्थियों को अग्रिम	Advances to Indigent Students for Higher Studies in India	83
विभेदक ब्याज दर योजना	Differential Rate of Interest Scheme	84
शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये स्व-रोजगार योजना	Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth	85
शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम	Self-Employment Programme for Urban Poor	86
अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम	Advances to Minority Communities	86
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Integrated Rural Development Programme	87
अग्रणी बैंक योजना	Lead Bank Scheme	88
आवास वित्त	Housing Finance	89
पट्टे संबंधी वित्त	Leasing Finance	90
निर्यात वित्त	Export Finance	91
अन्य गतिविधियां	Other Developments	
बैंकों द्वारा संविभाग प्रबंध संभालना	Portfolio Management by Banks	93
निधियों की व्यवस्था	Funds Management	95
शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और उनकी हामीदारी	Investments in and Underwriting of Shares and Debentures	95
बैंकों द्वारा संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण प्रदान करना	Lending under Consortium Arrangements by Banks	96
बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वयन	Co-ordination between Banks and State-Level Financial Institutions	97

चूककर्ता उधारकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू किये जाने के उपाय	Measures to enforce Financial Discipline on Defaulting Borrowers	98
उधारकर्ताओं द्वारा देयों के भुगतान में चूक	Defaults in Payment of Statutory Dues by Borrowers	99
अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालना	Writing off of Bad Debts/Losses	99
सूचना जमाराशियां	Notice Deposits	99
पंजाब में उधारकर्ताओं को ऋण सम्बंधी छूट	Credit Relaxations to Borrowers in Punjab	100
बैंकों का निरीक्षण	Inspection of Banks	100
बैंकों में धोखाधड़ियाँ	Frauds in Banks	101
विवादास्पद उत्पाद शुल्क की अभिक्रिया (ट्रीटमेंट)	Treatment of Disputed Excise Duty	101
समितियाँ, कार्यकारी दल, सेमिनार	Committees, Working Groups, Seminars	
निदेशन समिति	Committee of Direction	101
सहायता संघीय उधारों के मानदण्डों की समीक्षा हेतु कार्यकारी दल	Working Group to Review the Norms for Consortium Advances	102
सांस्थानिक वित्त के समन्वयन पर स्थायी समिति	Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance	102
निर्यात-वित पर स्थायी समिति	Standing Committee on Export Finance	104
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग विकास पर अध्ययन दल	Study Team on Banking Development in the North-Eastern Region	104
ग्रामीण क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह की समीक्षा हेतु समिति	Committee to Review the Flow of Institutional Credit for Rural Sector	105
रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों का पता लगाने और उनकी पुनर्स्थापना में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के लिए समिति	Committee on Problems in Identification and Rehabilitation of Sick SSI Units	105
लघु उद्योग क्षेत्र को सांस्थानिक ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति	Standing Advisory Committee to Review flow of Institutional Credit to SSI Sector	105
बैंकों में प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए स्थायी समन्वयन समिति	Standing Co-ordination Committee for Training Arrangements in Banks	106
विविध	Miscellaneous	
मुद्रा बाजार पर कार्यकारी दल	Working Group on the Money Market	107

बैंकों में ग्राहक सेवा	Customer Service in Banks	108
वाणिज्य बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements in Commercial Banks	109
वाणिज्य बैंकों में मशीनीकरण/कम्पयूटरीकरण	Mechanisation/Computerisation in Commercial Banks	110
आयकर अधिनियम, 1961 की परिधि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को छूट	Exemption of Public Sector Banks from the Purview of the Income Tax Act, 1961	111
तार अंतरण/भुनाई सुविधा	Telegraphic Transfer/Discounting Facility	111
बैंकों में हिन्दी का संवर्द्धन/प्रयोग	Promotion/Use of Hindi in Banks	112
3. सहकारी बैंकिंग	3 . CO-OPERATIVE BANKING	
विहगावलोकन	Overview	128
सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति	Progress of Credit Co-operatives	129
नाबार्ड के कार्य	Operations of NABARD	132
कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता	NABARD's Assistance for Agriculture and Allied Activities	138
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Externally Aided Projects	141
अल्पावधि ऋण	Short-term Credit	142
मध्यावधि ऋण	Medium-term Credit	144
दीर्घावधि ऋण	Long-term Credit	144
राज्य भूमि विकास बैंक	State Land Development Banks	146
नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता	Refinance Assistance from NABARD	150
औद्योगिक सहकारी संस्थाएं	Industrial Co-operatives	158
गैर-कृषि गतिविधियां	Non-farm Activities	159
गैर-कृषि गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त	Refinance for Non-farm Activities	163
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक	Primary (Urban) Co-operative Banks	164
जमाराशियों पर ब्याज दरें	Interest Rates on Deposits	166

सहकारिता के ढांचे को मजबूत करना और उसका भावी विकास	Strengthening and Future Development of Co-operative Structure	167
अनुसंधान और विकास निधि	Research and Development Fund	169
अन्य गतिविधियां	**Other Developments**	
ऋण प्राधिकरण योजना	Credit Authorisation Scheme	170
ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत करने के लिए पाइलट परियोजना	Pilot Project for strengthening Credit Delivery System	172
बैंकों का निरीक्षण	Inspection of Banks	172
फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	173
संपूर्ण पंपिंग तंत्र की स्थापना	Installation of complete Pumping System	173
वर्षा पर आधारित कृषि	Rainfed Farming	173
अध्ययन दल/समितियां/कार्यकारी दल	**Study Teams/Committees Working Groups**	
पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता विषयक समिति	Committee on Agricultural Productivity in Eastern India	174
शहरी-सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति	Standing Advisory Committee for Urban Co-operative Banks	175
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन	Evaluation Studies on IRDP	175
4 अन्य वित्तीय संस्थाएं	**4. OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS**	
विहगावलोकन	Overview	177
वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता	RBI Assistance to Financial Institutions	178
मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के कार्य	Operations of Term-lending Institutions	180
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank of India	181
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust of India	185
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation	191
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	Export-Import Bank of India	197
राज्य वित्त निगम	State Financial Corporations	201

सारणियों, परिशिष्टों तथा ग्राफों की अनुक्रमणिका

INDEX TO TABLES, APPENDICES AND GRAPHS

सारणी संख्या Table No.	अध्याय 2	Chapter 2	पृष्ठ संख्या Page No.
2.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े	Scheduled Commercial Banks' Data	14
2.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक की सहायता	RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks	20
2.3	अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें	Interest Rates on Non-resident Deposits	23
2.4	जमाराशियों पर ब्याज	Interest Rates on Deposits	29
2.5	अनिवासी खातों के अंतर्गत बकाया राशियां	Balances under Non-resident Accounts	32
2.6	चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अंतर्गत बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन	Minimum Margins on Bank Advances under Selective Credit Controls	34
2.7	राज्य-वार बैंकिंग विस्तार	State-wise Banking Spread	38 – 39
2.8	नये कार्यालयों का बैंक समूहवार वितरण	Bank Group-wise Distribution of New Offices	40
2.9	वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण	Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices	41
2.10	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit	44 - 45
2.11	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण	Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit	48 – 49
2.12	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम	Public Sector Banks' Advances to Priority Sectors	50
2.13	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण	Agricultural Credit by Public Sector Banks	52
2.14	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का वसूली कार्य	Recovery Performance of Direct Agricultural Advances	53
2.15	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण	Scheduled Commercial Banks' Term Loans	55
2.16	ऋण की स्वीकृति और उसके उपयोग के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात	Credit-Deposit Ratios of Scheduled Commercial Banks According to Sanction and Utilisation of Credit	58 – 59

सारणी संख्या Table No.			पृष्ठ संख्या Page No.
2.17	जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात	State-wise Credit-Deposit Ratios of Offices of Public and Private Sector Scheduled Commercial Banks According to Population Groups	60 – 61
2.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्ति वितरण	Frequency Distribution of Districts Based on Credit Deposit Ratios of Scheduled Commercial Banks	62
2.19	ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण	State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Rural Centres	64 – 67
2.20	अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण	State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Semi-urban Centres	68 – 71
2.21	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम	Working Results of Scheduled Commercial Banks	72
2.22	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार कार्यालय	State-wise Offices of Regional Rural Banks	74
	परिशिष्ट	*APPENDIX*	
I.	1अप्रैल 1987 से लागू ब्याज-दर ढांचा	Interest Rate Structure Effective from April 1, 1987	113 – 121
II.	रिज़र्व बैंक की प्रेषण-सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरण, बैंक ड्राफ्ट और डाक अंतरण की दरें	Rates for Telegraphic Transfers, Bank Drafts and Mail Transfers under the Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme	122 – 127
	अध्याय 3	Chapter 3	
3.1	भारत में सहकारी ऋण आन्दोलन की प्रगति	Progress of Co-operative Credit Movement in India	130 – 131
3.2	सहकारी ढांचे (अल्पावधि कृषि ऋण) के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें	Rates of Interest Charged at Various Levels of the Co-operative Structure (Short-term Agricultural Loans)	133 – 134

सारणी संख्या Table No.			पृष्ठ संख्या Page No.
3.3	सहकारी ढांचे (मध्यावधि कृषि ऋण) के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें	Rates of Interest, Charged at Various Levels of the Co-operative Structure (Medium-term Agricultural Loans)	135 – 136
3.4	सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को नाबार्ड के ऋण	The NABARD's Credit to Co-operatives and State Governments	139 – 140
3.5	राज्य भूमि विकास बैंकों के संसाधन	Resources of SLDBs	148
3.6	नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की प्रयोजनवार स्वीकृतियां और वितरण	Purpose-wise Sanctions and Disbursements of Refinance by NABARD	151
3.7	नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की एजेंसीवार स्वीकृति और वितरण	Agency-wise Sanctions and Disbursements of Refinance by NABARD	152
3.8	नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्रवार वितरण	Region-wise Disbursements of Refinance by NABARD	154
3.9	नाबार्ड द्वारा कम विकसित और/या बैंक रहित राज्यों में पुनर्वित्त सहायता का वितरण (योजना बद्ध ऋण)	Disbursements of Refinance by NABARD to less Developed and/or under-banked States (Schematic Lending)	155
3.10	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता	NABARD's Refinance for IRDP	156
	अध्याय 4	Chapter 4	
4.1	वित्तीय संस्थाओं को भा.रि. बैंक की सहायता	RBI Assistance to Financial Institutions	179
4.2	मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सहायता	Assistance by Term-Lending Institutions	182
4.3	भा.औ.वि. बैंक द्वारा योजनावार स्वीकृत और वितरित सहायता	Scheme-wise Assistance Sanctioned and Disbursed by IDBI	183
4.4	भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनावार बिक्रियां और पुनर्खरीद	Scheme-wise Sales and Repurchases by UTI	188 – 189
4.5	नि.बी.प्र.गा. निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्योरे	Sector-wise Details of DICGC's Guaranteed Advances	194 – 195
4.6	भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्य	Operations of Export-Import Bank of India	198
4.7	राज्य वित्तीय निगमों के कार्य	Operations of State Financial Corporations	201

ग्राफ संख्या Graph Nos.			निम्नलिखित पृष्ठ के सामने Facing Page
1.	अनुसूचित वाणिज्य बैंक - चुनी हुई मदें	Scheduled Commercial Banks - Selected Items	18
2.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में ऋण, निवेश और नकदी के अनुपात	Scheduled Commercial Banks: Ratios of Credit, Investments and Cash to Deposits	19
3.	सकल बैंक ऋणों का क्षेत्रवार वितरणः 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान उतार-चढ़ाव	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit: Variations during 1985-86 and 1986-87)	19
4.	वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या	Number of Offices of Commercial Banks	42
5.	प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या	Average Population per Commercial Bank Office	43
6.	कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण	Co-operative Loans for Agricultural Purposes	144
7.	कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण	NABARD Credit for Agricultural Purposes	145
8.	नाबार्ड के कार्य (योजना वित्त)	Operations of NABARD (Scheme Finance)	145

टिप्पणी : सारणियों में (..) दर्शाता है कि आंकड़े अनुपलब्ध हैं और (-) कुछ नहीं तथा नगण्य दर्शाता है।जहाँ आवश्यक है आंकड़े उचित रूप से पूर्णांकित कर दिये गये हैं; घटक मदों को दर्शाये गये जोड़ों के साथ न लिये जाएँ।

Note: In the tables (..) indicate data are not available and (—) indicates nil and negligible. Wherever necessary figures have been suitably rounded off; constituent items may not add up to the totals shown.

ABBREVIATIONS

AAP	-	Annual Action Plan
BIFR	-	Board for Industrial and Financial Reconstruction
CAS	-	Credit Authorisation Scheme
CCB	-	Central Co-operative Bank
CD Ratios	-	Credit-Deposit Ratios
CRAFICARD	-	Committee to Review the Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development
CRR	-	Cash Reserve Ratio
CRTS	-	Charitable and Religious Trusts and Registered Societies
DCC	-	District Consultative Committee.
DCCB	-	District Central Co-operative Bank
DICGC	-	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DRI Scheme	-	Differential Rate of Interest Scheme
ECGC	-	Export Credit and Guarantee Corporation
EMF	-	Export Marketing Fund
Exim Bank	-	Export-Import Bank of India
FCI	-	Food Corporation of India
FCNR Scheme	-	Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme
FEDAI	-	Foreign Exchange Dealers' Association of India
GIC	-	General Insurance Corporation
HDFC	-	Housing Development Finance Corporation
HUDCO	-	Housing and Urban Development Corporation
ICICI	-	Industrial Credit and Investment Corporation of India
IDBI	-	Industrial Development Bank of India
IFC	-	International Finance Corporation
IFCI	-	Industrial Finance Corporation of India
IRDP	-	Integrated Rural Development Programme
IRBI	-	Industrial Reconstruction Bank of India
ISB Component	-	Industries, Services and Business Component
KVIC	-	Khadi and Village Industries Commission
LAMPS	-	Large size Aadivasi Multi-purpose Society/Societies
LDB	-	Land Development Bank
LIC	-	Life Insurance Corporation
MICR	-	Magnetic Ink Character Recognition
NABARD	-	National Bank for Agriculture and Rural Development
NAV	-	Net Asset Value

NDP	-	Net Domestic Product
NIC (LTO)	-	National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund
NODC	-	Non-Overdue Cover
NODP	-	National Oilseeds Development Project
NRC (LTO)	-	National Rural Credit (Long-term Operations) Fund
NRE Scheme	-	Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme
NTP	-	Normal Transit Period
PACS	-	Primary Agricultural Credit Societies
PCB	-	Primary (Urban) Co-operative Banks
PLDB	-	Primary Land Development Bank
RBI	-	Reserve Bank of India
R and D Fund	-	Research and Development Fund
RRB	-	Regional Rural Bank
SBI	-	State Bank of India
SCs/STs	-	Scheduled Castes/Scheduled Tribes
SCB	-	State Co-operative Bank
SEB	-	State Electricity Board
SFC	-	State Financial Corporation
SIDCs	-	State Industrial Development Corporations
SLDB	-	State Land Development Bank
SLR	-	Statutory Liquidity Ratio
SRTC	-	State Road Transport Corporation
SSI	-	Small-scale Industries
TIIC	-	Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd
TME Cells	-	Technical Monitoring and Evaluation Cells
UCB	-	Urban Co-operative Bank
UTI	-	Unit Trust of India

अध्याय 1

प्रस्तावना

वर्ष 1986-87 (जुलाई-जून) में बैंकिंग की स्थिति की विशेषता यह थी कि जमाराशियों और ऋण, दोनों में वृद्धि जारी रही। बैंकों के लाभ अर्जन कार्य में सुधार परिलक्षित हुआ। बैंकिंग कार्यकलापों का दायरा पूंजी बाजारों की विस्तृत गतिविधियों के साथ बढ़ता गया। वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में 15,517 करोड़ रुपये (16.9 प्रतिशत) तथा बैंक ऋण में 6,524 करोड़ रुपये (11.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य ऋण में गिरावट आयी, खाद्येतर ऋण में समग्रतः और वृद्धि दर दोनों ही दृष्टि से भारी वृद्धि हुई। कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का अंश 43 प्रतिशत की नयी ऊंचाई पर पहुंच गया और बैंक उप-क्षेत्र उधार लक्ष्यों को पार कर गये। शाखा विस्तार के क्षेत्र में समेकन पर बल दिया गया और इसलिये खोली गयी नयी शाखाओं की संख्या हाल के कुछ वर्षों के दौरान हुए विस्तार की तुलना में कम रही। वर्ष के दौरान विदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा तंत्र और उनके परिचालन के युक्तीकरण के लिए भी कदम उठाये गये। ब्याज दर ढांचे में अधोगामी समायोजन, प्रारक्षित अनुपातों में वृद्धि और चयनित ऋण नियंत्रण का युक्तीकरण मुद्रा क्षेत्र की काफी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा तैयार की गयी कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण से बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन में अनेक सुधार लाने में सहायता मिली है, अलबत्ता देयों की अपर्याप्त वसूली और औद्योगिक रुग्णता से उत्पन्न तनाव बराबर बना रहा है।

1.2 वर्ष 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में समग्र रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गयी लेकिन वृद्धि की यह दर कम

CHAPTER 1

INTRODUCTION

The banking scene in 1986-87 (July-June) was characterised by continued growth both in deposits and in credit. The profit performance of banks showed improvement. The spectrum of banking activities expanded with the larger inter-face with capital markets. Deposits of scheduled commercial banks rose by Rs.15,517 crores (16.9 per cent) and bank credit by Rs.6,524 crores (11.4 per cent) during the year. While there was a fall in food credit, the expansion in non-food credit was larger both in absolute terms and in terms of rate of expansion as compared with the previous year. The share of priority sector advances in total bank credit reached a new high of 43 per cent and the banks exceeded the sub-sector lending targets. In the area of branch expansion, the emphasis was on consolidation and the number of new branches opened was therefore lower as compared to the expansion during more recent years. Steps were also taken during the year towards rationalisation of the branch networks and operations of public sector banks abroad. In the monetary sphere, a downward adjustment in the interest rates structure, raising of reserve ratios and the rationalisation of selective credit controls were the more important developments. Implementation and supervision of the action plans drawn up by the public sector banks has helped to bring about several improvements in the operations and performance of banks, though strains arising from inadequate recovery of dues and industrial sickness persist.

1.2 During the year 1986-87 (July-June), aggregate deposits of scheduled commercial banks recorded a higher rise in

थी; जमाराशियों में वर्ष 1985-86 में हुई 14,753 करोड़ रुपये या 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 15,517 करोड़ रुपये या 16.9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। जमाराशियों की वृद्धि दर में मीयादी जमाराशियों के कारण गिरावट आयी जो वर्ष 1985-86 के 20.6 प्रतिशत से, उल्लेखनीय रूप से घटकर, वर्ष 1986-87 में 17.5 प्रतिशत पर आ गयी थी। इसके विपरीत, मांग जमाराशियों में पिछले वर्ष के दौरान दर्ज की गयी 13 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह गिरावट अंतिम तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 1987 में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से तीव्र रही, और यही वर्ष के लिए जमाराशियों की समग्र वृद्धि दर की गिरावट का कारण थी। मांग जमाराशियों में अप्रैल-जून 1986 में हुई 1,381 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि के विपरीत अप्रैल-जून 1987 तिमाही में केवल 149 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मीयादी जमाराशियों में 4,452 करोड़ रुपये की वृद्धि परिलक्षित हुई जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में देखी गयी 5,043 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में कम थी।

1.3 हालांकि जमाराशियों की वृद्धि दर में गिरावट आयी, घरेलू क्षेत्र द्वारा वित्तीय आस्तियों में की गयी कुल बचतों के प्रतिशत के रूप में बैंक जमाराशियां वर्ष 1985-86 के 67.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 69 प्रतिशत हो गयी। वर्तमान मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जमाराशियों का अनुपात भी वर्ष 1982-83 के 38.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 47.6 प्रतिशत हो गया।

1.4 बैंक ऋण में हुई वृद्धि समग्र रूप में अधिक थी किन्तु वृद्धि दर कम थी; बैंक ऋण जो वर्ष 1985-86 में 6,308 करोड़ रुपये या 12.4 प्रतिशत बढ़ा था उसमें वर्ष 1986-87 में 6,524 करोड़ रुपये या 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक ऋण की वृद्धि दर में यह धीमी गिरावट, खाद्य ऋण में पिछले वर्ष के दौरान आयी 354 करोड़ रुपये की गिरावट के मुकाबले 1,454 करोड़ रुपये की तीव्र गिरावट के फलस्वरूप आयी। खाद्य ऋण में यह तीव्र

absolute terms but the rate of growth was lower: deposits increased by Rs.15,517 crores or 16.9 per cent, as against an increase of Rs.14,753 crores or 19.1 per cent in 1985-86. The decline in the rate of growth of deposits was attributable to time deposits which decelerated significantly from 20.6 per cent in 1985-86 to 17.5 per cent in 1986-87. In contrast, demand deposits rose by 14.1 per cent as compared with 13 per cent increase recorded during the previous year. The deceleration was noticeably sharp in the last quarter viz., April-June 1987 as compared to the corresponding period of the previous year and this led to the dampening of the overall rate of deposits growth for the year. Demand deposits increased by only Rs.149 crores in the quarter April-June 1987 in contrast to a sizeable rise of Rs.1,381 crores in April-June 1986. Time deposits showed a rise of Rs.4,452 crores which was lower than the rise of Rs.5,043 crores witnessed in the corresponding period of the previous year.

1.3 Though there was a deceleration in the rate of growth of deposits, bank deposits as a percentage of total savings in financial assets by the household sector rose from 67.5 per cent in 1985-86 to 69 per cent in 1986-87. The ratio of deposits to Net National Product at current prices has also risen to 47.6 per cent in 1986-87 from 38.4 per cent in 1982-83.

1.4 The expansion in bank credit was larger in absolute terms, but the growth rate was lower: bank credit which expanded by Rs. 6,308 crores or by 12.4 per cent in 1985–86 increased by Rs.6,524 crores or by 11.4 per cent in 1986–87. This slow down in the rate of expansion in bank credit was a result of a sharper fall in food credit by Rs.1,454 crores as against a decline of Rs.354 crores in the previous year. The sharp de-

गिरावट भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के फलस्वरूप बैंकिंग तंत्र को भारतीय खाद्य निगम से निधियों की वापसी के कारण आयी। खाद्य ऋण के संबंधित अंश में पिछले दो वर्षों के दौरान गिरावट आयी है; खाद्य ऋण कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में जून 1985 के अंत के 13.3 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से घटकर जून 1986 के अंत में 11.2 प्रतिशत तथा जून 1987 के अंत में और घटकर 7.8 प्रतिशत रह गया। फिर भी, खाद्येतर ऋण में वर्ष 1985-86 के 6,662 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1986-87 में 7,978 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि परिलक्षित हुई; प्रतिशत रूप में भी पिछले वर्ष के 15.1 प्रतिशत की दर की तुलना में 15.7 प्रतिशत की बहुत ही थोड़ी सी वृद्धि हुई।

1.5 पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारक्षित मुद्रा की मात्रा और समग्र चलनिधि में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ष 1986-87 के दौरान मुद्रास्फीतिकारक दबावों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सतर्क ऋण नीति जारी रखना अत्यावश्यक हो गया। इस संबंध में, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात, दोनों के अंतर्गत प्रारक्षित निधि आवश्यकताओं में वृद्धि की गयी और उन्हें सख्ती के साथ लागू किया गया। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने में आयी दैनिक कमी के लिए दण्ड लगाये गये और सांविधिक चलनिधि अनुपात कमी की छूट की 4 प्रतिशत सीमा में क्रमशः कमी लायी गयी और इसे अक्तूबर 1986 तक समाप्त कर दिया गया। 25 अप्रैल 1987 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में 37 प्रतिशत से 37.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 1986-87 और पिछले वर्ष के दौरान किये गये उपायों के फलस्वरूप बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर बनाये रखे गये सांविधिक चलनिधि अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

1.6 वर्ष 1986 के अन्त में बैंकों के पास अतिरिक्त चलनिधि बनाये रखने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त चलनिधि के एक भाग को रोक रखने के प्रयोजन के लिए नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को 28 फरवरी 1987 से 9.0

cline in food credit was due to the return flow of funds from the Food Corporation of India to the banking system following the soft loan made available by the Government of India to the FCI. The relative share of food credit has declined over the last two years; food credit as percentage of total bank credit declined significantly from 13.3 per cent at end–June 1985 to 11.2 per cent at end–June 1986 and further to 7.8 per cent by end–June 1987. Non–food credit, however, showed a larger rise of Rs.7,978 crores in 1986–87 as against Rs.6,662 crores in 1985–86; in percentage terms also the expansion at 15.7 per cent was marginally higher than the rate of 15.1 per cent in the previous year.

1.5 In view of the large increase in the volume of reserve money and overall liquidity during the previous three years, it became imperative to pursue a cautious credit policy to avoid a resurgence of inflationary pressures during 1986-87. In this context, the reserve requirements both under CRR and SLR were raised and their enforcement was made stricter. As referred to in the last year's Report, penalties were imposed for daily shortfalls in the maintenance of SLR by banks and there was a phased reduction of the 4 per cent band of waiver of SLR shortfall, and its elimination by October 1986. The SLR was raised from 37 per cent to 37.5 per cent with effect from April 25, 1987. As a result of the measures taken during 1986-87 and the previous year, there has been a marked improvement in the maintenance of SLR on a daily basis by banks.

1.6 In the wake of build up of excess liquidity with banks towards the close of 1986, the Cash Reserve Ratio was raised from 9.0 per cent to 9.5 per cent effective February 28, 1987 for the purpose of

प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया गया। वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात अपेक्षाओं के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रुकी पड़ी 248 करोड़ रुपये की नकदी शेष राशियों की दूसरी किस्त जिसे जनवरी 1987 में निर्मुक्त किया जाना था, उसे आरंभ में स्थगित किया गया और बाद में बैंकों की संसाधन स्थिति राहतपूर्ण पायी जाने पर मार्च 1987 में रद्द कर दिया गया।

1.7 बैंकों द्वारा चलनिधि प्रबंधन में बनाये रखे जाने वाले लचीलेपन और युक्ति चालन के उपाय को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 में "182 दिवसीय खजाना बिल" पुनर्वित्त सुविधा आरंभ की गयी।

1.8 ब्याज दर ढांचे का अधोगामी समायोजन वर्ष के दौरान जारी रखी गयी ब्याज दर नीति की मुख्य विशेषता थी। देश के निर्यात प्रयासों को सहयोग देने के लिए (पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर) निर्यात ऋण से संबंधित उधार की दरों को अगस्त 1986 से 2.5 प्रतिशत अंक कम कर दिया गया। इससे बैंकों को होने वाली आय में हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए निर्यात ऋण से संबंधित ब्याज दर उपदान को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। मुद्रा की लागत में कमी और ब्याज दर नीति में लचीलापन लाने के दृष्टिकोण से उधार और जमाराशि दरों के ढांचे में अप्रैल 1987 में चयनात्मक परिवर्तन किये गये। उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋण की लागत कम करने की दृष्टि से 15.0 प्रतिशत से ऊपर की बैंकों की सभी उधार दरों को एक प्रतिशत अंक कम कर दिया गया। बैंकों की उधार दरों में किये गये परिवर्तन निम्नानुसार हैं :

	1 अप्रैल 1987 से लागू
1. 16.5 - 17.5 और 17.5 प्रतिशत (निर्धारित) की सीमाएं	16.5 प्रतिशत निर्धारित
2. 16.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमाएं	15.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमाएं
3. 16.5 प्रतिशत निर्धारित	15.5 प्रतिशत निर्धारित

immobilising a part of the excess liquidity. The second instalment of cash balances of Rs.248 crores lying impounded with the RBI under incremental cash reserve ratio requirements which was to be released in January 1987 was postponed initially and subsequently rescinded in March 1987 due to the comfortable resource position of banks.

1.7 With a view to imparting a measure of flexibility and manoeuvrability in liquidity management by the banks, "182 Days Treasury Bill" Refinance Facility was introduced in April 1987.

1.8 A downward adjustment of the interest rate structure was the highlight of the interest rate policy pursued during the year. From August 1986, the lending rates for export credit (pre-shipment and post-shipment) were reduced by 2.5 percentage points to help the country's export efforts. To compensate the loss in income to banks, the interest rate subsidy on export credit was stepped up from 1.5 per cent to 3 per cent. With a view to reducing the cost of money and imparting flexibility to the interest rate policy, selective changes were made in the structure of lending and deposits rates in April 1987. All lending rates of banks above 15.0 per cent were reduced by one percentage point with a view to lowering the cost of credit to the borrowers. The changes made in lending rates of banks are as follows:

	Effective April 1, 1987
1. Bands of 16.5-17.5 and 17.5% (fixed)	16.5% fixed
2. Bands with a ceiling of 16.5%	Bands with a ceiling of 15.5%
3. 16.5% fixed	15.5% fixed.

1.9 दीर्घतम अवधि समाप्ति वाली बैंकों की जमाराशि दर को बैंकों की उधार लेने और उधार देने की दरों के बीच मार्जिन रखने के लिए कम किया गया। 11 प्रतिशत की अधिकतम जमाराशि दर को घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया और इसे दो वर्ष और उससे अधिक की अवधि समाप्ति वाली जमाराशियों पर लागू कर दिया गया। अब तक की तरह 5 वर्षों की बजाय 2 वर्षों में अदा की जा रही अधिकतम जमाराशि दर वाले अवधि समाप्ति ढांचे का लघुकरण बदलती आर्थिक परिस्थितियों में बैंक ब्याज दरों का आसान समायोजन कर सकेगा। 1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन दो वर्षों से कम की अवधि वाली जमाराशियों की संबंधित ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत कर दिया गया तथा अन्य अवधि समाप्ति वाली जमाराशियों से संबंधित ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गयीं।

1.10 साथ ही साथ, वैकल्पिक बचत लिखतों की व्यापक श्रेणी से संबंधित ब्याज दरों को भी, पारस्परिक सम्बद्धता को बनाये रखने की दृष्टि से कम किया गया। बचत लिखतों से संबंधित ब्याज दरों में की गयी समन्वित चतुर्दिक कमी को अप्रैल 1987 में कार्यान्वित किया गया जिसमें बैंक जमाराशियां, डाक घर जमाराशियां, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, कंपनी जमाराशियां, डिबेंचर, सरकारी क्षेत्र के बांड और अन्य योजनाएँ शामिल हैं। बचतों के विभिन्न माध्यमों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता टालने के दृष्टिकोण से ही पहली बार ऐसा सतर्क नीति उपाय किया गया।

1.11 भुगतान विन्यास के रूप में बिल वित्त का विकास करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कदम उठाये गये:

i) उच्चतम ब्याज श्रेणी में उधारकर्ता की ओर से बिल भुनाने के लिए लागू ब्याज दर में कमी;

ii) पुनर्भुनाई कारोबार में अतिरिक्त निधियां जुटाने के लिए पुनर्भुनाई दर से संबंधित उच्चतम सीमा को 11.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया जाना;

1.9 The deposit rate of banks for the longest maturity was reduced to maintain the margin between borrowing and lending rates of banks. The maximum deposit rate was reduced from 11 to 10 per cent and this was made applicable to deposits with a maturity of two years and above. The shortening of the maturity structure with the maximum deposit rate being paid on 2 years instead of 5 years as hitherto, would enable easier adjustment of bank interest rates in response to changing economic circumstances. In respect of deposits of 1 year and above but less than two years, the rate was raised from 8.5 per cent to 9.0 per cent and the rates in respect of other maturities remained unchanged.

1.10 Simultaneously, interest rates on a wide range of alternative savings instruments were also lowered to maintain *inter se* relativity. A co-ordinated across-the-board reduction in interest rates on savings instruments was implemented in April 1987 covering bank deposits, post office deposits, national savings certificates, company deposits, debentures, public sector bonds and other schemes. For the first time such a conscious policy measure was taken with a view to avoiding unhealthy competition among various avenues of savings.

1.11 With a view to developing bills finance as payments mechanism, the following steps were initiated:

i) reduction in the effective interest rate for bills discounting on behalf of borrowers in the highest interest range;

ii) raising the ceiling on the rediscount rate from 11.5 per cent to 12.5 per cent in order to attract additional funds into rediscounting business;

iii) ऋण प्राधिकरण योजना पार्टियों के मामले में नकदी ऋण सीमाओं के लिए बिलों के क्रमिक प्रतिस्थापन के संबंध में समय-मान निश्चित करना।

iii) fixing a time scale for gradual substitution of bills for cash credit limits in case of Credit Authorisation Scheme parties.

1.12 वर्ष के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना को उल्लेखनीय रूप से उदार बनाया गया। यह उदारीकरण, पूर्व प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले बैंक उधारकर्ताओं की संख्या में और बैंकों को प्रदत्त व्यापक विवेकाधिकार शक्तियों में कमी लायेगा। ऋण प्राधिकरण योजना पार्टियां भी जिन्हें भविष्य में निर्धारित ऋण अनुशासन का पालन करना है, ऐसे पूर्व प्राधिकरण से मुक्त होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उक्त योजना के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त आवेदन पत्रों/संदर्भों का निपटान एक महीने की अवधि के भीतर करने का वायदा किया है।

1.12 The Credit Authorisation Scheme (CAS) was substantially liberalised during the year. The liberalisation would lead to reduction in the number of bank borrowers coming under prior authorisation and vesting of larger discretionary powers with banks. CAS parties which in future comply with the prescribed credit discipline will also be exempted from such prior authorisation. There is also a commitment by RBI for disposal of applications/references from banks under the scheme within a period of one month.

1.13 अन्य नीतिगत परिवर्तन, वर्तमान उपायों के युक्तीकरण और प्रभावी कार्यान्वयन स्वरूप के हैं। वर्ष 1985-86 में आरंभ किया गया चयनित ऋण नियंत्रणों का युक्तीकरण वर्ष 1986-87 के दौरान जारी रहा। जहां पण्य शेष अनुकूल पाया गया, ऐसे नियंत्रणों में ढील दी गयी, और जहां ऐसे नियंत्रणों की अधिक आवश्यकता नहीं समझी गयी, वहां उन्हें समाप्त कर दिया गया।

1.13 Other policy changes were in the nature of rationalisation and effective implementation of existing measures. Rationalisation of selective credit controls initiated in 1985-86 continued during 1986-87. Where the commodity balances were favourable, such controls were relaxed, and where such controls were no longer needed, these were abolished.

1.14 नयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति के अंतर्गत समेकन पर विशेष बल देते समय ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 10 कि.मी. की दूरी के भीतर एक बैंक शाखा की उपलब्धता और प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 जनसंख्या की व्याप्ति भी सुनिश्चित की गयी। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में शाखा विस्तार के लिए काफी उदार मानदण्ड अपनाये गये। जुलाई 1986 – मार्च 1987 की अवधि के दौरान 300 नयी शाखाएं बढ़ायी गयीं जिनमें से अस्सी प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित केन्द्रों में खोली गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा कार्यालय, मार्च 1987 के अंत में कुल संख्या के लगभग 56 प्रतिशत रहे जबकि जून 1969 में उनका प्रतिशत मात्र 22 था। ग्रामीण शाखाओं की कार्यगत क्षमता में सुधार

1.14 In the new branch licensing policy special emphasis was laid on consolidation while at the same time, ensuring the availability of a bank branch within a distance of 10 kms. in the rural and semi-urban areas and a coverage of 17,000 population per bank office in rural and semi-urban areas of each block. More liberalised norms for branch expansion in hilly and tribal areas were adopted. During the period July 1986-March 1987, 300 new branches were added, of which four-fifths were in unbanked centres. Branch Offices in the rural areas formed nearly 56 per cent of the total at the end of March 1987 as compared to only 22 per cent

लाने के दृष्टिकोण से बैंकों को अगस्त 1986 में सूचित किया गया था कि वे ग्रामीण शाखाओं में सप्ताह में एक दिन गैर-सार्वजनिक कारोबार कार्य दिवस के रूप में रखें ताकि प्रबंधक उक्त दिन को क्षेत्र में जाकर केवल विकासात्मक और प्रोन्नति कार्य के लिए अपने वर्तमान और संभावी ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने, जमाराशियां जुटाने, ऋण आबंटन, ऋण के अंतिम उपयोग के पर्यवेक्षण, ऋणों की वसूली और उधारकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन देने के लिए उपयोग में ला सकें। बैंकों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे उन क्षेत्रों में जहां कारोबार की मात्रा और अन्य परिस्थितियों के कारण नियमित शाखा खोलना संभव नहीं है, अनुषंगी या चल शाखाएं खोलें।

1.15 बैंकों के समग्र कार्य-निष्पादन और क्षमता में सुधार लाने के लिए उनकी कार्रवाई योजना के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। वर्ष 1986-87 में कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति की गयी। स्वास्थ्य कोडिंग के उपाय द्वारा ऋण प्रबंधन का पुनर्नवीकरण करने, ऋण सीमाओं की समय पर समीक्षा और नवीकरण करने, रुग्णता का पता लगाने के लिये समय बद्ध कार्रवाई, रुग्ण इकाइयों की सक्षमता तय करने और असक्षम इकाइयों के संबंध में अनुकूल सुश्रूषा कार्यक्रम और/या वसूली क्रियाविधियाँ आरंभ करने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं। लेखा संबंधी आंतरिक कार्य और ग्राहक सेवा में सुधार हुए हैं। कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए रिज़र्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता रहा। सभी बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर उप-क्षेत्रों से संबंधित निर्धारित ऋण लक्ष्यों को पूरा करने में लगे रहे। ऋण के क्षेत्रवार वितरण संबंधी 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों में जुलाई 1986 से अप्रैल 1987 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान के 2,534 करोड़ रुपये की

in June 1969. With a view to improving the functional efficiency of rural branches, banks were advised in August 1986 to observe one day in a week as non-public business working day at the rural branches so that the managers could spend the day exclusively in the field to contact their present and prospective clientele for developmental and promotional work, for mobilisation of deposits, credit allocation, supervision over the end-use of credit, recovery of loans and rendering appropriate guidance to borrowers. Banks were also urged to set up satellite or mobile branches in areas where the volume of business and other conditions did not warrant the setting up of a regular branch.

1.15 Reference was made in the last year's Report regarding the action plan of banks for improving their overall performance and efficiency. Satisfactory progress in the implementation of the action plan in 1986-87 was made. Steps have been taken specially for revamping credit management through the device of health coding, timely review and renewal of credit limits, time-bound action for detection of sickness, determining viability of sick units and activating nursing programmes and/or initiation of recovery procedures in respect of non-viable units. There have been improvements in house-keeping and customer service. The Reserve Bank continued to hold quarterly meetings with the Chairmen of public sector banks to monitor the progress in implementation of the action plans. All the banks continued to fulfil the credit targets fixed in respect of priority sector and sub-sectors within the priority sector. Available data of 50 scheduled commercial banks on sectoral deployment of credit show that during the period July 1986 to April 1987 advances to the priority sectors increased

तुलना में 3,056 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। कुल बकाया शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का अंश एक वर्ष पहले के 41.1 प्रतिशत की तुलना में, अप्रैल 1987 के अंत में 43 प्रतिशत रहा। कृषि से संबंधित 10,592 करोड़ रुपये में बकाया अग्रिमों का अंश अप्रैल 1987 के अंत तक के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 41.8 प्रतिशत था। लघु उद्योगों से संबंधित 9,300 करोड़ रुपये के बकाया अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के 36.7 प्रतिशत थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि कार्य के लिए दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिम मार्च 1987 के लिए निर्धारित 16 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 1986 अंत तक के कुल शुद्ध बैंक ऋण का 16.2 प्रतिशत रहे। दिसंबर 1986 के अंत तक कमजोर वर्ग को दिये गये अग्रिम मार्च 1985 के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले शुद्ध बैंक ऋण के 10.8 प्रतिशत रहे। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिसंबर 1986 के अंत तक के 561 करोड़ रुपये के बकाया ऋण कुल अग्रिमों का 1.2 प्रतिशत आंके गये और 48 लाख खातों में व्याप्त रहे। वर्ष 1986-87 के दौरान, सामाजिक बैंकिंग दायरे को शहरी गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी एक नयी ऋण योजना आरंभ करके और विस्तृत किया गया। अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जानेवाले ऋण प्रवाह में भी वृद्धि करने के उपाय किये गये। प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों से संबंधित मांग में वसूली के प्रतिशत में बहुत थोड़ा सुधार हुआ। वह एक वर्ष पहले के 54.2 प्रतिशत से बढ़कर जून 1986 के अंत तक 56.2 प्रतिशत हो गया। फिर भी, बैंकों के समग्र वसूली कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। इसके अलावा, औद्योगिक रुग्णता बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती रही है।

1.16 कुल मिला कर बैंकिंग तंत्र से संबंधित ऋण-जमा अनुपात जून 1986 अंत तक के 62.3 प्रतिशत की तुलना में जून 1987 अंत तक 59.4 प्रतिशत रह गया। ग्रामीण

by Rs.3,056 crores as compared with Rs.2,534 crores during the corresponding period of the previous year. The share of priority sector advances in total outstanding net bank credit formed 43 per cent at end-April 1987 as against 41.1 per cent a year ago. The share of outstanding advances to agriculture at Rs.10,592 crores was 41.8 per cent of total priority sector advances at end-April 1987. Outstanding advances to small-scale industries at Rs.9,300 crores constituted 36.7 per cent of priority sector advances. Direct advances to agriculture by public sector banks constituted 16.2 per cent of the total net bank credit at end-December 1986 as against the target of 16 per cent set for March 1987. Advances to weaker sections at end-December 1986 formed 10.8 per cent of net bank credit as against a target of 10 per cent set for March 1985. The loans outstanding under DRI Scheme at Rs.561 crores at end-December 1986 accounted for 1.2 per cent of the total advances and were spread over 48 lakh accounts. During 1986-87, the sphere of social banking was further widened by introducing a new lending scheme for poverty alleviation for the urban poor. Also, measures were taken to increase the flow of credit to the minority communities. There was marginal improvement in percentage of recovery to demand in respect of direct agricultural advances which rose to 56.2 per cent at end-June 1986 from 54.2 per cent a year earlier. However, there is considerable scope for improving the overall recovery performance of banks. Further, industrial sickness continues to affect bank profitability adversely.

1.16 For the banking system as a whole, the credit-deposit ratio stood at 59.4 per cent at end-June 1987 as against 62.3 per

और अर्ध-शहरी अलग-अलग शाखाओं से संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित 60.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले ऋण जमा अनुपात दिसंबर 1986 के अंत में ग्रामीण शाखाओं के लिए 60.5 प्रतिशत और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए 51.3 प्रतिशत था।

1.17 पिछले दो-तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समुद्रपारीय परिचालन के संबंध में उभर कर आयी चिन्ताओं को ध्यान में रखकर रिज़र्व बैंक ने सरकार से परामर्श करके, वर्ष के दौरान, समुद्रपारीय शाखा तंत्र के युक्तीकरण के लिए कदम उठाये। इस लिये दो-तीन प्रस्ताव रखे गये। एक ओर, बैंकों को असक्षम शाखाओं की समीक्षा करने और उन्हें बन्द करने को कहा गया। दूसरी ओर, लन्दन में जहां विभिन्न बैंकों की अनेक शाखाएं कार्यरत थीं उनके संबंध में समेकन कार्यक्रम तैयार किया गया। वर्ष के दौरान ग्यारह विदेश स्थित शाखाओं को बंद कर दिया गया जिसके फलस्वरूप जून 1987 के अंत में उनकी संख्या 123 रह गयी। युक्तीकरण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र के चार बैंकों को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र से हटना पड़ा। ये सभी बैंक ब्रिटेन में कार्यरत थे;इन बैंकों की परिसंपत्तियों और देयताओं को उक्त देश में कार्यरत अन्य भारतीय बैंकों को जनवरी/फरवरी 1987 के आरंभ में ही अंतरित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या 9 रह गयी। इन बैंकों में उनकी समुद्रपारीय शाखाओं के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार से संबंधित परिचालन और नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये जिनमें अवस्थिति मानदण्ड, देश जोखिम प्रबंधन, चलनिधि और बेमेल ब्याज दर का नियंत्रण तथा मुद्रा ऋण अवस्थितियां शामिल हैं।

1.18 बैंकिंग गतिविधियों के दायरे के विस्तार में वर्ष के दौरान और गति आयी। बड़े भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों ने अपने कार्यकलाप पट्टा वित्त पोषण जैसे नये

cent at end-June 1986. As against the target of 60.0 per cent fixed for the public sector banks in respect of rural and semi-urban branches separately, the CD ratio at end-December 1986 for rural branches was 60.5 per cent and for semi-urban branches 51.3 per cent.

1.17 Addressing the concerns that emerged in respect of the overseas operations of public sector banks in the last two/three years, steps were taken during the year by the Reserve Bank in consultation with Government, towards rationalisation of the overseas branch networks. Two approaches were adopted. On the one hand, banks were asked to review and close down non-viable branches. On the other, in London where there were many branches of several banks, a programme of consolidation was undertaken. Eleven overseas branches were closed during the year bringing down the number to 123 as at end-June 1987. The process of rationalisation entailed the withdrawal from international banking, of four public sector banks - all operating only in U.K.; the assets and liabilities of these banks were transferred to other Indian banks operating in that country, as from the beginning of January/February 1987. This brought down the number of Indian banks having offices abroad to 9. With a view to strengthening the operating and monitoring systems in these banks in relation to the international banking business of their overseas branches, guidelines were issued covering exposure norms, country risk management, control of liquidity and interest rate mismatches and currency lending exposures.

1.18 The widening of the spectrum of banking activities gathered further momentum during the year. The larger Indian banks and foreign banks have

कारोबार के क्षेत्रों में लगाना शुरू किया। वे पारस्परिक निधियों, जोखिम पूंजी और आवास वित्त के क्षेत्र में प्रवेश पाने का भी इरादा कर रहे हैं। इनमें से कुछेक कार्यकलाप सहायक सस्थाओं के संवर्धन या अन्य वित्तीय कंपनियों में ईक्विटी धारण के माध्यम से किये जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक के निर्देशों और विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूंजी बाजार के साथ आंतरिक गतिविधियां भी बढ़ गयीं। वणिक बैंकिंग कार्यकलापों, विशेषरूप से नये इजरों के प्रबंधन और हामीदारी पर अधिक बल दिया गया।

1.19 वर्ष 1986 के दौरान बैंकों की समग्र लाभप्रदता में भी सामान्य सुधार हुआ। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार का संवर्धन, सरकारी प्रतिभूतियों पर अधिक कूपन दरें और रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेषों पर अधिक प्रतिलाभ जैसे सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये कतिपय निर्णयों से बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ। सेवा प्रभारों में वृद्धि और बढ़ी हुई स्टाफ उत्पादकता भी योगदान देने वाले घटक रहे।

1.20 वर्ष 1986-87 में दर्ज की गयी बैंकों की लाभप्रदता में आया सुधार काफी सीमा तक बाहरी घटकों, अर्थात् भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के नीतिगत प्रयासों के कारण हुआ। यदि वाणिज्य बैंकों को आने वाले वर्षों में अपनी लाभप्रदता को एक समुचित स्तर पर बनाये रखना है तो कतिपय अन्दरूनी घटकों की ओर कारगर तौर से ध्यान देना पड़ेगा, विशेषतः चिन्ता का विषय है उनका आंतरिक ढांचा, विशेष रूप से स्थापना लागतों सहित लागत नियंत्रण, लेखा संबंधी आंतरिक कार्य, ऋण और निधि प्रबंधन तथा ग्राहक सेवा। ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना और देयों की समय पर वसूली करना दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इस संबंध में, वाणिज्य बैंकों और सरकारों को, विशेष रूप से राज्य स्तर पर वित्तीय अनुशासन और देयों की वसूली के

sought to diversify their activities into new business areas like lease financing. They are also contemplating entry into mutual funds, venture capital and housing finance. Some of these activities are being undertaken through promotion of subsidiaries or equity holding in other financial companies. The inter-face with capital market also expanded subject to directives and prudential guidelines of the Reserve Bank. The thrust was on merchant banking activities, especially on management and underwriting of new issues.

1.19 There was also a general improvement in the overall profitability of banks during 1986. Certain decisions taken by the Government and the Reserve Bank, such as augmenting the capital base of public sector banks, higher coupon rates on Government securities and higher return on cash balances maintained with the Reserve Bank led to the improvement in profitability of banks. The hike in service charges and enhanced staff productivity were also contributory factors.

1.20 The improvement in profitability of banks registered in 1986-87 was attributable to a considerable extent to exogenous factors, namely, policy responses of the Government of India and the Reserve Bank. If the commercial banks are to sustain their profitability at a reasonable level in the coming years, certain endogenous factors have to be effectively addressed, especially those concerning internal structure, cost control, including specially, establishment costs, house keeping, credit and funds management and customer service. Improving the quality of loan assets and timely recovery of dues are two important areas to which increasing attention will

लिए प्रेरक वातावरण उत्पन्न करने और उसे बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। बैंकिंग कारोबार की संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि बैंकों ने नये कार्यकलापों को हाथ में लिया है। फिर भी,उनके लिए यह अत्यावश्यक है कि वे सट्टे बाजी के कारोबार से दूर रहें और यह सुनिश्चित करें कि कृषि, उद्योग और निर्यात के लिए कार्यकारी पूंजी प्रदान करने का उनका प्रमुख कार्य प्रभावी रूप से निष्पादित होता रहे।

have to be paid. In this context, commercial banks as well as governments, especially at the state level must strive to create and maintain an environment conducive to financial discipline and recovery of dues. The composition of banking business is undergoing changes as banks undertake new activities. It is however, essential for them to eschew speculative business and to ensure that their major function of providing working capital to agriculture, industry and exports is effectively performed.

अध्याय 2
वाणिज्य बैंकिंग

विहगावलोकन

1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान अनुसूचित बैंकों की कुल जमाराशियों में वृद्धि 1985-86 में विद्यमान 14,753 करोड़ रुपयों (19.1 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में, इस वर्ष, संपूर्ण रूप में अधिक अर्थात् 15,517 करोड़ रुपये (16.9 प्रतिशत) थी। वर्ष 1986-87 में बैंक ऋण में हुई समग्र वृद्धि भी अधिक अर्थात् 6,524 करोड़ रुपये (11.4 प्रतिशत) थी जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में वह 6,308 करोड़ रुपये (12.4 प्रतिशत) थी। यद्यपि यह वृद्धि दर खाद्यान्न की उगाही के लिए दिये जानेवाले अग्रिमों में आयी तीव्र कमी के कारण थी, किन्तु, खाद्येतर ऋणों की वृद्धि दर भी पिछले वर्ष के 15.1 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष, अपेक्षाकृत अधिक, अर्थात् 15.7 प्रतिशत थी। बैंकों के निवेश में भी 22.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जबकि 1985-86 में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

2.2 क्योंकि समग्र चलनिधि में वृद्धि के साथ-साथ प्रारक्षित निधि में हुई निरंतर वृद्धि चिंता का कारण बनी रही थी, इसीलिए, वर्ष के दौरान, ऋण नीति की प्रवृत्ति सतर्कता की रही ताकि मुद्रास्फीति संबंधी दबावों में तेजी नहीं आए। नीति संबंधी उपायों में,अन्य बातों के साथ-साथ,प्रारक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि और बैंकों द्वारा सांवधिक चलनिधि अनुपात के प्रभावी रखरखाव पर जोर दिया जाना भी शामिल है। ब्याज दर संबंधी नीति में लचीलापन लाने के लिए जमा दरों के विन्यास और जमाराशियों की अवधि समाप्ति संबंधी रूप रेखा में चयनात्मक परिवर्तन किये गये। इसी प्रकार मुद्रा की लागत को कम करने के लिए बैंकों की अधिकतम उधार दर को घटाया गया था।

जमाराशियां और ऋण की प्रवृत्तियां

कुल जमाराशियाँ

2.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की वृद्धि दर जो कि 1983-84 से लगातार 19 प्रतिशत के

CHAPTER 2
COMMERCIAL BANKING

Overview

During 1986-87 (July-June), the rise in aggregate deposits of scheduled commercial banks was larger in absolute terms at Rs.15,517 crores (16.9 per cent) as against Rs.14,753 crores (19.1 per cent) in 1985-86. The expansion in bank credit was also higher in absolute terms at Rs.6,524 crores (11.4 per cent) in 1986-87 as against Rs.6,308 crores (12.4 per cent) in 1985-86. The growth rate, however, was lower due to a sharp decline in food procurement advances; the rate of growth of non-food credit was higher at 15.7 per cent as against 15.1 per cent in the previous year. Investments of banks continued to grow at a steep rate of 22.1 per cent on top of a rise of 21.4 per cent in 1985-86.

2.2 As persistent increase in reserve money accompanied by growth in overall liquidity continued to cause concern, the stance of credit policy during the year remained one of caution so as not to fuel inflationary pressures. The policy measures taken include *inter alia* enhancements in reserve requirements as also emphasis on effective maintenance of SLR by banks. To impart flexibility to the interest rates policy, selective changes were made in the structure of deposit rates and maturity structure of deposits. Simultaneously, with a view to reducing the cost of money, the maximum lending rate of banks was reduced.

Trends in Deposits and Credit

Aggregate Deposits

2.3 The growth rate of aggregate deposits of scheduled commercial banks

आस-पास बनी रही थी वह 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान घटकर 16.9 प्रतिशत रह गयी। इस वर्ष समग्र रूप में जो वृद्धि (15,517 करोड़ रुपये) हुई वह 1985-86 के 14,753 करोड़ रुपये की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी किन्तु प्रतिशत के रूप में देखें तो 16.9 प्रतिशत की यह वृद्धि दर 19.1 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम थी (सारणी 2.1)। इस वृद्धि दर में कमी का कारण, घरेलू क्षेत्र की बचतों का पूंजी बाजार में नये इशूरों में लगाया जाना और पिछले कई वर्षों के दौरान नयी वित्तीय लिखतों को जारी किया जाना हो सकता है। नीचे दिये गये आंकड़ों के तिमाही विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जहाँ पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाहियों की तुलना में इस वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाहियों (अर्थात् अक्तूबर 1986 से मार्च 1987) में कुल जमाराशियों में अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई थी, वहां जुलाई-सितंबर 1986 और पुनः अप्रैल-जून 1987 के दौरान वृद्धि दरें अपेक्षाकृत कम थीं। यह कमी विशेष रूप से पिछली तिमाही के दौरान तीव्र थी अर्थात् अप्रैल-जून 1986 के 7.5 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि दर केवल 4.5 प्रतिशत थी।

which had been hovering consistently at around 19 per cent since 1983-84 declined to 16.9 per cent during 1986-87 (July-June). At Rs.15,517 crores, though the increase was higher in absolute terms than that of Rs.14,753 crores in 1985-86, in percentage terms the growth rate at 16.9 per cent was significantly lower than that of 19.1 per cent (Table 2.1). The decline in the growth rate may be due to a diversion of savings of the household sector into new issues in the capital market and new financial instruments introduced during the last couple of years. Quarter-wise analysis of data given below shows that while in the second and third quarters (i.e. October 1986 to March 1987), aggregate deposits recorded a higher growth than in the corresponding quarters of the previous year, the growth rates during July-September 1986 and again in April-June 1987 were lower; the deceleration, particularly in the last quarter was sharp, with the growth rate being only 4.5 per cent as against 7.5 per cent in April-June 1986.

कुल जमाराशियों में वृद्धि
Growth in Aggregate Deposits

तिमाही . Quarter	1985-86		1986-87	
	राशि (करोड़ रुपयों में) Amount (Rs.crores)	वृद्धि का प्रतिशत Percentage growth	राशि (करोड़ रुपयों में) Amount (Rs.crores)	वृद्धि का प्रतिशत Percentage growth
जुलाई-सितंबर July-September	+1,720	+2.2	+1,426	+1.6
अक्तूबर-दिसंबर October-December	+6,662	+8.5	+8,645	+9.3
जनवरी-मार्च January-March	–53	–0.1	+845	+0.8
अप्रैल-जून April-June	+6,424	+7.5	+4,601	+4.5
कुल (जुलाई-जून) Total (July-June)	+14,753	+19.1	+15,517	+16.9

सारणी 2.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े
TABLE 2.1 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DATA

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

मदें Items	निम्नलिखित तारीखों को बकाया Outstanding as on			वर्ष के दौरान घट-बढ़ Variations during the year	
	जून June 28, 1985	जून June 27, 1986	जून June 26, 1987@	1985-86	1986-87
	1	2	3	4	5
1. कुल जमाराशियां Aggregate Deposits	77,075	91,828	1,07,345	+14,753 (+19.1)	+15,517 (+16.9)
(क) मांग जमाराशियां A) Demand Deposits	15,039	16,993	19,383	+1,954 (+13.0)	+2,390 (+14.1)
(ख) मीयादी जमाराशियां B) Time Deposits	62,036	74,835	87,962	+12,799 (+20.6)	+13,127 (+17.5)
2. कुल बैंक ऋण Total Bank Credit	50,921	57,229	63,753	+6,308 (+12.4)	+6,524 (+11.4)
(क) खाद्य ऋण A) Food Credit	6,765	6,411	4,957	−354	−1,454
(ख) खाद्येतर ऋण B) Non-food Credit	44,156	50,818	58,796	+6,662 (+15.1)	+7,978 (+15.7)
3. निवेश Investments	27,252	33,079	40,387	+5,827 (+21.4)	+7,308 (+22.1)
(क) सरकारी प्रतिभूतियां A) Government Securities	17,467	20,896	26,093	+3,429	+5,197
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां B) Other approved Securities	9,785	12,183	14,294	+2,398	+2,111
4. हाथ में नकदी तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ Cash-in-hand and Balances with RBI	12,305	14,455	18,053	+2,150	+3,598
(क) हाथ में नकदी A) Cash-in-hand	1,419	1,515	1,481	+96	−34
(ख) रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां B) Balances with RBI	10,886	12,940	16,572	+2,054	+3,632
5. रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार Borrowings from RBI	1,863	544	1,136	−1,319	+592
6. ऋण-जमा अनुपात Credit-Deposit Ratio	66.1	62.3	59.4		
7. खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात Non-food Credit-Deposit Ratio	57.3	55.3	54.8		
8. निवेश-जमा अनुपात Investment-Deposit Ratio	35.4	36.0	37.6		

@ : आंशिक रूप से संशोधित
: Partially revised.

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate percentage increase over the previous year.

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां।

Source : Returns received under Section 42 (2) of the RBI Act, 1934.

2.4 कुल जमाराशियों में मौसमी घट बढ़ के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1985 के कम कामकाज के समय में हुई 6,764 करोड़ रुपयों की जमा वृद्धि की तुलना में 1986 के कम कामकाज के समय में हुई जमा वृद्धि संपूर्ण दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 7,734 करोड़ रुपये थी, किन्तु वृद्धि दर 9 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी कम अर्थात 0.3 प्रतिशत कम थी। वर्ष 1986-87 के अधिक कामकाज के समय के दौरान कुल जमाराशियों में 8,549 करोड़ रुपयों (9.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी जबकि इसकी तुलना में 1985-86 के अधिक कामकाज के समय में उक्त वृद्धि 6,754 करोड़ रुपये (8.5 प्रतिशत) थी।

मांग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि

2.5 घटकवार देखा जाए तो 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान जमावृद्धि के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जहाँ पर मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर में कमी आयी, वहीं पर मांग जमाराशियों के मामले में सुधार परिलक्षित हुआ था। पिछले वर्ष के 1,954 करोड़ रुपये (13.0 प्रतिशत) की तुलना में इस वर्ष मांग जमाराशियों में 2,390 करोड़ रुपये (14.1 प्रतिशत) की जो वृद्धि हुई थी वह समग्र और प्रतिशत दोनों ही रूपों में अधिक थी। यद्यपि 1985-86 के 12,799 करोड़ रुपयों की तुलना में समग्र रूप में मीयादी जमाराशियाँ अधिक अर्थात् 13,127 करोड़ रुपये थीं, प्रतिशत रूप में वृद्धि दर पिछले वर्ष के 20.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 17.5 प्रतिशत रहीं।

2.6 मांग और मीयादी जमाराशियों में घटबढ़ के तिमाही वर्गीकरण के आंकड़े पृष्ठ 16 पर दी गयी सारणी में यह दर्शाते हैं कि दूसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) के दौरान जहां मांग जमाराशियों में भारी वृद्धि परिलक्षित हुई है वहाँ पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में अंतिम तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान पर्याप्त गिरावट परिलक्षित हुई। किन्तु पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाहियों की तुलना में, इस वर्ष पहली और तीसरी तिमाही के दौरान थोड़ी सी ही सही गिरावट दिखीलाई पड़ी। पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष की पहली तिमाही (जुलाई-सितंबर) और पुनः अंतिम

2.4 An analysis of the seasonal variations in aggregate deposits reveals that deposit growth in the 1986 slack season at Rs.7,734 crores was larger in absolute terms than that of Rs.6,764 crores in the 1985 slack season; but the growth rate at 9 per cent was slightly lower by 0.3 percentage point. During the 1986-87 busy season aggregate deposits increased by Rs.8,549 crores (9.1 per cent) as compared with Rs.6,754 crores (8.5 per cent) in the 1985-86 busy season.

Growth in Demand and Time Deposits

2.5 Component-wise analysis of deposit growth during 1986-87 (July-June) reveals that while there was a deceleration in the growth rate of time deposits, there was improvement in the case of demand deposits. The rise in demand deposits at Rs.2,390 crores (14.1 per cent) was higher both in absolute and percentage terms than that of Rs.1,954 crores (13.0 per cent) in the preceding year. Though the growth in time deposits at Rs.13,127 crores was higher in absolute terms as compared to that of Rs.12,799 crores in 1985-86, in percentage terms the growth rate at 17.5 per cent was lower than that of 20.6 per cent.

2.6 The data on quarterly break-up of variations in demand and time deposits given in the Table on page **16** indicate that, while demand deposits recorded a larger increase during the second quarter (October–December), the increase during the last quarter (April–June) was sizeably lower than that during the comparable period of the previous year. During the first and third quarters, however, demand deposits witnessed a decline though to a lesser extent than those in the corresponding

मांग और मीयादी जमाराशियां
Demand and Time Deposits

(करोड़ रु.)
(Rs.crores)

तिमाही Quarter	मांग जमाराशियों में वृद्धि Growth in demand deposits		मीयादी जमाराशियों में वृद्धि Growth in time deposits	
	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
जुलाई-सितम्बर July-September	−837	−76	+2,557	+1,502
अक्तूबर-दिसम्बर October-December	+1,950	+2,778	+4,712	+5,867
जनवरी-मार्च January-March	−540	−461	+487	+1,306
अप्रैल-जून April-June	+1,381	+149	+5,043	+4452
जोड़ (जुलाई-जून) Total (July-June)	+1,954	+2,390	+12,799	+13,127

तिमाही में मीयादी जमाराशियों की वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी।

ऋण की प्रवृत्तियाँ

2.7 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक ऋण में हुई 6,524 करोड़ रुपये की वृद्धि, पिछले वर्ष के 6,308 करोड़ रुपयों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी। किन्तु 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी। खाद्य ऋण में पिछले वर्ष के 354 करोड़ रुपयों की तुलना में 1,454 करोड़ रुपयों की समग्र कमी दिखलायी पड़ी जो कि भारतीय खाद्य निगम को, बैंकों के संदर्भ में उसकी ऋणग्रस्तता के एक अंश को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम से निधियों की वापसी को सूचित करती है। पिछले वर्ष के 6,662 करोड़ रुपयों (15.1 प्रतिशत) की तुलना में खाद्येतर ऋण में समग्र और प्रतिशत दोनों ही रूप में 7,978 करोड़ रुपयों (15.7 प्रतिशत) की भारी वृद्धि दिखलाई पड़ी। जून 1987 के अंतिम शुक्रवार को ऋण-जमा अनुपात 59.4 प्रतिशत था जबकि एक वर्ष पूर्व यह प्रतिशत 62.3 प्रतिशत था।

quarters of the previous year. The growth in time deposits was lower in the first quarter (July–September) and again in the last quarter, as compared with the preceding year.

Trends in Credit

2.7 The expansion in bank credit during 1986-87 (July-June) at Rs.6,524 crores was higher in absolute terms than that of Rs.6,308 crores in the previous year; but the growth rate at 11.4 per cent was lower than that of 12.4 per cent. The absolute decline in food credit at Rs.1,454 crores was very substantial compared to that of Rs.354 crores in the previous year and reflects the return flow of funds from the Food Corporation of India (FCI) consequent on the Government of India making available soft loans to FCI to enable it to clear part of its indebtedness to banks. Non-food credit expansion by Rs.7,978 crores (15.7 per cent) was larger both in absolute and percentage terms as compared with that of Rs.6,662 crores (15.1 per cent) in the previous year. The credit-deposit ratio as on the last Friday of June 1987 worked out to 59.4 per cent as compared with 62.3 per cent a year ago.

निवेश और नकदी शेष राशियाँ

2.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों में लगातार तीसरे वर्ष भारी वृद्धि परिलक्षित हुई। आंशिक रूप में इस वृद्धि में सांविधिक चलनिधि अनुपात में हुई वृद्धि और साथ ही प्रारक्षित निधि आवश्यकताओं से संबंधित उपबंधों के बैंकों द्वारा बेहतर अनुपालन का योगदान था और अंशतः इस वृद्धि में सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त बेहतर अर्जन का योगदान था जिन्हें निवेश प्रयोजनों के लिये अधिक आकर्षक बना दिया गया था। समग्र और प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से वर्ष 1985-86 में हुई 5,827 करोड़ रुपये या 21.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष, 7,308 करोड़ रुपये (22.1 प्रतिशत) की भारी वृद्धि हुई। जून 1987 के अंत में 37.6 प्रतिशत का निवेश-जमा अनुपात एक वर्ष पूर्व की तुलना में 1.6 प्रतिशत अंकों से अधिक था। बैंकों के हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक के पास बकाया राशियों में भी 3,598 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 2,150 करोड़ रुपये थी। इसका कारण यह है कि रिज़र्व बैंक के पास वाणिज्य बैंकों के अवरुद्ध नकदी शेषों के एक अंश को नवंबर 1986 में मुक्त कर दिया गया और फरवरी 1987 में आधे प्रतिशत अंक के जरिये प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि की गयी। इसका उल्लेख बाद में किया गया है।

रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त निभाव

2.9 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान, क्योंकि बकाया खाद्य ऋण, प्रारंभिक स्तर से भी नीचे था अतः बैंक खाद्य पुनर्वित्त के पात्र नहीं थे। बैंकों द्वारा निर्यात ऋण पर लगायी जानेवाली ब्याज दर में सामान्य कमी के अनुकरण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 10 प्रतिशत से घटाकर, अगस्त 1986 में 9 प्रतिशत कर दिया गया, ताकि बैंकों को प्राप्त होनेवाले प्रभावी अर्जन और पुनर्वित्त दर के बीच के मार्जिन में कोई कमी नहीं आए।

Investments and Cash Balances

2.8 Investments of scheduled commercial banks recorded a substantially larger increase for the third year in succession, which may be partly attributed to the increase in statutory liquidity ratio as also better compliance by banks of the provisions relating to reserve requirements and partly due to better yields on Government securities, making them more attractive for investment purposes. The rise at Rs.7,308 crores (22.1 per cent) was larger both in absolute and percentage terms than that of Rs.5,827 crores or 21.4 per cent in 1985-86. The investment-deposit ratio of 37.6 per cent at end-June 1987 was higher by 1.6 percentage points over that a year ago. Banks' cash in hand and balances with the Reserve Bank also showed a larger rise of Rs.3,598 crores as compared with that of Rs.2,150 crores in the previous year. This is the net result of the release of a part of the impounded cash balances of commercial banks with the Reserve Bank in November 1986 and the increase in the cash reserve ratio by half percentage point in February 1987, referred to later.

Reserve Bank's Refinance Accommodation

2.9 During 1986-87 (July-June), as the food credit outstanding was below the threshold level, banks were not eligible for food refinance. In line with the general reduction in interest rate on export credit by banks, the interest rate on Reserve Bank's export credit refinance to scheduled commercial banks was reduced from 10 per cent to 9 per cent in August 1986 so that the margin between the effective return to banks and the refinance rate remained unimpaired.

2.10 इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि जो बैंक खाद्य सहायता संघ के सदस्य नहीं हैं और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमाराशियों में जिनका भारी हिस्सा है उन्हें मार्च 1987 के ऋण नीति संबंधी उपायों के समायोजन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार के मामलों में बहुत ही छोटी अवधियों के लिये अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त के अनुरोधों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। आलोच्य वर्ष के दौरान, विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध कराये गये वित्तीय विभाग की निम्नलिखित पैराग्राफों में समीक्षा की गयी है।

खाद्य ऋण पुनर्वित्त

2.11 जून 1986 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बैंकों के खाद्य ऋण पुनर्वित्त की सीमा 736 करोड़ रुपये हो गयी जिसमें से बकाया राशि, 34 करोड़ रुपये थी। खाद्य ऋण पुनर्वित्त सीमायें 18 जुलाई 1986 को 1986-87 के सर्वोच्च स्तर 866 करोड़ रुपये पर पहुँच गयीं जबकि उक्त तारीख को बकाया राशि 281 करोड़ रुपये (32.4 प्रतिशत उपयोग अनुपात) थी। सितंबर 1986 के मध्य से बैंक, खाद्य पुनर्वित्त के पात्र नहीं रहे क्योंकि खाद्य ऋण के बकाया का स्तर 5,800 करोड़ रुपये के निम्नतम स्तर के नीचे बना रहा।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

2.12 बैंकों के निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा 19 जून 1987 को 1,372 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुँच गयी जबकि आलोच्य वर्ष के दौरान 22 मई 1987 को उच्चतम बकाया राशि 1,076 करोड़ रुपये थी जो 81.2 प्रतिशत उपयोगिता को दर्शाती है।

आपाती पुनर्वित्त

2.13 मार्च 1986 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बैंकों को मंजूर की गयी आपाती पुनर्वित्त की राशि 50 करोड़

2.10 Keeping in view the possibility that banks which were not members of the food consortium and those with a large share in FCNR deposits, could face some problems in adjusting to the March 1987 credit policy measures, it was clarified that in such cases, requests for additional discretionary refinance for very short periods would be considered on merits. The accommodation provided by the Reserve Bank to scheduled commercial banks under the different refinance facilities during the year is reviewed in the following paragraphs.

Food Credit Refinance

2.11 As on the last reporting Friday of June 1986, banks' food credit refinance limits amounted to Rs.736 crores of which the outstanding was Rs.34 crores. The peak level of Rs.866 crores of food credit refinance limits during 1986-87 was reached on July 18, 1986, whereas outstanding as on that date amounted to Rs.281 crores (32.4 per cent utilisation ratio). From the middle of September 1986, banks were not eligible for food refinance as the outstanding level of food credit remained below the threshold level of Rs.5,800 crores.

Export Credit Refinance

2.12 The banks' export credit refinance limits reached a peak of Rs.1,372 crores on June 19, 1987, whereas the peak outstanding amount during the year was Rs.1,076 crores as on May 22, 1987 showing 81.2 per cent utilisation.

Stand-by Refinance

2.13 The amount of stand-by refinance limits sanctioned to banks as on the last

1

अनुसूचित वाणिज्य बैंक-चुनी हुई मदें

SCHEDULED COMMERCIAL BANKS—SELECTED ITEMS

(अन्तिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

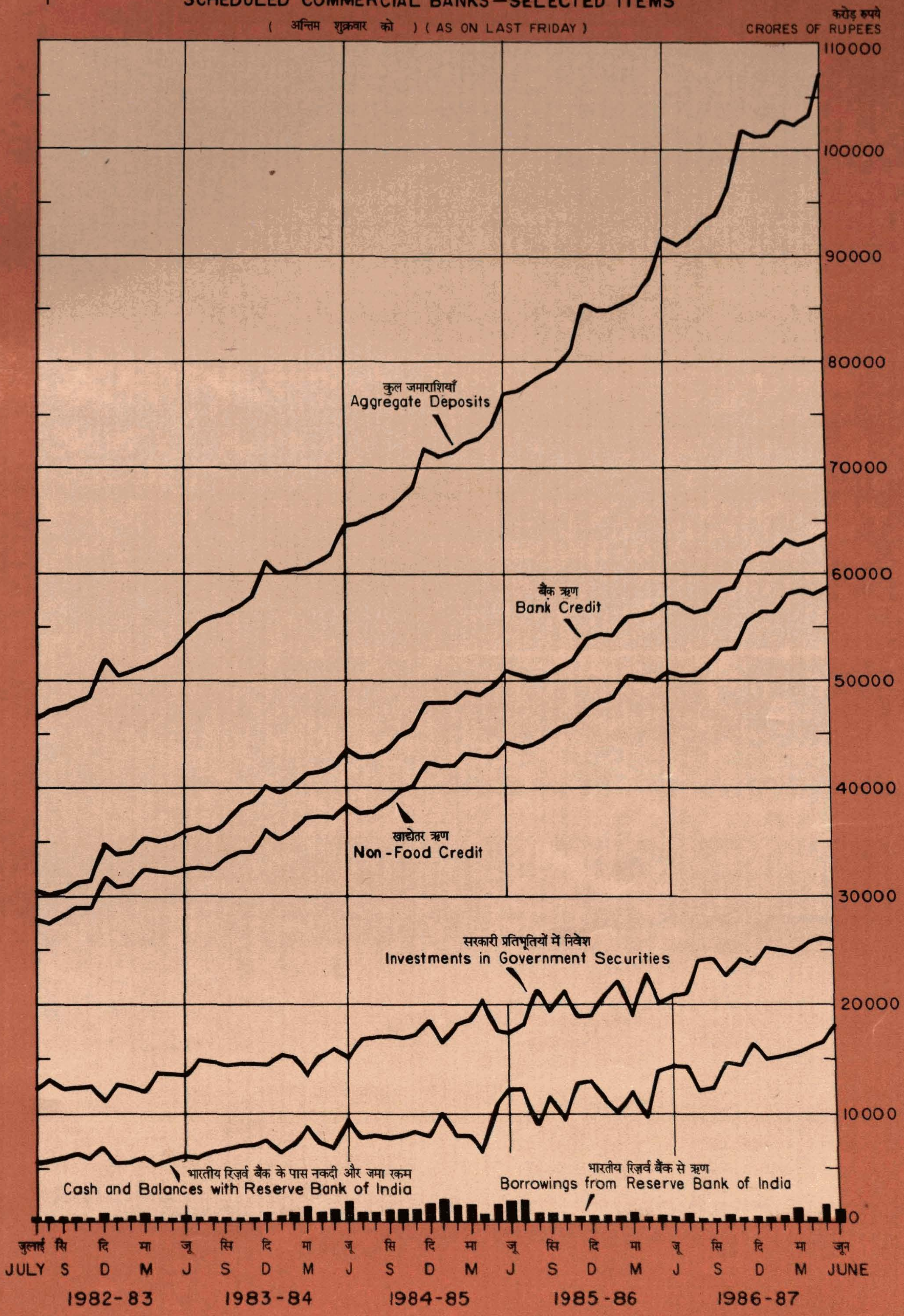

2

अनुसूचित वाणिज्य बैंक: जमाराशियों के संदर्भ में ऋण, निवेश और नकदी के अनुपात

SCHEDULED COMMERCIAL BANKS: RATIOS OF CREDIT, INVESTMENTS AND CASH TO DEPOSITS

(अन्तिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

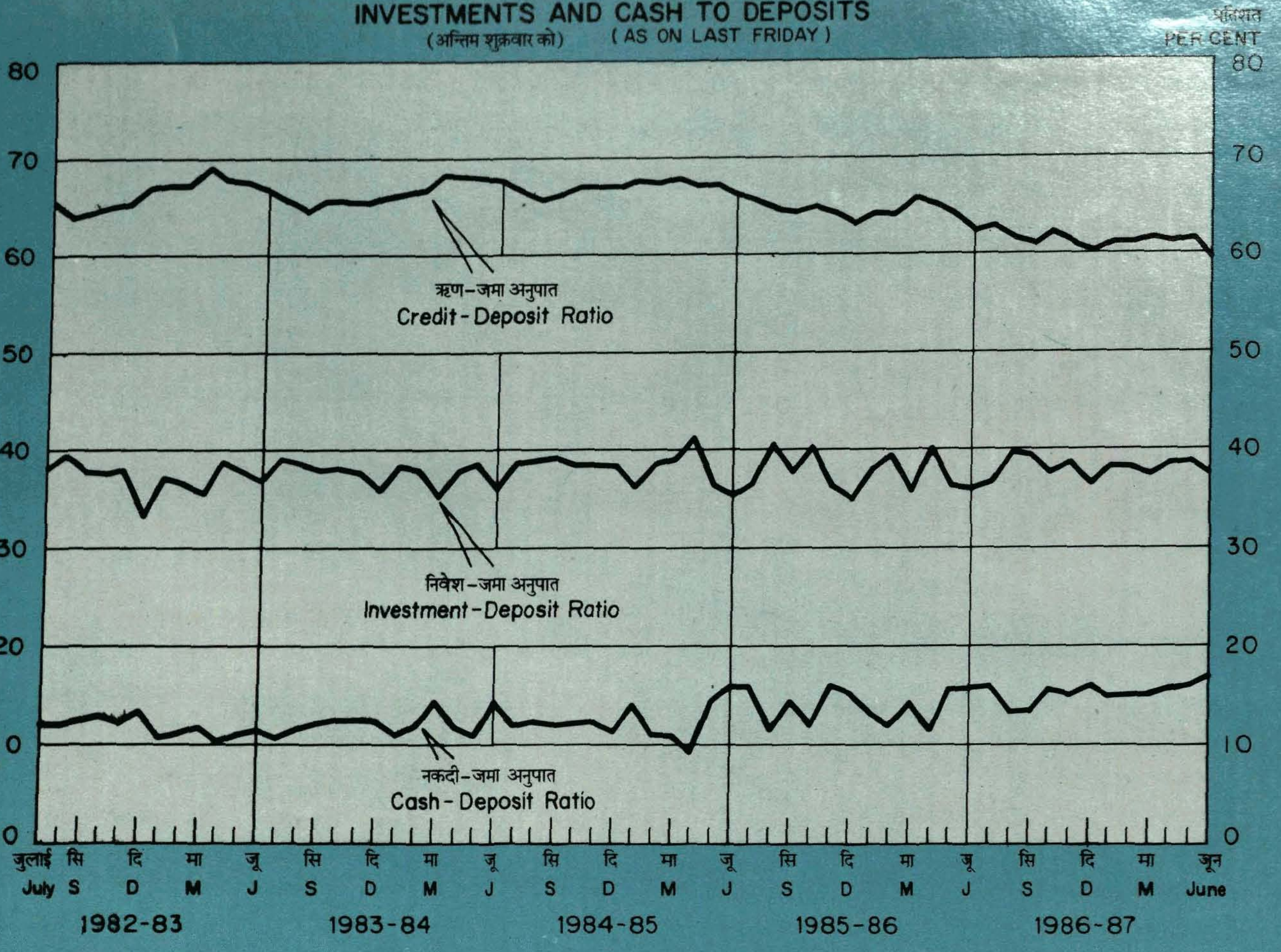

3

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

1985-86 और 1986-87 के दौरान घट-बढ़

SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT VARIATIONS DURING 1985-86 AND 1986-87

(अप्रैल-मार्च) (APRIL-MARCH)

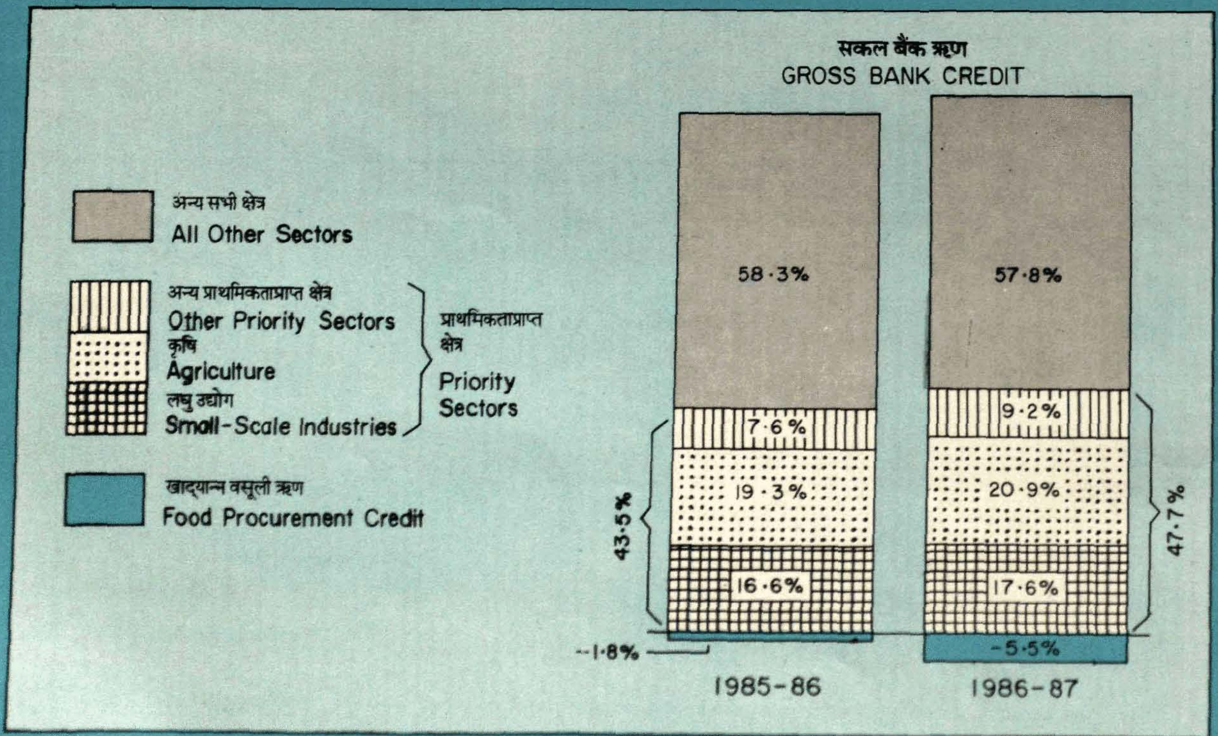

रुपये थी। 1 जुलाई 1986 और 13 फरवरी 1987 के बीच इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों की कोई सीमा उपलब्ध नहीं थी। 1986-87 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी आपाती पुनर्वित्त की अधिकतम राशि 19 जून 1987 को 50 करोड़ रुपये थी जो उपयोग में लाये बिना पड़ी रही।

reporting Friday of March 1986 was Rs.50 crores. Between July 1, 1986 and February 13, 1987 banks did not have any limits under this facility. The maximum amount of stand-by refinance limits sanctioned to banks during 1986-87 was Rs.50 crores as on June 19, 1987 which remained unutilised.

विवेकाधीन पुनर्वित्त

2.14 विवेकाधीन पुनर्वित्त की उपलब्धि को आसान बनाने की दृष्टि से 30 अक्तूबर 1986 से सभी लाइसेंसीकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह अनुमति दी गयी थी कि वे 1985-86 (अप्रैल-मार्च) में बैंकों की औसत जमाराशियों के 0.5 प्रतिशत की समकक्ष राशि तक 14 दिनों की "व्यवधान" अवधि के बाद, 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिये, 14 प्रतिशत प्रति वर्ष पर, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, विवेकाधीन पुनर्वित्त आहरित कर सकते हैं। इस योजना के अधीन कुल विवेकाधीन पुनर्वित्त की राशि 388 करोड़ रुपये थी। 14 दिनों से अधिक अवधि के लिये या निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि का विवेकाधीन पुनर्वित्त प्राप्त करनेवाले बैंकों के लिये रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति अपेक्षित थी। 1986-87 के दौरान विवेकाधीन पुनर्वित्त की उच्चतम सीमा (इस सुविधा के अधीन बिना पूर्व अनुमति के पुनर्वित्त को आहरित करने की सीमा शामिल है) 10 अप्रैल 1987 को 463 करोड़ रुपये थी। इसमें से 153 करोड़ रुपये या 33.0 प्रतिशत उपयोग में लाये गये थे। 1986-87 के दौरान बैंकों द्वारा विवेकाधीन पुनर्वित्त की समग्र उपयोगिता कम रही। 19 जून 1987 को कुल विवेकाधीन पुनर्वित्त की राशि 389 करोड़ रुपये हो गयी जो उपयोग में नहीं लायी गयी।

Discretionary Refinance

2.14 With a view to providing easier access to the discretionary refinance facility, effective from October 30, 1986 all licensed scheduled commercial banks (excluding RRBs) were permitted to draw discretionary refinance without prior sanction by the Reserve Bank upto an amount equivalent to 0.5 per cent of the banks' average deposits in 1985-86 (April-March) at 14 per cent per annum for a period not exceeding 14 days followed by a "cooling off" period of 14 days. The total discretionary refinance limit under this scheme amounted to Rs.388 crores. Banks seeking discretionary refinance for a block of more than 14 days or an amount in excess of the limits stipulated would, however, require the prior sanction of the Reserve Bank. The peak level of discretionary refinance limits (including the limits under the facility to draw without prior sanction) during 1986-87 was Rs.463 crores as on April 10, 1987. Of this Rs.153 crores or 33.0 per cent were utilised. The overall utilisation of discretionary refinance limits by banks during 1986-87 was low. As on June 19, 1987, the total discretionary refinance limit amounted to Rs.389 crores which remained unutilised.

समग्र स्थिति

2.15 रिज़र्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं (नौवहन ऋण और शुल्क वापसी योजना के अधीन

Overall Position

2.15 The total of limits available under various Reserve Bank refinance facilities

मिलनेवाली विशेष पुनर्वित्त सुविधा को छोड़कर) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध कुल राशि जो 20 जून 1986 को 1,293 करोड़ रुपये थी वह 12 सितंबर 1986 को घटकर 402 करोड़ रुपये के अपेक्षाकृत न्यून स्तर पर आ गयी। 19 जून 1987 को कुल पुनर्वित्त राशि 1,847 करोड़ रुपये थी जिसमें से 343 करोड़ रुपये या 18.6 प्रतिशत का उपयोग किया गया था (सारणी 2.2)।

to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans and duty drawback) which stood at Rs.1,293 crores as on June 20, 1986 came down to a relatively low level of Rs.402 crores by September 12, 1986. As on June 19, 1987, the total refinance limits aggregated Rs.1,847 crores of which Rs.343 crores or 18.6 per cent were utilised (Table 2.2).

सारणी - 2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को वित्तीय सहायता

TABLE 2.2 : RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

निम्नलिखित महीनो के अंतिम शुक्रवार को As on the last reporting Friday	खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त Food Credit Refinance		निर्यात ऋण पुनर्वित्त Export Credit Refinance		आपाती पुनर्वित Stand-by Refinance		विवेकाधीन पुनर्वित्त Discretionary Refinance		कुल पुनर्वित्त Total Refinance	
	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून 1986 June 1986	736.1	33.6	510.4	68.6	—	—	46.0	1.0	1,292.5	103.2
जून 1987 June 1987	—	—	1,372.4	343.4	50.0	—	389.4	—	1,846.8@	343.4

* पोतलदान ऋण और शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर
Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback.

@ 35 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सीमा के संदर्भ में '182 दिनों के खजाना बिल' को मिलाकर
Inclusive of '182 days' treasury bill' refinance limit of Rs. 35 crores

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : Credit Planning Cell, RBI.

ऋण नीति में हुई गतिविधियां

समग्र दृष्टिकोण

2.16 पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारक्षित निधि और समग्र चलनिधि की मात्रा में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि 1986-87 के दौरान मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिये एक सजग ऋण नीति लायी जाए। रिज़र्व बैंक की अपेक्षाएँ इस नीति का

Developments in Credit Policy

Overall Approach

2.16 In view of the large increase in the volume of reserve money and overall liquidity during the past three years, it was considered essential to pursue a cautious credit policy to avoid a resurgence of inflation during 1986-87. Reserve

प्रमुख साधन बनी रहीं जिनमें दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात को प्रभावी रूप से बनाये रखने पर विशेष बल दिया गया। सांविधिक चलनिधि अनुपात की 4 प्रतिशत की सीमा का अंश धीरे-धीरे कम किया गया और अंततः बिलकुल खत्म कर दिया गया क्योंकि 1986-87 (अप्रैल-मार्च) में समग्र चल निधि की वृद्धि, विशेष रूप से 1986 की अंतिम तिमाही के दौरान बहुत अधिक रही जो कि उत्पादक गतिविधि को समर्थन देने की अपेक्षा से अधिक थी, मुद्रा विस्तार की गति को कम करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये। प्रारक्षित चलनिधि अपेक्षाओं अर्थात सांविधिक चलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी चल प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं, दोनों को ही बढ़ाया गया और अवरुद्ध नकदी बकाया राशियों का पूर्व घोषित विमोचन आंशिक रूप में निरस्त कर दिया गया। इन स्थितियों में, यद्यपि बृहद् मुद्रा (एम$_3$) की वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में, 1986-87 में अपेक्षाकृत अधिक रही, फिर भी इन उपायों से मुद्रा विस्तार की गति में कमी आयी।

2.17 आलोच्य वर्ष के दौरान एक प्रमुख नीतिगत निर्णय था ब्याज दरों में कमी लाना। मुद्रा की लागत कम करने और ब्याज दर नीति में लचीलापन लाने की दृष्टि से उधार दरों और जमा दरों के विन्यास और जमाराशियों के अवधि-समाप्ति विन्यास में चयनात्मक परिवर्तन किये गये। यह पाया गया कि हाल ही के वर्षों में मुद्रा स्फीति दर, 1979-81 की तुलना में, काफी नीचे आ गयी थी जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ब्याज दरों में काफी तीव्र वृद्धि हुई थी। निकट भविष्य में मुद्रास्फीति की दरों में 1979-81 की अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से और कमी होने की आशा है। इसलिये ब्याज की वास्तविक दरें, विशेष रूप से बैंकों की अधिकतम उधार दर, बहुत ऊँची मानी गयी। तदनुसार अप्रैल 1983 और अप्रैल 1985 में अधिकतम आधार दर को क्रमिक रूप से कम करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी उसे आगे अप्रैल 1987 में भी और आगे बढ़ाया गया। पहली बार, बैंक जमाराशियों, डाक-घर जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, कंपनी जमाराशियों, डिबेंचरों, सरकारी क्षेत्र के

requirements continued to be a major instrument of policy with special emphasis on effective maintenance of the statutory liquidity ratio (SLR) on a daily basis. The 4 per cent SLR band of waiver was gradually reduced and eventually extinguished. Since the growth of overall liquidity in 1986-87 (April-March), particularly during the last quarter of 1986, was in excess of what was necessary to support productive activity, various measures were taken to slow down the pace of monetary expansion. Reserve requirements, both SLR and cash reserve ratio (CRR), were raised and the release of impounded cash balances, announced earlier, was partly rescinded. In the event, although the growth of broad money (M_3) in 1986-87 was higher than in the previous year, these measures moderated the pace of monetary expansion.

2.17 A major policy response during the year related to the lowering of interest rates. With a view to reducing the cost of money and to impart flexibility to the interest rate policy, selective changes were made in the structure of lending rates and deposit rates and maturity structure of deposits. It was recognised that the inflation rate in recent years has been well below those of 1979-81 in response to which rates of interest had been raised sharply. The inflation rate in the immediate future is also expected to be markedly lower than in the 1979-81 period. The real rates of interest therefore were considered high, particularly the maximum lending rate of banks and accordingly, the process of a gradual reduction in the maximum lending rate which was undertaken in April 1983 and April 1985 was carried further in April 1987. For the first time, a 'co-ordinated

बांडों और अन्य योजनाओं सहित बचत संबंधी सभी लिखतों पर ब्याज दरों में चतुर्दिक कमी करके अप्रैल 1987 से कार्यान्वित किया गया। बैंक जमाराशियों के मामले में, अधिकतम जमा दर पर लागू अवधि समाप्ति को कम करने के लिये भी सजग प्रयास किये गये, आशा की जाती है कि इससे बैंकिंग प्रणाली को लचीलापन मिलेगा जिससे वह ब्याज दरों में परिवर्तनों के संदर्भ में अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगी।

2.18 वर्तमान उपायों को युक्तिसंगत बनाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से कतिपय अन्य नीतिगत उपाय किये गये। चयनात्मक ऋण नियंत्रण को युक्तिसंगत बनाने के लिये जिस कार्य को 1985-86 में शुरू किया गया था उसे 1986-87 के दौरान और आगे बढ़ाया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान, ऋण नीति में घोषित परिवर्तनों को नीचे दिया है।

अगस्त 1986

2.19 निर्यातों को बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए, निर्यात ऋण पर लागू ब्याज दरों के विन्यास को मार्च 1986 में युक्तिसंगत बनाया गया, अगस्त 1986 में उसमें और कमियाँ लायी गयीं। उक्त दोनों ही संशोधनों के परिणाम स्वरूप, निर्यात ऋण के एक बड़े अंश की ब्याज दरों में महत्त्वपूर्ण कमी आयी और यह कमी 2.5 से 4.5 प्रतिशत अंकों के बीच थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों को मिलनेवाले प्रभावी प्रतिलाभ (ब्याज उपदान को समायोजित करने के बाद) और पुनर्वित्त दर के बीच का मार्जिन अक्षुण्ण रहे, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिये जानेवाले रिज़र्व बैंक के निर्यात ऋण पुनर्वित्त की ब्याज दर को भी 1 अगस्त 1986 से 10 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया।

सितंबर 1986

2.20 विदेश में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्याज दरों में हुई निरंतर गिरावट के संदर्भ में, विदेशी

across-the-board reduction in interest rates on savings instruments was implemented in April 1987 covering bank deposits, post office deposits, National Savings Certificates, company deposits, debentures, public sector bonds and other schemes. In the case of bank deposits, there was also a conscious effort to reduce the maturity applicable to the maximum deposit rate; this is expected to provide an element of flexibility to the banking system to respond more effectively to interest rate changes.

2.18 Certain other policy responses were in the nature of rationalisation and effective implementation of existing measures. The rationalisation of selective credit controls undertaken in 1985-86 was carried a step further during 1986-87. Changes in credit policy announced during the year under reference are set out below.

August 1986

2.19 Having regard to the imperative need to boost exports, the structure of interest rates on export credit was rationalised in March 1986; further reductions were effected in August 1986. The two revisions together resulted in a significant lowering of interest rates for a large part of export credit, the reductions ranging from 2.5 to 4.5 percentage points. To ensure that the margin between the effective return to banks (after adjusting for interest subsidy) and the refinance rate remained unimpaired, the interest rate on Reserve Bank's export credit refinance to scheduled commercial banks was also reduced from 10 per cent to 9 per cent effective August 1, 1986.

September 1986

2.20 In the context of continued decline in interest rates abroad, particularly in the United States, interest rates on term

मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अधीन मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 8 सितंबर 1986 से पुनः घटाकर संशोधित की गयीं। किन्तु अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गयीं। जमा दरों का विन्यास नीचे दिया गया है :

सारणी 2.3 अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दर

(प्रतिवर्ष प्रतिशत)

अवधि समाप्ति	विदेशी मुद्रा अनिवासी दरें निम्न तारीख से प्रभावी	बाह्य अनिवासी दरें निम्न तारीख से प्रभावी	
	5 मई, 1986	8 सितम्बर, 1986	27 मई 1985
15 दिनों से 45 दिनों तक	3.0	3.0	3.0
46 दिनों से 90 दिनों तक	4.0	4.0	4.0
91 दिनों से 6 माह से कम तक	6.5	6.5	6.5
6 माह से 1 वर्ष से कम तक	8.0	7.5	8.0
1 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम	8.5	8.0	10.5
2 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	9.0	8.5	11.0
3 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	10.0*	9.0*	12.0
5 वर्ष और उससे अधिक			13.0

* विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियां केवल 3 वर्ष की अवधि समाप्ति के लिए इस दर पर स्वीकार की जा सकती है।

अक्तूबर 1986

अवरुद्ध नकद शेष राशि जारी करना :

2.21 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे 14 जनवरी 1977 और 31 अक्तूबर 1980 के बीच बननेवाली अपनी वृद्धिशील शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रारक्षित नकदी अनुपात रखेंगे। इसी प्रकार अवरुद्ध की गयी 1,859 करोड़ रुपये की राशि का 1/5 भाग (372 करोड़ रुपये) अक्तूबर और दिसंबर 1984 में दो समान किस्तों में जारी किया गया; शेष राशि का एक तिहाई भाग (495 करोड़ रुपये) अक्तूबर 1985 में जारी किया गया। इस प्रकार

deposits under the Foreign Currency (Non-resident) (FCNR) Accounts scheme were once again revised downwards with effect from September 8, 1986. The interest rates on Non-resident (External) Rupee (NRE) accounts, however, were kept unchanged. The structure of deposit rates is given below.

Table 2.3: Interest Rates on Non-resident Deposits

(Per cent per annum)

Maturity	FCNR rates effective from		NRE rates effective from
	May 5,1986	September 8,1986	May 27,1985
15 days to 45 days	3.0	3.0	3.0
46 days to 90 days	4.0	4.0	4.0
91 days to less than 6 months	6.5	6.5	6.5
6 months to less than 1 year	8.0	7.5	8.0
1 year and above but below 2 years	8.5	8.0	10.5
2 years and above but below 3 years	9.0	8.5	11.0
3 years and above but below 5 years	10.0*	9.0*	12.0
5 years and above			13.0

* FCNR deposits can be accepted at this rate only for 3 years' maturity.

October 1986

Release of Impounded Cash Balances

2.21 Scheduled commercial banks were required to maintain an additional cash reserve ratio of 10 per cent of the incremental net demand and time liabilities accrued between January 14, 1977 and October 31, 1980. Of the amount of Rs.1,859 crores so impounded, one-fifth (Rs.372 crores) was released in two equal instalments in October and December 1984; one-third of the remaining balances (Rs.495 crores) was released in October

992 करोड़ रुपये की राशि रिज़र्व बैंक के पास अवरुद्ध थी। बैंक अधिक कामकाज के संबंध में ऋण आवश्यकताओं में संभावित वृद्धि को पूरा कर सकें, इसके लिए यह निर्णय किया गया कि शेष राशि का आधा (496 करोड़ रुपये) 22 नवंबर 1986 और 31 जनवरी 1987 को दो समान किस्तों में जारी कर दिया जाये।

1985. Thus, an amount of Rs.992 crores had remained impounded with the Reserve Bank. With a view to supplementing banks' resources to meet the anticipated increase in credit requirements during the busy season, it was decided to release one-half (Rs.496 crores) of the remaining amount in two equal instalments on November 22,1986 and January 31, 1987.

विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा की उपलब्धि

2.22 अनुसूचित वाणिज्य बैंक इस सुविधा को आसानी से प्राप्त कर सकें, इसके लिए उन्हें (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 1985-86 में उनकी औसत जमाराशियों के 0.5 प्रतिशत तक की राशि के बराबर विवेकाधीन पुनर्वित्त अधिक से अधिक 14 दिन के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना आहरित करने की अनुमति दी गयी। 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए अथवा उक्त सीमा से अधिक की राशि के आहरण के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा जारी रही।

Access to the Discretionary Refinance Facility

2.22 With a view to providing easier access to this facility, scheduled commercial banks (excluding the regional rural banks) were permitted to draw discretionary refinance upto an amount equivalent to 0.5 per cent of their average deposits in 1985-86 for a period not exceeding 14 days without prior sanction by the Reserve Bank. Drawings for a period beyond 14 days or in amounts in excess of the limit continued to require Bank's prior sanction.

निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं

2.23 सामान्य परंपरा से हटकर यह निर्णय किया गया कि बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त सीमाओं की गणना के लिए आधार वर्ष को आगे न ले जाया जाये।

Export Refinance Limits

2.23 Deviating from the usual practice it was decided not to bring forward the base year for calculating the export refinance limits of banks.

खज़ाना बिल

2.24 खज़ाना बिलों को लचीली दरों वाले मौद्रिक लिखत के रूप में विकसित करने के बारे में चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 182 दिवसीय खज़ाना बिल की योजना शुरू की गयी। प्रारंभ में यह योजना मासिक आधार पर शुरू की गयी और इसके लिए रिज़र्व बैंक से पुनर्भुनाई सुविधा नहीं थी और इस प्रकार की पहली नीलामी नवंबर 1986 में की गयी। यह नया लिखत खास तौर पर अल्पकालिक निवेशों के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में बनाया गया और यह आशा की गयी कि समय आने पर विभिन्न अवधियोंवाले व्यापक लिखत तैयार

Treasury Bills

2.24 Following the recommendations of the Chakravarty Committee to develop treasury bills as a monetary instrument with flexible rates, a scheme for 182 days' treasury bill, initially on a monthly basis, without any rediscounting facilities with the Reserve Bank was introduced and the first auction was held in November 1986. The new instrument was devised essentially to provide an alternative avenue for short-term investments and it is expected that, over time, a wide array of maturities would emerge thereby

होंगे, जिनसे द्वितीयक बाज़ार के विकास में सुविधा रहेगी।

2.25 रिज़र्व बैंक के खज़ाना बिलों में अधिक उतार-चढ़ाव न हो, इसके लिए 91 दिवसीय खज़ाना बिलों की समय से पहले पुनर्भुनाई पर नवंबर 1986 से अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। प्रति 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य पर शुल्क की दर पहले दिन 8.11 रुपये से लेकर 7वें दिन 50 रुपये के बीच रखी गयी और 14वें दिन तक वही दर रही। 14 दिन के बाद समय से पहले पुनर्भुनाई पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावी प्राप्ति पहले दिन शून्य और उसके बाद 14वें दिन तक धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी।*

1986-87 के पेराई मौसम के लिए चीनी उद्योग को अग्रिम

2.26 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे 1986-87 के मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए पिछले मौसम में ली गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अधिक आहरणों को छोड़कर) के 115 प्रतिशत तक ऋण सीमाएं आवश्यकता के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मंजूर कर सकते थे। ऋण खातों में वास्तविक आहरणों को मिलों के मासिक नकदी बजटों में दिखाये गये घाटे के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाले यूनिटों को 1985-86 के मौसम में ली गयी अधिकतम राशि के 115 प्रतिशत (पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 125 प्रतिशत, जिसके लिए सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों ने वित्त प्रदान किया था) से अधिक की अतिरिक्त ऋण सीमा के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण आवश्यक होगा।

जनवरी/फरवरी 1987

2.27 जैसी कि अक्तूबर 1986 में घोषणा की गयी है,

* 8 अक्तूबर 1986 से, रिज़र्व बैंक के पास रखे पुनः भुनाये गये खज़ाना बिल, जिनकी अवधि पूरी होने में 30 दिन से अधिक अवधि शेष थी, निवेशकों को ताज़ा बिलों पर लागू होनेवाली दर की समान दर पर पुनः जारी किये गये। समय से पहले पुनः भुनाने पर अतिरिक्त शुल्क नये बिलों और साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा पुनः जारी किये गये बिलों दोनों प्रकार के बिलों पर लगाया जाता है।

facilitating the development of a secondary market.

2.25 In order to discourage volatile movements in the treasury bills portfolio of the Reserve Bank, an additional fee on early rediscounting of 91 days treasury bills was introduced in November 1986. The rate of fee per Rs.one lakh face value ranges from Rs.8.11 on the first day to Rs.50 on the 7th day and remains at that rate till the 14th day. Beyond the 14th day there is no levy of the additional early rediscounting fee. This results in the effective yield being zero on the first day and rising gradually upto the 14th day.*

Advances to sugar industry for the 1986-87 crushing season

2.26 Scheduled commercial banks were advised that they could sanction for the 1986-87 season (October-September) need based credit limits upto 115 per cent of the maximum amount availed of during the previous season (excluding temporary excess drawings) without obtaining Reserve Bank's prior authorisation. The actual drawings in the borrowal accounts were to be regulated on the basis of the deficit disclosed in the monthly cash budgets of mills. Additional credit limits beyond 115 per cent of the maximum amount availed during 1985-86 season by units covered under CAS (125 per cent in the western Uttar Pradesh financed by three public sector banks) would be subject to Reserve Bank's prior authorisation.

January/February 1987

2.27 As announced in October 1986,

*With effect from October 8, 1986, rediscounted treasury bills held with the Reserve Bank with unexpired maturity period of over 30 days are reissued to the investors at a rate of return identical to that on fresh bills. The additional early rediscounting fee is levied both on fresh bills and the recycled bills.

रिज़र्व बैंक के पास अवरुद्ध शेष नकदी में से 248 करोड़ रुपये की पहली किस्त 22 नवंबर 1986 को जारी की गयी। बैंकों की सुविधाजनक चलनिधि स्थिति की दृष्टि से दूसरी किस्त का जारी करना पहले तो स्थगित कर दिया गया और बाद में मार्च 1987 के प्रारंभ में उस विचार को त्याग दिया गया।

2.28 दिसंबर 1986 के अंत और जनवरी 1987 में समग्र चलनिधि में भारी वृद्धि हुई। मुद्रा संबंधी अन्य निर्देशक भी भारी वृद्धि दर्शाते हैं। उत्पादक क्षेत्रों को मौसम पर ऋण मिलने में कोई बाधा डाले बिना बैंकिंग तंत्र की चलनिधि के एक भाग को स्थिर करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि 28 फरवरी 1987 से प्रारंभ पखवाड़े से प्रारक्षित नकदी अनुपात 9.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया जाये।

मार्च 1987

2.29 मार्च 1987 में ऋण नीति संबंधी उपायों की समीक्षा की गयी। यह देखा गया कि 1985-86 में किये गये उपायों के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इसके अलावा बैंकों के पास रखे खज़ाना बिलों में सप्ताह दर सप्ताह होनेवाली भारी घट-बढ़ में भारी कमी हुई। पिछले कुछ वर्षों में जहां प्रारक्षित मुद्रा में भारी वृद्धि हुई, जो चिंता का कारण है, वहीं रिज़र्व बैंक* की शुद्ध घरेलू आस्तियों में हुई सामान्य वृद्धि यह दर्शाती है कि देश में उत्पन्न प्राथमिक मुद्रा विनियमन को काफी नियंत्रण में रखा गया और इसके द्वारा भारी मात्रा में द्वितीयक वृद्धि से बचा जा सका। रिज़र्व बैंक की शुद्ध घरेलू आस्तियां 1986-87 में 2,203 करोड़ रुपये (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाती हैं, जबकि पिछले वर्ष इनमें 2,293 करोड़ रुपये (11.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। मुद्रागत और ऋण संबंधी गतिविधियों और अर्थ-व्यवस्था में विकास की आशाओं के परिप्रेक्ष्य में 1987-88 की

* प्रारक्षित मुद्रा घटाकर (भारतीय रिज़र्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां + बैंकों की रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां + रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां)

the first instalment of Rs.248 crores of cash balances impounded with the Reserve Bank was released on November 22, 1986. In view of the comfortable liquidity position of banks, the release of the second instalment was, however, first postponed and subsequently rescinded in early March 1987.

2.28 There was a large increase in the growth of overall liquidity towards the end of December 1986 and in January 1987. Other monetary indicators also reflected strong expansion. With a view to immobilising a part of the liquidity of the banking system without hindering the seasonal flow of credit to the productive sectors, it was decided to raise CRR from 9.0 per cent to 9.5 per cent, effective from the fortnight beginning February 28, 1987.

March 1987

2.29 The credit policy measures were reviewed in March 1987. It was observed that, as a result of the measures taken in 1985-86 there was a marked improvement in compliance with the maintenance of SLR by banks. Again, the week-to-week volatility in the banks' holdings of treasury bills had been sharply reduced. While the large increase in the reserve money during the past few years was a cause of concern, the moderate growth of net domestic assets of the Reserve Bank* indicated that domestically generated primary money creation had been kept under reasonable control thereby preventing an unduly large secondary expansion. Net domestic assets of the Reserve Bank showed an expansion of Rs.2,203 crores (9.5 per cent) in 1986-87 as against an increase of Rs.2,293 crores (11.0 per cent) in the previous year. In the light of the monetary and credit

*Reserve Money *minus* [net foreign exchange assets of RBI + banks' balances with RBI + other deposits with RBI].

पहली छमाही के लिए ऋण नीति संबंधी उपाय 31 मार्च 1987 को घोषित किये गये।

2.30 यह माना गया है कि 1986-87 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वास्तविक अर्थ में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मूल्य स्थिति को देखते हुए भी यह वांछनीय समझा गया कि 1987-88 में समग्र चलनिधि की वृद्धि को 1986-87 में वृद्धि से काफी नीचे रखने के उपाय किये जायें। एम3 में सामान्य वृद्धि मानकर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि 1987-88 में 18,500 करोड़ रुपये (18.0 प्रतिशत) अनुमानित की गयी है, जबकि इसकी तुलना में 1986-87 में (अप्रैल-मार्च) में 17,340 करोड़ रुपये (20.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष की दोनों छमाहियों में जमाराशि में वृद्धि अनुमानतः बराबर-बराबर मानी गयी है। बैंक 1987-88 की पहली छमाही में न केवल ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ होंगे, बल्कि अपनी चलनिधि भी बना सकेंगे। ऋण के मौसमी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए 1987-88 की पहली छमाही में खाद्येतर ऋण वृद्धि अनुमानतः 2,000 करोड़ रुपये के लगभग होगी। खाद्य ऋण की बकाया राशि में उल्लेखनीय कमी रही, क्योंकि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 1986-87 में 1,200 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण प्रदान किया था और 1987-88 के प्रारंभ में बकाया उपदान का काफी बड़ा अंश अदा कर दिया गया था। इस संदर्भ में बैंक 1987-88 की पहली छमाही में सुविधाजनक चलनिधि स्थिति बना लेंगे। समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1987-88 की पहली छमाही के लिए ऋण संबंधी निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी।

ऋण दरें

2.31 पहली अप्रैल 1987 को अनुसूचित बैंकों की

developments and expectations of developments in the economy, credit policy measures for the first half of 1987-88 were announced on March 31, 1987.

2.30 It was assumed that gross national product in real terms in 1986-87 would grow at around 5 per cent. This notwithstanding, in view of the price situation, it was considered desirable to work towards containing the growth of overall liquidity in 1987-88 to a rate well below that in 1986-87. Consistent with the assumption of moderation in the growth of M_3 an estimate for scheduled commercial banks' deposit growth in 1987-88 was worked out at Rs.18,500 crores (18.0 per cent) as compared with an increase of Rs.17,340 crores (20.3 per cent) in 1986-87 (April-March). The deposit growth during the two halves of the year was expected to be approximately equal. Banks would not only be able to meet the credit require ments during the first half of 1987-88 but would also be able to build up their liquidity. Taking into account the seasonal pattern of credit, the non-food credit expansion for the first half of 1987-88 was expected to be around Rs.2,000 crores. The food credit outstanding was markedly low as the Government had given the Food Corporation of India a soft loan of Rs.1,200 crores in 1986-87, and in early 1987-88 a substantial part of the backlog of subsidy had been paid. In the context, banks would build up a very comfortable liquidity position in the first half of 1987-88 and, given the overall objectives, the following package of credit policy measures was announced for the first half of 1987-88.

Lending Rates

2.31 Effective April 1, 1987 lending rates

ऋण दरों में, जो 15 प्रतिशत से ऊपर थीं, एक प्रतिशत अंक की कमी इस दृष्टि से की गयी कि कर्जदारों को मिलनेवाले धन की लागत कम की जा सके। विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज दरों की अलग-अलग सीमाओं की प्रणाली जारी रखी गयी, वहीं 16.5 - 17.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के लिए 16.5 प्रतिशत की निश्चित दर तय की गयी। किये गये परिवर्तन निम्न प्रकार हैं :

(प्रतिशत वार्षिक)

31 मार्च 1987 तक लागू	1 अप्रैल 1987 से लागू
16.50-17.50 और 17.50 की सीमा (नियत)	16.50 (नियत)
16.50 तक की उच्चतम सीमा	15.50 तक की उच्चतम सीमा
16.50 (नियत)	15.50 (नियत)

बिल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में विनियमन बिलों के बट्टे पर लागू उच्चतम ब्याज दर घटाकर 15.5 प्रतिशत अर्थात् नयी उच्चतम ऋण दर से एक प्रतिशत अंक कम कर दी गयी।

2.32 ऋण दर में कटौती का उद्देश्य बहुत अधिक संख्या में कर्जदारों को राहत प्रदान करना है। जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के मझौले और बड़े उद्योग तथा लघु उद्योग, कृषि व्यापार और सार्वजनिक वसूली/वितरण एजेंसियों की कतिपय श्रेणियों के कर्जदार शामिल हैं। जिन श्रेणियों को किसी न किसी प्रकार की छूट उपलब्ध है और जिनके संबंध में सितंबर 1979 और उसके बाद कम से कम बढ़ोतरी की गयी है, उनके लिए ऋण दरें अपरिवर्तित रही हैं। ब्याज दर विन्यास की विस्तृत अनुसूची इस अध्याय के परिशिष्ट I में दी गयी हैं।

जमा दरें

2.33 उच्चतम जमा दर 1 अप्रैल 1987 से 11 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी और उसे 2 वर्ष और उससे अधिक अवधिवाली जमाराशि के लिए लागू किया गया। किन्तु मौजूदा जमाराशियों पर उनकी अवधि पूर्ण होने तक वही दरें लागू रहेंगी, जो 31 मार्च 1987 तक प्रचलित

of scheduled commercial banks prescribed at levels above 15 per cent were reduced by one percentage point with a view to reducing the cost of money to the borrowers. While the system of interest rate bands was retained for various categories, for the maximum slab of 16.5 - 17.5 per cent, a fixed rate of 16.5 per cent was prescribed. The changes made are as follows:

(Per cent per annum)

Effective upto March 31,1987	Effective April 1,1987
Bands of 16.50 - 17.50 and 17.50 (fixed)	16.50 (fixed)
Bands with a ceiling of 16.50	Bands with a ceiling of 15.50
16.50 (fixed)	15.50 (fixed)

As part of the endeavour to enlarge the development of the bill culture, the maximum effective interest rate on the discounting of bills of exchange was reduced to 15.5 per cent i.e., one percentage point below the new maximum lending rate.

2.32 The downward adjustment of lending rates is intended to provide relief to a wide spectrum of borrowers including medium and large industry in public and private sectors and certain categories of borrowers in small-scale industry, agriculture, trade and public procurement/distribution agencies. The lending rates for categories, which already have a significant element of concessionality and which had experienced minimal increases in September 1979 and thereafter, remained unaltered. A detailed schedule of interest rates structure is given in Appendix I to this Chapter.

Deposit Rates

2.33 The maximum deposit rate was reduced with effect from April 1, 1987 from 11 per cent to 10 per cent and was

थीं। मीयादी जमाराशियों का अवधिपूर्णता संबंधी विन्यास पिछले वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। 1969 में केवल 27 प्रतिशत मीयादी जमाराशियां 3 वर्ष से अधिक की अवधिवाली होती थीं, जबकि 1982 में तुलनीय अनुपात 73 प्रतिशत हो गया था। हाल ही की अवधि में लम्बी अवधिवाली जमाराशियां अधिक हो जाने से ब्याज दर विन्यास का लचीलापन कुछ कम हो गया है, जिससे कि बैंकों को ब्याज दरों में होनेवाली आम गिरावट से समायोजन करना कठिन हो रहा था, क्योंकि वे अपेक्षाकृत लम्बी अवधिवाली जमाराशियों पर उच्चतम ब्याज दरें देने के लिए प्रतिबद्ध थे। अवधिपूर्णता संबंधी विन्यास को संक्षिप्त करके अब अधिकतम जमा दर 2 वर्ष की जमाराशियों पर दी जाती है, जबकि पहले यह 5 वर्ष की जमाराशियों पर दी जाती थी। अनुमान है कि इससे बैंक भविष्य में ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव से और अच्छी तरह सामंजस्य बैठा सकेंगे। जमा दरों (विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों को छोड़कर) का संशोधित विन्यास सारणी 2.4 में दिया गया है।

सारणी 2.4 : जमाराशियों पर ब्याज दरें

(प्रतिवर्ष प्रतिशत)

अवधि समाप्ति	31 मार्च 1987 तक लागू	1 अप्रैल 1987 से लागू
मीयादी जमाराशियां		
15 दिन से 45 दिन तक	3.0	3.0
46 दिन से 90 दिन तक	4.0	4.0
91 दिन और अधिक लेकिन 6 माह से कम	6.5	6.5
6 माह और अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम	8.0	8.0
1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	8.5	9.0
2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	9.0	
3 वर्ष और अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	10.0	10.0*
5 वर्ष और अधिक	11.0	

* 2 वर्ष और अधिक के लिए लागू दर

made applicable to deposits with a maturity of two years and above. Existing deposits, however, would continue to be governed till maturity by the rates ruling upto March 31, 1987. The maturity structure of term deposits had undergone a structural transformation over the years. In 1969 only 27 per cent of term deposits were at maturities of over 3 years while the comparable proportion in 1982 was 73 per cent. The bunching at the longer maturities in the more recent period resulted in a rigidity in the interest structure in that banks found it difficult to adjust to a general downward movement in interest rates as they were committed to pay higher rates on the longer maturities. The shortening of the maturity structure, with the maximum deposit rates being paid on 2-year deposits instead of 5-year deposits hitherto, is expected to enable banks to better adjust to interest rate movements in the future. The revised structure of deposit rates (excluding FCNR and NRE accounts) is set out in Table 2.4.

Table 2.4: Interest Rates on Deposits

(Per cent per annum)

Maturity	Effective upto March 31, 1987	Effective April 1, 1987
Term Deposits:		
15 days to 45 days	3.0	3.0
46 days to 90 days	4.0	4.0
91 days and above but less than 6 months	6.5	6.5
6 months and above but less than 1 year	8.0	8.0
1 year and above but less than 2 years	8.5	9.0
2 years and above but less than 3 years	9.0	
3 years and above but less than 5 years	10.0	10.0*
5 years and above	11.0	

*Rate applicable to 2 years and above.

विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर मौजूदा जमा ब्याज दर विन्यास और उनकी अवधिपूर्णता के स्वरूप अपरिवर्तित रखे गये। अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत एक वर्ष और उससे अधिक की जमाराशि पर ब्याज दरों के मामलों में घरेलू जमा दर से इसकी संबद्धता खत्म कर दी गयी और ब्याज दरों और अवधिपूर्णता का एक स्वतंत्र विन्यास निर्दिष्ट किया गया। अनिवासी बाह्य रुपया खातों की जमाराशियों के लिए निर्दिष्ट दरें और पूर्णता की अवधि, जिनका उल्लेख सारणी 2.3 में पहले किया गया है, मई 1985 से अपरिवर्तित बनी रही है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

2.34 25 अप्रैल 1987 से प्रारंभ पखवाड़े से सांविधिक चलनिधि अनुपात शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 37 प्रतिशत से बढ़कर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया। भारतीय खाद्य निगम ने 1986-87 में 1,200 करोड़ रुपये भारत सरकार से सुलभ ऋण के रूप में प्राप्त किये थे, ताकि वह बैंकों के कर्ज का आंशिक भुगतान कर सके। भारतीय खाद्य निगम को 1987-88 के प्रारंभिक महीनों में कोई 550 करोड़ रुपये का बकाया उपदान अदा किया गया था और इसके अलावा उपदान की अदायगी के लिए 'खाते में' मासिक भुगतान की एक योजना लागू की गयी है। इस प्रकार सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि से जो 25 अप्रैल 1987 से हुई है, बैंकों के सामने कोई समस्या पैदा नहीं हुई।

नकदी शेष राशियों पर क्रमिक ब्याज दरें

2.35 प्रारक्षित नकदी अनुपात रखने में कमी के मामलों में पात्र नकद राशियों पर क्रमिक ब्याज दरों की योजना पहली जनवरी 1982 से अमल में लायी गयी। प्रारक्षित नकदी अनुपात में होनेवाली थोड़ी-सी गिरावट के लिए बैंकों को और अधिक राहत देने के लिए इस योजना को पहली अप्रैल 1987 से संशोधित किया गया। संशोधित अनुसूची के अंतर्गत बैंकों को रिज़र्व बैंक के पास रखी अपनी शेष राशियों के संबंध में काफी ब्याज का लाभ होगा। पुरानी संशोधित अनुसूची नीचे सारणी में दी गयी है :

The existing deposit rate structure and maturity pattern of FCNR accounts were retained unchanged. In the case of NRE deposit rates of one year and above, its link with the domestic deposit rates was severed and an independent structure of interest rates and maturities was specified. The specified rates and maturities for NRE deposits as indicated in Table 2.3 earlier have remained unchanged since May 1985.

Statutory Liquidity Ratio

2.34 From the fortnight beginning April 25, 1987 the SLR was raised from 37 per cent to 37.5 per cent of net demand and time liabilities. The Food Corporation of India (FCI) had received Rs.1,200 crores in 1986-87 as a soft loan from the Government of India to clear a part of its debt to banks. Backlog of subsidies to the extent of Rs.550 crores was paid to the FCI in the early months of 1987-88 and moreover, a system of monthly 'on account' payment of subsidy has been introduced. As such, the increase in the SLR, effective from April 25, 1987 did not pose a problem to the banks.

Graduated Interest Rates on Cash Balances

2.35 The scheme of graduated interest rates on eligible cash balances in cases of shortfalls in the maintenance of CRR had come into effect from January 1, 1982. To give some further relief to banks for small shortfalls in CRR, the scheme was revised effective April 1, 1987. There would be substantial interest benefit to the banks on their CRR balances with the Reserve Bank under the revised schedule. The earlier and the revised schedule are set out in the following table.

प्रारक्षित नकदी अनुपात रखने में कमी : नकद शेष राशियों पर क्रमिक ब्याज दरों की अनुसूची

31 मार्च 1987 तक लागू		1 अप्रैल 1987 से लागू	
रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रा.न.अनु. की संपूर्ण राशि के प्रतिशत के रूप में पखवारे के दौरान कमी (निम्नलिखित तक और उसे मिलाकर)	3% की सांविधिक न्यूनतम अपेक्षा से अधिक वास्तविक राशि पर देय ब्याज की दर (प्रतिशत)	रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रा.न.अनु. की संपूर्ण राशि के प्रतिशत के रूप में पखवारे के दौरान कमी (निम्नलिखित तक और उसे मिलाकर)	3% की सांविधिक न्यूनतम अपेक्षा से अधिक वास्तविक राशि पर देय ब्याज की दर (प्रतिशत)
0	10.50	0	10.50
0.5	10.00	0.5	10.25
1.0	8.75	1.0	10.00
1.5	5.25	1.5	9.50
2.0	2.50	2.0	8.75
		2.5	7.75
3.0	0.50	3.0	6.50
3.0 से अधिक	0	3.5	5.00
		4.0	3.00
		4.5	1.25
		5.0	0.50
		5.0 से अधिक	0

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते: प्रारक्षित नकदी अनुपात संबंधी अपेक्षाएं

2.36 पिछले 2 वर्षों में विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा दरें धीरे-धीरे घटाकर लगभग उन स्तरों तक ले आयी गयी हैं, जो घरेलू बैंक जमाराशियों पर लागू दरों से भी कम हैं। बैंकिंग तंत्र में समग्र चलनिधि कम करने के एक उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा संबंधी देयताओं के संबंध में प्रारक्षित नकदी अनुपात 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 मई 1987 से 9.5 प्रतिशत कर दिया गया है। किन्तु विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशि संबंधी देयताएं नवंबर 1983 में लागू 10 प्रतिशत के वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात से मुक्त बनी रहेंगी।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जमाराशियों पर ब्याज दरें

2.37 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में ब्याज दरों में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में बैंकों के पास विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की जमाराशियों पर ब्याज दरें भी 25 मई 1987 से बढ़ा दी गयी

Shortfall in Maintenance of CRR: Schedule of Graduated Interest Rates on Cash Balances

Effective upto March 31, 1987		Effective April 1, 1987	
Shortfall during a fortnight as per cent of the required CRR to be maintained (upto and inclusive of)	Rates of interest payable on the amount above the statutory minimum of 3% actually maintained (per cent)	Shortfall during a fortnight as per cent of the required CRR to be maintained (upto and inclusive of)	Rates of interest payable on the amount above the statutory minimum of 3% actually maintained (per cent)
0	10.50	0	10.50
0.5	10.00	0.5	10.25
1.0	8.75	1.0	10.00
1.5	5.25	1.5	9.50
2.0	2.50	2.0	8.75
		2.5	7.75
3.0	0.50	3.0	6.50
Over 3.0	0	3.5	5.00
		4.0	3.00
		4.5	1.25
		5.0	0.50
		Over 5.0	0

FCNR Accounts: Cash Reserve Requirements

2.36 During the last two years, the FCNR deposit rates had been progressively brought down to levels somewhat lower than those on domestic bank deposits. As a measure of reducing overall liquidity in the banking system, the CRR in respect of FCNR deposit liabilities was raised from 3 per cent to 9.5 per cent effective May 23, 1987. The FCNR deposit liabilities will, however, continue to be exempt from the 10 per cent incremental CRR introduced in November 1983.

Interest Rates on FCNR Deposits

2.37 In the light of rise in interest rates in the international currency markets, the interest rates on deposits held in FCNR

हैं। तीन वर्ष के लिए मीयादी जमाराशियों पर देय अधिकतम दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दी गयी, 2 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत, एक वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों पर ब्याज दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत और 6 महीने और उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम की जमाराशियों पर यह दर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियां

2.38 अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जमाराशि योजना के अंतर्गत अनिवासी जमाराशियों के संबंध में जून 1987 के अंत के आंकड़े सारणी 2.5 में दिये गये हैं। उससे यह देखा जा सकता है कि जून 1986 और जून 1987 के बीच में अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों में राशि 763 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,435 करोड़ रुपये हो गयी। खातों की संख्या में भी साल भर में 2.1 लाख की वृद्धि हुई और वह 21.4 लाख हो गयी। विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों के मामले में पौंड स्टर्लिंग में जमा शेष राशियां जून 1986 के अंत में 2,333 लाख पौंड थीं, जो घटकर जून 1987 के अंत में 2,183 लाख पौंड रह गयीं, जबकि अमेरिकी डालर में वे 16,905 लाख डालर से बढ़कर 24,833 लाख डालर हो गयीं।

सारणी 2.5 : अनिवासी खातों के अन्तर्गत शेष राशियां

निम्नलिखित के अंत में	अनिवासी विदेशी खाता: खातों की संख्या'(000)	राशि (करोड़ रुपये)	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते: विदेशी मुद्रा में (दस लाख)	करोड़ रुपये में
जून 1986	1927	3672	यू.के. £ 233.3	444
			यू.एस. $ 1690.5	2086
जून 1987	2141*	4435*	यू.के. £ 218.3	452
			यू.एस. $ 2483.3	3186

* : अनन्तिम

स्रोत : विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

accounts with banks were increased with effect from May 25, 1987. The maximum rate payable on term deposits for 3 years was raised from 9 per cent to 10.5 per cent, the rate on deposits of two years and above but less than 3 years from 8.5 per cent to 10 per cent, the rate on deposits of one year and above but less than 2 years from 8 per cent to 9.5 per cent and that on deposits of six months and above but less than 1 year from 7.5 per cent to 8 per cent.

Deposits under FCNR and NRE Accounts

2.38 The data on non-resident deposits under the NRE and FCNR deposits schemes as at the end of June 1987 are given in Table 2.5. It will be seen therefrom that between June 1986 and June 1987 the amount in NRE accounts rose by Rs.763 crores to Rs.4,435 crores; the number of accounts also rose over the year by 2.1 lakhs to 21.4 lakhs. In the case of FCNR accounts, deposit balances in pound sterling decreased from £ 233.3 million at end–June 1986 to £ 218.3 million at end-June 1987, whereas in US dollars, they increased from $1690.5 million to $2483.3 million.

TABLE 2.5: BALANCES UNDER NON-RESIDENT ACCOUNTS

As at the end of	NRE Accounts: No.of A/cs ('000)	NRE Accounts: Amount (Rs. crores)	FCNR Accounts: In foreign currency (Million)	FCNR Accounts: In Rs crores
June 1986	1927	3672	U.K. £233.3	444
			US $ 1690.5	2086
June 1987	2141*	4435*	U.K. £218.3	452
			US $ 2483.3	3186

*Provisional.

Source: Exchange Control Department, RBI.

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

2.39 पिछले दो वर्षों में चयनात्मक ऋण नियंत्रण को काफी औचित्य पूर्ण बनाया गया है और जहां इस प्रकार के नियंत्रणों की कोई आवश्यकता नहीं रही, वहां इन्हें समाप्त कर दिया गया है। फिर जिन मदों के मामले में पण्यों की स्थिति और मूल्यों का उतार-चढ़ाव अनुकूल रहा, उन मामलों में भी नियंत्रणों की कठोरता कम की गयी। इन उपायों के अलावा चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में पहली अप्रैल 1987 से कुछ परिवर्तन भी किये गये। ऋण के स्तर के संबंध में पण्यों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था और जो 1981-82 से 1983-84 (नवंबर-अक्तूबर) के तीन वर्षों पर आधारित था, उसे एक वर्ष आगे बढ़ाकर 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए कर दिया गया।

2.40 'अन्य अनाजों' दालों, चीनी के जारी किये गये स्टॉक और गुड़ और खांडसारी के संबंध में न्यूनतम मार्जिन में सीधे 15 प्रतिशत अंक की कमी कर दी गयी। तिलहनों, वनस्पति तेलों और चीनी के न निकाले गये स्टॉक के लिए न्यूनतम मार्जिन अपरिवर्तित रखे गये। न्यूनतम मार्जिन का नया विन्यास सारणी 2.6 में दिया गया है अनाजों, विशेषकर गेहूं के अतिरिक्त भंडारों की सुविधाजनक, स्थिति की दृष्टि से गेहूं धान और चावल पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण हटा दिये गये। रबी 1987 में गेहूं की भारी पैदावार के संदर्भ में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे आटा मिलों और व्यापारियों को अपेक्षाकृत अधिक मुक्त रूप में ऋण प्रदान करने पर विचार करें, किन्तु इसके लिए सामान्य ऋण अनुशासन का पालन किया जाये।

ऋण बजट

2.41 बैंकों के साथ ऋण बजट चर्चाओं के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि मुद्रागत लक्ष्यों पर अब अधिक बल दिये जाने से, विशेषकर सरकार को रिज़र्व बैंक के शुद्ध ऋण के संबंध में, बैंकों की रिज़र्व बैंक के पास राशि में

Selective Credit Controls

2.39 During the last two years a major rationalisation of selective credit controls was undertaken and where such controls were no longer needed, these were abolished. Again, in the case of items where the commodity balances and developments in prices showed favourable response, the controls were made less stringent. Further to these measures, a few changes were made in the selective credit controls with effect from April 1, 1987. For commodities where there was a stipulation on the level of credit based on the three year period 1981-82 to 1983-84 (November-October), the base was brought forward by one year to the period from 1982-83 to 1984-85.

2.40 The minimum margins in respect of 'other foodgrains', pulses, released stocks of sugar and gur and khandsari were reduced across-the-board by 15 percentage points. The minimum margins for oilseeds, vegetable oils and unreleased stocks of sugar were kept unchanged. The new structure of minimum margins is set out in Table 2.6. In view of comfortable buffer stocks of foodgrains, particularly wheat, selective credit controls were abolished on advances against wheat, paddy and rice. In the context of the large rabi 1987 wheat crop, banks were advised to consider freer flow of credit to wheat millers and traders than hitherto, subject, however, to the observance of normal credit discipline.

Credit Budgets

2.41 During credit budget discussions with banks, it was stressed that with the greater emphasis now being given to monetary targets, particularly net Reserve

सारणी 2.6 : चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन (1 अप्रैल, 1987 से प्रभावी)

(प्रतिशत)

पण्य	स्टाक की जमानत पर		गोदाम रसीदों की जमानत पर
	अभिसंस्करण इकाइयाँ/मिलें	अन्य	
"अन्य खाद्यान्न" £	30	45	30
दालें	30	45	30
तिलहन @	30	45	30
वनस्पति तेल @	30*	60	45
चीनी			
समीकरण भंडार	-	-	-
अनिर्मुक्त स्टॉक	17.5	-	-
निर्मुक्त स्टॉक	60	60	45
गुड़ और खांडसारी	30	60	45

* पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति निर्माताओं के लिए लागू

£ धान, चावल और गेहूँ के अतिरिक्त

@ मूंगफली, तोरी के बीज/सरसों, अलसी, एरण्ड और सभी आयातित तिलहन/तेल और वनस्पति

Table 2.6: Minimum Margins on Bank Advances under Selective Credit Controls (Effective April 1, 1987)

(Percentages)

Commodities	Against Stocks		Against Ware house receipts
	Processing units/mills	Others	
"Other foodgrains" £	30	45	30
Pulses	30	45	30
Oilseeds @	30	45	30
Vegetable oils @	30*	60	45
Sugar			
Buffer stocks	—	—	—
Unreleased stocks	17.5	—	—
Released stocks	60	60	45
Gur and Khandsari	30	60	45

*Applicable to registered oil mills and vanaspati mânufactuers.

£Other than paddy, rice and wheat.

@Groundnut, rapeseed/mustard, linseed, castorseed and all imported oilseeds/oils and vanaspati.

भारी घट-बढ़ नहीं होनी चाहिए और इस संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे भारी घट-बढ़ वाली मुद्रा बाजार निधियों पर अधिक निर्भर न रहते हुए अपने साधनों से ऋण कार्यों की योजना बनायें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि उनके बजट बनाने में वास्तविक कार्य (आउट टर्न) परिलक्षित होना चाहिए।

शाखा विस्तार

बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

2.42 1986-87 (जुलाई-जून) में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत किसी बैंक को कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया और लाइसेंसप्राप्त वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या 50 बनी रही (जिसमें शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा के अंतर्गत 'नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान' शामिल है, किन्तु सरकारी क्षेत्र के 28 बैंक

Bank credit to Government, violent fluctuations in banks' cash balances with the Reserve Bank should be avoided and in this context the need for improved cash management by banks was emphasised. Banks were advised to plan their lending operations out of their own resources by avoiding large reliance on volatile money market funds. Banks were also urged to ensure that the credit budget formulation should closely reflect the actual outturn.

Branch Expansion

Licensing of banks

2.42 During 1986-87 (July-June) no new licence was granted to any bank under section 22 of Banking Regulation Act, 1949 and the total number of licensed commercial banks remained at 50 (including National Bank of Pakistan

शामिल नहीं हैं, जिन्हें बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है) निजी क्षेत्र के जो भारतीय वाणिज्य बैंक बिना लाइसेंस के कार्यरत थे, उनकी संख्या हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक के पंजाब नेशनल बैंक में दिसंबर 1986 में समामेलन के बाद घटकर 5 रह गयी (इनमें हबीब बैंक लिमिटेड शामिल नहीं है, जो शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा के अंतर्गत है)। बैंक आफ बेहरीन और कुवैत बीएससी. ने जून 1986 से भारत में अपना बैंकिंग कारोबार शुरू किया था। इसे जुलाई 1986 में द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। इसे हिसाब में लेने पर ऊपर उल्लिखित हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक के समामेलन और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लि. को 11 जून 1987 को अनुसूची से हटा देने के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या जून 1987 के अंत में 79 थी (इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं)। इस वर्ष के दौरान यूरोपियन एशियन बैंक का नाम बदलकर दिसंबर 1986 से ड्यूश बैंक (एशिया) कर दिया गया।

शाखाओं को लाइसेंस देने की नीति

2.43 1985-90 की अवधि के लिए शाखाओं को लाइसेंस देने की नीति प्रारंभ करने के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त होगी। योजना के अंतर्गत नये कार्यालय खोलने के लिए अग्रणी बैंक समूह/राज्य सरकारों ने 7,463 केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया था, जिनमें 4,396 केन्द्रों को नीति के मानदंडों के अनुसार आबंटन के लिए पात्र पाया गया। इनमें से 1,804 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित किये गये, 2,494 केन्द्र सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और 98 केन्द्र निजी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित किये गये।

2.44 जून 1986 के अंत में देश में वाणिज्य बैंकों की 53,265 शाखाएं थीं। नौ महीने (जुलाई 1986-मार्च 1987) की अवधि में 300 शाखाएं और जुड़ गयीं (जिनमें वे 38 शाखाएं भी शामिल हैं, जो वास्तव में जून 1986 से

under the Custodian of Enemy Property but excluding 28 public sector banks which do not require a licence to carry on banking business). The number of Indian commercial banks in the private sector functioning without a licence was reduced to 5 after the amalgamation of Hindustan Commercial Bank with Punjab National Bank in December 1986 (excluding Habib Bank Ltd. which is under the Custodian of Enemy Property). The Bank of Bahrain and Kuwait BSC, which had commenced banking business in India with effect from June 1986 was included in the Second Schedule in July 1986. Taking this into account and the merger of Hindustan Commercial Bank referred to above and the descheduling of the National Bank of Pakistan and Habib Bank Ltd. on June 11, 1987, the total number of scheduled commercial banks stood at 79 (excluding RRBs) at the end of June 1987. During the year the name of European Asian Bank was changed to Deutsche Bank (Asia) in December 1986.

Branch Licensing Policy

2.43 Mention was made in last year's Report about the launching of the new branch licensing policy for the period 1985-90 to be co-terminus with the seventh Five-Year Plan. Out of 7463 centres identified by the Lead Bank Groups/State Governments for opening new bank offices under the plan, 4396 centres were found eligible for allotment as per norms of the policy. Of this, 1804 centres were allotted to RRBs, 2494 centres to public sector banks and 98 centres to private sector banks.

2.44 As at the end of June 1986, there were 53,265 branches of commercial banks in the country. During the 9 month period (July 1986-March 1987) 300 branches were added (this includes 38 branches actually

पहले खोली गयीं, लेकिन जिनके संबंध में बैंकों ने रिपोर्ट देना बाद में शुरू किया) इस प्रकार मार्च 1987 के अंत में बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 53,565 हो गयी। बैंक रहित केन्द्रों पर खोले गये कार्यालय कुल नये कार्यालयों के 80.5 प्रतिशत थे। जिन 675 केन्द्रों को देश में बैंकरहित विकास खण्ड मुख्यालय माना गया था, उनमें से 644 वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के अंतर्गत आ गये। सारणी 2.7 में वाणिज्य बैंक शाखाओं का राज्यवार वितरण दिया गया है। मार्च 1987 के अंत में जो 53,565 कार्यालय थे, उनमें से 10,833 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक समूह के थे, 25,485 राष्ट्रीय बैंकों के और 12,909 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय थे (सारणी 2.8)।

ग्रामीण शाखा विस्तार

2.45 वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की जनसंख्या समूहवार स्थिति सारणी 2.9 में दी गयी है। कुल शाखा संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों का प्रतिशत मार्च 1987 के अंत में 55.9 प्रतिशत था, इसकी तुलना में जून 1969 में यह केवल 22 प्रतिशत था।

2.46 ग्रामीण शाखाओं के कार्य की समीक्षा करने पर महसूस किया गया कि हालांकि बैंकों ने अपनी बैंकिंग सेवाएं भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा दी हैं, किन्तु ऋण मूल्यांकन पर निगरानी रखना, अग्रिमों के उपाय और उनकी वसूली के बारे में सुधार की काफी गुंजाइश है तथा शाखा प्रबंधकों द्वारा नियमित अंतराल पर लगातार संपर्क रखने से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। अतः अगस्त 1986 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्रामीण शाखाओं में हर सप्ताह एक दिन ऐसा कारोबारी दिन रखें जो जनता के लिए न हो, ताकि प्रबंधक उस दिन को पूरी तरह से क्षेत्र में लगा सकें और जमाराशियां जुटाने, ऋण उपयोग पर निगरानी रखने, ऋण वसूली और कर्जदारों को उपयुक्त मार्गदर्शन देने जैसे विकासात्मक कार्य के लिए अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों से संपर्क कर सकें। इसके अलावा बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जिन क्षेत्रों में कारोबार की मात्रा एवं अन्य बातों पर विचार करने से नियमित शाखा की आवश्यकता नहीं है, वहां सैटेलाइट/

opened prior to June 1986 but reported by banks subsequently) taking the total number of bank offices to 53,565 by the end of March 1987. Offices opened in unbanked centres constituted 80.5 per cent of the new offices. Of the 675 centres identified as unbanked block head-quarters in the country, 644 were covered by branches of commercial banks/RRBs. Table 2.7 gives data on State-wise distribution of commercial bank branches. Of the 53,565 offices as at the end of March 1987, 10,833 belonged to State Bank of India group, 25,485 to nationalised banks and 12,909 to RRBs (Table 2.8).

Rural Branch Expansion

2.45 Population group-wise position of branches of commercial banks is shown in Table No.2.9. The percentage of bank offices in rural areas to the total number of branches was 55.9 as at the end of March 1987 which may be compared to only 22 per cent in June 1969.

2.46 On a review of the functioning of rural branches it was felt that though banks had taken banking services into the vast countryside of India, there was considerable scope for monitoring credit appraisal and use and recovery of advances and that frequent contacts at regular intervals by branch managers could improve the position substantially. Banks were therefore advised in August 1986 to observe one day in a week as non-public business working day at the rural branches so that managers would spend that day exclusively in the field for contacting their present and potential clientele for development work like mobilisation of deposits, monitoring of credit utilisation, recovery and providing appropriate guidance to borrowers. Further, banks were also advised to consider the scope for setting up of

चलती-फिरती शाखाएं स्थापित करने की संभावना पर विचार करें।

विदेशों में शाखा विस्तार

2.47 1986-87 के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेशों में कोई शाखा नहीं खोली। बैंक आफ बड़ौदा ने अपनी विदेश स्थित चार शाखाएं अर्थात संयुक्त अरब अमीरत में उम-अल-क्वावानी शाखा, इंग्लैंड में ब्रैडफोर्ड और लुटन शाखाएं तथा गियाना में न्यू ॲमस्टर्डम शाखा, बंद कर दीं। इसके अलावा इंग्लैंड में भारतीय बैंकों की शाखाओं के पुनर्गठन के एक अंग के रूप में पंजाब नेशनल बैंक (4 शाखाएं), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (तीन शाखाएं) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1 शाखा) के कार्य क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जनवरी 1987 में ग्रहण कर लिये गये। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंग्लैंड में पंजाब और सिंध बैंक की एकमात्र शाखा का कार्य भी फरवरी 1987 से अपने हाथ में लिया। आलोच्य अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने बेरूत (लेबनान) का अपना प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिया। इस प्रकार भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की संख्या (सरकारी क्षेत्र में 8 और निजी क्षेत्र में एक) और प्रतिनिधि कार्यालयों (4 बैंकों के) की संख्या 30 जनवरी 1987 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 134 से घटकर 123 और 11 से घटकर 10 रह गयी।

बैंकिंग सहायक/जमाराशि स्वीकार करनेवाली कंपनिया

2.48 जून 1987 की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों की पूर्ण स्वामित्ववाली छः सहायक कंपनियां (हांगकांग में जमाराशि स्वीकार करनेवाली तीन कंपनियों सहित) और छः संयुक्त उपक्रम बैंक/विदेश से सम्बद्ध (50 प्रतिशत से कम शेयर धारितावाली) कंपनियां थीं।

भारत में विदेशी बैंक

2.49 इस वर्ष के दौरान किसी विदेशी बैंक ने भारत में कोई शाखा नहीं खोली। बैंक ऑफ कैलिफोर्निया

satellite/mobile branches in areas where the volume of business and other considerations did not warrant a regular branch.

Overseas Branch Expansion

2.47 During 1986-87 no new branches were opened abroad by Indian banks Bank of Baroda closed four of its overseas branches viz. Umm-Al-Quawani branch in the United Arab Emirates, Bradford and Luton branches in the United Kingdom and New Amsterdam branch in Guyana. Besides, as part of the reorganisation of branches of Indian banks in the UK, the operations of Punjab National Bank (4 branches), Central Bank of India (3 branches) and Union Bank of India (1 branch) were taken over by State Bank of India, Bank of India and Bank of Baroda, respectively, from January 1987. Bank of Baroda also took over the only branch of Punjab & Sind Bank in the UK from February 1987. During the period under review the State Bank of India closed its representative office in Beirut (Lebanon). Thus, the number of foreign branches of Indian banks (8 in public sector and one in private sector) and representative offices (of 4 banks) was reduced from 134 to 123 and from 11 to 10, respectively, as on June 30, 1987.

Banking subsidiaries/Deposit taking companies

2.48 Indian banks had 6 wholly owned subsidiaries (including 3 deposit taking companies in Hongkong) and 6 joint venture banks/affiliates abroad (having less than 50 per cent share holding) as at the end of June 1987.

Overseas banks in India

2.49 During the year no new branches were opened by foreign banks in India. Bank of California (USA), Banca

सारणी 2.7 : राज्यवार बैंकिंग विस्तार

TABLE 2.7 : STATE–WISE BANKING SPREAD

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम Name of the State/ Union Territory	निम्नलिखित के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या Number of offices at the end of				जुलाई 1985 से जून 1986 के दौरान खोले गये Opened during July 1985 to June 1986	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में Of which at un-banked centres	जुलाई 1986 से मार्च 1987 के दौरान खोले गये Opened during July 1986 to March 1987	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में Of which at un-banked centres	निम्नलिखित के दौरान प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजारों में) Population per bank office as at the end of (in 000s)		
	जून June 1969	जून June 1985*	जून June 1986	मार्च March 1987					जून June 1969	जून June 1986	मार्च March 1987
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	567	4084	4130	4162	43	26	32	30	75	13	13
असम Assam	74	872	975	981	108	92	4	2	198	21	20
बिहार Bihar	273	4039	4229	4232	212	189	1	—	207	17	16
गुजरात Gujarat	752	3011	3085	3089	64	48	4	3	34	11	11
हरियाणा Haryana	172	1096	1111	1118	14	10	5	5	57	12	12
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	42	539	552	565	14	9	10	10	80	8	8
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	35	713	727	727	16	15	—	—	114	8	8
कर्नाटक Karnataka	756	3851	3926	3958	73	45	30	29	38	9	9
केरल Kerala	601	2706	2724	2725	19	8	—	—	35	9	9
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	343	3637	3737	3768	98	83	32	28	116	14	14
महाराष्ट्र Maharashtra	1118	4814	4919	4940	100	53	20	3	44	13	13
मणिपुर Manipur	2	67	67	67	6	5	—	—	497	21	21
मेघालय Meghalaya	7	125	130	132	5	5	2	2	147	10	10
नागालैंड Nagaland	2	64	66	66	2	1	—	—	205	12	12
उड़ीसा Orissa	100	1691	1735	1752	42	29	8	6	212	15	15
पंजाब Punjab	346	1992	2004	2013	9	5	9	6	42	8	8
राजस्थान Rajasthan	364	2616	2681	2694	69	63	13	13	70	13	13
सिक्किम Sikkim	—	19	19	19	—	—	—	—	—	17	17
तमिलनाडु Tamil Nadu	1060	3909	3930	3935	29	21	5	4	37	12	12
त्रिपुरा Tripura	5	136	136	136	13	13	—	—	276	15	15
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	747	7200	7345	7408	108	79	62	56	119	15	15
पश्चिम बंगाल West Bengal	504	3210	3418	3457	192	129	20	12	87	16	16
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	1	13	14	14	1	1	—	—	82	13	13
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	—	48	54	56	6	6	2	2	—	12	11

(जारी) *(Contd....)*

सारणी 2.7 : राज्यवार बैंकिंग विस्तार (समाप्त)
TABLE 2.7: STATE-WISE BANKING SPREAD *(Concld.)*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़ Chandigarh	20	105	107	107	2	—	—	—	7	4	4
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	—	6	6	6	—	—	—	—	—	17	17
दिल्ली Delhi	274	1042	1059	1060	16	—	3	—	10	6	6
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman and Diu	85	260	260	260	—	—	—	—	8	4	4
लक्षद्वीप Lakshdweep	—	5	5	5	—	—	—	—	—	8	8
मिज़ोरम Mizoram	—	45	51	50	5	5	—	—	—	10	10
पांडिचेरी Pondicherry	12	63	63	63	—	—	—	—	31	10	10
जोड़ **Total**	**8,262**	**51,978**	**53,265**	**53,565**	**1,266@**	**940**	**262@@**	**211**	**65**	**13**	**13**

* संशोधित
Revised

@ इसमें जून 1985 के अंत के पहले खोली गयी 21 शाखाएँ शामिल नहीं हैं. जिनके सम्बंध में बैंकों द्वारा रिपोर्ट बाद में दी गयी (अर्थात जुलाई 1985 से जून 1986 के दौरान खोली गयी शाखाओं की वास्तविक संख्या)
Excludes 21 branches opened prior to end — June 1985 but reported late by the banks (i.e., the actual number of branches opened during July 1985 to June 1986.)

@ @ इसमें जून 1986 के अंत के पहले खोली गयीं 38 शाखाएँ शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में बैंकों द्वारा बाद में रिपोर्ट दी गयी।
Excludes 38 branches opened prior to end — June 1986 but reported by banks subsequently.

टिप्पणी: जनसंख्या व्याप्ति : 1961 की जनगणना पर आधारित 1969, 1981 की जनगणना पर आधारित 1986 और 1987.
Note : Population coverage: 1969 as per 1961 census, 1986 and 1987 as per 1981 census.

स्रोत: सारणी 2.7 से 2.9: बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : Tables 2.7 to 2.9: Dept. of Banking Operations and Development, RBI.

सारणी 2.8 : नये कार्यालयों का बैंक समूह वार वितरण
TABLE 2.8 : BANK GROUP-WISE DISTRIBUTION OF NEW OFFFICES

बैंक समूह Bank Group	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय New offices opened by commercial banks		निम्नलिखित के अंत में बैंक कार्यालय Bank offices as at the end of			मार्च 1987 के अंत में बैंकों की संख्या
	जुलाई 1985 से जून 1986 July 1985 to June 1986	जुलाई 1986 से मार्च 1987 July 1986 to March 1987	जून 1985 June 1985	जून 1986 June 1986	मार्च 1987 March 1987	No. of banks as at end March 1987
	1	2	3	4	5	6
भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	163	4	7291	7450	7467	1
भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक Associate banks of SBI	25	1	3340	3365	3366	7
20 राष्ट्रीयकृत बैंक 20 nationalised banks	436	86	24,770	25,248	25,485	20
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional rural banks	617	163	12,138	12,729	12,909	194
अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक Other scheduled commercial banks	24	7	4266	4298	4163*	30
विदेशी बैंक Foreign banks	1	1	136	136	136	21
समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक All scheduled commercial banks	1266	262	51,941	53,226	53 526	273
गैर वाणिज्य बैंक Non-scheduled commercial banks	—	—	37	39	39	3
समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक **All commercial banks**	**1266@**	**262@@**	**51,978**	**53,265**	**53,565**	**276**

* हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. के पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन के कारण आँकड़े पिछले वर्षों के आँकड़ों के साथ मिलान किये जाने योग्य नहीं है।
Data are not comparable with earlier years due to merger of the Hindustan Commercial Bank Ltd. with Punjab National Bank.

@ इसमें जून 1985 के अंत के पहले खोली गयीं 21 शाखाएं शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में बैंकों द्वारा बाद में रिपोर्ट दी गयी।
Excludes 21 branches opened prior to end - June 1985 but reported late by the banks.

@ @ इसमें जून 1986 के अंत के पहले खोली गयी 38 शाखाएँ शामिल नहीं हैं जिसके संबंध में बैंकों द्वारा बाद में रिपोर्ट दी गयी।
Excludes 38 branches opened prior to end - June 1986 but reported by banks subsequently.

सारणी 2.9 : वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूह वार वितरण
TABLE 2.9: POPULATION GROUP-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES

(निम्न अवधियों के अंत में)
As at the end of

जनसंख्या समूह Population Group	जून 1984@ June 1984@	जोड़ में प्रतिशत % to total	जून 1985 @ June 1985@	जोड़ में प्रतिशत % to total	जून 1986* June 1986*	जोड़ में प्रतिशत % to total	मार्च 1987 March 1987	जोड़ में प्रतिशत % to total
	1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण Rural	25,372	56.0	28,782	55.4	29,718	55.8	29,920	55.9
अर्ध शहरी Semi-Urban	9262	20.4	10,460	20.1	10,567	19.8	10,612	19.8
शहरी Urban	5769	12.7	7542	14.5	7195	13.5	7220	13.5
महानगरीय/पत्तन शहर Metropolitan/Port Towns	4929	10.9	5194	10.0	5785	10.9	5813	10.8
जोड़ Total	**45,332**	**100.0**	**51,978**	**100.0**	**53,265**	**100.0**	**53,565**	**100.0**

@ जनसंख्या समूह 1971 की जनगणना पर आधारित
Population group based on 1971 census.

* जनसंख्या समूह 1981 की जनगणना पर आधारित।संशोधित आंकड़े कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों पर आधारित
Population group based on 1981 census. Revised figures based on computerised data.

टिप्पणी : केन्द्रों का वर्गीकरण: ग्रामीण केन्द्र - 10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान। अर्ध शहरी केन्द्र - 10,000 से अधिक और 1,00,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान। शहरी केन्द्र - 1,00,000 से अधिक और 10,00,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान। महा नगरीय केन्द्र - 10,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान।

Note: Classification of centres: Rural centres — Places with population upto 10,000. Semi-urban centres — Places with population over 10,000 and upto 100,000. Urban centres — Places with population over 100,000 and upto 10,00,000. Metropolitan centres — Places with population over 10,00,000.

(सं.रा.अ.), बैंका नेशनल डे लेवोरे (इटली), दाइची कांग्यो बैंक लि. (जापान) और सनवा बैंक लि. (जापान) ने अपना एक-एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। इस प्रकार 21 विदेशी बैंकों की शाखाओं और 18 विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या जून 1987 के अंत में क्रमशः 136 और 18 थी।

2.50 बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति के अनुसरण में विदेशी बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे स्थानीय परामर्शदाता बोर्ड गठित करें, क्योंकि उनके प्रबंधक बोर्ड भारत में नहीं थे। तदनुसार 21 विदेशी बैंकों में से 19 ने स्थानीय परामर्शदाता बोर्डों का गठन किया। शेष दो बैंक भी इसी प्रकार के बोर्ड गठित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

कार्रवाई योजनाएं

2.51 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सितंबर 1985 में किये गये उस निर्णय का उल्लेख किया गया था, जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने परिचालनगत कुशलता बढ़ाने के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के वास्ते नवंबर 1985 से दिसंबर 1987 की अवधि के लिए कार्रवाई योजनाएं बनायी थीं। इन योजनाओं के अंतर्गत बैंकों ने ऋण प्रबंध में सुधार लाने और ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किये। इस प्रयोजन के लिए श्रेष्ठता संबंधी कूट के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण, ऋण सीमाओं का समय पर नवीकरण और उनकी समीक्षा तथा अतिदेय राशियों के संबंध में कारगार प्रक्रिया परिचालन और निगरानी तंत्र अपनाने संबंधी उपाय किये गये। ऋण लेनेवाले ग्राहकों पर वित्तीय अनुशासन लगाने और भुगतान संबंधी तंत्र में सुधार लाने के लिए भी कारगर उपाय किये गये। विवरणियां शीघ्र प्रस्तुत करने, बहियों का शीघ्र तुलन करने, अंतर बैंक समायोजन और आंतरिक व्यवस्था के अन्य पहलुओं के बारे में भी उपाय किये गये। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए अनेक उपाय अपनाये गये।

Nationale Del Lavoro (Italy), Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd. (Japan) and Sanwa Bank Ltd. (Japan) opened a representative office each. Thus, the number of branches of 21 foreign banks and representative offices of 18 foreign banks stood at 136 and 18 respectively, as at the end of June 1987.

2.50 In pursuance of the policy of social control over banks, foreign banks were urged to constitute Local Advisory Boards as they did not have boards of management in India. Accordingly, the Local Advisory Boards have been constituted by 19 of the 21 foreign banks. The remaining 2 banks are also taking steps to constitute similar boards.

Action Plans

2.51 Mention was made in the last year's Report about the decision taken in September 1985 whereby public sector banks have drawn up Action Plans, covering the period November 1985 to December 1987 for improvement in the quality of service and for promoting operational efficiency. Under the plans, banks have taken various steps to revamp credit management and improve the quality of loan assets. For this purpose, classification of advances according to health codes, timely renewal and review of credit limits and effective procedural/ operational and monitoring mechanisms in respect of overdues were enforced by the banks. Effective steps have also been taken to impose financial discipline on borrowing clients and to bring about improvements in the payments mechanism. Measures were also taken for quicker submission of returns, prompt balancing of books, inter-bank reconciliation and other aspects of in-housekeeping. A number of measures were implemented to improve customer service in banks.

वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या
NUMBER OF OFFICES OF COMMERCIAL BANKS

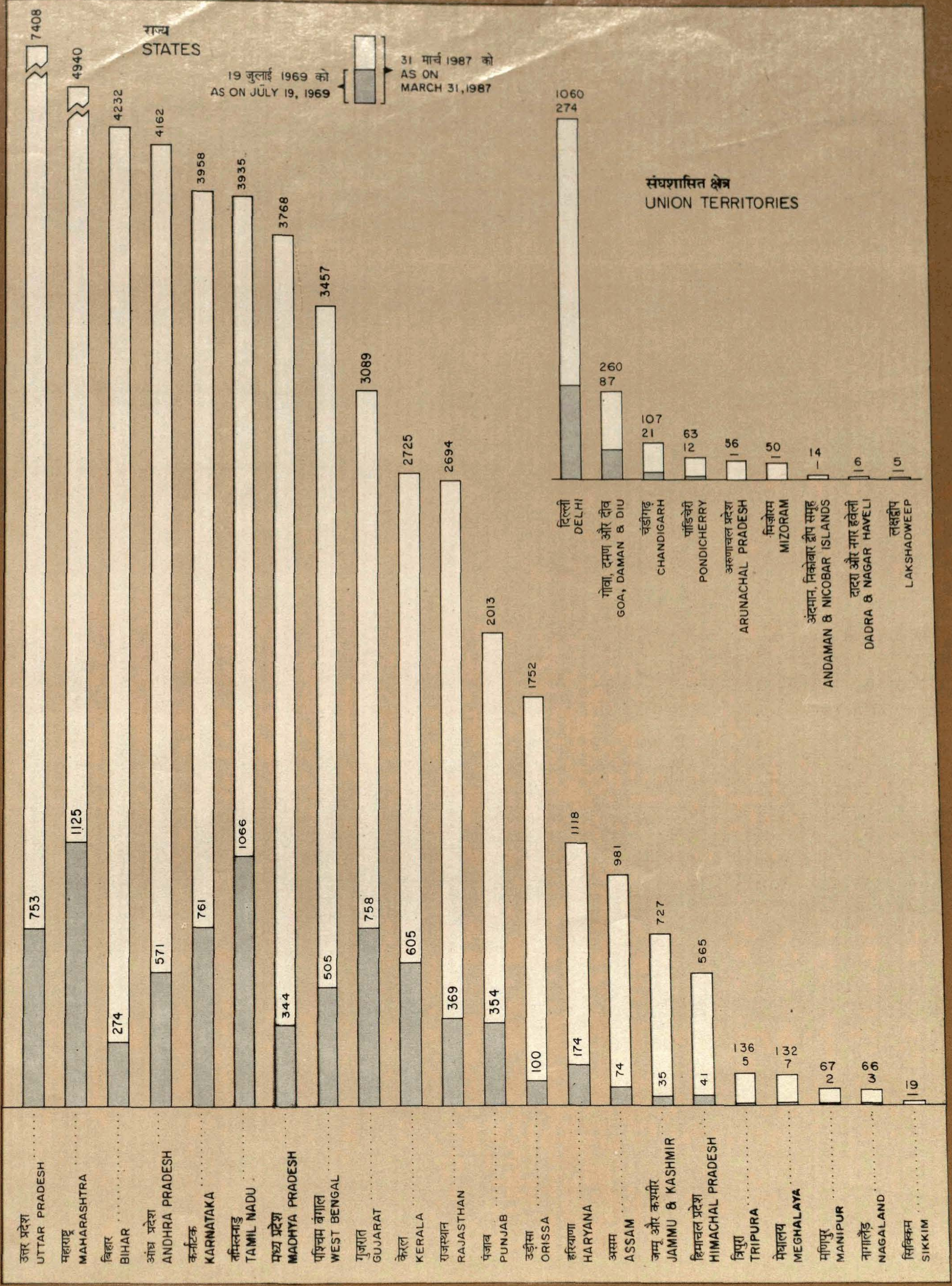

प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या

31 मार्च 1987 को (आंकड़े हज़ारों में)

आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं

AVERAGE POPULATION PER COMMERCIAL BANK OFFICE

AS ON MARCH 31, 1987 (FIGURES ARE IN THOUSANDS)

DATA ARE BASED ON 1981 CENSUS

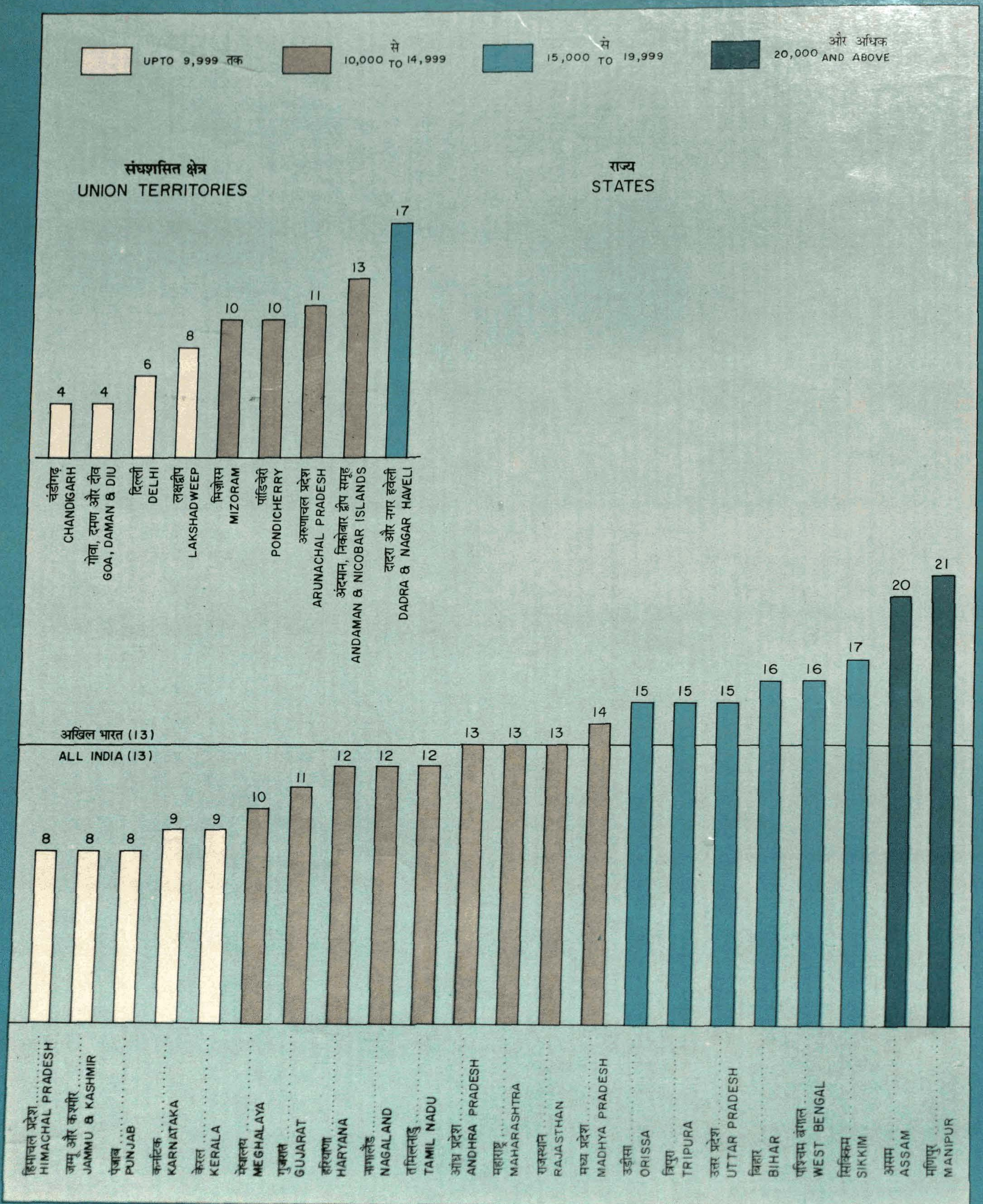

2.52 कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हर तिमाही में की जाती है, ताकि बैंकों का प्रबंध तंत्र और साथ ही रिज़र्व बैंक सब बैंकों के कार्य का मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार के मूल्यांकनों से कार्य में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों और विशिष्ट उप क्षेत्रों को अग्रिमों के लिए निर्धारित लक्ष्य सभी बैंकों ने पूरे कर लिये हैं। आंतरिक व्यवस्था, ग्राहक सेवा और लाभप्रदता में भी सुधार हुआ है। न केवल लाभ में वृद्धि हुई है, बल्कि घाटे में चलनेवाली शाखाओं की संख्या में कमी हुई है। किन्तु अतिदेय राशियों की समग्र स्थिति असंतोषजनक बनी रही। दिसंबर 1986 के अंत में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में अतिदेय राशियां बकाया ऋण की लगभग 20 प्रतिशत थीं और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत बकाया ऋण की 11.5 प्रतिशत थीं।

ऋण का क्षेत्रीय वितरण

2.53 ऋण के क्षेत्रीय वितरण संबंधी आंकड़े (जो 50 वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं) सारणी 2.10 में दिये गये हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जुलाई 1986 से अप्रैल 1987 तक की अवधि में खाद्येतर बैंक ऋण में वृद्धि 7,972 करोड़ रुपये की हुई। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5,906 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये ऋण में 3,056 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत भारी वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 2,534 करोड़ रुपये की थी। अप्रैल 1987 के अंत में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिम शुद्ध बैंक ऋण का 43.0 प्रतिशत थे, जबकि एक साल पहले यह 41.1 प्रतिशत थे। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल वृद्धिशील अग्रिमों में कृषि और लघु उद्योगों का हिस्सा क्रमशः 39.3 प्रतिशत और 39.2 प्रतिशत था, जबकि जुलाई 1985-अप्रैल 1986 की अवधि में ये हिस्से क्रमशः 43.3 प्रतिशत और 39.8 प्रतिशत थे। अप्रैल 1987 के अंत में कृषि को दिये गये बकाया अग्रिम 10,592 करोड़ रुपये थे जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों के 41.8 प्रतिशत थे। लघु उद्योगों को दिये गये बकाया

2.52 The progress of the Action Plans is reviewed every quarter to enable the management of banks as well as the Reserve Bank to assess the performance of banks. Such assessments have revealed that there is some improvement in their performance. All the banks have fulfilled the targets fixed for priority sector advances and for specific sub-sectors. There has also been improvement in in house keeping, customer services and in profitability. Not only have the profits increased but the number of loss making branches have also come down. However, the overdues position,in general,continues to be unsatisfactory. The overdues accounted for about 20 per cent of outstanding credit in priority sectors and 11.5 per cent of outstanding credit under non-priority sectors at end-December 1986.

Sectoral Deployment of Credit

2.53 Data on sectoral deployment of credit (which relate to 50 commercial banks) given in Table 2.10 show that non-food gross bank credit expansion during the period July 1986-April 1987 amounted to Rs. 7,972 crores as compared with that of Rs. 5,906 crores in the corresponding period of the previous year. Credit to priority sector recorded a larger expansion of Rs. 3,056 crores during the period as compared with that of Rs. 2,534 crores in the same period of the previous year. At the end of April 1987, priority sector advances constituted 43.0 per cent of net bank credit as against 41.1 per cent a year ago. The share of agriculture and small-scale industries (SSI) in total incremental priority sector advances was 39.3 per cent and 39.2 per cent, respectively, as compared with 43.3 per cent and 39.8 per cent in the period July 1985-April 1986. By the end of April 1987, outstanding

सारणी 2.10 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण (समाप्त)

TABLE 2.10: SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT *(Concld.)*

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

क्षेत्र Sector	1.	2	3	4	5	6
(ई) अन्य क्षेत्र D. Other Sectors	5,254	5,933	5,883	7,247	+ 679	+ 1,364
II. शुद्ध बैंक ऋण					(11,5)	(17,1)
Net Bank Credit	48,050	52,919	53,381	58,992	+4,869	+5,611
शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत Percentage of Priority Sector to Net Bank Credit	40.0	41.1	41.8	43.0		
III निर्यात ऋण (मद २ के अन्तर्गत शामिल) Export Credit (Included under item 2)	2,311	2,486	2,556	3,377	+ 175	+ 821

@ आंकड़े अनन्तिम हैं।

: Data are provisional.

टिप्पणी : 1. आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जिनका अंश सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है। इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से पुनः भुनाये गये बिल और सहभागिता प्रमाण पत्र शामिल हैं। शुद्ध बैंक ऋण के आंकड़ों में रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

Note : 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further, these gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial institutions and participation certificates. Net Bank credit data are exclusive of bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial institutions.

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े खाद्येतर वृद्धिशील ऋण के अनुपात के आंकड़े हैं।

Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक

Source : Credit Planning Cell, RBI.

अग्रिम 9,300 करोड़ रुपये थे, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल अग्रिमों के 36.7 प्रतिशत थे। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, जिनमें छोटे परिवहन परिचालक, अपने रोजगार में लगे व्यक्ति, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं, को दिये गये बकाया अग्रिम 5,466 करोड़ रुपये थे और वे अप्रैल 1987 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल अग्रिमों के 21.6 प्रतिशत थे।

advances to agriculture stood at Rs. 10,592 crores constituting 41.8 per cent of total priority sector advances. Outstanding advances to SSI at Rs. 9,300 crores accounted for 36.7 per cent of the total advances to priority sectors. Advances outstanding to other priority sectors which include small transport operators, self-employed persons, rural artisans, etc. amounted to Rs. 5,466 crores and formed 21.6 per cent of toal priority sector advances in April 1987.

2.54 जुलाई 1986 से अप्रैल 1987 तक की अवधि में मझौले और बड़े उद्योगों को अग्रिमों में 3,215 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 2,692 करोड़ रुपये की वृद्धि से कम है। वृद्धिशील सकल बैंक ऋण में मझौले और बड़े उद्योगों का हिस्सा 52.8 प्रतिशत से बढ़कर 54.5 प्रतिशत रह गया। पेट्रोलियम को छोड़ने पर उक्त वृद्धि 3,395 करोड़ रुपये की रही थी, जो 1985-86 की इसी अवधि में हुई 2,504 करोड़ रुपये की वृद्धि से अधिक थी।

2.54 During the period July 1986-April 1987, the expansion of Rs.3,215 crores in advances to medium and large industry was larger than the expansion of Rs. 2,692 crores in the corresponding period of the previous year. The share of medium and large industry in incremental gross bank credit moved up from 52.8 per cent to 54.5 per cent. Excluding petroleum, the expansion was larger at Rs. 3,395 crores as against Rs. 2,504 crores in the comparable period of 1985-86.

2.55 उक्त अवधि के दौरान ऋण वृद्धि में जिन उद्योगों (लघु उद्योग यूनिटों सहित) का बड़ा हिस्सा था, वे थे इंजीनियरी समूह (1,183 करोड़ रुपये), रसायन, रंग और पेंट समूह (401 करोड़ रुपये), लोहा और इस्पात (213 करोड़ रुपये), सूती वस्त्र (302 करोड़ रुपये), अन्य वस्त्र (295 करोड़ रुपये), कागज और कागज से बनी वस्तुएं (124 करोड़ रुपये), अन्य धातुएं और धातु की वस्तुएं (130 करोड़ रुपये), कोयला (108 करोड़ रुपये) और सीमेंट (107 करोड़ रुपये)। पेट्रोलियम (180 करोड़ रुपये) और विशेष योजना के अंतर्गत प्राप्त जहाजों (43 करोड़ रुपये) के संबंध में काफी गिरावट आयी (सारणी 2.11)

2.55 Industries (including SSI units) which accounted for a major part of the growth in credit during the period were the engineering group (Rs. 1,183 crores), chemicals, dyes and paints group (Rs. 401 crores), iron and steel (Rs. 213 crores), cotton textiles (Rs. 302 crores), other textiles (Rs. 295 crores), paper and paper products (Rs. 124 crores), other metals and metal products (Rs. 130 crores), coal (Rs. 108 crores) and cement (Rs. 107 crores). Substantial declines were reported in respect of petroleum (Rs. 180 crores) and ships acquired from abroad under new scheme (Rs. 43 crores) (Table 2.11).

2.56 थोक व्यापार को (खाद्य वसूली के अलावा) दिये जानेवाले अग्रिमों में 1986-87 (जुलाई-अप्रैल) में 337 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई, जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इनमें मात्र 1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। भारतीय जूट निगम को दिये गये अग्रिमों में जहां थोड़ी

2.56 Advances to wholesale trade (other than food procurement) recorded a substantial rise of Rs. 337 crores during 1986-87 (July-April) as against a negligible increase of Rs. 1 crore in the same period of the previous year. While there was a

वृद्धि हुई और 'अन्य' व्यापार को दिये गये अग्रिमों में भारी वृद्धि हुई, वहीं भारतीय कपास निगम ने बैंकिंग उद्योग को शुद्ध ऋण लौटाने की सूचना दी है। भारतीय खाद्य निगम को दिये गये उर्वरक ऋण में उक्त अवधि के दौरान 4 करोड़ रुपये की थोड़ी-सी वृद्धि हुई है।

2.57 शेष क्षेत्रों के द्योतक 'अन्य क्षेत्र', जिसमें वित्तीय संस्थाएं, किराया खरीद एजेंसियां, पट्टा कंपनियां, निजी ऋण आदि शामिल हैं, को दिये गये ऋण में 1,364 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 679 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

2.58 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के विभिन्न उप क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के संबंध में दिसम्बर 1986 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं और वे सारणी 2.12 में दिये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण खातों की संख्या दिसम्बर 1985 के अंत में 242 लाख थी, जो बढ़कर 1986 के अंत में 262 लाख हो गयी। इन बैंकों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों में 1985 के दौरान 3,270 करोड़ रुपये अथवा 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1986 में उनमें 3,163 करोड़ रुपये अथवा 15.3 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। कुल बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण का हिस्सा दिसम्बर 1985 के अंत के 42.9 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 1986 में 43.6 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 40 प्रतिशत का था।

2.59 बैंकों से अपेक्षा की गयी थी कि वे मार्च 1987 तक शुद्ध बैंक ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों को प्रदान करें। कमज़ोर वर्गों को, जिनमें छोटे किसान, भूमिहीन मज़दूर, बंटाई और महसूल पर खेती करनेवाले, करीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी, अनुसूचित

small increase in credit given to Jute Corporation of India and a sizeable rise in credit to 'other' trade, the Cotton Corporation of India reported net return flow of credit to banking industry. Fertiliser credit given to Food Corporation of India showed a nominal rise of Rs. 4 crores during the period.

2.57 Credit to 'other sectors' which represent residual sectors and include advances to financial institutions, hire-purchase agencies, leasing companies, personal loans, etc. registered a larger increase of Rs. 1,364 crores as compared to that of Rs. 679 crores in the previous year.

Performance of Public Sector Banks: *Advances to Priority Sectors*

2.58 The detailed data on advances by public sector banks to various sub-sectors of priority sectors are available upto December 1986 and these are given in Table 2.12. The number of priority sector borrowal accounts of public sector banks increased from 242 lakhs at the end of December 1985 to 262 lakhs by the end of December 1986. Priority sector advances of these banks which had increased by Rs.3,270 crores or 18.8 per cent during 1985 rose further by Rs. 3,163 crores or 15.3 per cent during 1986. The share of priority sector advances in total bank credit increased from 42.9 per cent at the end of December 1985 to 43.6 per cent in December 1986 against the national target of 40 per cent.

2.59 Banks were required to reach a level of direct agricultural advances of at least 16 per cent of net bank credit by March 1987; further, the target for advances to weaker sections comprising small and marginal farmers, landless labourers, share croppers and tenants, artisans,

सारणी 2.11 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण @
TABLE 2.11 : INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT @

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

उद्योग Industry	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को Outstanding on the last Friday of				निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ Variations	
	जून June 1985	अप्रैल April 1986	जून June 1986	अप्रैल April 1987	जून 1985 की तुलना में अप्रैल 1986 में April 1986 over June 1985	जून 1986 की तुलना में अप्रैल 1987 में April 1987 over June 1986
	1	2	3	4	5	6
उद्योग (लघु, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़) **Industry (Total of small-scale, medium & large-scale)**	**23,330**	**27,030**	**27,247**	**31,661**	**+ 3,700**	**+ 4,414**
जिसमें से *Of which:*						
1. कोयला Coal	139	109	49	157	− 30	+ 108
2. लोहा और इस्पात Iron and steel	1,199	1,330	1,343	1,556	+ 131	+ 213
3. अन्य धातुएँ और धातुओं से बनी चीजें Other metals and metal products	826	946	933	1,063	+ 120	+ 130
4. सभी इंजीनियरी वस्तुएं All engineering	5,733	6,655	6,842	8,025	+ 922	+ 1,183
5. बिजली (उत्पादन और वितरण) Electricity (Gen. & Trans.)	451	512	464	554	+ 61	+ 90
6. सूती वस्त्र Cotton textiles	1,922	2,182	2,184	2,486	+ 260	+ 302
7. जूट वस्त्र Jute textiles	262	280	272	298	+ 18	+ 26
8. अन्य वस्त्र Other textiles	1,428	1,671	1,615	1,910	+ 243	+ 295
9. चीनी Sugar	376	543	541	613	+ 167	+ 72
10. चाय Tea	325	334	350	365	+ 9	+ 15
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित) Vegetable oils (Including vanaspati)	323	331	355	398	+ 8	+ 43
12. तंबाकू तथा तंबाकू से बनी चीजें Tobacco and tobacco products	206	203	238	250	− 3	+ 12
13. कागज तथा कागज से बनी चीजें Paper and paper products	606	670	685	809	+ 64	+ 124
14. रबड़ से बनी चीजें Rubber and rubber products	439	453	449	503	+ 14	+ 54
15. रसायन, रंग, पेंट, आदि Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2,442	3,198	3,244	3,645	+ 756	+ 401
उनमें से : उर्वरक Of which : Fertiliser	(407)	(705)	(758)	(821)	(+298)	(+63)
16. सीमेंट Cement	303	351	360	467	+ 48	+ 107

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 2.11 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण (समाप्त) @
TABLE 2.11 : INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT (Concld) @

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

उद्योग Industry	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को Outstanding on the last Friday of				निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ Variations	
	जून June 1985	अप्रैल April 1986	जून June 1986	अप्रैल April 1987	जून 85 की तुलना में अप्रैल 86 में April 1986 over June 1985	जून 86 की तुलना में अप्रैल 87 में April 1987 over June 1986
	1	2	3	4	5	6
17. चमड़ा तथा चमड़े से बनी चीजें Leather and leather products	334	392	391	424	+ 58	+ 33
18. निर्माण Construction	279	283	296	370	+ 4	+ 74
19. नई योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज SAFAUNS *	356	326	325	282	− 30	− 43
20. पेट्रोलियम Petroleum	116	304	260	80	+ 188	− 180
21. अन्य उद्योग Other industries	5,265	5,957	6,051	7,406	+ 692	+ 1,355

@ अनंतिम
: Provisional.

* : नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज।
: Ships acquired from abroad under New Scheme.

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक।
Source : Credit Planning Cell, RBI.

सारणी 2.12 : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम
TABLE 2.12 : PUBLIC SECTOR BANKS' ADVANCES TO PRIORITY SECTORS

क्षेत्र Sector	खातों की संख्या (हजारों में) No. of accounts (in '000s)			बकाया राशि (करोड़ रुपयों में) Amount Outstanding (Rs. crores)		
	जून June 1969	दिसम्बर December 1985	दिसम्बर December 1986@	जून June 1969	दिसम्बर December 1985	दिसम्बर December 1986@
	1	2	3	4	5	6
I. कृषि **Agriculture**	**165**	**16,000**	**16,858**	**162**	**8,793**	**10,138**
(i) प्रत्यक्ष वित्त Direct Finance	160	15,027	15,964	40	7,415	8,876
(ii) परोक्ष वित्त Indirect Finance	5	973	894	122	1,378	1,262
II. लघु क्षेत्र **Small-Scale Sector**	**53**	**2,188**	..	**257**	**9,354**	..
(i) सड़क और जल यातायात परिचालक Road & Water Transport Operators	2	592	..	6	1,883	..
(ii) लघु उद्योग Small-Scale Industries	51	1,595	..	251	7,396	..
(iii) औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करना Setting up of industrial estates	—	1	..	—	75	..
III. अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र **Other-Priority Sectors**	**42**	**6,006**	..	**22**	**2,501**	..
(i) खुदरा व्यापार और लघु व्यवसाय Retail trade and small business	33	3,989	..	19	1,721	..
(ii) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति Professionals and self-employed persons	8	1,613	..	2	653	..
(iii) शिक्षा Education	1	66	..	1	33	..
(iv) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को परोक्ष वित्त (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों/संगठनों को उधार) Indirect finance in other priority sectors; (loans to SC/ST corporations/organisations)	—	12	..	—	9	..
(v) कमजोर वर्गों और अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों को आवास ऋण + Housing Loans to SC/ST and Weaker Sections	—	164	..	—	64	..
(vi) उपभोग ऋण + Consumption loans	—	162	..	—	21	..
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम **Total Priority Sector advances**	**260**	**24,194**	**26,157**	**441**	**20,648**	**23,811**
कुल बैंक ऋण **Total Bank Credit**				**3,016**	**48,067**	**54,642**
कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत ***Percentage of priority sector advances to total Bank Credit***				**14.6**	**42.9**	**43.6**

+ दिसम्बर 1981 के बाद से उपलब्ध आंकड़े
Data available from December 1981 onwards.

@ आंकड़े अनंतिम हैं Data are provisional.

.. अनुपलब्ध Not available.

स्रोत : 1969 के आंकड़े बैंकिंग सांख्यिकी, भारत सरकार से। उसके बाद के आंकड़े ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व से।
Source : 1969 data are from Banking Statistics, Government of India. Subsequent data are from Rural Planning and Credit Department, RBI.

जातियां/अनुसूचित जनजातियां, विभेदक ब्याज दर योजना के हिताधिकारी और शहरी निर्धनों के लिए स्वरोज़गार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण पानेवाले शामिल हैं, अग्रिम प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य और रखा गया कि प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 25 प्रतिशत अथवा कुल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत इन वर्गों को प्रदान किया जाये।

village and cottage industries, IRDP beneficiaries, scheduled castes/scheduled tribes, DRI beneficiaries and beneficiaries of loans under self-employment programme for urban poor was set at a minimum of 25 per cent of priority sector advances or. 10 per cent of total credit.

2.60 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम दिसम्बर 1985 में 7,415 करोड़ रुपये थे, जो बढ़कर दिसम्बर 1986 में 8,876 करोड़ रुपये हो गये, जो शुद्ध बैंक ऋण का 16.2 प्रतिशत थे और इस प्रकार उन्होंने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया।

2.60 The direct advances for agriculture by public sector banks rose from Rs. 7,415 crores in December 1985 to Rs. 8,876 crores in December 1986 and constituted 16.2 per cent of net bank credit, thus fulfilling the target.

2.61 कमज़ोर वर्गों को दिये गये अग्रिम दिसम्बर 1985 के अंत में कुल 4,894 करोड़ रुपये थे, जो दिसम्बर 1986 के अंत तक बढ़कर 5,890 करोड़ रुपये हो गये और इस प्रकार 10 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले वे शुद्ध बैंक ऋण के 10.8 प्रतिशत रहे।

2.61 Advances granted to weaker sections which had aggregated Rs. 4,894 crores at the end of December 1985, increased to Rs. 5,890 crores by the end of December 1986, forming 10.8 per cent of net bank credit against the target of 10 per cent.

2.62 दिसम्बर 1986 के अंत में 23,811 करोड़ रुपये के अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर बकाया थे, जिनमें से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिये गये अग्रिम 1,596 करोड़ रुपये थे और वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 6.7 प्रतिशत थे।

2.62 Of the total priority sector advances outstanding at Rs. 23,811 crores as at the end of December 1986, those granted to scheduled castes and scheduled tribes amounted to Rs. 1596 crores, forming 6.7 per cent of the priority sector advances.

2.63 लघु उद्योग क्षेत्र (जिसमें सड़क और जल परिवहन परिचालक, लघु उद्योग और औद्योगिक इस्टेट की स्थापना शामिल हैं) को दिये गये अग्रिमों के ब्यौरे दिसम्बर 1985 तक के उपलब्ध हैं। ये ब्यौरे इस वर्ष में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र पर बकाया ऋण का अधिकांश (79.1 प्रतिशत) लघु उद्योगों पर था। 1985 में अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों में 462 करोड़ रुपये (23.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। उप क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य हिताधिकारी खुदरा व्यापारी और छोटे व्यापारी आते हैं।

2.63 Details of advances granted to small-scale sector. (comprising road and water transport operators, SSI and setting up of industrial estates) are available upto December 1985; these indicate a rise of 16.8 per cent for the year. The bulk of the credit outstanding to small-scale sector was claimed by small-scale industries (79.1 per cent). Advances to other priority sectors increased by Rs. 462 crores (23.6 per cent) during 1985. Retail trade and small business were the main beneficiaries under this sub-sector.

कृषि को अग्रिम

2.64 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋण की दिसंबर 1984, 1985 और 1986 के अंत की तुलनात्मक स्थिति सारणी 2.13 में दी गयी है।

Advances to Agriculture

2.64 A comparative position of agricultural credit provided by public sector banks as at the end of December 1984, 1985 and 1986 is given in Table 2.13.

सारणी : 2.13 सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा कृषि ऋण

TABLE 2.13: Agricultural Credit by Public Sector Banks

वर्ग Category	1984		1985*		1986*	
	खाता/खाते (लाख रुपये में) A/cs. (In lakhs)	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. crores)	खाता/खाते (लाख रुपये में) A/cs (In lakhs)	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. crores)	खाता/खाते (लाख रुपये में) A/cs (In lakhs)	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. crores)
प्रत्यक्ष Direct	135	5970	149	7415	160	8876
अप्रत्यक्ष Indirect	10	1374	10	1378	9	1262
कुल Total	145	7344	159	8793	169	10,138
शुद्ध बैंक ऋण में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम का प्रतिशत % of direct agricultural advances to net bank credit		14.0		15.3		16.2

* अनंतिम आँकड़े

Data are provisional

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के कुल बकाया कृषि अग्रिमों में वर्ष 1986 में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 1985 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1986 में उधार खातों की संख्या 159 लाख से बढ़कर 169 लाख हो गयी।

वसूली की स्थिति

2.65 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत जून 1986 के अंत तक (अद्यतन उपलब्ध स्थिति) प्रतिशत 56.2 था, जबकि पिछले वर्ष यह प्रतिशत 54.2 था (सारणी 2.14)। कृषि अग्रिमों की वसूली की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर वसूली के

The total outstanding agricultural advances of all public sector banks increased by 15 per cent during 1986 as compared to 20 per cent during 1985. The number of borrowal accounts increased from 159 lakhs to 169 lakhs.

Recovery Position

2.65 The percentage of recovery to demand in respect of direct agricultural advances of public sector banks as at the end of June 1986 (latest available position) was 56.2 as against 54.2 in the previous year. (Table 2.14). With a view to improving recovery position of agricultural advances, banks were advised to launch recovery drives in association with State

प्रयास करें और नियंत्रण कार्यालयों और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढाचे को मजबूत तथा अधिक सक्रिय बनाने, उधार देने के लिए योजनाबद्ध तरीके अपनाने और उधार देने से पूर्व की मूल्यांकन पद्धति तथा उधार देने के पश्चात् निरीक्षण तकनीक को आवश्यकतानुसार सुधारने और साथ ही साथ हिताधिकारियों से लगातार संपर्क को मजबूत बनाने जैसे कारगार उपाय करें। जून 1986 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकवार वसूली 35 प्रतिशत से लेकर 69.7 प्रतिशत के बीच रही।

Government officials and take effective measures like strengthening and gearing up of the organisational structure at the controlling offices and field levels, adopting schematic approach to lending and toning up pre-lending appraisal systems and post-lending supervision techniques involving *inter alia* constant contact with the beneficiaries. Bank-wise, the recovery performance ranged from 35 per cent to 69.7 per cent for the year ended June 1986.

सारणी 2.14 : प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का वसूली कार्य

Table 2.14: Recovery Performance of Direct Agricultural Advances (करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

जून को समाप्त वर्ष Year ended June	मांग Demand	वसूली Recoveries	अतिदेय Overdues	माँग के संदर्भ में वसूली का प्रतिशत Percentage of recoveries to demand
1984	2725	1406	1319	51.6
1985	3337	1808	1529	54.2
1986*	3795	2134	1661	56.2

* अनंतिम आंकड़े

Data are provisional.

20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2.66 भारत सरकार ने अगस्त 1986 में पहले के 20-सूत्री कार्यक्रम को संशोधित किया। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 28 सरकारी बैंकों ने मार्च 1987 के अंत तक पहले के 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 162 लाख उधार खातों में 8,458 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये उनके अग्रिमों की 34.4 प्रतिशत अथवा कुल बैंक ऋण की 15.1 प्रतिशत थी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्य

2.67 निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों से भी अपेक्षा की गयी कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में उसी तरह संलग्न होंगे, जिस तरह सरकारी क्षेत्र के बैंक होते हैं। विदेशी बैंकों के मामले में, हालांकि ये शर्तें लागू नहीं है, किंतु उन्हें लघु उद्योग इकाइयों, कारोबार करने वालों और

Financial Assistance under the 20-Point Programme

2.66 The Government of India revised in August 1986, the earlier 20-Point Programme. According to the provisional data available, as at the end of March 1987, the 28 public sector banks had extended financial assistance under the former 20-Point Programme to the tune of Rs. 8,458 crores spread over 162 lakhs borrowal accounts, forming 34.4 per cent of their total priority sector advances or 15.1 per cent of total bank credit.

Performance of private sector banks in priority sector lending

2.67 Private sector commercial banks are expected to involve themselves in priority sector lending in the same way as public sector banks. In the case of foreign banks, although these stipulations are not applicable, they have been persuaded to increase their involvement in financing of

अपने रोजगार में लगे व्यक्तियों, खुदरा व्यापारियों आदि को वित्त प्रदान करने के लिए कहा गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत का लक्ष्य अभी प्राप्त करना है। इस प्रकार की श्रेणियों के अंतर्गत (जून 1986 के अंत में) राशि 942 करोड़ रुपये थी, जो कुल अग्रिमों का 37.6 प्रतिशत थी। कृषि के लिए उनके अग्रिम कुल अग्रिमों के 7.8 प्रतिशत थे। और कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिम 11 प्रतिशत थे। लघु उद्योगों तथा 'अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र' को इन बैंकों के कुल अग्रिम 705 करोड़ रुपये थे, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उनके कुल अग्रिमों का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत दर्शाते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम और विभेदक ब्याज दर अग्रिमों जैसी विशेष योजनाओं के अंतर्गत जून 1986 के अंत में अग्रिम उनके कुल अग्रिमों के क्रमशः 4.3 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत थे।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण

2.68 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण संबंधी आंकड़े जून 1985 के अंतिम शुक्रवार तक के उपलब्ध हैं और ये सारणी 2.15 में दिये गये हैं। जून 1985 में समाप्त वर्ष में मीयादी ऋण खातों की संख्या में 91 हजार की वृद्धि हुई और वह 830,000 हो गयी है। मीयादी ऋणों के अंतर्गत कुल ऋण सीमाएं जून 1985 के अंत में 15,995 करोड़ रुपये थीं, जबकि एक वर्ष पहले 13,452करोड़ रुपये थीं। बकाया मीयादी ऋणों में इस अवधि में 1,701 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 11,923 करोड़ रुपये हो गये। बकाया मीयादी ऋण जून 1985 के अंत में बकाया कुल खाद्येतर बैंक ऋण के 35.9 प्रतिशत थे, जिनकी तुलना जून 1984 के 35.0 प्रतिशत से की जा सकती है।

ऋण-जमा अनुपात

2.69 पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा (सी डी) अनुपात का झुकाव, नीतिगत उपायों के फलस्वरूप, गिरावट की ओर रहा। भारतीय

SSI units, professional and self-employed persons, retail trade, etc. The private sector banks are yet to achieve the 40 per cent priority sector target. Their advances at the end of June 1986 under such category amounting to Rs. 942 crores formed 37.6 per cent of the total advances. Their direct advances to agriculture constituted 7.8 per cent of total advances, and advances to weaker sections formed 11 per cent. Advances to SSI and 'other priority sector' advances of these banks aggregating Rs. 705 crores formed relatively a high proportion of their total priority sector advances. Their advances against special schemes such as the 20-Point Programme and DRI advances, constituted 4.3 per cent and 0.3 per cent, respectively, of their total advances as at the end of June 1986.

Term Lending by Scheduled Commercial Banks

2.68 Data on term loans of scheduled commercial banks are available as on the last Friday of June 1985 and these are presented in Table 2.15. Over the year ending June 1985, the number of term loan accounts rose by 91 thousand to 830 thousand. Credit limits under term loans aggregated Rs. 15,995 crores as at end-June 1985 as compared to Rs. 13,452 crores a year ago. Outstanding term loans rose by Rs. 1,701 crores to Rs. 11,923 crores over the same period. The outstanding term loans formed 35.9 per cent of total non-food bank credit as at the end of June 1985 which may be compared with 35.0 per cent in June 1984.

Credit-Deposit Ratio

2.69 Credit-deposit (CD) ratio of scheduled commercial banks on an all-India basis has tended to decline during the last few years in response to policy

सारणी 2.15 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण *
TABLE 2.15 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' TERM LOANS *

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को As on the last Friday of	खातों की संख्या Number of Accounts		ऋण सीमा Credit Limit		बकाया राशि Amount Outstanding			
	मियादी ऋण Term Loans	सभी खातों का जोड़ Total of all Accounts	मीयादी ऋण Term Loans	कुल बैंक ऋण Total Bank Credit	मीयादी ऋण Term Loans	कुल बैंक ऋण Total Bank Credit	खाद्येतर बैंक ऋण Non-food Bank Credit	स्तंभ 7 में स्तंभ 5 का प्रतिशत Percentage of col. 5 to col. 7
	1	2	3	4	5	6	7	8
जून June 1983	802,073 (42.6)	1882,273	9,397 (22.3)	42,050	7,507 (25.1)	29,931	26,342	28.5
जून June 1984	739,135 (55.7)	1325,806	13,452 (28.8)	46,685	10,222 (29.7)	34,428	29,190	35.0
जून June 1985	830,254 (56.4)	1473,376	15,995 (29.4)	54,361	11,923 (29.8)	39,966	33,201	35.9

* आंकड़े अनन्तिम हैं। Data are provisional

टिप्पणी : (1) इन आंकड़ों का संबंध उन खातों से है, जिनकी ऋण-सीमा 25,000 रुपये से अधिक है|

(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल मियादी ऋणों का प्रतिशत हैं।

Note: (1) Data relate to accounts with credit limit over Rs. 25,000

(2) Figures in brackets indicate percentage of term loans to total under each item.

स्रोत : सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक.

Source: Dept. of Statistical Analysis and Computer Services, RBI.

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत प्राप्त हुई विवरणियों के आधार पर ऋण-जमा अनुपात, जो कि जून 1984 के अंत में 67.5 प्रतिशत की ऊंचाई पर था, जून 1986 के अंत तक गिरकर 62.3 प्रतिशत और जून 1987 तक 59.6 प्रतिशत पर आ गया। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या समूहवार और राज्यवार ऋण-जमा अनुपात का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

ऋण-जमा अनुपात का क्षेत्रवार और राज्यवार विश्लेषण

2.70 ऋण की स्वीकृति और उपयोगिता के अनुसार क्षेत्रवार और राज्यवार ऋण-जमा अनुपात सारणी 2.15 में दिये गये हैं। इस सारणी से यह देखा जा सकता है कि जिन राज्यों में स्वीकृति और उपयोगिता के अनुसार ऋण-जमा अनुपात में असमानताएं ज्यादा थीं, वहां हाल के वर्षों में कम हुई है। इसे हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में विशेष रूप से देखा जा सकता है।

ग्रामीण और कस्बाई केन्द्रों के ऋण-जमा अनुपात

2.71 ऋण-जमा अनुपात में शहरों और गांवों में विद्यमान भारी असमानताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि वे अपनी ग्रामीण और कस्बाई शाखाओं के लिए अलग-अलग कम से कम 60 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1979 तक प्राप्त करें और निजी क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करें। इस संबंध में बैंकों द्वारा किया गया कार्य सारणी 2.17 में दिया गया है। इस सारणी से यह देखा जा सकता है कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों* की ग्रामीण शाखाओं के लिए ऋण-जमा अनुपात, निर्धारित 60 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर 1986 तक 65.3 प्रतिशत तक पहुंच

* इस खंड में विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल नहीं किया गया है, परंतु उन्हें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शामिल किया गया है।

measures. The CD ratio (based on data as per returns received under Section 42(2) of the RBI Act, 1934) which was as high as 67.5 per cent at end-June 1984 declined to 62.3 per cent at the end of June 1986 and further to 59.6 per cent by the end of June 1987. An analysis of CD ratios, population group-wise and State-wise, based on latest available data, is made below.

Region-wise and State-wise Analysis of Credit-Deposit Ratios

2.70 Region-wise and State-wise credit-deposit ratios according to sanction and utilisation of credit are given in Table 2.16. It will be seen from the Table that in respect of those States where the disparity in the CD ratios as per sanction and as per utilisation was wide, it has narrowed down in recent years. This is particularly noticeable in Haryana, Punjab, Assam, Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Karnataka.

Credit-Deposit Ratios in Rural and Semi-urban Centres

2.71 For reducing wide urban-rural disparities in the credit-deposit ratios, the Government of India had advised the public sector banks that by March 1979 they should achieve a credit-deposit ratio of at least 60 per cent in respect of their rural and semi-urban branches separately; the private sector banks were required to reach this target within a time-bound programme. Banks' performance in this regard is shown in Table 2.17. It will be seen from this Table that for the banking system as a whole the credit-deposit ratio for rural branches of all scheduled commercial banks* had reached 65.3 per cent by December 1986 as against the

*For the purpose of analysis in this section, RRBs are excluded both from public and private sector banks, but are included under all scheduled commercial banks.

गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाएं भी 60.5 प्रतिशत अनुपात प्राप्त करके लक्ष्य तक पहुंच गयीं। निजी क्षेत्र के बैंक 51.9 प्रतिशत अनुपात प्राप्त कर अभी भी लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं ने 14 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में 60 प्रतिशत से अधिक का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त किया। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र के बैंकों का उनकी कस्बाई शाखाओं के लिए ऋण-जमा अनुपात (60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में) क्रमशः 51.3 प्रतिशत और 48.1 प्रतिशत था, जो असंतोषजनक स्तर पर रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंक सिर्फ 6 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में दिसंबर 1986 के अंत तक लक्ष्य पर पहुंच पाये।

2.72 ग्रामीण और कस्बाई बैंक कार्यालयों के लिए ऋण-जमा अनुपात के आधार पर जिलों का आवृत्ति वितरण सारणी 2.18 में दिखाया गया है। जिन जिलों में ग्रामीण कार्यालयों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और उससे अधिक था, उनकी संख्या दिसंबर 1985 में 246 (कुल 435 में से) थी, जिसकी तुलना में दिसंबर 1986 तक इसमें कुछ कमी आयी और यह संख्या 245 (कुल 437 में से) रह गयी। कस्बाई कार्यालयों के मामले में जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और उससे अधिक था, उनकी संख्या उस अवधि में 7 कम होकर 141 रह गयी।

2.73 ऋण-जमा अनुपात पर आधारित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण और कस्बाई कार्यालयों के लिए राज्यवार जिलों के आवृत्ति वितरण संबंधी दिसंबर 1986 के अंतिम शुक्रवार तक के आंकड़े सारणी क्रमशः 2.19 और 2.20 में दिये गये हैं। यह देखा जा सकता है कि हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दादरा और नगर हवेली राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में बैंकों के ग्रामीण कार्यालय का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और उससे अधिक

stipulated target of 60 per cent. The rural branches of public sector banks had also reached the target with 60.5 per cent ratio. The private sector banks, with the ratio of 51.9 per cent, still remained much below the target. Rural branches of public sector banks had reached a more than 60 per cent CD ratio in as many as 14 States/Union territories. The performance of both public and private sector banks, in respect of CD ratio of their semi-urban branches, continued to remain unsatisfactory at the level of 51.3 per cent and 48.1 per cent, respectively, as against the stipulated target of 60 per-cent. Public sector banks had reached the target in only 6 States/ Union territories by the end of December 1986.

2.72 The frequency distribution of districts based on credit-deposit ratios separately for rural and semi-urban bank offices is given in Table 2.18. The number of districts having CD ratio of 60 per cent and above in respect of rural offices declined marginally from 246 (out of 435) in December 1985 to 245 (out of 437) in December 1986. As regards semi-urban offices, the number of districts having CD ratio of 60 per cent and above declined by 7 to 141 during the same period.

2.73 Data on State-wise frequency distribution of districts based on CD ratios as on the last Friday of December 1986 for rural and semi-urban offices of scheduled commercial banks are given in Table 2.19 and 2.20, respectively. It will be noticed that rural offices of banks in more than 50 per cent of the districts in the States/Union territories of Haryana, Rajasthan, Chandigarh, Assam, Manipur, Tripura, Orissa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Dadra and Nagar Haveli

सारणी 2.16: ऋण की स्वीकृति और उसके उपयोग के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात
TABLE 2.16 : CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ACCORDING TO SANCTION AND UTILISATION OF CREDIT

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को As on the last Friday of					
	जून June 1975		जून June 1984		जून June 1985	
	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
उत्तरी क्षेत्र Northern Region	**69.5**	**65.6**	**68.1**	**68.8**	**66.4**	**66.1**
हरियाणा Haryana	66.6	122.9	92.4	113.7	105.6	131.4
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	20.8	21.2	56.5	57.3	72.4	74.7
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	32.7	31.9	62.9	63.4	62.1	62.8
पंजाब Punjab	35.4	62.6	60.2	74.8	81.2	91.1
राजस्थान Rajasthan	66.9	71.6	76.2	79.1	71.2	73.5
चण्डीगढ़ Chandigarh	308.3	45.1	232.0	123.0	135.5	55.9
दिल्ली Delhi	77.7	63.6	54.6	52.0	44.0	38.5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र North-Eastern Region	**39.8**	**73.1**	**45.5**	**73.7**	**42.2**	**65.9**
असम Assam	48.1	92.0	48.7	88.3	44.9	77.1
मणिपुर Manipur	34.8	35.5	76.5	77.9	59.5	61.9
मेघालय Meghalaya	14.6	15.2	26.8	25.5	22.8	23.0
नागालैंड Nagaland	23.9	25.1	46.1	49.6	37.0	45.5
सिक्किम Sikkim	—	—	11.0	35.4	12.1	28.9
त्रिपुरा Tripura	16.3	24.1	79.3	81.9	75.9	78.2
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	7.3	53.7	26.3	35.0	22.0	33.1
मिज़ोरम Mizoram	4.1	0.8	9.2	10.5	14.8	18.8
पूर्वी क्षेत्र Eastern Region	**63.3**	**63.5**	**51.5**	**50.2**	**53.8**	**52.6**
बिहार Bihar	44.8	63.5	39.7	43.4	36.8	39.5
उड़ीसा Orissa	57.8	69.6	93.1	96.1	85.6	88.7
पश्चिम बंगाल West Bengal	70.0 (85.3)	63.1 (44.9)	51.9 (66.5)	48.0 (43.2)	57.8 (76.0)	54.3 (43.7)
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	23.5	23.9	20.5	27.6	38.8	50.3

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 2.16 : ऋण की स्वीकृति और उसके उपयोग के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (समाप्त)

TABLE 2.16 : CREDIT - DEPOSIT RATIOS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ACCORDING TO SANCTION AND UTILISATION OF CREDIT *(Concld.)*

	1	2	3	4	5	6
मध्यवर्ती क्षेत्र **Central Region**	**56.5**	**63.8**	**57.3**	**57.2**	**48.5**	**48.7**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	63.5	67.5	63.6	65.6	60.1	61.7
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	54.3	62.6	55.2	54.3	44.6	44.3
पश्चिमी क्षेत्र **Western Region**	**74.2**	**71.0**	**83.7**	**81.7**	**81.5**	**80.3**
गुजरात Gujarat	60.4	67.4	50.3	54.3	52.7	56.4
महाराष्ट्र Maharashtra	80.2 (86.0)	73.1 (64.5)	99.1 (112.7)	94.5 (96.4)	93.8 (106.0)	90.8 (92.6)
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	103.6	146.4	90.9	114.0	88.5	122.4
गोवा दमण और दीव Goa, Daman and Diu	45.0	49.1	30.6	32.6	34.4	35.5
दक्षिणी क्षेत्र **Southern Region**	**91.2**	**93.6**	**81.9**	**82.5**	**77.7**	**78.3**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	79.6	84.1	78.3	79.0	75.3	76.1
कर्नाटक Karnataka	95.6	101.1	82.9	84.7	79.5	80.9
केरल Kerala	68.7	72.2	72.9	74.0	66.9	68.4
तमिलनाडु Tamil Nadu	105.7 (117.7)	103.9 (82.2)	90.6 (107.3)	89.9 (88.0)	85.4 (97.7)	84.8 (79.2)
लक्षद्वीप Lakshadweep	7.3	19.5	15.6	15.6	21.5	18.7
पांडिचेरी Pondicherry	90.2	109.7	56.1	59.3	56.3	60.8
अखिल भारतीय **All-India**	**72.2**	**72.2**	**70.7**	**70.7**	**67.9**	**67.9**

टिप्पणी : (1) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े महत्वपूर्ण केन्द्रों से सम्बन्धित हैं।

Note: Figures in brackets relate to important metropolitan centres.

(2) 1984 और 1985 के आंकड़े अनंतिम हैं।

Data for 1984 and 1985 are provisional.

स्रोत : सारणी 2.16 से 2.20: सां.वि. और कं.से.वि., भा.रि. बैंक

Source: Tables 2.16 to 2.20: Dept. of Statistical Analysis and Computer Services, RBI.

सारणी 2.17 : जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी* और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात

TABLE 2.17 : STATE-WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF OFFICES OF PUBLIC* AND PRIVATE SECTOR SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ACCORDING TO POPULATION GROUPS

(दिसम्बर 1986 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति)
(As on the last Friday of December 1986)

(प्रतिशत) (Per cent)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	ग्रामीण Rural			अर्धशहरी Semi-urban			शहरी/महानगरीय Urban/Metropolitan			कुल Total		
	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**45.7**	**36.7**	**47.9**	**51.9**	**41.5**	**51.6**	**55.8**	**69.2**	**56.8**	**53.7**	**63.3**	**54.7**
हरियाणा Haryana	75.4	84.2	77.7	59.4	40.8	59.2	65.7	56.5	65.5	65.5	55.2	66.1
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	37.3	—	37.9	45.2	16.0	44.3	—	—	—	39.9	16.0	39.9
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	27.3	30.5	30.8	33.9	46.6	39.1	34.5	65.4	49.1	32.8	54.0	43.1
पंजाब Punjab	35.0	14.8	35.3	50.9	20.4	50.8	45.1	47.8	45.2	44.2	41.0	44.3
राजस्थान Rajasthan	76.8	64.5	84.2	54.4	44.0	53.9	67.0	60.8	66.0	64.9	56.3	65.9
चण्डीगढ़ Chandigarh	87.2	—	87.2	22.8	—	22.8	171.0	43.6	169.0	166.6	43.6	164.7
दिल्ली Delhi	25.2	21.1	25.1	12.3	—	12.3	47.7	74.1	49.8	47.3	73.7	49.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**53.6**	**44.4**	**59.7**	**34.9**	**29.1**	**35.2**	**49.9**	**41.8**	**49.5**	**44.4**	**37.2**	**45.8**
असम Assam	59.6	41.4	64.2	40.2	32.3	39.8	57.0	46.5	56.1	50.8	41.2	51.4
मणिपुर Manipur	168.9	—	163.7	111.7	—	112.3	45.7	—	46.1	67.1	—	67.8
मेघालय Meghalaya	44.0	—	45.4	24.3	60.0	25.1	24.4	13.7	23.6	27.4	17.3	27.4
नागालैंड Nagaland	43.1	—	43.4	43.6	11.8	41.8	—	—	—	43.5	11.8	42.1
सिक्किम Sikkim	40.9	—	40.9	23.5	—	23.5	—	—	—	26.3	—	26.3
त्रिपुरा Tripura	72.1	—	95.2	64.6	—	70.8	41.1	65.3	44.0	50.9	65.3	62.5
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	24.6	67.9	24.8	15.4	—	15.1	—	—	—	24.4	67.9	24.6
मिज़ोरम Mizoram	32.5	—	42.6	6.5	—	7.0	—	—	—	8.2	—	9.9
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**46.6**	**24.9**	**55.5**	**32.1**	**33.3**	**32.7**	**50.2**	**78.8**	**52.8**	**46.0**	**75.8**	**49.3**
बिहार Bihar	43.2	—	52.1	31.6	29.5	31.8	34.7	35.2	34.6	35.6	34.7	38.0
उड़ीसा Orissa	101.7	—	122.6	67.2	—	68.0	74.1	107.1	73.9	77.5	107.1	83.3
पश्चिम बंगाल West Bengal	35.5	24.9	39.8	23.6	33.6	24.5	52.7	79.7	56.0	46.9	76.6	50.3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	40.3	—	40.3	37.1	—	37.1	—	—	—	37.8	—	37.8

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 2.17:जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी* और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात (समाप्त)

TABLE 2.17 : STATE-WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF OFFICES OF PUBLIC* AND PRIVATE SECTOR SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ACCORDING TO POPULATION GROUPS *(Concld.)*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**55.5**	**33.7**	**60.5**	**47.6**	**35.8**	**46.9**	**42.2**	**53.5**	**42.6**	**46.1**	**46.2**	**47.5**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	71.1	17.8	80.1	53.5	30.2	52.3	59.3	63.1	59.2	59.5	51.7	60.9
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	50.7	33.9	54.8	45.0	36.2	44.6	36.3	52.8	37.1	41.2	45.8	42.8
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**59.0**	**63.7**	**60.8**	**49.0**	**52.9**	**49.1**	**77.6**	**89.5**	**79.0**	**71.8**	**87.5**	**73.4**
गुजरात Gujarat	57.7	—	58.5	48.3	106.9	48.3	58.9	54.6	58.9	55.7	55.1	55.8
महाराष्ट्र Maharashtra	74.6	63.7	76.5	54.9	51.0	54.6	82.1	90.0	83.2	79.8	88.1	81.0
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	66.8	—	66.8	—	—	—	—	—	—	66.8	—	66.8
गोवा दमण और दीव Goa, Daman and Diu	20.3	68.3	20.4	38.0	63.7	38.7	—	—	—	31.9	63.9	32.5
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**95.6**	**62.9**	**99.4**	**67.2**	**51.2**	**65.4**	**85.9**	**84.2**	**85.7**	**81.6**	**68.8**	**81.4**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	100.7	63.3	108.3	74.3	38.7	72.8	74.5	55.8	73.2	79.0	53.1	79.6
कर्नाटक Karnataka	98.5	54.2	105.7	82.7	49.7	79.5	83.9	68.9	82.3	86.0	62.0	85.7
केरल Kerala	63.8	56.6	70.0	48.1	52.2	50.1	81.6	70.5	79.6	60.0	57.2	61.1
तमिल नाडु Tamil Nadu	99.0	76.1	97.0	76.2	52.6	72.6	99.7	108.2	100.9	93.9	89.6	93.5
लक्षद्वीप Lakshadweep	27.8	—	27.8	—	—	—	—	—	—	27.8	—	27.8
पांडिचेरी Pondicherry	61.3	31.9	60.2	40.7	39.7	40.6	50.4	44.0	49.9	50.8	42.8	50.3
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**60.5**	**51.9**	**65.3**	**51.3**	**48.1**	**51.3**	**64.8**	**80.7**	**66.3**	**61.4**	**72.9**	**63.0**

* : सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, उसके 7 सहायक बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं।
Public sector banks comprise State Bank of India, 7 associate banks of SBI and 20 nationalised banks.

@ : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित
Including regional rural banks.

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।
Note : Data are provisional.

सारणी 2.18 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्ति वितरण

TABLE 2.18 : FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in Rupees crores)

ऋण-जमा अनुपात Credit-Deposit Ratio	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को As on the last Friday of — दिसम्बर December 1984			दिसम्बर December 1985			दिसम्बर December 1986		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां @ Deposits @	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां @ Deposits @	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां @ Deposits @	अग्रिम Advances
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण कार्यालय Rural Offices									
20% तक Upto 20%	24	757 (32)	108	24	1,109 (46)	146	20	671 (34)	103
20% से 30% तक 20% to 30%	24	754 (31)	178	26	938 (36)	228	29	1,822 (63)	431
30% से 40% तक 30% to 40%	44	1,325 (30)	464	42	1,932 (46)	681	40	2,382 (60)	850
40% से 50% तक 40% to 50%	46	1,403 (31)	625	40	1,333 (33)	598	44	1,569 (36)	698
50% से 60% तक 50% to 60%	46	1,133 (25)	615	57	1,501 (26)	824	59	2,088 (35)	1,147
60% और उससे अधिक 60% and above	246	4,322 (18)	4,352	246	5,054 (21)	5,160	245	5,843 (24)	6,158
कुल Total	**430**	**9,694**	**6,342**	**435**	**11,867**	**7,637**	**437**	**14,375**	**9,387**
अर्ध शहरी कार्यालय Semi-urban Offices									
20% तक Upto 20%	20	1,260 (63)	212	20	1,527 (76)	259	23	2,203 (96)	362
20% से 30% तक 20% to 30%	44	1,701 (39)	417	50	2,079 (42)	514	49	2,181 (45)	538
30% से 40% तक 30% to 40%	54	1,739 (32)	610	57	2,768 (49)	997	65	3,510 (54)	1,263
40% से 50% तक 40% to 50%	73	3,267 (45)	1,443	68	3,256 (48)	1,470	73	3,693 (51)	1,650
50% से 60% तक 50% to 60%	56	2,460 (44)	1,338	54	2,468 (46)	1,337	50	2,909 (58)	1,571
60% और उससे अधिक 60% and above	143	5,340 (37)	4,319	148	5,987 (40)	4,813	141	6,907 (49)	5,601
जोड़ Total	**390**	**15,767**	**8,339**	**397**	**18,085**	**9,390**	**401**	**21,403**	**10,985**

@: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक आकार वर्ग के अंतर्गत प्रति जिला जमा राशियां दर्शाते हैं।
Figures in brackets indicate amount of deposits per district under each size class.

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं
Note : Data are provisional.

रहा। कस्बाई कार्यालयों के मामले में हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में ऋण-जमा अनुपात दिसंबर 1986 में 60 प्रतिशत और उससे अधिक रहा।

had CD ratios of 60 per cent and above. In the case of semi-urban offices, more than 50 per cent of the districts in Haryana, Manipur, Tripura, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu had CD ratios of 60 per cent and above in December 1986.

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य-परिणाम

2.74 79 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 1984 और 1985 के लिए कार्य-परिणाम संबंधी आंकड़े सारणी 2.21 में दिये गये हैं। इन बैंकों के कुल लाभ 1985 में 123.6 करोड़ रुपये थे, जो पिछले वर्ष से 29.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक समूह के मामले में लाभ पिछले वर्ष की 8.3 प्रतिशत की तुलना में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य भी बेहतर रहा है और उनके लाभों में 1984 में 2 प्रतिशत की कमी हुई थी, जिसकी तुलना में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने पिछले वर्ष की 27 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 36.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। विदेशी बैंकों ने 32.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है, जो पिछले वर्ष की 40.9 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। 1985 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल कमाई में 1,646 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कुल व्यय में 1,618 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। ब्याज और भुनाई से होनेवाली आय में 1,509 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी, जबकि जमाराशियों और उधारों पर चुकाये गये ब्याज की राशि में 1,098 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। स्थापना व्यय में 1984 के 493.6 करोड़ रुपये की तुलना में 1985 में 349.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

Working Results of Scheduled Commercial Banks

2.74 Data relating to the working results of 79 scheduled commercial banks for 1984 and 1985 are given in Table 2.21. The aggregate profits of these banks in 1985 amounted to Rs. 123.6 crores recording an increase of 29.2 per cent over the previous year. In the case of the State Bank group the profits recorded an increase of 34.8 per cent as against 8.3 per cent in the previous year. The performance of the 20 nationalised banks was also better with profits recording a rise of 22.3 per cent as against a decline of 2 per cent in 1984. The private sector Indian scheduled commercial banks recorded an increase in profits by 36.2 per cent as against 27 per cent in the previous year. Foreign banks recorded a growth rate of 32.1 per cent which was lower than the 40.9 per cent increase shown in the previous year. During 1985, the total earnings of all scheduled commercial banks recorded an increase of Rs.1,646 crores. Total expenditure rose by Rs.1,618 crores. Income from interest and discount rose by Rs.1,509 crores while interest paid on deposits and borrowings went up by Rs.1,098 crores. Establishment expenses increased by Rs.349.7 crores in 1985 as against Rs.493.6 crores in 1984.

2.75 सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा लिये गये कुछ निर्णयों के परिणामस्वरूप बैंकों ने 1986 के दौरान अपनी लाभप्रदता में और सुधार किया। इस प्रकार, सरकारी प्रतिभूतियों पर कूपन दरें पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्रमिक

2.75 As a result of certain decisions taken by Government and the Reserve Bank, banks have further improved their profitability during 1986. Thus, the coupon rates on Government securities have been

सारणी 2.19 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर
TABLE 2.19: STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT

(दिसम्बर 1986 के
(As on the last Friday of

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratio)								
	20% तक Upto 20%			20%-30%			30%-40%		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र Northern Region	**7**	**347,13**	**54,62**	**10**	**851,11**	**196,06**	**8**	**675,80**	**239,76**
हरियाणा Haryana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1	52,19	10,05	4	205,24	48,63	4	112,73	42,14
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	4	39,14	5,61	4	124,75	30,95	—	—	—
पंजाब Punjab	2	255,80	38,96	1	394,15	84,67	4	563,07	197,62
राजस्थान Rajasthan	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली Delhi	—	—	—	1	126,97	31,81	—	—	—
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र North-Eastern Region	**7**	**51,28**	**9,07**	**4**	**22,96**	**5,33**	**6**	**30,21**	**10,31**
असम Assam	1	26,66	5,20	1	10,43	2,11	—	—	—
मणिपुर Manipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड Nagaland	1	1,74	30	1	2,39	65	1	503	159
सिक्किम Sikkim	—	—	—	1	5,34	1,60	—	—	—
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	5	22,88	3,57	1	4,80	97	4	22,99	8,04
मिजोरम Mizoram	—	—	—	—	—	—	1	2,19	68

आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK OFFICES IN RURAL CENTRES

अंतिम शुक्रवार को)
December 1986)

(राशि लाख रुपयों में) (Amount in Lakhs of Rupees)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratio) 40%-50%			50%-60%			60% से अधिक 60% and above			जोड़ Total		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उत्तरी क्षेत्र Northern Region	**8**	**204,26**	**92,56**	**8**	**297,21**	**163,54**	**38**	**910,49**	**828,35**	**79**	**3286,00**	**1574,90**
हरियाणा Haryana	1	69,94	33,76	2	72,03	38,46	9	275,15	252,06	12	417,12	324,28
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1	22,36	9,01	—	—	—	2	54,83	59,58	12	447,36	169,41
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	5	88,60	38,68	1	11,51	5,98	—	—	—	14	263,99	81,23
पंजाब Punjab	—	—	—	2	145,52	82,09	3	157,78	131,37	12	1516,31	534,72
राजस्थान Rajasthan	1	23,37	11,10	3	68,15	37,01	23	407,49	372,06	27	499,01	420,17
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	—	—	—	1	15,24	13,29	1	15,24	13,29
दिल्ली Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	126,97	31,81
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र North-Eastern Region	**7**	**30,00**	**13,34**	**10**	**121,37**	**65,14**	**23**	**138,33**	**132,02**	**57**	**394,16**	**235,21**
असम Assam	—	—	—	5	108,58	57,97	10	97,03	90,50	17	242,70	155,78
मणिपुर Manipur	—	—	—	—	—	—	8	4,60	7,53	8	4,60	7,53
मेघालय Meghalaya	4	22,16	9,72	1	2,64	1,52	—	—	—	5	24,79	11,25
नागालैंड Nagaland	—	—	—	3	8,28	4,54	1	2,09	1,39	7	19,53	8,48
सिक्किम Sikkim	1	71	33	1	1,88	1,11	1	1,00	62	4	8,93	3,65
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	—	—	—	3	33,61	31,98	3	33,61	31,98
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	50,67	12,58
मिजोरम Mizoram	2	7,14	3,29	—	—	—	—	—	—	3	9,33	3,97

(जारी) *Contd......*

सारणी 2.19: ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर

TABLE 2.19: STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT

(दिसम्बर 1986 के
(As on the last Friday of

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र Eastern Region	**1**	**72,73**	**12,18**	**5**	**362,81**	**92,95**	**11**	**740,64**	**258,97**
बिहार Bihar	1	72,73	12,18	1	61,69	15,20	8	411,64	143,55
उड़ीसा Orissa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल West Bengal	—	—	—	4	301,12	77,75	2	324,71	113,76
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—	1	4,29	1,66
मध्यवर्ती क्षेत्र Central Region	**3**	**73,25**	**11,89**	**5**	**231,31**	**60,62**	**9**	**530,64**	**189,35**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	—	—	—	1	47,80	11,25	2	61,88	20,96
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	3	73,25	11,89	4	183,51	49,37	7	468,76	168,39
पश्चिमी क्षेत्र Western Region	**2**	**126,39**	**15,35**	**2**	**336,84**	**72,38**	**5**	**323,18**	**121,86**
गुजरात Gujarat	1	112,87	14,06	—	—	—	3	213,33	81,50
महाराष्ट्र Maharashtra	—	—	—	1	64,00	15,20	2	109,85	40,35
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा दमण और दीव Goa, Daman and Diu	1	13,52	1,29	1	272,84	57,17	—	—	—
दक्षिणी क्षेत्र Southern Region	**—**	**—**	**—**	**3**	**16,60**	**4,22**	**1**	**82,11**	**29,30**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	—	—	—	—	—	—	1	82,11	29,30
कर्नाटक Karnataka	—	—	—	—	—	—	—	—	—
केरल Kerala	—	—	—	1	5,51	1,24	—	—	—
तमिल नाडु Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	—	—	1	3,85	1,07	—	—	—
पांडिचेरी Pondicherry	—	—	—	1	7,25	1,91	—	—	—
अखिल भारतीय All-India	**20**	**670,78**	**103,10**	**29**	**1821,62**	**431,56**	**40**	**2382,58**	**849,55**

टिप्पणी : आँकड़े अनंतिम हैं।
Note: Data are provisional.

आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (समाप्त)
RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK OFFICES IN RURAL CENTRES *(Concld.)*

अंतिम शुक्रवार को)
December 1986)

(राशि लाख रुपयों में) (Amount in Lakhs of Rupees)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
पूर्वी क्षेत्र Eastern Region	**11**	**327,06**	**148,54**	**11**	**406,80**	**218,66**	**29**	**524,79**	**620,21**	**68**	**2434,84**	**1351,51**
बिहार Bihar	7	213,66	96,71	7	174,28	93,70	14	220,12	239,67	38	1154,14	601,01
उड़ीसा Orissa	1	24,77	11,87	—	—	—	12	265,53	343,99	13	290,30	355,86
पश्चिम बंगाल West Bengal	2	87,46	39,42	4	232,52	124,96	3	39,14	36,55	15	984,95	392,45
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	1	1,17	54	—	—	—	—	—	—	2	5,46	2,20
मध्यवर्ती क्षेत्र Central Region	**9**	**488,47**	**212,12**	**21**	**770,42**	**414,51**	**55**	**924,18**	**936,51**	**102**	**3018,28**	**1824,99**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	—	—	—	8	158,79	85,42	34	406,86	423,41	45	675,34	541,04
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	9	488,47	212,12	13	611,64	329,09	21	517,32	513,10	57	2342,94	1283,95
पश्चिमी क्षेत्र Western Region	**7**	**405,18**	**182,58**	**4**	**146,89**	**83,08**	**31**	**761,74**	**800,68**	**51**	**2100,24**	**1275,91**
गुजरात Gujarat	6	307,15	140,61	1	29,78	17,62	8	277,11	296,21	19	940,23	550,00
महाराष्ट्र Maharashtra	1	98,04	41,96	3	117,12	65,46	22	478,45	500,34	29	867,46	663,33
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	1	6,18	4,13	1	6,18	4,13
गोवा दमण और दीव Goa, Daman and Diu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	286,36	58,46
दक्षिणी क्षेत्र Southern Region	**2**	**113,89**	**48,78**	**5**	**344,99**	**202,06**	**69**	**2584,03**	**2839,73**	**80**	**3141,62**	**3124,09**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	—	—	—	—	—	—	22	980,18	1121,13	23	1062,28	1150,43
कर्नाटक Karnataka	—	—	—	1	222,34	131,44	19	646,45	786,80	20	868,78	918,24
केरल Kerala	2	113,89	48,78	3	119,67	69,13	8	155,71	157,33	14	394,78	276,48
तमिल नाडु Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	19	785,89	762,21	19	785,89	762,21
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,85	1,07
पांडिचेरी Pondicherry	—	—	—	1	2,98	1,49	1	15,80	12,27	3	26,03	15,67
अखिल भारतीय All-India	**44**	**1568,88**	**697,91**	**59**	**2087,69**	**1146,99**	**245**	**5843,56**	**6157,50**	**437**	**14,375,12**	**9386,61**

टिप्पणी : आँकड़े अनंतिम हैं।
Note: Data are provisional.

सारणी 2.20:अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर
TABLE 2.20 STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT

(दिसम्बर 1986 के
(As on the last Friday of

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र REGION/STATE/ UNION TERRITORY	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratio)								
	20% तक Upto 20%			20%-30%			30%-40%		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No.of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**3**	**320,53**	**42,09**	**10**	**558,80**	**137,65**	**13**	**603,95**	**216,75**
हरियाणा Haryana	—	—	—	—	—	—	1	99,98	39,95
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	—	—	—	2	31,48	7,62	2	44,37	15,38
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	1	7,62	61	1	22,28	6,43	2	55,64	19,82
पंजाब Punjab	1	273,90	36,68	2	405,12	99,41	2	146,78	55,00
राजस्थान Rajasthan	—	—	—	4	86,37	21,11	6	257,18	86,61
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	1	13,55	3,09	—	—	—
दिल्ली Delhi	1	39,00	4,81	—	—	—	—	—	—
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**3**	**105,86**	**7,13**	**8**	**150,55**	**39,46**	**8**	**186,11**	**67,21**
असम Assam	—	—	—	2	66,94	18,91	8	186,11	67,21
मणिपुर Manipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय Meghalaya	—	—	—	3	28,69	7,20	—	—	—
नागालैंड Nagaland	1	2,44	28	1	5,77	1,71	—	—	—
सिक्कीम Sikkim	—	—	—	1	46,28	10,89	—	—	—
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	1	1,39	21	—	—	—	—	—	—
मिजोरम Mizoram	1	102,03	6,63	1	2,87	75	—	—	—
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**11**	**967,36**	**179,51**	**17**	**908,99**	**220,20**	**11**	**498,83**	**162,99**
बिहार Bihar	4	163,96	25,84	12	521,27	124,16	8	411,99	135,02
उड़ीसा Orissa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल West Bengal	7	803,40	153,67	5	387,72	96,04	1	66,86	20,55
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—	2	19,98	7,42

आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण
RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES

अंतिम शुक्रवार को)
December 1986)

(राशि लाख रुपयों में) (Amount in lakhs of Rupees)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र REGION/STATE/ UNION TERRITORY	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratio) 40%-50%			50%-60%			60% और अधिक 60% and above			जोड़ Total		
	जिलों की संख्या No. of Dis-tricts	जमाराशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces	जिलों की संख्या No. of Dis-tricts	जमाराशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces	जिलों की संख्या No. of Dis-tricts	जमाराशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces	जिलों की संख्या No. of Dis-tricts	जमाराशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**10**	**381,81**	**178,33**	**8**	**607,94**	**327,52**	**25**	**1110,08**	**947,48**	**69**	**3583,10**	**1849,82**
हरियाणा Haryana	3	102,55	47,60	1	43,41	24,98	7	373,09	253,86	12	619,02	366.39
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1	10,48	5,14	1	108,08	54,11	1	18,04	11,88	7	212,44	94,11
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	2	10,71	4,86	-	-	-	3	14,06	11;45	9	110,32	43,16
पंजाब Punjab	1	140,03	69,57	2	384,40	208,87	4	461,59	450,19	12	1811,81	919,71
राजस्थान Rajasthan	3	118,04	51,17	4	72,06	39,57	10	243,30	220,10	27	776,95	418,56
चण्डीगढ़ Chandigarh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13,55	3,09
दिल्ली Delhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39,00	4,81
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**5**	**255,77**	**116,80**	**3**	**27,54**	**14,82**	**7**	**18,02**	**16,08**	**34**	**743,85**	**261,51**
असम Assam	4	186,03	86,21	2	20,48	10,68	1	4	3	17	459,60	183,04
मणिपुर Manipur	-	-	-	-	-	-	4	5,93	6,66	4	5,93	6,66
मेघालय Meghalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28,69	7,20
नागालैंड Nagaland	1	69,73	30,59	-	-	-	-	-	-	3	77,95	32,59
सिक्कीम Sikkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46,28	10,89
त्रिपुरा Tripura	-	-	-	1	7,06	4,14	2	12,05	9,39	3	19,12	13,54
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,39	21
मिजोरम Mizoram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104,90	7,39
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**9**	**221,37**	**99,46**	**8**	**224,00**	**118,47**	**13**	**349,92**	**256,28**	**69**	**3170,48**	**1036,90**
बिहार Bihar	4	102,62	45,42	6	129,17	68,40	4	76,88	47,59	38	1405,88	446,43
उड़ीसा Orissa	3	57,52	26,57	2	94,83	50,07	8	204,08	165,85	13	356,43	242,49
पश्चिम बंगाल West Bengal	2	61,23	27,47	-	-	-	1	68,97	42,84	16	1388,18	340,57
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19,98	7,42

(जारी) (Contd.)

सारणी 2.20:अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर
TABLE 2.20: STATE WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT

(दिसम्बर 1986 के
(As on the last Friday of

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**4**	**97,39**	**16,85**	**10**	**376,95**	**94,49**	**27**	**986,33**	**351,44**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	1	43,70	7,88	2	48,59	13,37	13	282,64	100,36
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	3	53,69	8,97	8	328,35	81,12	14	703,68	251,07
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**1**	**298,59**	**49,26**	**3**	**183,88**	**45,59**	**4**	**1003,68**	**376,03**
गुजरात Gujarat	1	298,59	49,26	—	—	—	1	343,71	123,34
महाराष्ट्र Maharashtra	—	—	—	3	183,88	45,59	2	116,64	42,80
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा दमण और दीव Goa, Daman and Diu	—	—	—	—	—	—	1	543,33	209,89
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**1**	**413,57**	**66,82**	**1**	**2,04**	**51**	**2**	**231,27**	**88,85**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	—	—	—	1	2,04	51	—	—	—
कर्नाटक Karnataka	—	—	—	—	—	—	—	—	—
केरल Kerala	1	413,57	66,82	—	—	—	1	212,85	81,88
तमिलनाडु Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी Pondicherry	—	—	—	—	—	—	1	18,42	6,97
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**23**	**2203,30**	**361,65**	**49**	**2181,21**	**537,89**	**65**	**3510,17**	**1263,27**

टिप्पणी : आँकड़े अनंतिम हैं।
Data are provisional.

आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (समाप्त)
RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES (Concld.)

अंतिम शुक्रवार को)
December 1986)

(राशि लाख रुपयों में) (Amount in lakhs of Rupees)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**27**	**1105,03**	**485,24**	**11**	**436,18**	**240,85**	**22**	**634,46**	**518,33**	**101**	**3636,33**	**1707,19**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	8	175,03	76,62	6	200,76	110,51	15	373,43	279,21	45	1124,15	587,96
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	19	930,01	408,62	5	235,42	130,34	7	261,03	239,12	56	2512,18	1119,24
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**11**	**510,85**	**231,03**	**9**	**506,09**	**272,08**	**21**	**1089,72**	**789,17**	**49**	**3592,80**	**1763,16**
गुजरात Gujarat	4	213,71	93,55	4	356,49	190,40	8	533,22	386,09	18	1745,72	842,64
महाराष्ट्र Maharashtra	6	286,15	132,80	5	149,60	81,68	13	556,50	403,09	29	1292,77	705,95
दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा दमण और दीव Goa, Damah and Diu	1	10,98	4,67	-	-	-	-	-	-	2	554,32	214,56
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**11**	**1218,08**	**539,42**	**11**	**1106,91**	**597,44**	**53**	**3705,15**	**3073,29**	**79**	**6677,02**	**4366,33**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	3	239,26	107,59	3	150,66	82,77	16	1097,84	893,14	23	1489,80	1084,03
कर्नाटक Karnataka	2	101,23	49,30	-	-	-	18	973,91	804,92	20	1075,13	854,22
केरल Kerala	3	745,38	324,84	3	578,89	318,62	6	557,30	477,83	14	2508,00	1269,98
तमिल नाडु Tamil Nadu	2	131,49	57,39	4	374,16	194,23	13	1076,10	897,40	19	1581,75	1149,02
लक्षद्वीप Lakshadweep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी Pondicherry	1	73	30	1	3,19	1,82	-	-	-	3	22,34	9,08
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**73**	**3692,91**	**1650,29**	**50**	**2908,65**	**1571,18**	**141**	**6907,34**	**5600,62**	**401**	**21403,59**	**10984,91**

सारणी 2.21 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणाम
TABLE 2.21: WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

वर्ष Year	स्टेट बैंक समूह (8) State Bank group (8)		राष्ट्रीयकृत बैंक (20) Nationalised banks (20)		अन्य भारतीय बैंक (31) Other Indian banks (31)		विदेशी बैंक (20)£ Foreign banks (20)£		कुल (79) Total (79)	
	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I कुल प्राप्तियां Total Earnings	**2783.29** (22.2)	**3279.74** (17.8)	**5303.17** (25.3)	**6309.57** (19.0)	**451.57** (21.4)	**493.05** (9.1)	**384.90** (28.5)	**486.27** (26.3)	**8922.93** (24.3)	**10,568.63** (18.4)
उनमें से Of which:										
ब्याज और बट्टा Interest and Discount	2435.61 (22.1)	2891.84 (18.7)	4979.98 (26.3)	5908.38 (18.6)	408.09 (20.6)	452.36 (10.8)	324.21 (33.0)	404.28 (24.7)	8147.89 (25.0)	9656.86 (18.5)
II कुल व्यय Total Expenditure	**2757.96** (22.3)	**3245.60** (17.7)	**5265.66** (25.6)	**6263.68** (18.9)	**446.35** (21.3)	**485.94** (8.9)	**357.33** (27.7)	**449.86** (25.9)	**8827.30** (24.4)	**10,445.08** (18.3)
उसमें से Of which:										
(क) जमाराशियों, उधारों, आदि पर अदा किया गया ब्याज (a) Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.	1810.27 (19.5)	2105.35 (16.3)	3577.97 (24.3)	4298.46 (20.1)	268.35 (21.7)	297.14 (10.7)	183.60 (40.7)	237.38 (29.3)	5840.19 (23.1)	6938.33 (18.8)
(ख) कर्मचारियों को अदा किये गये वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और बोनस/अनुग्रह की राशि (b) Salaries, Allowances, Provident Fund and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	683.63 (30.8)	826.43 (20.9)	1211.84 (32.3)	1401.34 (15.6)	127.42 (27.3)	136.03 (6.8)	54.93 (19.9)	63.68 (15.9)	2077.82 (31.2)	2427.48 (16.8)
III कराधान और कर्मचारियों को अदा किये जानेवाले बोनस/अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान करने के बाद लाभ-राशि Profit after provision for taxation and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	**25.33** (8.3)	**34.14** (34.8)	**37.51** (−2.0)	**45.89** (22.3)	**5.22** (27.0)	**7.11** (36.2)	**27.57** (40.9)	**36.41** (32.1)	**95.63** (12.1)	**123.55** (29.2)

£ : एक विदेशी बैंक के संबंध में दिये गये आंकड़े 31 अक्तूबर 1985 की स्थिति को दर्शाते हैं।
Data in respect of one foreign bank pertain to its position as on October 31, 1985.

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी (−) दर्शाते हैं।
Note: Figures in brackets indicate percentage increase/decrease (−) over the previous year.

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।
Source: Dept. of Banking Operations and Development, RBI.

रूप से बढ़ गयी हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा अपने पास रखी जानेवाली बैंकों की प्रारक्षित नकदी पर देय ब्याज में वृद्धि और बैंकों द्वारा खाद्य वसूली ऋण पर प्राप्त ब्याज में वृद्धि से बैंकों को अपनी कमाई में वृद्धि करने में सहायता मिली है। सर्विस प्रभार भी बढ़ा दिये म्ये हैं। इसके अलावा, कार्य योजना (एक्शन प्लान) के अंतर्गत, ऋण प्रबंध को पुनः सुदृढ़ करने तथा ऊपर उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियों के स्तर में सुधार के लिए बैंकों द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से भी लाभप्रदता में सुधार किये गये विभिन्न उपायों से भी लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

2.76 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान दो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये, एक आंध्रप्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में और इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 हो गयी। एक वर्ष पहले के 342 जिलों की तुलना में जून 1987 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत 350 जिले हो गये थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालयों की संख्या की राज्यवार स्थिति सारणी 2.22 में दी गयी है। उससे यह देखा जा सकता है कि दिसंबर 1986 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 12,838 शाखाएं थीं जो पिछले वर्ष की संख्या में 232 शाखाओं की वृद्धि दर्शाती है।

शाखा विस्तार कार्यक्रम

2.77 शाखा विस्तार कार्यक्रम 1985-1990 की पांच वर्ष की अवधि (सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ सह-समापन) के लिए नयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति के आधार पर जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत अपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गयी है, विशेष रूप से जहाँ पहचान योग्य स्थानिक अंतराल हो। आवश्यकता, स्थानिक अंतराल और प्रस्तावित शाखाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर ही इस विस्तार की अनुमति दी जायेगी। पहचाने गये केन्द्रों द्वारा व्याप्त जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आबंटन को प्राथमिकता दिया जाना जारी रहेगा।

progressively stepped up during the last few years. The rise in interest payable by the Reserve Bank on cash reserves of banks held with it and increase in interest received on food procurement credit by banks have helped them to increase their earnings. Service charges have also been raised. Besides, various measures taken by the banks under the Action Plans for revamping credit management and improving the quality of loan assets, mentioned earlier, have also contributed to the improvement in profitability.

Regional Rural Banks

Progress of RRBs

2.76 During 1986-87 (July-June) 2 more RRBs were set up, one each in Andhra Pradesh and Uttar Pradesh taking the total number of RRBs to 196. RRBs covered 350 districts as at the end of June 1987 as against 342 districts a year ago. The State-wise position of number of offices of RRBs is given in Table 2.22. It may be seen therefrom that RRBs had 12,838 branches at the end of December 1986 showing an increase of 232 branches over the previous year.

Branch Expansion Programme

2.77 The branch expansion programme will continue on the basis of the new branch licensing policy for the five year period 1985-90 (co-terminus with the Seventh Five-Year Plan) which envisages provision of banking facilities in deficient rural areas, especially where identifiable spatial gaps exist. The expansion will be allowed taking into account the need, spatial gaps and financial viability of the proposed branches. Priority will continue to be given to RRBs in allotment of identified centres in districts covered by them.

सारणी 2.22: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य-वार कार्यालय
TABLE 2.22: STATE-WISE OFFICES OF REGIONAL RURAL BANKS

राज्य/संघशासित क्षेत्र State/ Union Territory	30 जून 1987 को क्षे. ग्रा. बैंकों की सं. No. of RRBs as on June 30, 1987	30 जून 1987 को शामिल जिलों की संख्या No. of districts covered as on June 30, 1987	31 दिसंबर 1986 को शामिल शाखाओं की सं. No. of branches as on December 31, 1986
1. आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	16	22	1,010
2. असम Assam	5	12	322
3. बिहार Bihar	22	37	1,775
4. गुजरात Gujarat	9	17	307
5. हरियाणा Haryana	4	9	220
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	2	4	92
7. जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	3	10	261
8. कर्नाटक Karnataka	13	20	980
9. केरल Kerala	2	5	262
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	24	44	1,440
11. महाराष्ट्र Maharashtra	10	17	456
12. मणिपुर Manipur	1	8	23
13. मेघालय Meghalaya	1	3	41
14. नागालैंड Nagaland	1	7	8
15. उड़ीसा Orissa	9	13	778
16. पंजाब Punjab	5	10	115
17. राजस्थान Rajasthan	14	27	962
18. तमिलनाडु Tamil Nadu	3	6	156
19. त्रिपुरा Tripura	1	3	77
20. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	40	54	2,787
21. पश्चिम बंगाल West Bengal	9	15	718
22. अरूणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	1	4	15
23. मिज़ोरम Mizoram	1	3	33
जोड़ Total	196	350	12,838

स्रोत : नाबार्ड
Source: NABARD.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य

2.78 जून 1987 के अंत में सूचना देने वाले 194 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः 1809 करोड़ रुपये और 1897 करोड़ रुपये थे, जबकि एक वर्ष पूर्व ये राशियाँ क्रमशः 1431 करोड़ रुपये और 1538 करोड़ रुपये थी (192 सूचना देनेवाले बैंक)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया प्रत्यक्ष अग्रिमों का अलग-अलग प्रयोजन वार ब्योरा नीचे दिया गया है:

प्रयोजन	राशि (करोड़ रुपये)
अल्पावधि (फसल ऋण)	332
कृषि गतिविधियों के लिए मीयादी ऋण	376
संबद्ध गतिविधियां	297
ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग	108
खुदरा व्यापार और स्वनियोजित आदि	476
उपभोक्ता ऋण	16
अन्य प्रयोजन	143
कुल :	1748

कमजोर तबकों को दिये गये कुल अग्रिम कुल प्रत्यक्ष अग्रिमों के 92 प्रतिशत थे। इसी अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष अग्रिमों की राशि 37 करोड़ रुपये थी, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कमजोर तबकों के लिए रखा गया। 1986 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7,84,145 खातों में कुल 200 करोड़ रुपये के अग्रिम थे।

नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधाएं

2.79 केळकर समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर अल्पावधि और गैर-योजनाबद्ध मध्यावधि ऋणों के लिए एक संशोधित पुनर्वित्त फार्मूला तैयार किया गया था। तदनुसार, पहली मार्च 1987 से अल्पावधि और गैर-योजनाबद्ध मध्यावधि ऋणों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान क्रमशः 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत होना था।

Operations of RRBs

2.78 As at the end of June 1987, deposits and advances of 194 reporting RRBs were Rs.1,809 crores and Rs.1,897 crores as compared with Rs.1,431 crores and Rs.1,538 crores (192 reporting banks), respectively, a year ago. Details of purpose-wise break-up of outstanding direct advances of RRBs are available upto December 1986 which are given below:

Purpose	Amount (Rs.crores)
Short-term (crop loans)	332
Term loans for agricultural activities	376
Allied activities	297
Rural artisans, village and cottage industries	108
Retail trade and self-employed, etc.	476
Consumption loans	16
Other purposes	143
Total	1,748

The aggregate advances to the weaker sections constituted 92 per cent of the total direct advances. Indirect advances during the same period amounted to Rs.37 crores of which a sizeable portion was provided to the weaker sections. The advances by RRBs under IRDP during 1986 aggregated Rs.200 crores in 7,84,145 accounts.

Refinance facilities from NABARD

2.79 On the basis of the recommendations of the Working Group on RRBs, a modified refinance formula was evolved for short-term and non-schematic medium-term loans. Accordingly, with effect from March 1, 1987, the involvement of the RRBs in short-term and non-schematic medium-term loans was to be 30 per cent and 20 per

दोनों ऋणों में प्रायोजक बैंकों का योगदान 20 प्रतिशत होना चाहिए। पुनर्वित्त में नाबार्ड का योगदान अल्पावधि ऋण के लिये 50 प्रतिशत और गैर-योजनाबद्ध उधार के लिए 60 प्रतिशत होगा। प्रायोजक बैंकों द्वारा पुनर्वित्त पर वसूल किये जानेवाले ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत अंक घटाकर 7.0 प्रतिशत कर दी गयी। वाणिज्य बैंकों पर लागू शर्तों पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजनाबद्ध पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। हाल ही में नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिवर्तन सुविधाएं प्रदान की हैं। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूखा,अकाल अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से,अंतिम उधारकर्ता के स्तर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किये गये अल्पावधि फसल ऋणों के 70 प्रतिशत तक मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण मंजूर करेगा। प्रायोजक बैंकों से 25 प्रतिशत परिवर्तन ऋण मंजूर करने की अपेक्षा की जाती है। शेष 5 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वयं अपने संसाधनों से वहन करना होगा।

2.80 1986-87 के दौरान नाबार्ड ने कुल मिलाकर 226.9 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा 145 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और 122 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 80.3 करोड़ रुपये तक की मध्यावधि ऋण (गैर-योजनाबद्ध) सीमाएं मंजूर कीं। जून 1987 के अंत में इन सीमाओं के खिलाफ बकाया राशियां 207.2 करोड़ रुपये और 192.8 करोड़ रुपये थीं। 1986-87 के दौरान नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहली बार 8.0 करोड़ रुपये के मध्यावधि परिवर्तन ऋण मंजूर किये। जून 1987 के अंत में परिवर्तन ऋणों के अंतर्गत बकाया राशि 7.3 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1.0 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं भी मंजूर की गयी थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नाबार्ड से दीर्घावधि पुनर्वित्त का लाभ भी उठाया है। मार्च 1987 के अंत में 726.1 करोड़ रुपये की नाबार्ड की वचनबद्धता वाली 2,058 योजनाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर की गयी थीं और उस तारीख को आहरण 609.6 करोड़ रुपये के थे।

cent, respectively. The involvement of sponsor banks in both the loans should be 20 per cent. NABARD's involvement in refinance would be 50 per cent for short-term credit and 60 per cent for non-schematic lending. The interest charged on refinance by sponsor banks was reduced by 1.5 percentage points to 7.0 per cent. RRBs are eligible for schematic refinance on the same terms and conditions as applicable to commercial banks. Recently, NABARD has extended conversion facilities to RRBs in cases of occurrence of drought, famine or other natural calamities. NABARD will sanction medium-term (conversion) loans to RRBs to the extent of 70 per cent of the short-term crop loans converted into medium-term loans by the RRBs, at the ultimate borrowers' level. The sponsor banks are expected to sanction 25 per cent of conversion loans. The remaining 5 per cent will be borne by RRBs out of their resources.

2.80 During 1986-87 NABARD sanctioned short-term limits aggregating Rs.226.9 crores to 145 RRBs and medium-term (non-schematic) limits to the extent of Rs.80.3 crores to 122 RRBs. The outstandings against these limits were Rs.207.2 crores and Rs.192.8 crores, respectively, as at the end of June 1987. For the first time NABARD sanctioned medium-term conversion loans of Rs.8.0 crores to the RRBs during 1986-87. The outstandings under conversion loans stood at Rs.7.3 crores as at the end of June 1987. Short-term loan limits of Rs.1.0 crore were also sanctioned to 2 RRBs under the National Oilseeds Development project. The RRBs have also availed of long-term refinance from NABARD. As at the end of March 1987, 2,058 schemes involving NABARD's commitment of Rs.726.1 crores were sanctioned to RRBs and drawals amounted to Rs.609.6 crores as on that date.

प्रायोजक बैंकों से पुनर्वित्त

2.81 प्रायोजक बैंकों से क्षेत्रीय बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राशि पिछले वर्ष के दौरान के 208.5 करोड़ रुपये की तुलना में दिसंबर 1986 के अंत में 246.9 करोड़ रुपये थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी दल

2.82 पिछले कुछ वर्षों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए श्री एस.एम. केळकर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया, ताकि उनके संगठनात्मक ढ़ाचे को मजबूत बनाने और उनकी समग्र क्षमताओं में सुधार लाने के लिए समुचित उपायों का पता लगाया जा सके। कार्यकारी दल ने, जिसने जून 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, सिफारिश की कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी रखा जाए और उनके कार्यों में प्रायोजक बैंकों का और अधिक योगदान हो। कार्यकारी दल की प्रमुख सिफारिशें जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और जिनका या तो अनुपालन कर लिया गया है अथवा वे अनुपालन के विभिन्न चरणों में हैं, निम्नानुसार हैं (क) सक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और जारी की गयी पूंजी 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कर दी जाये, (ख) प्रायोजक बैंकों को चाहिए कि वे अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपालन की अपेक्षाओं के लिए चालू खाते में रखी गयी जमाराशियों का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसी जमाराशियों पर उच्चतर दर पर प्रतिलाभ दिया जा सके। (ग) नाबार्ड को चाहिए कि वह प्रस्तावित प्रतिबंध हटा दे, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण-जमा अनुपात कम करके 100 प्रतिशत करने की अपेक्षा की गयी हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संसाधन स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबार में कमी आएगी तथा कमजोर तबकों के लिए ऋण की उपलब्धता प्रतिबंधित हो जायेगी। (घ) प्रायोजक बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर देनी चाहिए। (ङ) जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गैर-लक्ष्य समूहों को उधार देने पर प्रतिबंधों को जारी रखा जाए, उनको इस बात की

Refinance from sponsor banks

2.81 The amount of refinance availed of by RRBs from the sponsor banks was Rs.246.9 crores as at the end of December 1986 as against Rs.208.5 crores during the previous year.

Working Group on RRBs

2.82 A Working Group under the Chairmanship of Shri S.M. Kelkar was constituted to review the various aspects of the working of RRBs for the past few years so as to identify appropriate measures for strengthening their organisational structure and improving their overall capabilities. The Working Group which submitted its report in June 1986, recommended the continuance of RRBs and greater involvement of sponsor banks in their functioning. The major recommendations of the Working Group which have been accepted by the Government and which are either complied with or are under various stages of compliance are as under: a) in order to improve viability, the authorised share capital of RRBs may be raised from Rs.1 crore to Rs.5 crores and issued capital from Rs.25 lakhs to Rs.1 crore. b) sponsor banks should invest in Government securities the deposits kept by RRBs sponsored by them in current account for SLR requirement so as to give the RRBs a higher rate of return on such deposits. c) NABARD should remove the proposed restriction which would require RRBs to bring down the CD ratio to 100 per cent as this would adversely affect the resources position of RRBs and lead to lower level of business for them and restrict availability of credit to the weaker sections. d) the sponsor banks should reduce the rate of interest on refinance from 8.5 per cent to 7 per cent. e) while the restrictions on lending by RRBs to non-target groups may continue to be

अनुमति दी जाए कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों, स्थानीय निकायों और आवास बोर्डों जैसी चुनिन्दा संस्थाओं को ऋण दे सकें। किन्तु, नाबार्ड ने सुझाव दिया है कि ऐसे ऋण आर्थिक दृष्टि से सक्षम संस्थाओं को ही और केवल उत्पादक प्रयोजनों के वास्ते दिये जाने चाहिए। (च) सामान्यतः यह वांछित है कि शाखाओं पर बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्याप्ति केवल 2 जिलों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसी के साथ यह भी उचित होगा कि छोटे और अलाभकर क्षेत्रीय बैंकों का विलयन कर लिया जाये। मुख्यतः वास्तविक आवश्कता के आधार पर उपेक्षित क्षेत्र और विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

विशेष ऋण योजनाएं/सुविधाएं

ऋण प्राधिकरण योजना

2.83 मुद्रा बाजार के बारे में नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर बिल वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए मार्च 1987 में कुछ उपाय घोषित किये गये थे जो संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :

2.84 नकद ऋण सुविधाओं के अंतर्गत वित्तपोषित प्राप्यों का अनुपात निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में, ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक की कुल कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, 1 अप्रैल 1988 से ऐसे उधारकर्ता को उसके बही ऋणों पर मंजूर की गयी सीमा अंतर्देशीय ऋण बिक्री के वित्तपोषण के लिए उसे मंजूर कुल सीमाओं के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष ऋण अपेक्षाओं का वित्तपोषण मांग/मीयादी बिलों के जरिये किया जा सकता है। ऐसी पार्टियों के मामले में जहां प्राप्य वित्तपोषण का अनुपात पहले से ही 75 प्रतिशत से कम है, बैंकों को सूचित किया गया कि वे नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अंतर्गत प्राप्य वित्तपोषण के अनुपात में वृद्धि की अनुमति न दें।

2.85 तदर्थ बिल सीमा मंजूर करने के लिए बैंकों को

maintained, they may be allowed to provide credit to select institutions such as SC/ST corporations, local bodies and housing boards. NABARD, however, has suggested that such loans should be given only to financially sound institutions and for production purposes alone. f) it is normally desirable to restrict the coverage of RRBs to 2 districts for better supervision and control of branches. At the same time it would be advisable to merge small and uneconomic RRBs. Establishment of new RRBs should primarily be considered on the basis of genuine need to serve a neglected area and particularly the tribal population.

Special Credit Schemes/Facilities

Credit Authorisation Scheme

2.83 Based on the recommendations made by the Working Group on the Money Market, some measures to promote bill financing were announced in March 1987 which are briefly set out below.

2.84 *Proportion of receivables financed under the cash credit facilities:* In the case of borrowers who enjoy aggregate working capital facilities exceeding the cut-off point under the Credit Authorisation Scheme (CAS), both in the private and public sectors, with effect from April 1, 1988, the limit sanctioned against book debts should not be more than 75 per cent of the aggregate limits sanctioned to such a borrower for financing his inland credit sales. The remaining credit requirement could be financed through demand/usance bills. In the case of parties where the proportion of receivables financing is already less than 75 per cent, the banks were advised not to permit an increase in the proportion of receivables financing under the cash credit/overdraft facilities.

2.85 *Discretionary power to banks to*

विवेकाधीन अधिकार : बैंकों के पास पहले से ही निहित विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त, कार्यों के मान में वृद्धि की स्थिति में बिल सुविधा के उपयोग के प्रोत्साहन के रूप में 1 अप्रैल 1987 से 1 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन 3 महीनों की अवधि के लिए वर्तमान बिल सीमा के 10 प्रतिशत तक की एक अलग अंतर्देशीय बिल सीमा की बैंकों को अनुमति दी गयी है। पहली जुलाई 1987 को समग्र सीमा और बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक कर दी गयी है।

2.86 उधार खरीद के वास्ते बिल स्वीकृतियों पर शर्त : 1 अप्रैल 1988 तक सभी ऋण प्राधिकरण योजना उधारकर्ताओं को अंतर्देशीय उधार खरीद के वास्ते बिल स्वीकृतियों का अनुपात 25 प्रतिशत कर देना है। ऐसे मामलों में जहां यह अनुपात निर्धारित स्तर से कम है, बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों को सूचित करें कि वे निर्धारित अनुपात की प्राप्ति के लिए क्रमशः प्रयत्नशील हों।

ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य

2.87 ऐसी पार्टियों की संख्या, जिनके लिए ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना था, जून 1986 के अंत के 598 से बढ़कर जून 1987 के अंत में 644 हो गयी। जून 1987 के अंत में लागू कुल सीमाएं 21,067 करोड़ रुपये थीं, जबकि एक वर्ष पूर्व वे 21,434 करोड़ रुपये थीं। सीमाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अंश जून 1987 के अंत में कुल का 62.9 प्रतिशत था। जून 1987 के अंत में कुल लागू सीमाओं का सुविधावार वितरण स्वरूप कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए 93.3 प्रतिशत (बैंकिंग ऋण और बिलों सहित), 5.6 प्रतिशत मीयादी वित्त के लिए और 1.1 प्रतिशत आस्थगित अदायगी आधार पर मशीनरी की बिक्री के लिए था।

2.88 क्रियाकलापवार, इंजीनियरिंग उद्योग का अंश 12.3 प्रतिशत, उसके बाद रसायन विनिर्माण और रसायन उत्पाद (9.2 प्रतिशत) और सूती वस्त्रोद्योग का अंश (6.0 प्रतिशत) था। कुल मिलाकर उद्योग में लगी राशि

sanction ad hoc bills limit: In addition to the discretionary powers already vested with banks, as an incentive to use the bill facility in the event of an increase in the scale of operations, a separate inland bill limit up to 10 per cent of the existing bill limit for a period of 3 months subject to a ceiling of Rs.1 crore was allowed to banks effective April 1, 1987. The overall limit was further raised to Rs.2 crores on July 1, 1987.

2.86 *Stipulation on bill acceptances to Credit purchases:* All CAS borrowers were required to attain a ratio of bill acceptances to inland credit purchases of 25 per cent by April 1, 1988. In cases where this ratio was below the stipulated level, banks should advise their constituents to progressively move towards the attainment of the stipulated ratio.

Working of CAS

2.87 The number of parties in whose cases prior authorisation from RBI under the credit authorisation scheme (CAS) is required, increased to 644 by the end of June 1987 from 598 at the end of June 1986. The total limits in force amounted to Rs.21,067 crores as at the end of June 1987, as compared to Rs.21,434 crores a year ago. The share of public sector undertakings in the total limits at the end of June 1987 was 62.9 per cent. The facility-wise distribution pattern of the total limits in force, as at the end of June 1987 was 93.3 per cent for working capital purposes (including packing credits and bills), 5.6 per cent for term finance and 1.1 per cent for sale of machinery on deferred payment basis.

2.88 Activity-wise, the share of engineering industry was 12.3 per cent followed by manufacture of chemicals and chemical products (9.2 per cent) and

10,945 करोड़ रुपये अथवा कुल कार्यशील पूंजी सीमाओं की 55.7 प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में 12,721 करोड़ रुपये की कुल कार्यशील पूंजी में से व्यापार का अंश 62.2 प्रतिशत (उसमें से 46.7 प्रतिशत खाद्य वसूली के लिए और 7.0 प्रतिशत उर्वरक वितरण के लिए था), इंजीनियरिंग उद्योग का 7.1 प्रतिशत, पेट्रोलियम उद्योग का 5.4 प्रतिशत और बिजली उत्पादन तथा वितरण का अंश 2.5 प्रतिशत था।

2.89 जून 1987 में ऋण प्राधिकरण योजना की समीक्षा करने पर यह पता लगा कि जहां ऋण प्राधिकरण योजना से बड़े पैमाने पर वित्तीय अनुशासन आया है, अनेक पार्टियों द्वारा उसका अनुपालन अभी तक अपेक्षा से कम था। ऋण सीमाओं की मंजूरी और उनके वितरण में होनेवाले विलंब को कम करने के उद्देश्य से और विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करने वालों तथा अन्य उधारकर्ताओं को इस प्रकार के अनुपालन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करनेवालों को समुचित प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि ऐसी पार्टियों को जो कुल मिलाकर निर्धारित अनुशासन का अनुपालन करती हैं अनुपालन न करनेवाली पार्टियों से अलग गिना जाये।

2.90 तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि 1 जुलाई 1987 से ऐसे बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में जो (i) 1.33:1 के न्यूनतम चालू अनुपात की अपेक्षावाली उधार की दूसरी विधि का अनुपालन करते हैं, (ii) निर्धारित त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं और (iii) निर्धारित मानदण्डों/पिछले स्तरों पर अथवा उनके भीतर स्टॉक/प्राप्यों के स्तरों को रखते हैं, उन्हें बैंक रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ही अतिरिक्त ऋण सीमाओं की राशि जारी कर सकते हैं। दूसरे; ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जो (i) और (ii) पर दिये गये अनुशासनों का अनुपालन करते हैं किन्तु स्टॉक और प्राप्यों के मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करते हैं बैंकों को यह विवेकाधिकार होंगा कि वे मानदंडों में 20 प्रतिशत तक की छूट दे सकें। ऐसे मामले भी, बढ़ी हुई ऋण सीमाओं के पूर्वानुमोदन के लिए

cotton textiles (6.0 per cent). Industry as a whole accounted for Rs.10,945 crores or 55.7 per cent of total working capital limits. Of the total working capital limits of Rs.12,721 crores in respect of public sector, trading accounted for 62.2 per cent (of which 46.7 per cent was for food procurement and 7.0 per cent for fertiliser distribution), engineering industry 7.1 per cent, petroleum industry 5.4 per cent and generation and distribution of electricity 2.5 per cent.

2.89 A review of credit authorisation scheme made in June 1987 showed that while the CAS had brought about a large measure of financial discipline, compliance therewith by many parties was still below expectations. With the objective of reducing delays in the sanction and disbursement of credit limits and in order to provide suitable incentives to those who comply with the various requirements as well as to encourage other borrowers to move towards such compliance, it was decided that parties who broadly comply with the prescribed discipline should be treated differently from those who do not.

2.90 Accordingly, it was decided that effective July 1, 1987, in respect of larger borrowers who (i) comply with the second method of lending requiring a minimum current ratio of 1.33:1, (ii) submit regularly the prescribed quarterly statements and (iii) maintain levels of inventory/receivables within or at the prescribed norms/past levels, banks can release the entire amount of additional sanctioned limits without the Reserve Bank's prior authorisation. Secondly, in the case of borrowers who comply with the disciplines at (i) and (ii) but do not fully comply with inventory and receivables norms, banks will have the discretion of relaxing the norms upto 20 per cent. Such

रिज़र्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन निर्णयों से यह आशा की जा सकती है कि रिज़र्व बैंक को भेजे जानेवाले ऋण प्राधिकरण योजना के मामलों में लगभग 35 प्रतिशत तक की कमी हो जायेगी।

2.91 जहां ऐसे मामले हैं, जिन्हें अभी भी रिज़र्व बैंक को भेजा जाना है, बैंकों द्वारा तीन महीने तक अस्थायी सहायता की वर्तमान सीमा बाद में बढ़ाकर वर्तमान पैकिंग ऋण सीमाओं की 25 प्रतिशत तक और वर्तमान कार्यशील पूंजी (बैंकिंग ऋण को छोड़कर) के 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है, किन्तु वह अब तक की 2 करोड़ रुपये के स्थान पर 4 करोड़ रुपये की समग्र उच्चतम सीमा के अधीन होगी।

2.92 इसके बाद रिज़र्व बैंक उसके पूर्व प्राधिकरण के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों पर संबंधित प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर अपना निर्णय देगा। बड़ी ऋण सीमाओं के लिए प्रस्तावों को हाथ में लेने के वास्ते बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी मशीनरी को तैयार कर लें ताकि उन पर निर्णय करने में अनुचित विलम्ब न हों।

रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान

2.93 एहतियाती, सुधारक, उपचारात्मक और अन्य उपाय जिनकी रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में आवश्यकता होती है, निर्धारित करने के लिए तथा इस तरह निर्धारित किये गये उपायों के तेजी से प्रवर्तन के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 के अनुसार 12 जनवरी 1987 से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई। 15 मई 1987 से बोर्ड ने कार्य आरंभ किया। रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में इसके पास व्यापक अधिकारी हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ, उनकी पुनःस्थापना, प्रबंधतंत्र में परिवर्तन अथवा उसको अपने हाथ में लेना, ब्याज अथवा अंशधारकों के अधिकारों में कमी करके शेयर पूंजी की पुनःरचना सहित उनका पुनः निर्माण, अन्य कंपनी के साथ समामेलन और औद्योगिक प्रतिष्ठान के किसी भाग अथवा संपूर्ण को बेचना

cases also need not be referred to the Reserve Bank for prior approval of enhanced credit limits. These decisions are expected to reduce the number of CAS cases to be referred to the Reserve Bank by about 35 per cent.

2.91 Where cases have still to be referred to the Reserve Bank, the existing limit for temporary accommodation by banks upto three months has been raised substantially upto a level not exceeding 25 per cent of the existing packing credit limits and 10 per cent of the existing working capital (other than packing credit) limits, subject to an overall ceiling of Rs.4 crores, as against Rs.2 crores hitherto.

2.92 The Reserve Bank would hereafter give its decision on all proposals received for its prior authorisation within one month from the date of receipt of the relative proposal. Banks were advised to gear up their machinery for handling proposals for larger credit limits so that decisions thereon are taken without undue delay.

Sick Industrial Undertakings

2.93 The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) came into effect from January 12, 1987 in terms of Sec.4 read with Sec.6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 for determining the preventive, ameliorative, remedial and other measures which need to be taken in respect of sick industrial companies and for the expeditious enforcement of the measures so determined. The Board has started functioning from May 15, 1987. It has wide ranging powers with regard to sick industrial companies including, *inter alia* their revival, change or take-over of management, reconstruction including restructuring of share capital by reduction of the interest or rights of the

अथवा पट्टे (लीज) पर देना और उसे बंद कर देना भी शामिल हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत यथास्वीकृत पुनः स्थापना योजनाएं सभी संबंधितों पर बाध्यकर होंगी।

2.94 फरवरी और अगस्त 1987 में बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किये गये, जिनमें उन्हें उनके द्वारा सहायताप्राप्त इकाइयों के संबंध में की जानेवाली अपेक्षित कार्रवाई सूचित की गयी। बैंकों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के खातों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रस्तुत करनी थी एवं उसकी एक प्रति भा.रि.बैंक को भेजनी थी :

(i) ऐसे मामले जहां वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। (ii) ऐसे मामले जहां सक्षमता अध्ययन पूरा हो चुका है। (iii) ऐसे मामले जहां सक्षमता अध्ययन अभी तक किया जाना है और (iv) ऐसे मामले जहां पुनरूद्धार के प्रयत्न निष्फल हो गये हैं और वह इकाई अक्षम मान ली गयी है। उनसे यह भी कहा गया कि वे उक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कंपनियों द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी संगठनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समुचित रूप से तैयार कर लें, और अपने कार्यपालकों को आवश्यक अधिकार प्रदान करें,ताकि समय पर किये गये निर्णय एवं प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया में रुकावट न आ पाये।

2.95 जून 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा रुग्ण इकाइयों के रूप में पहचानी गयी इकाइयों की संख्या 1,30,606 थी, जिन पर बकाया बैंक ऋण की राशि 4665 करोड़ रुपये थी (कुल बैंक ऋण का 8.4 प्रतिशत)। उनमें से 689 बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां (1 करोड़ रुपये और अधिक की ऋण सीमा का लाभ उठाने वाली) थीं। जिन पर बकाया बैंक ऋण की राशि 3,239 करोड़ रुपये थी। उनमें से 598

shareholders, amalgamation with another company and sale or lease of a part or whole of the industrial undertaking, as also their winding up. The schemes of rehabilitation as sanctioned under the orders of the BIFR would be binding on all concerned.

2.94 Detailed instructions were issued to banks in February and August 1987 advising them of the action required to be taken by them in respect of units assisted by them. The banks were to report to BIFR with a copy endorsed to the RBI, the position with respect to the accounts of sick industrial companies under the following heads: i) cases where a programme of rehabilitation as approved by financial institutions and the RBI is being implemented; ii) cases where viability studies have been completed but preparation of rehabilitation programme is in progress; iii) cases where viability studies are yet to be undertaken; and iv) cases where efforts at revival have failed and the unit was considered as non-viable. They were also asked to ensure reporting by the companies to the BIFR in terms of Section 23 of the Act. Banks were advised to suitably gear up their organisational and administrative arrangements and to vest their executives with the necessary powers so that the process of finalisation of the schemes would not be held up for want of timely decisions or effective follow-up.

2.95 According to the latest data available as at end-June 1986, the total number of units identified by banks as sick stood at 1,30,606 with outstanding bank credit of Rs.4,665 crores (8.4 per cent of total bank credit). Of these, there were 689 large sick industrial units (enjoying credit limit of Rs.1 crore and above) with aggregate outstanding bank credit of Rs.3,239 crores. Out of these, viability

इकाइयों के संबंध में सक्षमता अध्ययन पूरे हो चुके थे। सक्षम मानी गयी 374 इकाइयों में से 230 इकाइयों को बैंकों द्वारा नर्सिंग कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था। जून 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार 1,28,687 रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां थीं, जिनमें 1,184 करोड़ रुपये का बैंक वित्त फँसा हुआ था। उनमें से 13,028 इकाइयों को बैंकों द्वारा सक्षमता की संभावना वाला माना गया और 2,656 इकाइयों को पोषण के अंतर्गत लिया गया।

बागान के लिए ऋण

2.96 परम्परागत बागान (अर्थात चाय, कॉफी, रबड़ और मसाले) के लिए दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में गिने जाने के पात्र नहीं थे। अप्रैल 1987 में यह निर्णय किया गया कि 5 एकड़ से अनधिक भूमिधारिता वाले छोटे भूमिधारकों को जिनके पास स्वयं की प्रोसेसिंग इकाइयां नहीं हैं, दिये गये ऐसे अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के भाग के रूप में कृषि अग्रिमों की तरह वर्गीकृत किया जाये।

स्वर्ण आभूषणों और ज्वैलरी पर अग्रिम

2.97 भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, स्वर्ण आभूषणों और ज्वैलरी पर अग्रिम सामान्यतया 5,000 रुपये से अधिक नहीं होते थे। साहूकारी अधिनियमों को कड़ा करने और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम तथा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप ऐसे छोटे उधारकर्ता जो सामान्यतया निजी वित्तपोषकों के पास सोने के आभूषण गिरवी रखकर अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने में कठिनाई होगी। उधारकर्ताओं को सूदखोर साहूकारों और बिचौलियों के चंगुल से छुड़ाने की दृष्टि से सोने के आभूषणों और अन्य जेवरातों पर दिये जाने वाले अन्य अग्रिमों (जैसे डाक्टरी खर्च और अप्रत्याशित देयताओं को पूरा करना) की उच्चतम सीमा 5000 रु. से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी।

भारत में रहकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले "निर्धन विद्यार्थियों" को अग्रिम

2.98 भारत में रहकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले "निर्धन विद्यार्थियों" को दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों के संबंध में परिवार की वार्षिक आय की सीमा को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।

studies in respect of 598 units were completed. Of the 374 units considered as viable, 230 units were put under nursing programme by the banks. As at the end of June 1986 there were 1,28,687 sick small-scale industrial units involving bank finance of Rs.1,184 crores. Of these,13,028 units were considered by banks as potentially viable and 2,656 units were brought under the nursing programme.

Loans for Plantations

2.96 Short-term loans for traditional plantations (i.e. tea, coffee, rubber and spices) were not eligible to be treated as priority sector lending. It was decided in April 1987 that such advances to small holders with land holdings of not more than 5 acres and who do not have their own processing units, may be classified as agricultural advances as part of priority sector lending.

Advances against Gold Ornaments and Jewellery

2.97 In terms of the earlier RBI guidelines, bank advances against gold ornaments and jewellery were not normally to exceed Rs.5,000. Consequent upon tightening up of the Money Lenders Acts and strict enforcement of the provisions of RBI Act and Banking Laws (Amendment) Act, 1983, the small borrowers, who normally meet their immediate requirements by pledging gold ornaments with private financiers would find it difficult to get their demands satisfied. With a view to weaning away the borrowers from usurious money-lenders and middlemen, the ceiling for 'other' advances (such as for medical expenses and meeting unforeseen liabilities) against gold ornaments and other jewellery was raised from Rs.5,000 to Rs.10,000.

Advances to "indigent students" for higher studies in India

2.98 The annual family income limit in respect of bank advances to "indigent students" for the purpose of prosecuting higher studies in India was raised from Rs.6,000 to Rs.12,000.

विभेदक ब्याज दर योजना

2.99 दिसंबर 1986 के साथ समाप्त हुए वर्ष के दौरान विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण खातों की संख्या में 4.79 लाख की वृद्धि हुई जिससे वे बढ़कर 47.97 लाख हो गये और ऋण की बकाया राशि में 75 करोड़ रुपये की वृद्धि होने से वे 561 करोड़ रुपये हो गये। प्रति खाता ऋण की औसत राशि 1,072 रुपये से बढ़कर 1,169 रुपये हो गयी। दिसंबर 1986 में विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम दिसंबर 1985 के अंत में उनके कुल अग्रिमों के 1.2 प्रतिशत थे दिसंबर 1986 में 561 करोड़ रुपये के विभेदक ब्याज दर अग्रिमों में से अनुसूचित जाति/जनजाति को मंजूर किये गये अग्रिमों की राशि 282 करोड़ रुपये थी, जो कुल विभेदक ब्याज दर अग्रिमों की 50.3 प्रतिशत थी। विभेदक ब्याज दर योजना के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करने और उनमें यदि कोई संशोधन आवश्यक समझे जाये तो सुझाव देने तथा निधियों के रि-साइकलिंग में सुधार के उपाय सुझाने के लिए अप्रैल 1983 में विभेदक ब्याज दर योजना पर भारत सरकार ने एक कार्यदल नियुक्त किया था। उसकी सिफारिशों पर किये गये और बैंकों को सूचित किये गये मुख्य निर्णय निम्न प्रकार हैं :

(i) यह योजना अपने वर्तमान रूप में 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर जारी रहेगी।

(ii) इस योजना के लाभ केवल उन उधारकर्ताओं को उपलब्ध होंगे जिन्हें केंद्र/राज्य सरकारों और राज्यों के स्वामित्व वाले निगमों की किसी भी उपदान (सबसीडी) संबद्ध योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंड के भीतर सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(iii) सहायता के लिए पात्रता हेतु उधारकर्ताओं की पारिवारिक वार्षिक आय की उच्चतम सीमा बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपये कर दी गयी (पहले यह उच्चतम सीमा, क्रमशः 2,000 रुपये और 3,000 रुपये थी)।

Differential Rate of Interest Scheme

2.99 During the year ended December 1986, the number of loan accounts in public sector banks under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme rose by 4.79 lakhs to 47.97 lakhs and the amount of loans outstanding by Rs.75 crores to Rs.561 crores. The average amount of loan per account increased from Rs.1,072 to Rs.1,169. The public sector banks' advances under DRI Scheme in December 1986 formed 1.2 per cent of their total advances as at the end of December 1985. Of the outstanding DRI advances of Rs.561 crores in December 1986, those granted to SCs/STs amounted to Rs.282 crores, forming 50.3 per cent of the total DRI advances. The Government of India had set up a Task Force on DRI scheme in April 1983 to go into the various provisions of the scheme and suggest modifications, if any, considered necessary, as also measures to improve recycling of funds. The main decisions taken on its recommendations and communicated to banks are given below:

(i) The scheme as in the existing form will continue at the interest rate of 4 per cent.

(ii) The benefits of the scheme will be available only to the borrowers who are not assisted within the prescribed eligibility criteria, under any of the subsidy linked schemes of Central / State Governments and State-owned corporations.

(iii) The ceiling of annual family income of borrowers for eligibility for assistance, was raised to Rs.6,400 in rural areas and Rs.7,200 in urban and semi-urban areas (the previous ceiling being Rs.2,000 and Rs.3,000 respectively).

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के वास्ते स्व-रोजगार योजना

2.100 1983-84 में लागू की गयी यह योजना 1986-87 और सातवीं योजना के शेष वर्षों तक के लिए बढ़ा दी गयी है। 1986-87 के दौरान सहायता दिये जाने के लिए हिताधिकारियों की संख्या पिछले वर्षों जितनी ही, अर्थात 2.50 लाख निर्धारित की गयी थी। वर्ष के दौरान मंजूर किये गये मामलों में व्यापार जोखिम का अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना था और औद्योगिक जोखिम का अनुपात 50 प्रतिशत से कम नहीं होना था। किन्तु अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में छूट दी गयी थी, जिनके मामले में औद्योगिक जोखिमों का न्यूनतम अनुपात 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया था और व्यापार जोखिमों के लिए कोई उच्च अधिकतम सीमा नहीं थी। 1986-87 से, आइ.टी.आइ. प्रशिक्षित उम्मीदवार भी औद्योगिक सेवा जोखिमों के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हिताधिकारियों के लिए 30 प्रतिशत का एक उप लक्ष्य, हिताधिकारियों की पारिवारिक आय पर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की उच्चतम सीमा और ओद्योगिक जोखिमों के लिए प्रति हिताधिकारी ऋण की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये से 35,000 रुपये किया जाना और व्यापार क्षेत्र के लिए ऋण-सीमा को घटाकर 25,000 रुपये से 15,000 रुपये किया जाना, 1986-87 से इस योजना में लागू किये गये अतिरिक्त संशोधन थे।

2.101 1985-86 के दौरान, बैंकों ने इस योजना के अंतर्गत 2.50 लाख हिताधिकारियों के लक्ष्य के बजाय 2.21 लाख हिताधिकारियों को 430 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये। 1986-87 के वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 2.19 लाख हिताधिकारियों को कुल 455 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी।

Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth

2.100 This scheme introduced in 1983-84 has been extended to 1986-87 and the remaining years of the Seventh Plan. The number of beneficiaries to be assisted during 1986-87 was fixed at 2.50 lakhs, same as in the previous years. The proportion of industrial ventures was to be not less than 50 per cent and that for business ventures not more than 30 per cent of the cases sanctioned during the year. However, relaxation was made in respect of hilly areas of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura in whose case, the minimum proportion of industrial ventures was fixed at 30 per cent with no upper ceiling for business ventures. From 1986-87, ITI trained candidates were also eligible for assistance under the scheme for industrial service ventures. A sub target of 30 per cent for SC/ST beneficiaries, a ceiling on family income of beneficiaries of Rs.10,000 per annum, enhancement of limit of loan per beneficiary for industrial ventures from Rs.25,000 to Rs.35,000 and reduction of loan limit for business ventures from Rs. 25,000 to Rs.15,000 were the additional modifications introduced in the scheme from 1986-87.

2.101 During 1985-86 banks sanctioned loans amounting to Rs.430 crores to 2.21 lakh beneficiaries under the scheme against the target of 2.50 lakh beneficiaries. During the financial year 1986-87, as per provisional data available, an aggregate amount of Rs.455 crores was sanctioned to 2.19 lakh beneficiaries.

2.102 ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों को वाणिज्य बैंकों ने भारी संख्या में रद्द कर दिया है, लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित स्थिति का प्रायोजित आवेदनों की संख्या की तुलना में गहराई से विश्लेषण करने, ऋण आवेदनों को लौटाये जाने/रद्द किये जाने के कारणों का पता लगाये जाने इत्यादि की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम

2.103 1986-87 के दौरान, सितंबर 1986 से भारत सरकार ने शहरी गरीबों के वास्ते एक नया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है और इसमें वे सभी शहर/कस्बे शामिल किये गये हैं जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिये गये और जिनकी आबादी 10,000 (1981 की जनगणना) से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत प्रति 300 की आबादी पर एक हिताधिकारी को सहायता दी जानी है और यह कार्यक्रम सरकारी बैंकों की चुनिन्दा शाखाओं द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल पारिवारिक आय 600 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है, सहायता के पात्र हैं और चयन हिताधिकारियों को, प्रति परिवार 5,000 रुपये से अनधिक की राशि उपलब्ध होती है। उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार मार्च 1987 तक 3.21 लाख हिताधिकारियों को कुल 109 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये गये।

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

2.104 जुलाई 1986 में बैंकों को यह परामर्श दिया गया कि वे कुछ निश्चित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, नव बौद्ध और जोराष्ट्रीयन्स को पर्याप्त ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कदम उठायें। इसके लिए जो कदम बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं : इस प्रयोजन के लिए एक अलग कक्ष की स्थापना, प्रगति की आवधिक समीक्षा और 40 चुने हुए जिलों में इस कार्यक्रम का पर्याप्त प्रचार।

2.102 Following reports that commercial banks had rejected a large number of loan applications under the scheme, a study seeking to analyse in depth the position regarding achievement of targets *vis-a-vis* the number of applications sponsored, reasons for the return/rejection of loan applications, etc. was conducted by the RBI. The Study Report is under scrutiny.

Self-Employment Programme for Urban Poor

2.103 During 1986-87, Government of India introduced a new poverty alleviation programme for urban poor with effect from September 1986. The scheme envisages provision of self-employment opportunities to urban poor and covers all cities/towns with a population exceeding 10,000 (1981 census) and which are not covered under IRDP. One beneficiary for every 300 population is to be assisted under the scheme and the programme is implemented through select branches of public sector banks. Persons whose total family income is not more than Rs.600 per month are eligible for assistance and assistance not exceeding Rs.5,000 per family is available to the selected beneficiaries. According to provisional data available, 3.21 lakh beneficiaries were sanctioned loans aggregating Rs.109 crores upto March 1987.

Advances to Minority Communities

2.104 Banks were advised in July 1986 to take certain steps to ensure adequate credit flow to certain identified minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Neo Budhists and Zoroastrians. The steps indicated are: the setting up of a separate cell for the purpose, periodical reviews of progress and adequate publicity for the programme in the 40 identified districts.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2.105 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं योजना में 200 लाख परिवारों को सहायता पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है (इसमें लगभग 100 लाख अनुपूरक सहायता वाले छठी योजना के हिताधिकारी हैं)। 1986-87 के दौरान 35 लाख परिवारों का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से, 20.40 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जा चुकी है और 14.60 लाख नये हिताधिकारी हैं। इसके विपरीत, वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान 37.40 परिवारों को सहायता दी गयी थी जिसमें से 16.80 लाख परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। महिला हिताधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने हैं, क्योंकि उनकी संख्या कुल की केवल 15 प्रतिशत है। 1986-87 के दौरान उपलब्ध कराये गये मीयादी ऋणों की कुल राशि 998 करोड़ रुपये थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण में हुई प्रगति से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

मद	अप्रैल-मार्च		
	1984-85	1985-86	1986-87
राज्य के अंश को मिलाकर कुल खर्च (करोड़ रुपये)	472.20	441.10	604.37
वितरित मीयादी ऋण (करोड़ रुपये)	857.48	730.15	997.78
सहायताप्राप्त परिवारों की संख्या (लाख)	39.82	30.61	37.41
सहायताप्राप्त अनु. जाति/अनु. जनजाति परिवारों की संख्या (लाख)	17.38	13.23	16.82

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

2.106 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को दिये जाने वाले ऋण और निविष्टियों तथा आस्तियों की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था की जांच करने

Integrated Rural Development Programme

2.105 Under the integrated rural development programme the Seventh Plan envisages a target of assisting 20 million families (including about 10 million of the Sixth Plan beneficiaries with supplemental assistance). A target of 3.5 million families was envisaged during 1986-87. Of this, 2.04 million were already assisted under the programme and 1.46 million were the new beneficiaries. Against this, during the year (April-March) 3.74 million families were assisted of which 1.68 million families belonged to SC/ST. Steps are being taken to improve the coverage of women beneficiaries who formed only 15 per cent of the total. The term credit made available during 1986-87 aggregated Rs.998 crores. Data regarding progress in financing under IRDP are given below.

Item	April-March		
	1984-85	1985-86	1986-87
Total expenditure including state share (Rs.crores)	472.20	441.10	604.37
Term credit disbursed (Rs.crores)	857.48	730.15	997.78
No. of families assisted (lakhs)	39.82	30.61	37.41
No. of SC/ST families assisted (lakhs)	17.38	13.23	16.82

Source: Ministry of Agriculture, Government of India.

2.106 Mention was made in last year's Report about a study group set up by the Reserve Bank in November 1985 to examine the existing position and make

तथा उसे कारगर बनाने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नवम्बर 1985 में नियुक्त अध्ययन दल के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। यह पाया गया कि अंतरिम रिपोर्ट में अनुशंसित नकद वितरण की नयी प्रणाली सभी खंडों में समान रूप से सफल नहीं रही है। खंड (ब्लॉक) की स्थिति, कार्यान्वयन एजेन्सियों का सक्रिय सहयोग तथा हिताधिकारियों की जानकारी के स्तर की समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नकद सहायता के उचित उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सुनिश्चित करने की कठिनाई कि सम्पूर्ण राशि का उपयोग उधारकर्ता द्वारा केवल परिसंपत्ति प्राप्त करने पर ही किया गया है, इसका दोष है। किन्तु इस योजना से, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गयी है और परिसंपत्ति मदें चुनने की उधारकर्ताओं को आजादी मिल गयी है। समिति ने सितम्बर 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है।

2.107 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष शुरू की गयी तिमाही लक्ष्यों की प्रणाली 1986-87 के दौरान भी जारी रही। बैंकों को परामर्श दिया गया कि वे लक्ष्य ऋणों का 15 प्रतिशत पहली तिमाही में, 20 प्रतिशत दूसरी तिमाही में, 35 प्रतिशत तीसरी तिमाही में और शेष 30 प्रतिशत अंतिम तिमाही में वितरित करें।

अग्रणी बैंक योजना

2.108 जिला ऋण योजनाओं के चौथे चरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप देने से पूर्व अक्तूबर 1986 में अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे मोटे तौर पर पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर 1987 के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करें। तदनुसार, अग्रणी बैंकों ने देश के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए 1987 के वास्ते वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की और प्रारंभ की। 1985 के लिए तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजनाओं के अंतर्गत 6,369.59 करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य के खिलाफ उपलब्धि 7,544.84 करोड़ रुपये थी। 1985 के दौरान अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अग्रणी बैंकों का

recommendations for streamlining the arrangements for flow of credit and supply of inputs and assets to IRDP beneficiaries. It was observed that the new system of cash disbursement recommended in the interim Report had not been uniformly successful in all blocks. Location of the block, the active involvement of the implementing agencies and the level of awareness of the beneficiaries have a vital role to play in the proper utilisation of IRDP assistance in cash. The disadvantage of the system arose out of the difficulty of ensuring that the entire amount was utilised by the borrower in acquiring assets only. The scheme, however, eliminated middlemen, giving borrowers the freedom to choose the asset items. The Committee submitted its final Report in September 1986 which is under the consideration of the Bank.

2.107 The system of quarterly targets under IRDP introduced in the previous year continued during 1986-87. Banks were advised to disburse 15 per cent of the target loans in the first quarter, 20 per cent in second quarter, 35 per cent in third quarter and the balance 30 per cent in the last quarter.

Lead Bank Scheme

2.108 Pending finalisation of guidelines for the fourth round of district credit plans the lead banks were advised in October 1986 to prepare Annual Action Plans for 1987 broadly on the basis of earlier guidelines. Accordingly, the lead banks prepared and launched the AAPs for 1987 for implementation in all the districts of the country. As against the aggregate target of Rs.6,369.59 crores under the annual action plans drawn up for 1985, the achievement was Rs.7,544.84 crores. The performance of the lead banks in most of the States/Union Territories during 1985,

कार्य निष्पादन, योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गया था। 1986 के लिए, 8,380.82 करोड़ रुपये का कुल लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2.109 कुछ राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान जिलों में से नये जिले बनाये जाने अथवा पुराने जिलों को समाप्त किये जाने से नये जिलों के निर्माण के परिणामस्वरूप, नव निर्मित जिलों के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों को सौंपी गयी। दिसंबर 1986 के अंत में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत देश के 438 जिले शामिल थे।

आवास वित्त

2.110 1986 में बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये जाने के लिए निर्धारित आवास वित्त की मात्रा 150 करोड़ रुपये पर (आवास विकास वित्त निगम के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपये सहित) अपरिवर्तित रही। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया कि वे आवास विकास वित्त निगम को 10 करोड़ रुपये तक और निधियां उपलब्ध कराएं। 150 करोड़ रुपये के समग्र आबंटन के भीतर बैंकों को हिमाचल प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों के लिए कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के बाढ़-पीड़ितों के लिए 10 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गयी। राज्य स्तरीय एजेन्सियों और आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) को उनके गारंटीकृत बांडों और डिबेंचरों में अभिदान (सब्सक्रिप्शन) के रूप में दिये गये वित्त के अलावा, बैंकों को संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तरीय एजेन्सियों को 53.48 करोड़ रुपये और आवास तथा शहरी विकास निगम को 50 करोड़ रुपये की परोक्ष मीयादी ऋण सहायता देने की अनुमति दी गयी थी ताकि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को और विभिन्न राज्यों में रहनेवाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लोगों के लिए (आवास) परियोजनाओं की निर्माण लागत के एक भाग को पूरा कर सकें। 1986 के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा 186.21 करोड़ रुपये का कुल आवास वित्त वितरित किया गया।

exceeded the targets prescribed under the plans. For 1986, an aggregate target of Rs.8,380.82 crores has been prescribed.

2.109 Consequent on the creation of new districts either by carving out from some of the existing districts or by abolition of old districts by some of the State governments, the lead responsibility for the newly formed districts was entrusted to various public sector banks. As at the end of December 1986, the Lead Bank Scheme covered 438 districts in the country.

Housing Finance

2.110 The quantum of housing finance earmarked to be provided by the banking system in 1986, remained unchanged at Rs.150 crores including Rs.10 crores in favour of Housing Development Finance Corporation (HDFC). In addition, banks were advised to provide further funds to the extent of Rs.10 crores to HDFC. Within the overall allocation of Rs.150 crores, banks were allowed to extend term loans totalling Rs.5 crores to earthquake victims in Himachal Pradesh and Rs.10 crores for flood victims in Andhra Pradesh. In addition to the finance provided to State-level agencies and Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) in the form of subscription to their guaranteed bonds and debentures, banks were allowed to extend under consortium arrangements indirect term loan assistance of Rs.53.48 crores to the State-level agencies and Rs.50 crores to HUDCO, to enable it to meet a part of the cost of construction of housing projects for SCs/STs and economically weaker sections in different States. The total housing finance disbursed by commercial banks during 1986 was Rs.186.21 crores.

राष्ट्रीय आवास बैंक पर उच्च स्तरीय दल

2.111 जून 1986 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के लिए प्रस्ताव की जांच करने हेतु तथा उस तरीके की जांच करने हेतु जिससे आवास निर्माण के लिए निधियां आबंटित की जा सके तथा उसके लिए आवश्यक उपायों का पता लगाने और आवास वित्त संस्थाओं के निर्माण के वास्ते रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल नियुक्त किया। इस दल ने रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्ण रूप से अभिदत्त 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक शेअर पूंजी के साथ अपेक्स स्तर पर एक राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित किये जाने और विशेषीकृत आवास वित्त संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाये जाने की सिफारिश की। राष्ट्रीय आवास बैंक की, जो एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया जायेगा, प्राथमिक जिम्मेदारी क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विशेषीकृत आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना होगा, जो अतिरिक्त बचतों का संग्रहण करेंगी और भवन निर्माण के लिए वित्त प्रदान करेंगी। वह संसाधनों के संग्रहण तथा भवन निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने, आवास वित्त संस्थाओं के कार्य को विनियमित करने, उनकी तथा आवास क्षेत्र में कार्य कर रही अन्य एजेन्सियों की गतिविधियों का समन्वयन करने और आवास वित्त की मध्यवर्ती संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में नीतियां भी बनाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के वास्ते वैधानिक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पट्टे संबंधी वित्त

2.112 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, वाणिज्य बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार करने के लिए कम से कम 51 प्रतिशत की शेयरधारिता वाला सहायक संस्थान स्थापित कर सकते हैं अथवा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर अन्य लीजिंग कंपनियों के शेयरों में संविभाग (पोर्टपोलियो) निवेश कर सकते हैं। किन्तु, सहायक

High Level Group on National Housing Bank

2.111 In June 1986 the Government of India set up a high level group under the Chairmanship of a Deputy Governor of the Reserve Bank to examine the proposal for establishing a National Housing Bank and to look into the manner in which funds could be allocated for housing including identification of measures needed therefor and creation of housing finance institutions. The Group recommended creation of a network of specialised housing finance institutions with a National Housing Bank to be set up at the apex level with an initial share capital of Rs. 100 crores to be fully contributed by the Reserve Bank. The primary responsibility of the National Housing Bank, which is being set up as a statutory corporation, will be to promote and develop specialised housing finance institutions at regional and local levels which will mobilise additional savings and provide finance for housing construction. It will also formulate policies relating to mobilisation of resources and extension of credit for housing, regulate the working of housing finance institutions, co-ordinate their activities as also those of other agencies in the housing field and extend financial support to housing finance intermediaries. The legislative framework for the establishment of the National Housing Bank is being finalised.

Leasing Finance

2.112 As referred to in last year's Report, commercial banks can, with prior approval of the Reserve Bank, set up a subsidiary with not less than 51 per cent of shareholding for transacting equipment leasing business or make portfolio investment in shares of other leasing companies within specified limits. However, the aggregate investment of a

और/अथवा संविभाग निवेश के जरिये उपकरण पट्टे पर देने संबंधी कारोबार में किसी बैंक का कुल निवेश उसकी प्रदत्त पूंजी और प्रारक्षित निधि के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार करने तथा वणिक बैंकिंग इत्यादि का कार्य हाथ में लेने के लिए 1986-87 के दौरान रिज़र्व बैंक ने इस प्रकार के तीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया जिनमें दो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के थे, और एक निजी क्षेत्र के बैंक का दो ऐसे अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से था।

निर्यात वित्त

निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना 1968

2.113 निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना, 1968 के अंतर्गत बैंकों को देय ब्याज उपदान की दर 1 अगस्त 1986 से 1.5 से बढाकर 3.0 कर दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों तथा पात्र सहकारी बैंकों को उनके द्वारा निर्यातकों को दिये गये निर्यात ऋण पर ब्याज उपदान वितरित किया। 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान इस प्रकार प्रदान किये गये सामान्य उपदान की राशि 27.62 करोड़ रुपये थी। रिज़र्व बैंक ने बंगला देश को भी, उसके द्वारा भारत से किये गये आयातों के लिए उसे प्रदान की गयी कुछ विशेष ऋण सीमाओं के संबंध में निर्धारित दर पर विशेष उपदान वितरित किया। निर्यात-आयात बैंक और संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष के दौरान इस प्रकार वितरित किये गये विशेष उपदान की कुल राशि 49 लाख रुपये थी।

शुल्क वापसी ऋण योजना-1976

2.114 नवम्बर 1986 से अक्तूबर 1987 तक की अवधि के लिए 21 बैंकों को कुल 16.15 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी थी ताकि वे इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य ब्याज मुक्त पुनर्वित्त लाभ उठा सकें। जून 1987 के साथ समाप्त वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा प्राप्त की गयी पुनर्वित्त की राशि 11.40 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1987 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 1.50 करोड़ रुपये थी।

bank in equipment leasing business, by way of subsidiary and/or portfolio investment, is restricted to a maximum of 10 per cent of its paid-up capital and reserves. During 1986-87 the Reserve Bank approved three such proposals, two of public sector banks and one of a private sector bank jointly with two other such banks to set up subsidiaries for undertaking the business of equipment leasing, merchant banking,etc.

Export Finance

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme 1968

2.113 The rate at which interest subsidy is payable to banks under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968 was enhanced from 1.5 to 3.0 per cent with effect from August 1, 1986. Under the scheme the Reserve Bank disbursed interest subsidy to commercial banks and eligible co-operative banks on the export credit extended by them to the exporters. The general subsidy so provided during 1986-87 (July-June) amounted to Rs. 27.62 crores. The Bank also disbursed at stipulated rates special subsidy in respect of certain special lines of credit extended to Bangladesh for its imports from India. The special subsidy so disbursed to Exim Bank and the concerned nationalised banks totalled Rs. 49 lakhs during the year.

Duty Drawback Credit Scheme - 1976

2.114 For the period November 1986 to October 1987, 21 banks were sanctioned limits aggregating Rs. 16.15 crores to enable them to avail of interest—free refinance admissible under the scheme. During the year ended June 1987, refinance to the extent of Rs. 11.40 crores was availed of by banks. The outstanding as on June 30, 1987 was Rs. 1.50 crores.

निर्यात ऋण पर ब्याज दर

2.115 पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों ही चरणों पर निर्यात ऋण पर ब्याज दरें 1 अगस्त 1986 से निम्नानुसार 2.5 प्रतिशत अंक कम कर दी गयी :

(प्रतिशत वार्षिक)

पोतलदान पूर्व ऋण

i) 180 दिनों तक	9.5
ii) 180 दिनों से ऊपर और 270 दिनों तक (भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से)	11.5
iii) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी से रक्षित नकद प्रोत्साहन राशि इत्यादि पर (90 दिनों तक)	9.5

पोतलदानोत्तर ऋण

i) मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिल (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट)
ii) मीयादी बिल 180 दिनों तक
iii) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिनों तक)
iv) अनाहरित शेष (90 दिनों तक)
v) पोतलदान की तारीख से(90 दिनों तक)एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि पर (केवल आपूर्ति भाग के लिए)

} 9.5

निर्यात ऋण के संबंध में नीतिगत उपाय

2.116 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि दिसंबर 1986 से मांग बिलों पर अग्रिमों के मामले में, यदि बिल "सामान्य पारवहन अवधि" की समाप्ति से पूर्व वसूल हो जाता है तो अग्रिम की तारीख से ऐसे बिलों की वसूली की तारीख, अर्थात वह तारीख जिस पर विदेश में नास्ट्रो खाते में आय की राशि जमा होती है, एक रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाना चाहिए। जहां सम्पूर्ण सामान्य पारवहन अवधि के लिए ब्याज बिलों के बेचान/खरीद भुनाई के समय वसूल कर लिया गया है,

Interest Rate on Export Credit

2.115 The rates of interest on export credit at both the pre-shipment and post-shipment stages were reduced by 2.5 percentage points with effect from August 1, 1986 as under:

(per cent per annum)

Pre-shipment credit

i) Upto 180 days	9.5
ii) Beyond 180 days and upto 270 days (with prior approval of RBI)	11.5
iii) Against cash incentives, etc. covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	9.5

Post-shipment credit

i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)
ii) Usance bills - upto 180 days
iii) Cash incentives, duty drawback etc. receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)
iv) Undrawn balances (upto 90 days)
v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)

} 9.5

Policy Measures Relating to Export Credit

2.116 Scheduled commercial banks were advised that effective from December 1986 in the case of advances against demand bills, if the bills are realised before the expiry of the "normal transit period" (NTP) interest at concessional rate should be charged from the date of advance till the date of realisation of such bills i.e. the date on which the proceeds get credited to the banks' nostro accounts abroad. Where interest for the entire NTP has been

वसूली की तारीख से सामान्य परिवहन अवधि की आखरी तारीख तक की अवधि के लिए वसूल की गयी अतिरिक्त राशि उधारकर्ताओं को वापस की जानी चहिए। बिलों की वसूली की वास्तविक अवधि के लिए ही बैंकों को ब्याज उपदान की पात्रता होगी।

2.117 जनवरी 1987 में बैंकों को यह भी कहा गया कि यदि पोतलदानपूर्व अग्रिम 180 दिनों की प्रारंभिक अधिकतम अवधि, जिसके लिए अग्रिम मंजूर किये गये थे, के बाद 180 दिनों के भीतर निर्यात दस्तावेजों की प्रस्तुति द्वारा समायोजित नही किये जाते हैं तो उन अग्रिमों पर **प्रारंभ से ही** निर्यातकों को ब्याज की रियायती दर की पात्रता नही होगी। अन्य शब्दों में जहां निर्यात मूल अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर नहीं होते हैं बैंक अग्रिम के प्रथम दिन से निर्यात ऋण पर उच्चतम सीमा से अनधिक ब्याज वसूल कर सकते हैं और ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा पहले ही प्राप्त किया गया ब्याज उपदान वापस किया जाना होगा।

अन्य गतिविधियां

बैंकों द्वारा संविभाग प्रबंध संभालना

2.118 यह देखा गया है कि कुछ बैंक जमाकर्ताओं से नियत दरों से अधिक दर पर निधियां स्वीकार कर रहे थे, इसके लिए वे उन्हें उनके अग्रिमों/निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) में भागीदारी मानते थे। जहां वैध प्रबंधन संविभाग उस संबंध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के दृढ़ता से पालन करने की शर्त पर है, वहीं ऊपर उल्लिखित ढंग से उच्चतम दर पर जमाराशियां स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लघंन होंगे। इसीलिए बैंकों से अप्रैल 1986 में अनुरोध किया गया कि वे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन न करें।

2.119 ऋण आस्तियों के गुणवत्ता पर और कारगर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किये गये, जैसे कि स्वास्थ्य

collected at the time of negotiation/purchase/discount of bills, the excess interest collected for the period from the date of realisation to the last date of the NTP should be refunded to the borrowers. The banks will be eligible for interest subsidy only for the actual period of realisation of the bills.

2.117 Banks were also told in January 1987 that if preshipment advances were not adjusted by submission of export documents within 180 days after the initial maximum period of 180 days for which the advances were granted, the advances would cease to qualify for concessive rate of interest to the exporters *ab-initio*. In other words, where exports did not take place within 360 days from the date of the original advance, banks may charge interest not exceeding the ceiling rate on export credit from the very first day of the advance and interest subsidy already claimed in such cases would have to be refunded by banks.

Other Developments

Portfolio Management by Banks

2.118 It had been observed that some banks were accepting funds from depositors at rates above the stipulated rates by treating them as sharing of their advances/investment portfolios. While legitimate portfolio management could be undertaken by adhering to the guidelines issued on that behalf, acceptance of deposits at higher rates, as mentioned above would be violative of RBI guidelines. Banks were therefore urged in April 1986 to avoid the infringement of these guidelines.

2.119 Various measures for more effective control over the quality of the loan assets were introduced, *e.g.*

कूट, ऋण सीमाओं का समय पर नवीकरण और उनकी समीक्षा, अतिदेय राशियों/झंझटवाले/रुग्ण अग्रिमों के संबंध में कारगर प्रक्रिया/परिचालन और निगरानी संबंधी तंत्र अपनाना आदि। औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों की भुगतान प्रणाली में सुधार करने के लिए भी उपाय किये गये। इसके लिए नकदी ऋण सीमाओं के स्थान पर क्रमिक रूप से बिल वित्त लिखत लागू किया गया। आशा है कि इससे कर्जदारों में अनुशासन बढ़ेगा और लघु उद्योग क्षेत्र में आपूर्ति के लिए और अधिक शीघ्रता से भुगतान में सुविधा रहेगी।

2.120 सरकारी क्षेत्र द्वारा जारी किये जानेवाले बांडों की संख्या में होनेवाली वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में वापसी खरीद संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे। बैंकों के पास सरकारी क्षेत्र के जो बांड होंगे, बैंक उनके संबंध में अथवा कंपनी के शेयरों और डिबेंचरों के संबंध में वापसी खरीद की व्यवस्था नहीं कर सकते। वापसी खरीद का व्यवहार केवल सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तक ही सीमित रहेगा और पुनः खरीद की तारीख प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से कम से कम 30 दिन की अवधि के बाद की ही नियत की जानी चाहिए। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत खरीद/बिक्री मूल्य बाज़ार दरों के अनुसार होने चाहिए। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की कोई भी बिक्री बैंकों द्वारा तब तक नहीं की जानी चाहिए, जब तक वे उनके पास उनके निजी निवेश खाते में धारित न हों। प्रतिभूतियों की बिक्री होने पर उतनी ही राशि व्यवस्था की संपूर्ण अवधि के लिए निवेश खाते में से घटा दी जानी चाहिए और प्रतिभूतियों पर कूपन दरों पर ब्याज की अदायगी कर (टैक्स) काट करके ही की जानी चाहिए।

2.121 सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अंतर बैंक वापसी खरीद संबंधी लेनदेन कम अवधि के लिए किसी न्यूनतम अवधि की शर्त के बिना किये जा

classification of the advances according to the health codes, timely renewal and review of credit limits, effective procedural/operational and monitoring mechanisms in respect of overdue/sticky/ sick advances,etc. Steps were also initiated to bring about improvements in the payments mechanism for the industrial and commercial sectors through the instrument of bill finance by progressive displacement of cash credit limits. This is expected to help improve credit discipline among borrowers and facilitate quicker payment to the suppliers in the small-scale sector.

2.120 In view of the increasing number of bond issues by the public sector, guidelines were issued to banks on buy-back arrangements in Government and other approved securities. Banks should not enter into buy-back arrangements in respect of their holdings of public sector bonds or corporate shares and debentures. The buy-back deals should be exclusively confined to Government and other approved securities and the re-purchase dates should be fixed after a minimum period of 30 days from the date of sale of the securities. The purchase/sale prices under the arrangement should be in alignment with the proximate market rates. No sales of Government and other approved securities under the arrangement should be effected by banks unless they are actually held by them on their own investment portfolio. On sale of securities, corresponding amount should invariably be deducted from investment account for the entire period of arrangement and interest on securities at coupon rate would be paid only after the deduction of tax.

2.121 While inter-bank buy-back transactions in Government and other approved securities may be undertaken for

सकते हैं, किन्तु प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में शुद्ध अंतर प्रतिभूतियों पर कूपन दर ब्याज को मिलाकर निकाला गया जोड़ अंतर बैंक मांग-मुद्रा दर प्रचलित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य शर्तें वही रहेंगी जो पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दी गयी हैं।

निधियों की व्यवस्था

2.122 यह देखा गया है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद कुछ बैंकों ने अपनी प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मुद्रा बाजार निधियों पर बहुत अधिक निर्भरता जारी रखी है। प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के लिए मुद्रा बाजार निधियों पर अत्यधिक और लंबे समय तक निर्भरता बनाये रखना उचित नहीं है और बैंकों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अपनी निधियों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए बाज़ार से उधारों पर निर्भरता के बिना आवश्यक कदम उठायें।

2.123 लोक लेखा समिति (1986-87) ने यह सुझाव दिया था कि बैंकों द्वारा भेजी जानेवाली स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं लाने-ले जाने विषयक क्रियाविधि की समीक्षा करना आवश्यक है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वे भेजने के दौरान मार्ग में सुरक्षित रहें और गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचें। बैंकों से यह सुनिश्चत करने का अनुरोध किया गया कि 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मूल्यवान धातुओं और आभूषणों को बैंक के निजी गार्डों (या पुलिस गार्डों) की सुरक्षा में ही लाया-ले जाया जाये। कम मूल्य के प्रेषण भी मूल्य-सीमा तक का बीमा करवाकर बीमाकृत डाक-सेवा से भेजे जायें।

शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और उनकी हामीदारी

2.124 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नवंबर 1986 में सूचित किया गया कि वे निधियों के विनियोजन के प्रयोजन के लिए शेयरों और डिबेंचरों में सीधे अभिदान न करें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के पास इनकी हामीदारी संबंधी जिम्मेदारियों के रूप में जो शेयर और डिबेंचर किसी वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हों।

short periods without the stipulation of any minimum period, the net differential in sale and repurchase prices of the securities together with the coupon rate of interest on the securities was not to exceed the prevailing ceiling on inter-bank call-money rate. The other conditions would be the same as given in the preceding paragraph.

Funds Management

2.122 It had been observed that despite repeated advices, some banks continued to rely to a large extent on money market funds to maintain reserve requirements. The excessive and chronic reliance on money market funds for reserve requirements is imprudent and banks were advised to take necessary steps to improve their funds management without depending on market borrowings.

2.123 Public Accounts Committee (1986-87) had suggested that there was a need for review of the procedure for transport of gold and other valuable articles sent by banks to ensure their safe custody during their despatch, transit and receipt at the destination. Banks were urged to ensure that movement of precious metals and jewellery of the value of Rs.50,000 and above should take place only by using escorted protection from their own guards (or police guards). Small value movements may also be made through the insured postal services within their value limits.

Investments in and Underwriting of Shares and Debentures

2.124 Scheduled commercial banks were advised in November 1986, to desist from subscribing directly to shares and debentures for the purpose of deployment of funds and to ensure that the aggregate of shares and debentures devolving on the

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने में कुछ लचीलेपन की अनुमति इस अर्थ में दी गयी कि यदि कोई बैंक 1.5 प्रतिशत की सीमा पार कर जाये तो इस प्रकार की अधिक धारिता के लिए वह रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें। इस प्रकार का अनुमोदन देते समय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बैंकों के कंपनी शेयर और डिबेंचर एक साथ मिलाने पर वृद्धि सभी बैंकों की वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.125 बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि सरकारी क्षेत्र के बांडों की राशि तथा किसी भी राजकोषीय वर्ष में उनके निवेश की राशि का जोड़ प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक न होने पाये। किन्तु यदि किसी बैंक की उक्त राशियां 1.5 प्रतिशत की उक्त सीमा से अधिक हो जायें तो इस प्रकार की राशियां धारण करने के लिए वे रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें और इसके लिए कारण बतायें। उक्त सीमा राजकोषीय वर्ष 1987-88 से लागू हुई। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे सरकारी क्षेत्र के बांडों अथवा कंपनी शेयरों और डिबेंचरों में अपनी धारिता के संबंध में किसी प्रकार की वापसी खरीद की व्यवस्था न करें। वापसी खरीद का व्यवहार केवल उन सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तक ही सीमित रहे जो वास्तव में बैंकों के अपने निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) में धारित हों।

बैंकों द्वारा संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण प्रदान करना

2.126 संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन न होने के संबंध में जो तथ्य पता लगे, उनको ध्यान में रखते हुए इन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जून 1987 में नये अनुदेश जारी किये। वित्त प्रदान करने की बहुविध प्रणाली

banks as part of their underwriting obligations in any particular year does not exceed 1.5 per cent of their incremental deposits of the previous year. In administering these guidelines, an element of flexibility has been allowed in that any bank that may exceed the limit of 1.5 per cent may seek the approval of the Reserve Bank for holding such excess. While granting approval, the Bank would *inter alia* ensure that the increase in holdings of corporate shares and debentures of all banks taken together does not exceed the limit of 1.5 per cent of the incremental deposits of all banks.

2.125 Banks were also advised to ensure that the aggregate amount of bonds of public sector undertakings added to their own investment portfolio in any fiscal year does not exceed at the end of each year 1.5 per cent of its incremental deposits of the previous year. If however, any bank exceeds the limit of 1.5 per cent, it can seek the approval of the Reserve Bank for holding such excess, stating the reasons therefor. The limit was effective from the fiscal year 1987-88. Banks were further advised not to enter into buy-back arrangements in respect of their holdings of public sector bonds or corporate shares and debentures. The buy-back deals should be exclusively confined to Government and other approved securities actually held by banks on their own investment portfolio.

Lending Under Consortium Arrangements by Banks

2.126 Taking into account the deviations noticed in adhering to the guidelines issued by the Reserve Bank regarding lending by banks under consortium arrangements, fresh instructions were issued by the Bank in June 1987 to strengthen the arrangements. They provide for automaticity about the choice

के अंतर्गत अग्रणी बैंक को चुनने की स्वतः चयन प्रणाली विद्यमान है और अग्रणी बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उसमें अभिकल्पना की गयी है। उक्त अनुदेशों में किसी संघीय व्यवस्था में बैंकों की अधिकतम संख्या, जहां किसी एक ही बैंक द्वारा किसी एक कर्जदार को 100 करोड़ रुपये से अधिक की निधि पर-आधारित कुल सीमाएं देने की अपेक्षा हो वहां संघ बनाने की आवश्यकता, अग्रणी बैंक द्वारा ही प्रस्तावों का मूल्यांकन अथवा अगले प्रमुख वित्तपोषक बैंक द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन, जहां आवश्यक हो रिज़र्व बैंक का प्राधिकरण प्राप्त करना, अन्य सदस्य बैंकों द्वारा मंजूरी की प्रतीक्षा किये बिना अग्रणी बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन, बहुमत की राय से नये सदस्य का प्रवेश, निर्णय लेने के लिए और अधिक विवेकाधिकार बैंक के अधिकारियों को प्रदान करना तथा कारोबार, आय और गैर निधिक आधार पर सुविधाओं के संबंध में जोखिम में बराबर की हिस्सेदारी शामिल है। इस बात पर बल दिया गया कि इन अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लघंन की यदि कोई जानकारी रिज़र्व बैंक को मिलेगी तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे वितरण, प्रलेखन आदि के लिए एक ही स्थान निर्धारित करने की प्रणाली अपनायें और इस अभिकल्पना के कारगर कार्यान्वयन के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिए एक समिति गठित की जा रही है।

बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वयन

2.127 वाणिज्य बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं (अर्थात राज्य वित्तीय, औद्योगिक विकास और निवेश निगम) के बीच समन्वयन वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में विलम्ब होने के अनेक मामले रिज़र्व बैंक के ध्यान में आये हैं, और राज्य वित्तीय निगमों से मीयादी ऋण सहायता प्राप्त करके स्थापित औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से जो लघु क्षेत्र की इकाइयां हैं, को बैंकों द्वारा अपर्याप्त कार्यकारी पूँजी दी जाती है। इसलिए रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के बीच चालू समन्वयन को मज़बूत बनाने तथा सुनिश्चित करने के उपाय निश्चित करने के लिए फरवरी

of the lead bank under multiple financing arrangements and envisage a pivotal role to be played by the lead bank. The instructions cover, among others, the maximum number of banks in a consortium, the need to form a consortium where the aggregate fund-based limits granted to a borrower by any single bank exceeds Rs.100 crores, appraisal of proposals by the lead bank itself or along with the next major financing bank, seeking Reserve Bank authorisation where necessary, on approval by the Board of Directors of the lead bank without waiting for sanction by the other member banks, admission of a new member based on majority opinion, vesting bank officials with larger discretionary powers in taking decisions and equitable sharing of business, income and risk relating to non-fund based facilities. It was emphasised that any violation of these instructions brought to the Bank's notice would be viewed seriously. Banks have also been advised to endeavour to move towards the single window approach in disbursement, documentation, etc. and a committee is being set up to frame operational guidelines for effective implementation of the concept.

Co-ordination Between Banks and State-Level Financial Institutions

2.127 It had come to the Reserve Bank's notice that in respect of financial assistance to industries involving co-ordination between commercial banks and state-level financial institutions (viz.,State financial, industrial development and investment corporations) there had been several cases of delay and inadequate working capital assistance being extended by banks to the industrial units set up with term loan assistance from the SFCs, particularly to those in the small-scale sector. The Bank therefore had called a

1986 में राज्य वित्तीय निगमों, वाणिज्य बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मुख्य कार्यपालकों की एक बैठक बुलायी थी। समस्या क्षेत्रों का पता लगाया गया तथा वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच अधिक समन्वयन लाने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने के वास्ते बैंकों को सूचित किया गया। जिनमें ये शामिल हैं। (i) राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा संयुक्त मूल्यांकन अथवा कम से कम एक साथ मूल्यांकन (ii) जहाँ संयुक्त मूल्यांकन न हो सका हो वहाँ राज्य वित्तीय निगमों द्वारा किये गये मूल्यांकनों का बैंकों द्वारा स्वीकार किया जाना, (iii) कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं का बैंकों द्वारा तेजी से निर्धारण और उन्हें उचित समय में पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के संबंध में प्रारंभिक अवस्था में ही उनकी वचनबद्धता, (iv) प्रथम और द्वितीय प्रभार धारण करने से संबंधित आपसी सहमति (v) वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच आवश्यक संबंध स्थापित करना और (vi) शाखा स्तरों पर अधिक मंजूरी अधिकार प्रदान किया जाना।

चूककर्ता उधारकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू किये जाने के उपाय

2.128 बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसी नयी परियोजनाओं, अथवा कंपनियों की वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए (पूरी तरह से अथवा अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से) नये मीयादी वित्त (आस्थगित अदायगी गारंटियों सहित) मंजूर करने संबंधी आवेदनों पर विचार नं करें जिन्होंने उन्हें प्रदान किये गये मीयादी ऋण के भुगतान में बिना किसी उचित कारण के लगातार व्यतिक्रम किया हो। कार्यकारी पूंजी सहायता के संबंध में ऐसे मामलों में जहां बैंकों के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि इकाइयों के प्रबंध तंत्र कदाचारों में संलग्न हैं तो वे नये ऋण की मंजूरी तथा निधियों के निर्गम पर रोक लगा सकते हैं, यहां तक कि वे लेखों पर लेनदेन पर भी रोक लगा सकते हैं अथवा जहां आवश्यक समझा जाए, प्रबंध तंत्र को बदलने पर भी विचार कर सकते हैं।

meeting of the chief executives of SFCs, commercial banks and IDBI in February 1986 to decide upon measures for strengthening and ensuring on-going co-ordination between commercial banks and SFCs. The problem areas were identified and banks were advised to take some additional measures for bringing about greater co-ordination between commercial banks and financial institutions. These include: (i) joint appraisal or at least simultaneous appraisal by SFCs and banks, (ii) acceptance by banks of appraisals made by the SFCs where joint appraisals could not be carried out, (iii) expeditious assessment by banks of working capital requirements and their commitment at an early stage to provide them adequate funds sufficiently in time, (iv) mutual understanding in regard to holding of first and second charges, (v) establishment of necessary rapport between the financial institutions and banks, and (vi) delegation of larger sanctioning powers to the branch levels.

Measures to Enforce Financial Discipline on Defaulting Borrowers

2.128 Banks were advised not to consider applications for sanction of fresh term finance (including deferred payment guarantees) for new projects, or expansion of existing units of companies (either exclusively or jointly with other banks/ financial institutions) which have persistently defaulted in payment in respect of term credit granted to them without any justifiable reasons. Regarding working capital assistance, in cases where banks have reasons to believe that the managements of the units are indulging in malpractices, they may withhold fresh sanctions and release of funds and even freeze operations on the accounts or consider change of management wherever found necessary.

उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देयों के भुगतान में चूक

2.129 बैंकों के उधारकर्ताओं द्वारा भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा तथा अन्य सांविधिक देयों के भुगतान के संबंध में बढ़ती हुई बकाया राशि और उन पर रोक लगाने में बैंकों की असफलता को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1986 में बैंकों को नये अनुदेश जारी किये गये जिनमें अन्य बातों के साथ उन्हें यह सूचित किया गया कि वे ऋण सुविधाओं की मंजूरी/नवीकरण, वृद्धि संबंधी फार्म में संशोधन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि उसमें सांविधिक देयों की स्थिति बता दी गयी है।

अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालना

2.130 कारोबार की मात्रा में वृद्धि के साथ अशोध्य ऋणों का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि शक्तियों के प्रत्यायोजन की ऐसी योजना तैयार की जाए जो बैंकों में मूल संगठनात्मक ढांचे के विकेन्द्रीकरण के अनुसार ही न हो बल्कि वह जल्दी काम निपटाने में भी सहायक हो। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि 50,000 रुपये तक की राशि बट्टे खाते डालने के संबंध में अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने अथवा कर्ज़दारों/उधारकर्ताओं के साथ समझौतों के प्रस्ताव अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक द्वारा निपटाये जा सकते हैं एवं समुचित कम राशियों के मामले अन्य उच्च कार्यपालकों/कार्यपालक-समिति द्वारा निपटाये जाएं। 10 लाख रुपये तक के बट्टे खाते डालने, हानियों, माफी, समझौते और निपटानों (सेटलमेन्ट्स) के मामले प्रबंध समिति को प्रस्तुत किये जाएं और 10 लाख रुपये तथा अधिक के प्रस्ताव बोर्ड को प्रस्तुत किये जाएं।

सूचना जमाराशियां

2.131 "सूचना जमाराशियों" के संबंध में अपेक्षित न्यूनतम सूचना अवधि के संबंध में बैंकों में चूंकि कोई एकरूपता नहीं थी, बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे एक एकरूप परिभाषा अपनाएं अर्थात "विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मीयादी ऋण किन्तु कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग दिवस की सूचना देने पर आहरणयोग्य"। बैंकों को यह भी

Defaults in Payment of Statutory Dues by Borrowers

2.129 In view of the mounting arrears relating to payment of Provident Fund, Employees State Insurance and other statutory dues by borrowers of banks and failure of banks to check them, fresh instructions were issued to banks in December 1986 advising them, *inter alia,* to modify the application forms for grant/renewal/enhancement of credit facilities so as to ensure that the position regarding the statutory dues is disclosed therein.

Writing off of Bad Debts/Losses

2.130 With the increase in the volume of business, the incidence of bad debts has shown an upward trend. It was therefore considered necessary to evolve a scheme of delegation of powers which is not only in tune with the decentralisation of organisational set up in banks but also facilitates quicker disposal of work. Accordingly, all public sector banks were advised that proposals for write-off of bad debts/losses or compromises with debtors/borrowers involving amounts of write-off upto Rs.50,000 could be disposed of by the Chairman/Managing Director with suitable lower limits for other top executives/committee of executives. Cases of write-offs, losses, remissions, compromises and settlements upto Rs.10 lakhs are to be put up to the management committee and proposals involving Rs.10 lakhs and above are to be put up to the Board.

Notice Deposits

2.131 As there was no uniformity among banks relating to minimum period of notice required in regard to 'notice deposits', banks were advised to adopt a uniform definition viz., 'term deposit for specific period but withdrawable by giving at least one complete banking day's

कहा गया कि वे मीयादी जमाराशियों को खंडित करने की अनुमति दें और दण्ड प्रावधान किये बिना कानूनी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, नामजद व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर उनके नाम अलग-अलग दो अथवा अधिक रसीदें जारी करें तथा प्रत्येक संयुक्त खाताधारी के नाम पर संयुक्त मीयादी जमाराशि रसीद को खंड रूप में जारी करें बशर्ते कि जमाराशि की कुल राशि और अवधि में कोई परिवर्तन न किया गया हो। उनके अनिवासी भारतीय कर्मचारियों के संबंध में बैंक 1 प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज़ अदा कर सकते हैं और उन्हें अग्रिमों पर ब्याज की रियायती दर भी दे सकते हैं जैसा कि देशी कर्मचारियों को उनकी रुपया जमाराशियों पर दिया जाता है।

पंजाब में उधारकर्ताओं को ऋण संबंधी छूट

2.132 पंजाब में व्याप्त स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निश्चय किया गया कि निम्नानुसार और रियायतें प्रदान की जाएं :—

i) मांग ड्राफ्ट, बैंकर चेक, भुगतान आदेश और अन्य प्रेषणों पर सेवा प्रभार घटाकर वर्तमान प्रभारों के 50 प्रतिशत कर दिये जाएंगे।

ii) वर्तमान रियायतों की अवधि 30 जून 1988 तक बढ़ा दी गयी है ताकि बैंक समुचित चरणबद्ध चुकौती कार्यक्रम तैयार कर सकें।

iii) बैंकों को चाहिए कि वे सभी अनियमित खातों की शीघ्रता से समीक्षा करें और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक रियायतें प्रदान करके उन्हें नियमित बनाएं।

2.133 रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों और व्यापार/उद्योगों के प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के वास्ते चार शहरों अर्थात् अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और बटाला में स्थायी समितियां नियुक्त की गयी हैं। पंजाब नेशनल बैंक इन स्थायी समितियों का संयोजक होगा।

बैंकों का निरीक्षण

2.134 वर्ष के दौरान, सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों और

notice.' Banks were also told to allow splitting of term deposits and issuing of two or more receipts individually in the name of legal heir/s, representative/s, nominees on their request, without attracting penal provisions as also splitting of joint fixed deposit receipt in the name of each of the joint account holders provided the period and the aggregate amount of the deposit did not undergo any change. In respect of their non-resident Indian employees, banks could pay additional interest not exceeding 1 per cent and also allow concessional rate of interest on advances similar to those allowed to domestic employees on their rupee deposits.

Credit Relaxations to Borrowers in Punjab

2.132 After a review of the situation prevailing in Punjab it was decided to extend further concessions as under:

i) The service charges on demand drafts, bankers' cheques, pay orders and other remittances would be reduced by 50 per cent of the existing charges.

ii) The period of the present concessions is extended upto June 30, 1988 to enable the banks to work out suitable phased repayment programmes.

iii) The banks should review expeditiously all irregular accounts and regularise them by extending necessary concessions as per guidelines.

2.133 Standing Committees in the four cities of Punjab viz., Amritsar, Ludhiana, Jullundur and Batala have been set up to act as a forum for interaction between the banks and representatives of trade/industries regarding implementation of Reserve Bank guidelines. Punjab National Bank would be the convenor of the Standing Committees.

Inspection of Banks

2.134 During the year, annual financial

भारतीय स्टेट बैंक के 9 स्थानीय प्रधान कार्यालयों की वार्षिक वित्तीय समीक्षा का कार्य हाथ में लिया गया/पूरा किया गया। सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों, निजी क्षेत्र के 14 बैंकों और 8 विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण का कार्य भी हाथ में लिया गया/पूरा किया गया।

बैंकों में धोखाधड़ियाँ

2.135 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान 110 बैंक कार्यालयों में 21 धोखाधड़ियों की जांच की गयी। इनमें एक बड़ी औद्योगिक इकाई के शेयरों पर अनेक संबंधित कंपनियों को बैंकों द्वारा जारी किये गये भारी अग्रिमों की जांच शामिल है। जांच के निष्कर्षों को, जहां कहीं आवश्यक था सरकार के भी ध्यान में लाया गया।

विवादास्पद उत्पाद शुल्क की अभिक्रिया (ट्रीटमेन्ट)

2.136 कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के संबंध में विवादास्पद उत्पाद शुल्क और अन्य सांविधिक देयताओं की अभिक्रिया से संबंधित मुद्दे की समीक्षा करने के बाद, जून 1987 में बैंकों को इस आशय के नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये कि आकस्मिक देयता के रूप में अथवा तुलन पत्र की टिप्पणियों के जरिये बतायी गयी विवादास्पद उत्पाद शुल्क देयता को तब तक अनुमत बैंक वित्त के प्राक्कलन हेतु चालू देयता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जब तक कि वह उधारकर्ता के खाते में जमा अथवा प्रदान न किया गया हो।

समितियां, कार्यकारी दल, सेमीनार

निदेशन समिति

2.137 वर्ष के दौरान बैंक को रसायन, रंग और रंग सामग्री तथा टायर एवं अन्य रबड़ के उत्पादों पर उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनकी जांच चल रही है। अप्रैल 1986 में कागज उद्योग की कुछ इकाइयों के प्रतिनिधियों और इस उद्योग को वित्त प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख बैंकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद सितंबर 1986 में, कागज उद्योग से संबंधित स्टॉक/प्राप्यों के लिए

reviews of 22 public sector banks and 9 local head offices of State Bank of India were taken up/completed. Financial inspection of 2 public sector banks, 13 local head offices of State Bank of India, 14 private sector banks and 8 foreign banks were also taken up/completed.

Frauds in Banks

2.135 During 1986-87 (July-June) investigations of 21 frauds/complaints at 110 bank offices were carried out. These included investigations into the huge advances granted by banks to a number of connected companies against the shares of a large industrial unit. The outcome of the scrutinies was also brought to the notice of Government, wherever necessary.

Treatment of Disputed Excise Duty

2.136 On a review of the issue relating to treatment of disputed excise duty and other statutory liabilities in connection with assessment of working capital requirements, fresh guidelines were issued to banks in June 1987 to the effect that the disputed excise liability shown as a contingent liability or by way of notes to the balance sheet should not be treated as a current liability for calculating the permissible bank finance unless it was collected or provided for in the accounts of the borrower.

Committees, Working Groups, Seminars

Committee of Direction

2.137 During the year, the Bank received the report of the sub-committee on chemicals, dyes and dye-stuff and also on tyre and other rubber products which are being examined. Pursuant to the discussions held in April 1986 with the representatives of certain units in the paper industry and a few major banks involved in financing it, a sub-committee

मानदण्डों की समीक्षा करने के वास्ते एक उप-समिति भी नियुक्त की गयी थी।

सहायता संघीय उधारों के मानदण्डों की समीक्षा हेतु कार्यकारी दल

2.138 दिसंबर 1986 में राष्ट्रीय वित्त और ऋण कौंसिल (एन.एफ.सी.सी.) द्वारा अपनी बैठक में दिये गये सुझाव के अनुसार, निर्णय करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उधारकर्ताओं को समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने एवं वित्तीय संस्थाओं के कारण सहभागिता के अथवा बिना सहभागिता के स्वस्थ और रुग्ण दोनों इकाइयों को बैंक द्वारा संघीय सहायता में दिये गये अग्रिमों के संबंध में मानदण्ड बनाने और वर्तमान प्रणाली की जांच करने के लिए जनवरी 1987 में बैंक द्वारा एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। इस दल की पहली रिपोर्ट के आधार पर, जून 1987 में बैंक को विस्तृत अनुदेश जारी किये गये जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की परिकल्पना की गयी — प्रमुख भूमिका अग्रणी बैंक और द्वितीय सबसे बड़े वित्तपोषक बैंक (अथवा बहुविध वित्तपोषण व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रमुख बैंकों) द्वारा अदा की जायेगी और इसमें ये मुद्दे शामिल होंगे - सक्षमता अध्ययन करना तथा एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पुनःस्थापना पैकेजों का निर्माण और कार्यान्वयन, उसके अंतर्गत दिये गये वचन के प्रति दृढ़ता, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान, संयुक्त रूप से समीक्षा करना, अग्रिमों को वापस मंगवाने के लिए एक समान कार्रवाई करना, बैंक अधिकारियों को अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करना, कौशल में वृद्धि करना तथा स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इन उपायों से रुग्ण और कमजोर औद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच बहुत अच्छा समन्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा, ताकि उनकी पुनःस्थापना के लिए किये गये उपायों पर निर्णय करने तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लायी जा सके।

सांस्थानिक वित्त के समन्वयन पर स्थायी समितियाँ

2.139 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित चीनी उद्योग

to review the norms for inventory/receivables relating to paper industry was also set up in September 1986.

Working Group to Review the Norms for Consortium Advances

2.138 In accordance with the suggestion made by the National Finance and Credit Council (NFCC) in its meeting in December 1986, a Working Group was set up by the Bank in January 1987 to examine the existing system and formulate norms relating to advances made both to healthy and sick units by banks in consortium, with or without participation of financial institutions and to make appropriate recommendations with a view to speeding up the decision making process and providing timely and adequate credit to borrowers. Based on the first report of the Group, detailed instructions were issued to banks in June 1987 which, *inter alia,* envisage a major role to be played by the lead bank and the second largest financing bank (or two major banks under multiple financing arrangement) and cover such issues as carrying out of viability studies and formulation and implementation of rehabilitation packages within a specified time frame, adherence to commitment given thereunder, exchange of information between banks and financial institutions, carrying out joint reviews, adoption of a unified stand on recall of advances, vesting of bank officials with larger discretionary powers and upgradation of skills and training of staff. These measures would ensure greater co-ordination between banks and financial institutions in the financing of sick and weak industrial units so that decisions on measures for thier rehabilitation and implementation thereof are expedited.

Standing Committees on Co-ordination of Institutional Finance

2.139 On the basis of the recomm-

की पुनःस्थापना के लिए विस्तृत उपायों का सुझाव देने के वास्ते स्थायी समिति द्वारा नियुक्त उप-दल की सिफारिशों के आधार पर अक्तूबर 1986 में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने द्वारा वित्तपोषित चीनी मिलों को निर्मित मानदंडों के अनुसार चार वर्गों में वर्गीकृत करें, अर्थात् सक्षम, संभाव्य सक्षम, सीमांत सक्षम और अक्षम। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर संभाव्य/सीमांत सक्षम और अक्षम चीनी मिलों को रियायतें देने तथा पुनःस्थापना पैकेजों का निर्माण करने के वास्ते जुलाई 1987 में बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किये गये।

2.140 उर्वरक उद्योग के लिए स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्टाक/प्राप्यों के वास्ते संशोधित मानदंडों के संबंध में नवंबर 1986 में बैंकों को उचित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। जूट उद्योग पर अक्तूबर 1986 में आयोजित स्थायी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय किया गया कि पुनःस्थापना पैकेजों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के वास्ते एक उप-समिति नियुक्त की जाए।

2.141 चाय उद्योग के लिए गठित स्थायी समिति ने सितंबर 1986 में आयोजित अपनी छठी बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ जिन विषयों पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं — असम और पश्चिम बंगाल में भूमि सीमा अधिनियमों के अंतर्गत अतिरिक्त घोषित की गयी भूमि का चाय बागान संपदा को आबंटन, छोटे चाय उत्पादकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना, रूग्ण चाय बागानों की अतिदेय राशियाँ और चाय उद्योग के वित्तपोषण के वास्ते मानदण्ड। ऐसी कुछ शिकायतें थी कि बैंकों द्वारा भिन्न-भिन्न निर्धारण विधि अपनाये जाने के कारण निर्धारित मानदण्डों को लागू करने में बैंकों के बीच एकरूपता नहीं थी। इसलिए, समस्या को इसकी संपूर्णता के साथ अध्ययन करने और आवश्यक संशोधन का सुझाव देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्य बैंकों,चाय

endations of the sub-group constituted by the Standing Committee to suggest broad measures for rehabilitation of sugar industry referred to in last year's Report, banks were advised by the Reserve Bank in October 1986 to classify the sugar mills financed by them into 4 categories, viz., viable, potentially viable, marginally viable and non-viable according to the norms evolved. Based on the data provided by banks, detailed instructions for working out rehabilitation package and giving concession to potentially/marginally viable and non-viable sugar mills were issued to banks in July 1987.

2.140 In the light of the recommendations of the Standing Committee for fertiliser industry, suitable guidelines regarding revised norms for inventory/receivables were issued to banks in November 1986. In the seventh meeting of the Standing Committee on jute industry held in October 1986, it was decided to constitute a sub-committee to look into the progress of implementation of rehabilitation packages.

2.141 The Standing Committee for tea industry in its sixth meeting held in September 1986 discussed among others, issues relating to allotment to tea estates of land rendered surplus under the Land Ceiling Acts in Assam and West Bengal, classification of small tea growers under priority sector, overdues of sick tea gardens and norms for financing tea industry. There had been complaints that there was no uniformity among banks in the application of the prescribed norms, resulting in adoption of divergent assessment methods by banks. Therefore, a small sub-group comprising representatives of RBI, commercial banks, the Tea Board and the tea industry was formed to study the problem in its

बोर्ड और चाय उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक छोटे से उप-दल का गठन किया गया। उप-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसमें की गयी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात वित्त पर स्थायी समिति

2.142 निर्यात वित्त पर स्थायी समिति द्वारा जनवरी 1987 में किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए किये गये उपायों का पहले वर्णन किया जा चुका है। भारत सरकार के अनुरोध पर बैंक ने दो अलग-अलग बैठकें आयोजित कीं, एक निर्यात संवर्धन संगठनों/संघो के साथ फरवरी 1987 में उनकी शिकायतों/परिचालन संबंधी समस्याओं को सुनने के लिए और दूसरी अप्रैल 1987 में कुछ चयनित बैंकों के अध्यक्षों के साथ इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गयी थी कि निर्यातकों को बैंकों के साथ व्यवहार में किन परिचालन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा उनके समाधान के क्या उचित उपाय हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग विकास पर अध्ययनदल

2.143 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सामान्य पिछड़ेपन और उस स्थान की नाजुक स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया कि इस क्षेत्र में बैंकिंग विकास के लिए की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में एक अध्ययन किया जाए। तदनुसार, मई 1986 में इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। अपने अध्ययन के दौरान, अध्ययन दल ने बैंकों, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं से भी भेंट की और उनके साथ विचार-विमर्श किया। अक्तूबर 1986 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों में मोटे रूप से चार पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे आधारभूत आवश्यक सुविधाओं का

entirety and suggest such modifications as may be necessary. The sub-group has submitted its report and the recommendations made therein are under consideration.

Standing Committee on Export Finance

2.142 The important decisions taken by the Standing Committee on export finance in January 1987 and the steps taken to implement them have been already covered earlier. At the instance of the Government of India, the Bank held two separate meetings, one with export promotion organisations/associations to listen to their grievances/operational problems in February 1987 and another with the chairmen of a few selected banks in April 1987 for discussing the operational problems faced by exporters in their dealings with banks, and for deciding appropriate remedial measures for resolving them.

Study Team on Banking Development in the North-Eastern Region

2.143 Considering the general backwardness of the North-Eastern region and the need for accelerated development of the region in view of the vulnerable position in which it is placed, it was decided to undertake a study with regard to the steps to be taken for banking development in the region. Accordingly, a Study Team headed by an Executive Director of the Bank was deputed to the region in May 1986. The Study Team, during the course of its study, also met representatives of banks, State governments and other institutions and held discussions with them. The recommendations made by the Study Team in the report submitted in October 1986 broadly covered four major aspects viz., provision of infrastructural facilities, banking facilities, extension facilities and

प्रावधान, बैंकिंग सुविधाएं, विस्तार सुविधाएं और क्रियात्मक कार्यक्रम की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह की समीक्षा हेतु समिति

2.144 ग्रामीण क्षेत्र को सांस्थानिक ऋण प्रवाह की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक समिति नियुक्त किये जाने के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। मई 1987 में आयोजित उसकी चौथी बैठक में समिति ने ऊपर उल्लिखत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग विकास पर अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया। इस क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में एक अलग कार्य दल नियुक्त किया जाये और इन राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर समितियाँ कार्य योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादन की निरंतर समीक्षा करेंगी। प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक खंड के विकास हेतु एक समन्वित कार्यक्रम पायलट आधार पर तैयार किया जायेगा।

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों का पता लगाने और उनकी पुनःस्थापना में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के लिए समिति

2.145 इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को फरवरी 1987 में पर्याप्त और गहन राहत उपायों और उनको तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ प्रारंभिक रुग्णता के कार्यकारी संकेतों की एक व्यापक सूची और कतिपय मानदंडों के अनुसार रुग्ण इकाइयों को प्रदान किये जानेवाली राहत/रियायतों की एक सूची जारी की गयी थी।

लघु उद्योग क्षेत्र को सांस्थानिक ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति

2.146 स्थायी सलाहकार समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र को बैंक ऋण के प्रवाह और बैंकों तथा मीयादी ऋण संस्थाओं के बीच समन्वयन में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये उपायों की समीक्षा की, जो संतोषप्रद

monitoring and follow-up of the action programme.

Committee to Review the Flow of Institutional Credit for Rural Sector

2.144 Mention was made in last year's Report about the setting up of a Committee by the Reserve Bank to review the flow of institutional credit to the rural sector. At its fourth meeting held in May 1987, the Committee considered the recommendations made by the Study Team on Banking Development in the North-Eastern region referred to above. For the rapid economic development of this region on the lines suggested by the Study Team, it was decided to set up a separate Task Force in each State in the region and the State–level bankers committees in these States would constantly review the performance under Action Plans. An integrated plan for development of at least one block would be drawn up on a pilot basis for each State.

Committee on Problems in Identification and Rehabilitation of Sick SSI Units

2.145 On the basis of the recommendations of the Committee, guidelines stressing the need for adequate and intensive relief measures and their speedy application were issued to banks in February 1987. An illustrative list of working signals of incipient sickness and a list of reliefs/concessions that can be extended to sick units according to certain norms were issued along with the guidelines.

Standing Advisory Committee to Review Flow of Institutional Credit to SSI Sector

2.146 The Standing Advisory Committee reviewed the flow of bank credit to SSI sector and also the measures taken by the Reserve Bank to improve co-ordination between banks and term-lending institutions which were found to be

पाये गये। किन्तु, समिति ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त की और निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं :

i) लघु उद्योग के विकास से संबंधित राज्य सरकारें और फेडरेशन /संघ औद्योगिक रूग्णता के कारणों/समस्याओं का पता लगाने और सूचना प्रणाली में सुधार लाने के लिए लघु उद्योग इकाइयों का नमूना अध्ययन करें।

ii) ऋण प्रवाह में विलंब को कम करने के लिए ग्राहक सेवा केन्द्रों को लोकप्रिय बनाने के उपाय किये जाने चाहिये।

iii) लघु उद्योग क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह से संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए राज्यस्तरीय अंतर-सांस्थानिक समितियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

2.147 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में समिति ने महसूस किया कि इस क्षेत्र की अपेक्षाकृत न्यून ऋण ग्रहण क्षमता को आधारभूत आवश्यक सुविधाएं, उद्यमी विकास, निविष्टियों की सुनिश्चित आपूर्ति, टेक्नालाजी की उन्नति और पर्याप्त विपणन सहायता उपल्बध कराते हुए धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए।

बैंकों में प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए स्थायी समन्वयन समिति

2.148 बैंकों में प्रशिक्षण व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित और प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने की दृष्टि प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों में चालू आधार पर प्रशिक्षण व्यवस्था के समन्वयन, निगरानी तथा मार्गदर्शन के वास्ते मार्च 1986 में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गर्वनर की अध्यक्षता में एक स्थायी समन्वयन समिति नियुक्त की गयी।

satisfactory. The Committee, however, expressed concern over the increasing number of SSI units falling sick and made the following recommendations:

i) The State Government and federations/associations concerned with the development of SSI may take up sample studies of SSI units to identify problems/causes leading to industrial sickness and to make suitable arrrangements to improve the information system.

ii) Measures should be taken to popularise the customer service centres to reduce delays in the flow of credit.

iii) The State—level inter-institutional committees should be made use of for sorting out policy issues concerning flow of credit to SSI sector.

2.147 In connection with the financing of SSI sector in the North-Eastern region, the Committee felt that the relatively low credit absorption capacity of the region should be gradually increased by providing infrastructural facilities, entrepreneurial development, assured supply of inputs, upgradation of technology and adequate marketing support.

Standing Co-ordination Committee for Training Arrangements in Banks

2.148 For strengthening the training arrangements in banks with a view to providing adequately motivated and trained man-power, a Standing Co-ordination Committee under the Chairmanship of a Deputy Governor of the Reserve Bank was constituted in March 1986 to co-ordinate, monitor and guide the training arrangements in banks on an on-going basis.

विविध

मुद्रा बाज़ार पर कार्यकारी दल

2.149 मुद्रा बाजार पर कार्यकारी दल अध्यक्ष : श्री एन. वाघुल) ने जनवरी 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन में रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये कुछ उपायों का पहले उल्लेख किया गया था। इस संबंध में लिए गये कुछ अन्य निर्णय नीचे दिये गये हैं।

कुछ समय के लिए, लागू ब्याज दरों के अनुसार मांग मुद्रा बाजार का ढांचा और बाजार में भाग लेने वालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

फिलहाल रिज़र्व बैंक अलग-अलग मामले के आधार पर संस्थाओं के लिए पुनर्भुनाई बाजार में प्रवेश पर नियंत्रण जारी रखेगा, यद्यपि पुनर्भुनाई बाजार में प्रवेश अब तक की तुलना में कम प्रतिबंधक रहेगा।

अप्रैल 1987 से "182 दिन खजाना बिल" पुनर्वित्त सुविधा लागू की गयी थी जिसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा जो बैंकों के पास ऐसे बिलों की धारिता के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। इस सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त की ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक है।

रिज़र्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय किया है कि अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखतों में व्यवहार के लिए एक वित्त भवन (फाइनेन्स हाउस) स्थापित किया जाए जिसका प्राथमिक उद्देश्य इन लिखतों को उन्नत लिक्विडिटी प्रदान करना होगा। यह वित्त भवन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया जायेगा।

2.150 **बिल भुनाई दर** : 16.5 प्रतिशत की अधिकतम उधार दर के अधीन उधारकर्ताओं के वर्गों के लिए बिल वित्तपोषण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बिल भुनाई दर पहली अप्रैल 1987 से 15.5 प्रतिशत की एक प्रभावी ब्याज दर के समकक्ष स्तर पर निर्धारित की गयी।

Miscellaneous

Working Group on the Money Market

2.149 The Working Group on the Money Market (Chairman Shri N. Vaghul) submitted its Report in January 1987. Some of the measures taken by the Bank in implementing the recommendations of the Group were referred to earlier. A few other decisions taken in this respect are mentioned below.

For the time being, the structure of the call money market in terms of the administered interest rates and the participants in the market would remain unchanged.

The Reserve Bank would, for the present, continue to control entry to the rediscount market for institutions on a case-by-case basis, though access to the rediscount market would be less restrictive than hitherto.

A '182 Days Treasury Bill' refinance facility was introduced from April 1987 under which scheduled commercial banks would be provided refinance by the Reserve Bank equivalent to 50 per cent of the banks' holdings of such bills. The interest rate of refinance under this facility is 10 per cent per annum.

The Reserve Bank has, in principle, decided to set up a Finance House to deal in short-term money market instruments with the primary objective of imparting improved liquidity to these instruments. The Finance House is being set up jointly with public sector banks and financial institutions.

2.150 Bill Discount Rate: With a view to encouraging bill financing, for categories of borrowers subject to the maximum lending rate of 16.5 per cent, the bill discounting rate was fixed at a level equivalent to an effective interest rate of 15.5 per cent from April, 1, 1987.

2.151 पुनर्भुनाई दर : पहली अप्रैल 1987 से पुनर्भुनाई दर पर उच्चतम सीमा 11.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी। यद्यपि बिल भुनाई दर और पुनर्भुनाई दर के बीच का मार्जिन उसके द्वारा कम कर दिया गया था, इस उपाय से पुनर्भुनाई बाजार में अतिरिक्त निधियों के आने की आशा है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को भी धीरे-धीरे मांग बाजार से पुनर्भुनाई बाजार की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा।

2.151 *Rediscount Rate:* With effect from April 1,1987 ceiling on the rediscount rate was raised from 11.5 per cent to 12.5 per cent per annum. Although the margin between the bill discount rate and rediscount rate is thereby lowered, this measure is expected to attract additional funds into the rediscount market and also encourage the Life Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India to progressively move from the call market to the rediscount market.

2.152 बिल पुनर्भुनाई योजना : यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को उनके पास रखे गये वास्तविक विनिमय बिलों की निर्यात ऋण गारंटी निगम सीमित, और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के साथ पुनर्भुनाई की अनुमति दी जाए।

2.152 *Bills Rediscounting Scheme:* It has been decided that banks may be permitted to rediscount genuine trade bills of exchange held by them with the Export Credit Guarantee Corporation Ltd., and Industrial Development Bank of India in addition to scheduled commercial banks, Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation and its subsidiaries, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Unit Trust of India and Industrial Reconstruction Bank of India.

बैंकों में ग्राहक सेवा

2.153 ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंकों द्वारा अनेक कदम उठाये गये। मार्च 1986 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहक सेवा पर कार्यदल की सिफारिशों की सीमा, क्षमता, और कार्यान्वयन पर एक सर्वेक्षण का आयोजन करें। यह सूचित किया गया है कि बैंकों ने, कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत अधिकांश सिफारिशों को कुल मिलाकर कार्यान्वित कर दिया है। बैंक को यह सूचित किया गया कि वे कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कार्यदल की सभी सिफारिशों का एक सार-संग्रह समुचित स्पष्टीकरणों/विस्तार के साथ अपनी शाखाओं को प्रेषित करें ताकि वे ग्राहकों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें।

Customer Service in Banks

2.153 A number of steps were taken to improve the customer service by banks. Public sector banks were advised in March 1986 to conduct a survey on the extent, efficacy and implementation of the recommendations of the Working Group on customer service. It is reported that banks have by and large implemented most of the recommendations accepted for implementation. Banks were also advised to furnish to their branches a compendium of all the recommendations of the Working Group accepted for implementation with suitable clarifications/elaborations so as to enable them to deal effectively with customers problems.

2.154 जिन विशिष्ट पहलुओं पर बैंकों को सूचित किया गया, वे इस प्रकार हैं : 1) 2500 रुपये से अनधिक मूल्य के बाहरी चेकों को तुरंत जमा (क्रेडिट) करना। 2) वसूली में 14 दिन से अधिक विलंब हो जाने पर बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान। 3) जमा खातों के लिए नामन सुविधाएं लागू करना। 4) नेमी (रूटीन) सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक शाखाओं पर समय-मानदंड प्रदर्शित करना 5) मृत ग्राहकों के खाते में जमा 25,000 रुपये तक कि राशि उत्तराधिकारी/उत्तरजीवी को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर जोर दिये बिना ही क्षतिपूर्ति/गारंटी के आधार पर चुका देना। 6) ग्राहकों को अपनी समस्या के समाधान हेतु सीधे मिलने के लिए महीने में एक दिन को ग्राहक सेवा दिवस के रूप में विनिर्दिष्ट करना। 7) नियमित अंतरालों पर कार्यपालकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं का दौरा करना।

2.154 The specific aspects on which banks were advised to take action include: 1) immediate credit to outstation cheques for value not exceeding Rs.2500. 2) payment of interest at savings bank rate for delay in collection of instruments beyond 14 days. 3) introduction of nomination facilities for deposit accounts. 4) display of time norms at the bank branches for rendering routine services. 5) balances in the accounts of the deceased customers upto Rs.25,000 to be paid to the successor/survivor without insisting on succession certificates and on the basis of indemnity / guarantee. 6) setting apart specific day in the month as customer service day for meeting the customers directly to ascertain their problems and 7) visits to rural branches by the executives at regular intervals.

वाणिज्य बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था

2.155 1986 के दौरान डकैती/लूट के 110 मामले थे जिनमें 395.34 लाख रुपये थे जबकि 1985 के दौरान 171.14 लाख रुपये के 79 मामले थे। सुरक्षा व्यवस्था पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैंकों को सूचित किया गया कि वे "कार्य योजनाएं" तैयार करें और उन्हें कार्यान्वित करने में की गयी प्रगति का उल्लेख करते हुए तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डकैती/लूट की संख्या में वृद्धि को देखते हुए बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत बनाने के उपायों का सुझाव देना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने मार्च 1987 में भारतीय रिज़र्व बैंक के एक उप गर्वनर की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए एक समिति नियुक्त की।

Security Arrangements in Commercial Banks

2.155 There have been 110 cases of dacoities/robberies involving an amount of Rs.395.34 lakhs during 1986 as against 79 cases involving Rs.171.14 lakhs during 1985. Several important decisions on security arrangements were taken. Banks were advised to evolve 'action plans' and furnish quarterly reports indicating the progress achieved in implementing them. In view of the increasing number of dacoities/robberies, it was considered necessary to review the security arrangements in banks and suggest measures to strengthen them. Accordingly, the Reserve Bank set up a Committee in March 1987 under the Chairmanship of a Deputy Governor for the purpose.

2.156 इस समिति ने मई 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसकी एक सिफारिश के अनुसार, करेंसी चेस्ट सहित, बैंकों में सुरक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए

2.156 The Committee submitted its Report in May 1987. As per one of its recommendations it has been decided to set up a security planning cell in the

रिज़र्व बैंक में एक सुरक्षा आयोजना कक्ष की स्थापना किये जाने का निर्णय किया गया है। बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों पर मार्गदर्शन और निर्देशन की इस कक्ष से अपेक्षा की जायेगी। प्रत्येक राज्य की राजधानी में सुरक्षा पर शीघ्र ही एक संचालन (स्टीयरिंग) समिति नियुक्त किये जाने का भी प्रस्ताव है जिसके संयोजक भारतीय रिज़र्व बैंक स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक होंगे। रिपोर्ट की अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

Reserve Bank to look into all aspects of security in banks, including currency chests. The cell will be expected to provide guidelines and directions on all matters relating to security arrangements in banks. It is also proposed to appoint a steering committee on security at each state capital shortly with the Manager of RBI local office as its convener; other recommendations of the Report are under consideration.

वाणिज्य बैंकों में मशीनीकरण/कंप्यूटरीकरण

2.157 जून 1987 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी 1,050 शाखाओं में लगभग 2,750 एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनें स्थापित कीं। मार्च 1987 में बैंकों में मशीनीकरण/कंप्यूटरीकरण पर एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और इससे बैंकों में मशीनीकरण/कंप्यूटरीकरण के कार्यक्रम को बल मिलेगा। क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय के लिए 100 मिनी कम्प्यूटर प्रणालियां भेजी जा चुकी हैं और 87 ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। सॉफ्टवेअर का उद्योग स्तर पर मानकीकरण किये जाने के प्रयास चल रहे हैं। रिज़र्व बैंक में भी प्रधान कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण के लिए विनिर्दिष्टताओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

Mechanisation/Computerisation in Commercial Banks

2.157 As at the end of June 1987 the public sector banks had installed about 2,750 advanced ledger posting machines at over 1,050 branches. A fresh agreement on mechanisation/computerisation in banks was signed in March 1987 and it will lend thrust to the programme of mechanisation/computerisation in banks. For regional/zonal offices, over 100 mini-computer systems have been delivered and 87 were operationalised. Efforts are being made to standardise software at industry level. The Reserve Bank is also in the process of finalising specifications and guidelines for computerisation at head offices.

चेक समाशोधन का कंप्यूटरीकरण

2.158 बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली के बीच माइकर फार्मेट में अंतर-नगरीय चेकों के समाशोधन का कार्य अब मध्यम गति रीडर/सार्टर प्रणालियों और कूरियर सेवा की सहायता से किया जाता है। नयी प्रणाली के कारण अंतर नगर समाशोधन एक सप्ताह के भीतर हो जाता है, जबकि पहले चार सप्ताह तक का समय लग जाता था। अगले वर्ष के दौरान उपर्युक्त चार केन्द्रों पर आहरित किये जानेवाले और ग्राहकों द्वारा अहमदाबाद, बंगलूर और हैदराबाद के बैंकों में जमा कराये जानेवाले चेकों का भी उपर्युक्त योजना के अंतर्गत समाशोधन किया जायेगा। स्थानीय समाशोधन चेकों के मशीनीकृत प्रॉसेसिंग के लिए बंबई और मद्रास में उच्च गति रीडर/सॉर्टर मशीनें लगा दी

Computerisation of Cheque Clearance

2.158 Clearing of inter-city cheques in MICR format between Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi is now done using medium speed reader/sorter system and the courier service. The new system has resulted in the inter-city cheques being cleared within a week as against the previous time lag of upto 4 weeks. During the next year, MICR cheques drawn on the above four centres and deposited by customers with banks in Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad will also be cleared under the above scheme. High speed reader/sorter machines have been

गयी हैं और यह प्रणाली पूरी तरह से परिचालन में आ गयी है। अगले वर्ष में यह सुविधा कलकत्ता और नयी दिल्ली में भी उपलब्ध करा दी जायेगी। सितंबर 1986 में मिनी कंप्यूटर प्रणाली लागू करके कलकत्ता समाशोधन गृह में निपटान कार्यों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। ऐसी ही प्रणालियाँ अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद, कानपुर और नयी दिल्ली में पहले से ही परिचालन में है। शेष छः केन्द्रों, अर्थात भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, तिरूवनन्तपुरम और पटना में भी अगले वर्ष के दौरान निपटान कार्यों का कंप्यूटरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

installed at Bombay and Madras for mechanised processing of local clearing cheques and the system has become fully operational. The facility will be extended to Calcutta and New Delhi during the next year. The settlement operations at Calcutta Clearing House has been computerised by introducing a mini-computer system in September 1986. Similar systems have already been operationalised at Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Kanpur and New Delhi. It is proposed to computerise the settlement operations at the remaining six centres, namely, Bhubaneswar, Guwahati, Jaipur, Nagpur, Trivandrum and Patna during the next year.

आयकर अधिनियम, 1961 की परिधि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को छूट

2.159 दिसंबर 1985 में जारी की गयी पहले की एक अधिसूचना (पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित) में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने एक अन्य अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों पर उपचित ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 193 III अ की परिधि से छूट का लाभ अब केवल विनिर्दिष्ट बैंकों अर्थात यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब और सिंध बैंक, विजया बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को ही उपलब्ध होगा। अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में दी गयी रियायतें वापस ले ली गयी हैं।

Exemption of Public Sector Banks from the Purview of the Income Tax Act, 1961

2.159 In partial modification of an earlier notification issued in December 1985 (referred to in the last year's Report), Government of India issued another Notification in terms of which the benefit of exemption from the purview of Section 193(IIIA) of the Income Tax Act in respect of deduction of tax at source from the interest accruing on investments made by them in Government securities would be now available only to specified banks viz. UCO Bank, United Bank of India, Dena Bank, New Bank of India, Punjab & Sind Bank, Vijaya Bank and Punjab National Bank. Concessions in respect of other public sector banks stand withdrawn.

तार अंतरण/भुनाई सुविधा

2.160 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को वर्तमान में उपलब्ध तार अंतरण भुनाई सुविधा की अवधि 31 अक्तूबर 1987 तक बढ़ा दी गयी। जिन बैंकों को तार अंतरण भुनाई सीमाएं मंजूर की गयी उनकी संख्या 49 रही। (रिज़र्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत दरों के लिए कृपया इस अध्याय का परिशिष्ट II देखें)।

Telegraphic Transfer/Discounting Facility

2.160 The existing telegraphic transfer/discounting facility available to the scheduled commercial banks was extended upto October 31, 1987. The number of banks which have been sanctioned telegraphic transfer/discounting limits remained at 49. (For rates under Reserve Bank's Remittance Facilities scheme please see Appendix II to this Chapter).

बैंकों में हिन्दी का संवर्द्धन/प्रयोग

2.161 तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने के मामले में बैंकों ने संतोषजनक प्रगति की। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने (28 में से 21) ने शत-प्रतिशत जवाब हिन्दी में दिये। किन्तु, हिन्दी में पत्राचार के मामले में की गयी प्रगति संतोषजनक नहीं थी, यद्यपि कुछ बैंकों ने "क" क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य अर्थात कुल पत्राचार का 80 प्रतिशत प्राप्त कर लिया था।

2.162 द्विभाषिक दस्तावेज जारी करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के 28 में से 21 बैंकों ने अपने दस्तावेजों के 90 प्रतिशत से भी अधिक दस्तावेजों का द्विभाषीकरण कर लिया था। जनता के साथ उपयोग में आनेवाले सभी फार्मों का द्विभाषीकरण और जहां कहीं आवश्यक हुआ, त्रिभाषीकरण कर लिया गया है। हिन्दी में आहरित चेक और ड्राफ्ट बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के स्वीकार किये जाते हैं। बैंकों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टें और तुलन पत्र दोनों भाषाओं में एक ही आवरण के भीतर मुद्रित करवाये। हिन्दी के प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए कुछ बैंकों ने अपने कार्यालयों/शाखाओं में "हिन्दी प्रतिनिधि" नियुक्त किये हैं।

Promotion/Use of Hindi in Banks

2.161 According to the quarterly progress reports, satisfactory progress was made by banks in sending replies in Hindi to letters received in Hindi. A majority of public sector banks (21 out of 28) sent 100 per cent replies in Hindi. However, the progress in correspondence done in Hindi was not satisfactory although some banks have achieved the target fixed for Region 'A' i.e. 80 per cent of the total correspondence.

2.162 In respect of issuing bilingual documents, 21 out of 28 public sector banks issued more than 90 per cent of their documents bilingually. All forms used at the points of contact with the public have been bilingualised or trilingualised wherever necessary. Cheques and drafts drawn in Hindi are accepted without any additional formality. Banks have printed their annual reports and balance sheets in diglot form under one cover. Some of the banks have appointed the 'Hindi Pratinidhi' in their offices/branches to keep a watch on the use of Hindi.

परिशिष्ट I
1 अप्रैल 1987 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप
APPENDIX I
INTEREST RATE STRUCTURE EFFECTIVE FROM APRIL 1, 1987

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत) Rate of Interest (percent per annum)	
	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1996 से लागू Effective April 1, 1987
I. सार्वजनिक वसूली और वितरण एजेंसियां **Public Procurement and Distribution Agencies**		
1. भारत सरकार की पूर्ण मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों (गेहूं, धान/ चावल तथा मोटे अनाज) की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों / भारतीय खाद्य निगम की एजेंसियों के रूप में कार्यरत एजेंसियां, जहाँ बिक्री सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर की जाती है। FCI, State Governments/agencies acting as agencies of FCI for procurement of foodgrains (wheat, paddy/rice and coarse foodgrains) under the full price support scheme of the Government of India, where the sales are at fixed prices through Government approved outlets.	14.00	14.00
2 (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर बिक्री के लिए निर्दिष्ट अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली/वितरण का कार्य सौंपा गया है, ये पण्य हैं : दालें, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नमक और चीनी। Advancesto Central and State Government agencies entrusted with procurement/distribution of specified essential consumer commodities for sale at fixed prices through Government approved outlets, the commodities being pulses, edible oils, kerosene, salt and sugar.	15.00	15.00

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I(*Contd.*)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित मूल्यों पर दालों और तिलहनों की खरीद का कार्य सौंपा गया है। Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of pulses and oilseeds at support prices fixed by the Central Government.	15.00	15.00
3. (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उपर्युक्त श्रेणी 2 में निर्दिष्ट पण्यों से इतर अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है। Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of essential consumer commodities other than those specified in category 2 above.	16.50	15.50
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें ऐसी नकदी फसलों की वसूली का कार्य सौंपा गया है जहां मूल्य समर्थन दिया जाता है। Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of cash crops where there is an element of price support.	16.50	15.50
(iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है। Advances to Central and State Government agencies entrusted with procurement and distribution of fertilizers, pesticides and seeds.	16.50	15.50
4. केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें वाणिज्य आधार पर बिक्री के लिए पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है। Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of commodities for sale on a commercial basis.	Not exceeding 17.50 से अनधिक	16.50
II. **न्यूनतम उधार दरें (चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमा के भीतर आनेवाले पण्यों के लिए)** **Minimum Lending Rate** *(for commodities coming within the purview of selective credit control)*		
(i) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट Loans/advances/cash credit/overdrafts against commodities subject to selective credit control.	17.50	16.50

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I(*Contd.*)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987.
(ii) सभी स्टाकों के संदर्भ में चीनी मिलें Sugar mills in respect of all stocks	16.50 (न्यूनतम) (minimum)	16.50
III. निर्यात **Exports**		
1. पोतलदानपूर्व ऋण Pre-shipment Credit		
(i) 180 दिन तक Upto 180 days	9.50	9.50
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक Beyond 180 days and upto 270 days	11.50*	11.50*
(iii) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत आनेवाले नकदी प्रोत्साहनों आदि पर (90 दिनों तक) Against cash incentives, etc. covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	9.50	9.50
2. पोतलदानोत्तर ऋण Post-shipment Credit		
(i) मांग बिल-पारवहन अवधि के लिए (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथानिर्दिष्ट) Demand bills-for transit period (as specified by FEDAI)	9.50	9.50
(ii) मीयादी बिल-180 दिन तक Usance bills-upto 180 days	9.50	9.50
(iii) निर्यात ऋण और गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत सरकार से प्राप्य नकदी प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिनों तक) Cash incentives, duty draw-back, etc., receivable from Government covered by Guarantee of ECGC (upto 90 days)	9.50	9.50

* रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ।
With the prior approval of the Reserve Bank.

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I(*Contd.*)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
(iv) अनाहरित राशियां (90 दिनों तक) Undrawn balances (upto 90 days)	9.50	9.50
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय प्रति धारण धन (केवल आपूर्ति के अंश के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	9.50	9.50
3. आस्थगित ऋण Deferred Credit		
एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण Deferred Credit for period beyond one year	8.65	8.65
4. शुल्क-वापसी ऋण योजना, 1976 Duty Draw-back Credit Scheme, 1976		
सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी पर (90 दिनों तक) Against duty draw-back as provisionally certified by the Customs Authorities (upto 90 days)	ब्याज रहित Free of interest	ब्याज रहित Free of interest
5. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण Export credit not otherwise specified	14.00 से 16.50 तक 14.00 to 16.50	14.00 से 15.50 तक 14.00 to 15.50
IV. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) £ **Agriculture (Direct Finance)£**		
कृषकों को दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण Short-term loans to farmers		
(क) 5,000 रु. तक (a) Upto Rs. 5,000	11.50	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 10,000 रु. तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 10,000	12.50	12.50

£ परोक्ष वित्त के मामले में, अर्थात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/ कृषक सेवा समितियों/बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समितियों के जरिये अग्रिमों के मामले में, अंतिम उधारकर्ता के संदर्भ में लगायी जानेवाली दर इस क्षेत्र विशेष में सहकारी समितियों द्वारा लगायी जानेवाली दर के समकक्ष होनी चाहिए और यह दर किसी भी मामले में प्रत्यक्ष वित्त पर लागू दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/ बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों से बैंकों द्वारा लगायी जानेवाली दर संबद्ध श्रेणी की उक्त दरों की तुलना में कम से कम 2.5 प्रतिशत अंक कम होनी चाहिए।

In the case of indirect finance i.e., advances through PACS/FSS/LAMPS, the rate to the ultimate borrowers should be the same as charged by co-operatives in the area and in any case not exceeding the rates applicable to direct finance. The rate to be charged by the banks to PACS/FSS/LAMPS should be atleast 2.5 percentage points lower than the rates for the respective category.

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
(ग) 10,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (c) Over Rs. 10,000 and upto Rs. 25,000	12.50 से 14.00 तक 12.50 to 14.00	12.50 से 14.00 तक 12.50 to 14.00
(घ) 25,000 रु. से अधिक (d) Over Rs. 25,000	14.00 से 16.50 तक 14.00 to 16.50	14.00 से 15.50 तक 14.00 to 15.50
आ. बीजों के उत्पादन एवं वितरण, दोनों में लगी इकाइयों को अग्रिम B. Advances to units engaged in both production and distribution of seeds.	14.00	14.00
इ. उर्वरकों के वितरण के लिए अग्रिम C. Advances for distribution of fertilizers		
(क) 5,000 रु. तक (a) Upto Rs. 5,000	11.50	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000	11.50 से 14.00 तक 11.50 to 14.00	11.50 से 14.00 तक 11.50 to 14.00
(ग) 25,000 रु. से अधिक (c) Over Rs. 25,000	14.00 से 16.50 तक 14.00 to 16.50	14.00 से 15.50 तक 14.00 to 15.50
V. लघु उद्योग **Small-scale Industry**		
1. 25,000 रु. तक के संमिश्र ऋण Composite loans upto Rs. 25,000		
(क) पिछड़े क्षेत्र (a) Backward areas	10.00	10.00
(ख) अन्य क्षेत्र (b) Other areas	12.00	12.00
2 निम्नलिखित सीमाओं के अल्पावधि अग्रिम : Short-term advances, limits of:		
(क) 2 लाख रुपये सहित और 2 लाख रुपये तक (a) Upto and inclusive of Rs. 2 lakhs	12.50 से 14.00 तक 12.50 to 14.00	12.50 से 14.00 तक 12.50 to 14.00
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक (b) Over Rs. 2 lakhs and upto Rs. 25 lakhs	14.00 से 16.50 तक 14.00 to 16.50	14.00 से 15.50 तक 14.00 to 15.50
(ग) 25 लाख रुपये से अधिक (c) Over Rs. 25 lakhs	16.50 से 17.50 तक 16.50 to 17.50	16.50

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I(*Contd.*)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
3. कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के प्रयोजनार्थ) के सहायतार्थ राज्य-स्तरीय निगमों को अग्रिम Advances to State-level corporations for assisting artisans, village and cottage industries (for purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the out puts of the beneficiaries).	12.50	12.50
4. राज्य-प्रायोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास निगमों को (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के लिए) अग्रिम Advances to State-sponsored SC/ST development corporations (for purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries)	12.50	12.50
VI. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण * **Loans to IRDP beneficiaries** *	10.00	10.00
VII. अन्य श्रेणियां **Other Categories**		
1. विभेदक ब्याज दर अग्रिम DRI advances	4.00	4.00
2. फुटकर व्यापार अग्रिम Retail trade advances		
(क) 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक की सीमाएं (a) Limits upto and inclusive of Rs. 5,000	12.50	12.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000	12.50 से 15.00 तक 12.50 to 15.00	12.50 से 15.00 तक 12.50 to 15.00
(ग) 25,000 रु. से अधिक (c) Over Rs. 25,000	15.00 से 17.50 तक 15.00 to 17.50	15.00 से 16.50 तक 15.00 to 16.50
3. शैक्षिक अग्रिम Educational advances		
(क) भारत में उच्च अध्ययन के प्रयोजन के लिए निर्धन विद्यार्थी (a) Indigent students for purpose of higher education in India.	बैंक दर से कम नहीं Not less than Bank Rate	बैंक दर से कम नहीं Not less than Bank Rate

* ब्याज की निर्धारित दर ली जायेगी, चाहे नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया हो या नहीं

The prescribed rates will be charged irrespective of whether refinance is obtained from NABARD or not

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I(Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
(ख) अन्य शैक्षिक अग्रिम (b) Other educational advances	14.00 से 16.50 तक 14.00 to 16.50	14.00 से 15.50 तक 14.00 to 15.50
4. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र Priority sectors not otherwise specified	14.00 से 16.50 तक 14.00 to 16.50	14.00 से 15.50 तक 14.00 to 15.50
5. अन्य सभी अग्रिम All other advances .	16.50 से 17.50 तक 16.50 to 17.50	16.50
6. 16.5 प्रतिशत ब्याज की अधिकतम दर की शर्त पर उधारकर्ताओं की श्रेणियों के लिए विनिमय बिल भुनाई पर ब्याज दर Interest rate on discounting of bills of exchange for categories of borrowers subject to the maximum rate of interest of 16.5 per cent.		15.50
VIII मीयादी ऋण **Term-Loans**		
1. लघु उद्योग की इकाइयाँ Small-scale industry units in		
(i) पिछड़े क्षेत्र में Backward areas	12.50**	12.50**
(ii) अन्य क्षेत्रों में Other areas	13.50	13.50
2. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) $ Agriculture (Direct Finance)$		
(i) लघु सिंचाई और भूमि विकास Minor irrigation and land development	10.00	10.00
(ii) अन्य प्रयोजन Other purposes		
(क) लघु कृषक (a) Small farmers	10.00	10.00
(ख) अन्य कृषक (b) Other farmers	12.50	12.50

** यह ब्याज दर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नयी इकाइयों पर लागू है। वर्तमान लघु उद्योग इकाइयों के विस्तार/विशाखन के लिए, 13.50 प्रतिशत की दर लागू होनी चाहिए।
This rate of interest is applicable for new units set up in backward areas. For expansion/diversification of existing small-scale units, the rate of 13.50 per cent should be applied.

$ अप्रत्यक्ष वित्त के मामले में ये दरें अंतिम उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋणों पर जो कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति/बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समिति/कृषक सेवा समितियों के जरिये दिये जाते हैं, लागू हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समिति/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समिति/कृषक सेवा समितियों के संदर्भ में, बैंकों द्वारा ली जानेवाली दर अंतिम उधारकर्ता से ली जानेवाली दर से 1.5 प्रतिशत अंकों से कम होनी चाहिए।
In the case of indirect finance these rates are applicable to the loans to the ultimate borrowers where the loans are routed through PACS/LAMPS/FSS. The rates to be charged by the banks to the PACS/LAMPS/FSS should be lower than the rates to the ultimate borrowers by 1.5 percentage points.

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I(*Contd.*)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
(iii) उधारकर्ता/कृषक "लघु कृषक" है या नहीं इसको ध्यान में रखे बिना कृषि प्रायोजनों के लिए नये और नवीकरणीय ऊर्जा-स्त्रोतों पर आधारित उपकरणों की खरीद के लिए मीयादी ऋण Term-loans for purchase of equipment based on new and renewable sources of energy for agricultural purposes, irrespective of whether the borrower/farmer is "small farmer" or otherwise.	10.00	10.00
3. गृह निर्माण Housing		
(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक SCs/STs upto and inclusive of Rs. 5,000	4.00	4.00
(ii) अन्यों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक Others upto and inclusive of Rs. 5,000	12.50	12.50
(iii) 5,000 रु. से अधिक और 50,000 रु. तक Over Rs. 5,000 and upto Rs. 50,000	13.50	13.50
(iv) 50,000 रु. से अधिक Over Rs. 50,000	15.00	15.00
4. सड़क परिवहन चालक Road Transport Operators		
(i) दो वाहनों तक Upto two vehicles	12.50	12.50£
(ii) तीन या अधिक वाहन Three or more vehicles	15.00	15.00£
5. अन्य सभी मीयादी ऋण All other term-loans	15.00	15.00
IX अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋण) @*** Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (term-loans) @***	13.50	13.50

£ अधिक से अधिक 6 वाहनों के समूह के स्वामित्व वाले लघु परिवहन परिचालक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अल्पावधि वित्त पर दर 14.00 से 15.00 प्रतिशत की सीमा के भीतर होनी चाहिए। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त दरें मद VIII(4) के अंतर्गत दर्शाये गये मीयादी ऋणों के लिए निर्धारित दरों से कम न हों।

Small transport operators owning a fleet not exceeding 6 vehicles come within the purview of priority sector. The rate on short-term finance should be within the range of 14.00 to 15.50 per cent. For term loans the rates should not be less than the rates indicated under item VIII (4).

परिशिष्ट । (समाप्त)
APPENDIX I (Concld.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1987 से पूर्व Prior to April 1, 1987	1 अप्रैल 1987 से लागू Effective April 1, 1987
X अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋणों से भिन्न)@*** Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (other than term-loans) @ ***	14.00	14.00
XI. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना Scheme for providing self-employment to educated unemployed youth		
क) पिछड़े ज़िले : (a) Backward districts:		
(i) 25, 000 रुपये तक ऋण Loans upto Rs. 25,000	10.00	10.00
(ii) 25,000 रुपये से अधिक ऋण Loans exceeding Rs. 25,000	12.50	12.50
(ख) अन्य ज़िले : (b) Other districts:		
(i) 25, 000 रुपये तक ऋण Loans upto Rs. 25,000	12.00	12.00
(ii) 25,000 रुपये से अधिक ऋण Loans exceeding Rs. 25,000†	13.50	13.50
XII शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण Loans under self-employment programme for urban poor.		10.00
XIII विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत शामिल व्यक्तियों को छोड़कर विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता-प्रत्येक मामले में अधिकतम 2,500 रु. तक Financial assistance to physically handicapped persons other than those covered under the DRI Scheme for purchase of artificial limbs and aids subject to maximum of Rs. 2,500 in each case.	Not exceeding 15.00 से अनधिक	Not exceeding 15.00 से अनधिक

@ "व्यावसायिक और स्वरोज़गार प्राप्त व्यक्ति" इस अभिव्यक्ति में बताये गये अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को 7 फरवरी, 1983 के आरपीसीडी सं. पीएस. बीसी. 21/सी. 682-83 के माध्यम से दी गयी सूचना के अनुबंध। के पैराग्राफ 6 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जायेगा।

The expression 'professionals and self-employed persons' shall be as clarified in RBI's advice to commercial banks set out in RPCD No. PS BC. 21/C 682-83 dated February 7, 1983.

*** व्यावसायिक और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों तथा छोटे कारोबारों को दिये गये उन अग्रिमों पर जो विशिष्ट रूप से मद IX और X के अंतर्गत नहीं आते हैं मीयादी ऋण के लिए ब्याज की दर 15 प्रतिशत और अल्पावधि वित्त के लिए 15.00 से 15.50 प्रतिशत होनी चाहिए।

For advances to professionals and self-employed persons and small business not specifically covered under items IX and X the rate should be: term loan — 15 per cent, and short-term finance — 15.00 to 15.50 per cent.

† इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक उद्यमों के लिए 35,000 रुपये तक ऋण मंजूर किये जाते हैं। ऐसे मामलों में संपूर्ण ऋण राशि पर बढ़ी हुई दर लागू होगी।

Loans upto Rs. 35,000 are allowed under the scheme for industrial ventures. The entire loan amount will carry the enhanced rate in such cases.

स्रोत: बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भा. रि. बैंक.

Source: Department of Banking Operations and Development, RBI.

परिशिष्ट II
APPENDIX II

रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें
RATES FOR TELEGRAPHIC TRANSFERS, BANK DRAFTS AND MAIL TRANSFERS UNDER THE RESERVE BANK'S REMITTANCE FACILITIES SCHEME

बैंकिंग संस्थाओं के लिए
BANKING INSTITUTIONS

बैंकिंग संस्थाएं रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और एजेन्सियों के माध्यम से तार अंतरणों, डाक अंतरणों या ड्राफ्टों द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार निधियां प्रेषित कर सकती हैं :

Banking institutions may remit funds by telegraphic transfers, mail transfers or drafts through offices of the Bank and agencies as detailed below:

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
(अ) अनुसूचित बैंक (A) SCHEDULED BANKS				
1. रिज़र्व बैंक कार्यालयों में रखे खातों के बीच Between accounts at RBI offices	सममूल्य पर At par	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में In multiples of Rs. 10,000, subject to a minimum of Rs. 50,000	कोई सीमा नहीं No limit	—
2. (क) किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में (a) From an agency office to an account maintained with RBI	सममूल्य पर At par	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs.25,000	एक सप्ताह में चार बार Four times a week	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उपकार्यालयों या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किंतु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी। Remittances are permitted to each of the scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.
(ख) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में (b) From any account with RBI to an agency office	सममूल्य पर At par.	वही -do-	एक सप्ताह में पंद्रह बार Fifteen times a week	—
3. किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक में रखे उसके खाते में किये गये अन्य प्रेषण Other remittances to its account with RBI from an agency office	प्रीमियम पर- 2 पैसे% न्यूनतम 1 रु. At premium 2 P%; minimum Re. 1	कोई सीमा नहीं No limit	कोई सीमा नहीं No limit	—

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II *(Contd)*

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये अन्य प्रेषण– Other remittances favouring—				
(क) स्वयं या वाणिज्य या सहकारी बैंक या सहकारी समिति	5,000 रु. तक 3 पैसे% न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	—
(a) Themselves or a commercial or co-operative bank or a co-operative society	Upto Rs. 5,000-3 P %; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-2 P %; minimum Rs. 1.50	No Limit	No Limit	—
(ख) अन्य पार्टियां	5,000 रु. तक 6 पैसे% न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	—
(b) Other parties	Upto Rs. 5,000-6 P %; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-3 P%; minimum Rs. 3	No Limit	No Limit	—
(आ) गैर-अनुसूचित बैंक (B) NON-SCHEDULED BANKS				
1. रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में रखें खातों के बीच	सममूल्य पर	20,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	—
Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 20,000	No limit	—
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय में रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	10,000 के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उपकार्यालयों या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है. किंतु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी।
From an agency office to an account maintained with the RBI	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000	Four times a week	Remittances are permitted to each of the non-scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II *(Contd)*

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	10,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	—
From an account with the RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000.	Fifteen times a week	—
3. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये अन्य प्रेषण : Other remittances favouring :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 1रु.* 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	—	—
(a) themselves	At premium	Upto Rs. 5,000-3 P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-2 P%; minimum Rs. 1.50	—	—
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 1रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.	—	—
(b) third parties	At premium	Upto Rs. 5,000-6 P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-3 P%; minimum Rs. 3	—	—
(इ.) राज्य सहकारी बैंक (C) STATE CO-OPERATIVE BANKS				
1. रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	किन्हीं दो राज्य सहकारी बैंकों की संख्या के बीच भी प्रेषणों की अनुमति है
Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs.10,000, subject to a minimum of Rs. 50,000	No limit	Remittances are also allowed between accounts of any two state co-operative banks

परिशिष्ट 11 (जारी)
APPENDIX II (Contd.)

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय से From an agency office :				
(क) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते में (ख) किसी एजेंसी कार्यालय के पास रखे राज्य सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को उन राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में माना गया है जिनके साथ वे इन सुविधाओं के प्रयोजन के लिए संबद्ध किये गये हैं
(a) to an account maintained with RBI (b) to the head office account of the state co-op. bank maintained with an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs.25,000	Four times a week	Central and industrial co-operative banks are treated as branches of state co-operative banks to which they are affiliated for the purpose of these facilities
(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	राज्य सहकारी बैंक देश के केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाओं को एक सप्ताह में कुल मिलाकर केवल 15 प्रेषण कर सकता है, न कि अपनी प्रत्येक शाखा को 15 प्रेषण
From an account with RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Fifteen times a week	A state co-operative bank can make only 15 remittances in all in a week to any of its branches at upcountry centres and not 15 remittances to each of its branches

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II *(Contd)*

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances.	टिप्पणी Remarks
3. किसी एजेंसी कार्यालय से उसके द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में किये जाने वाले अन्य प्रेषण	प्रीमियम पर	2 पैसे % न्यूनतम 1 रु.	कोई सीमा नहीं	—
Other remittances to an account which it maintains with the RBI from an agency office	At premium	2 P%; minimum Re. 1	No limit	—
4. निम्नलिखित-के पक्ष में किये जानेवाले अन्य सभी प्रेषण : Other remittances favouring :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 0.25 रु. 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	कोई सीमा नहीं	(i) किसी राज्य सहकारी बैंक के साथ संबद्ध मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में माना गया है। (ii) किसी राज्य सहकारी बैंक या समिति को उसके पक्ष में राज्य सहकारी बैंक की सूचना पर किसी केन्द्र में प्रेषण जारी किये जायेंगे, चाहे उस केन्द्र में उसका कार्यालय हो या न हो।
(a) Themselves	At premium	Upto Rs. 5,000-3 P%; minimum Re. 0.25 Over Rs.5,000 2 P%, minimum Rs. 1.50	No limit	(i) Central and industrial co-op. banks affiliated to a state co-op. bank are treated as branches of the latter (ii) Remittances will be issued to a state co-op. bank or society in its own favour on any centre at the instance of the state co-op. bank irrespective of whether it has an office at that centre or not

परिशिष्ट II (समाप्त)
APPENDIX II *(Concld.)*

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 0.25 रु. 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.	कोई सीमा नहीं	—
(b) Third parties	At premium	Upto Rs. 5,000-6 P%; minimum Re. 0.25 Over Rs. 5,000-3 P%; minimum Rs. 3	No limit	—

* : छोटी राशियों के लिए ड्राफ्ट 12 पै. % ; न्यूनतम 0.25 रु.
Drafts for small amounts at 12 P.% ; minimum Re. 0.25

टिप्पणी : (i) "सप्ताह" से आशय है शनिवार से प्रारंभ होनेवाली और आगामी शुक्रवार को समाप्त होनेवाली अवधि।

Note : 'Week' means the period commencing from a Saturday and ending with the succeeding Friday.

(ii) जिन मामलों में प्रेषण तार अंतरण द्वारा भेजे जाते हैं उन मामलों में विनिमय प्रभारों के अतिरिक्त तार प्रभार भी देय है।

Where remittances are sent by telegraphic transfer, telegram charges are payable in addition to the exchange charges.

(iii) 'अन्य प्रेषण' ट्रेजरी एजेंसियों को अथवा उनसे भी भेजे जा सकते हैं।

Other Remittances' can also be made to or from treasury agencies.

(iv) वे राज्य सहकारी बैंक, जो अनुसूचित बैंक हैं, केवल योजना 'इ' के अंतर्गत प्रेषण सुविधाओं का लाभ स्वयं उठा सकते हैं, न कि योजना 'अ' के अंतर्गत।

State co-operative banks, which are scheduled banks, will be able to avail themselves of remittance facilities only under Scheme C and not under Scheme A.

(v) वे सहकारी बैंक/समितियां भी उपर्युक्त मद (4) के अनुसार प्रेषण सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं जिनका किन्हीं राज्य सहकारी बैंकों से संबंध नहीं है।

Co-operative banks/societies which are not affiliated to any state co-operative bank are also entitled to remittance facilities as in item (4) above.

स्रोत : सरकारी और बैंक लेखा विभाग, रिज़र्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना, 1975 की पुस्तिका

Source : Department of Government and Bank Accounts, RBI and Booklet on Reserve Bank of India Remittance Facilities Scheme, 1975.

अध्याय 3
सहकारी बैंकिंग

विहगावलोकन

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए 1985-86 (जुलाई-जून) की अद्यतन अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। इस अवधि के दौरान सहकारी बैंकिंग क्षेत्र (राज्य, केन्द्र तथा प्राथमिक स्तरों को मिलाकर) की कुल जमाराशियां 11,067 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,828 करोड़ रुपये हो गयीं। अलबत्ता, वृद्धि दर 1984-85 की 17.2 प्रतिशत की तुलना में कम अर्थात 15.9 प्रतिशत थी। अल्प वृद्धि दर तीनों स्तरों की संस्थाओं के संबंध में विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण की समितियों के मामले में देखने में आयी थी।

3.2 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान सहकारी संस्थाओं (प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को छोड़कर जिन्हें वित्तीय वर्ष 1986-87 से इस प्रकार की सहायता के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था) की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि प्रवर्त्तन) निधि में से ऋण मंजूर करने की अधिकतम सीमाओं को संशोधित करके बढ़ा दिया गया। नाबार्ड ने राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के वास्ते ऋण की अलग से एक श्रृंखला मंजूर की और नाबार्ड ने गैर-कृषि गतिविधियों के लिए राज्य और जिला स्तरीय ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के वास्ते एक प्रमुख नीतिगत शुरुआत भी की ताकि ऐसी संस्थाओं को भी वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बराबरी पर लाया जा सके। नाबार्ड ने गैर-कृषि गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त का स्तर बैंक ऋण के इस समय के 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया। भूमि विकास बैंकों की कमजोर प्राथमिक इकाइयों की परिचालनगत दक्षता सुधारने की दृष्टि से नाबार्ड ने ऐसे कमजोर भूमि विकास बैंकों के पुनर्वास के लिए एक दस-सूत्री कार्यक्रम शुरू किया जिनकी अतिदेय राशियां 30 जून 1985 को उनकी मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थीं।

CHAPTER 3
CO-OPERATIVE BANKING

Overview

During 1985-86 (July-June), the latest period for which data are available, total deposits in the co-operative banking sector (state, central and primary levels together) increased from Rs.11,067 crores to Rs.12,828 crores. The growth rate was, however, lower at 15.9 per cent as compared with 17.2 per cent in 1984-85. The lower growth rate was noticed in respect of institutions at all the three levels, particularly in respect of primary agricultural credit societies.

3.2 During 1986-87 (July-June) the ceilings for grant of loans to the State Governments for contribution to the share capital of co-operative institutions (other than primary co-operative banks, which were made ineligible for such assistance from the financial year 1986-87) out of the National Rural Credit (Long-Term Operations) Fund were revised upwards. The NABARD sanctioned a separate line of credit for providing refinance for the national oilseeds development programme and also took a major policy initiative in providing refinance facilities to the state and district level credit institutions for non-farm activities, to bring them on par with the commercial banks and regional rural banks. It also stepped up the level of refinance for non-farm activities to 100 per cent of bank loans from the existing level of 90 per cent. With a view to improving the operational efficiency of the weak primary units of land development banks, the NABARD initiated a 10-point Action Programme for rehabilitation of weak land development banks whose overdues exceeded 60 per cent of the demand as on June 30, 1985.

सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति

3.3 वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की निष्पादकता के बारे में सारणी 3.1 में बताया गया है। 29 राज्य सहकारी बैंकों की जमाराशियां जून 1986 के अंत में 419 करोड़ रुपये अथवा 14.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,385 करोड़ रुपये हो गयीं। इसकी तुलना में 1984-85 में इनमें 16.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1985-86 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा जारी की गयी 5,516 करोड़ रुपये के ऋण की कुल राशियां 1,099 करोड़ रुपये अथवा 24.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती हैं। पिछले वर्ष इनमें 0.6 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट हुई थी। जून 1986 के अंत में बकाया ऋणों में अतिदेय राशियों का 7.6 प्रतिशत का अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंक कम रहा। इसी अवधि के दौरान अतिदेय राशियों का अनुपात 1.3 प्रतिशत अंक की मामूली सी कमी के साथ 9.2 रह गया।

3.4 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान दो और मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्थापित किये गये जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 352 हो गयी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियों में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 4,932 करोड़ रुपये हो गयीं। 1984-85 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गये 7,333 करोड़ रुपये के ऋणों की कुल राशि 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 26.7 प्रतिशत की थी। वर्ष के दौरान बकाया ऋणों और मांग में अतिदेयों के प्रतिशत 28.8 और 36.9 से बढ़कर क्रमशः 31.2 और 37.8 हो गये।

3.5 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या जून 1985 के अंत की 91,749 से बढ़कर जून 1986 के अंत में 92,430 तथा उनकी सदस्य संख्या 692 लाख से बढ़कर 721 लाख हो गयी। इसी अवधि के दौरान उनकी जमाराशियों में 48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 572 करोड़ रुपये हो गयी। पिछले वर्ष यह वृद्धि 12.9 प्रतिशत की थी। 1985-86 के

Progress of Credit Co-operatives

3.3 The performance of co-operative credit institutions during the years 1983-84 to 1985-86 is indicated in Table 3.1. Deposits with 29 state co-operative banks (SCBs) rose by Rs.419 crores or by 14.1 per cent to Rs.3,385 crores at end-June 1986, as compared with 16.0 per cent during 1984-85. Total amount of loans issued by the SCBs during 1985-86 at Rs.5,516 crores showed an appreciable increase of Rs.1,099 crores or 24.9 per cent in contrast to a marginal decline of 0.6 per cent in the preceding year. The proportion of overdues to loans outstanding at the end of June 1986 at 7.6 per cent was lower by 0.2 percentage point than that a year ago. The proportion of overdues to demand declined by 1.3 percentage points to 9.2 per cent over the same period.

3.4 During 1985-86, (July-June) two more central co-operative banks (CCBs) were established, raising the total number to 352. Deposits with CCBs increased by 14.1 per cent to Rs.4,932 crores as compared with growth rate of 14.8 per cent recorded during 1984-85. The total amount of loans issued by CCBs at Rs.7,333 crores showed a rise of 13.2 per cent as compared with that of 26.7 per cent in the preceding year. The percentage of overdues to loans outstanding and demand increased over the year from 28.8 per cent and 36.9 per cent respectively to 31.2 per cent and 37.8 per cent.

3.5 The number of PACS increased from 91,749 as at the end of June 1985 to 92,430 by end-June 1986, their membership rising from 692 lakhs to 721 lakhs. Their deposits increased by Rs.48 crores over the same period to Rs.572 crores showing a rise of 9.2 per cent, as compared with that of 12.9 per cent in the previous year. Loans

सारणी 3.1: भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति
TABLE 3.1 : PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA

(राशि करोड़ रुपये में) (Amount in Rs.crores)

संस्था का प्रकार Type of Institution	मद Item	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून) Co-operative year (July-June)		
		1983-84	1984-85 £	1985-86 £
(क) राज्य सहकारी बैंक (a) State Co-operative Banks	संख्या Number	28	28	29
	स्वाधिकृत निधियां Owned Funds	544	553	616
	जमाराशियां Deposits	2,556	2,966	3,385
	रिज़र्व बैंक/नाबार्ड से लिये गये ऋण Borrowings from RBI/NABARD	903	791	923
	उसमें से: Of which for:			
	अल्पावधि कृषि प्रयोजन Short-term agricultural purposes	584	446	550
	कार्यकारी पूंजी Working capital	4,494	4,853	5,547
	जारी किये गये ऋण Loans issued	4,444	4,417	5,516
	बकाया ऋण Loans outstanding	2,916	3,150	3,852
	अतिदेय ऋण Loans overdue	178	245	292
	अतिदेयों में निम्नलिखित का % % of overdues to:			
	(i) बकाया ऋण Loans outstanding	6.1	7.8	7.6
	(ii) मांग Demand	10.0	10.5	9.2
(ख) मध्यवर्ती सहकारी बैंक (b) Central Co-operative Banks	संख्या Number	349	350	352
	स्वाधिकृत निधियां Owned funds	900	955	1,007
	जमाराशियां Deposits	3,766	4,322	4,932
	रिज़र्व बैंक/नाबार्ड/शिखर बैंकों से लिए गये ऋण Borrowings from RBI/NABARD/Apex banks	2,002	2,303	2,351
	कार्यकारी पूंजी Working capital	7,155	7,926	8,663
	जारी किये गये ऋण Loans issued	5,110	6,476	7,333
	बकाया ऋण Loans outstanding	4,707	5,075	5,444
	अतिदेय ऋण Loans overdue	1,567	1,463	1,696
	अतिदेयों में निम्नलिखित का % % of overdues to:			
	(i) बकाया ऋण Loans outstanding	33.3	28.8	31.2
	(ii) मांग Demand	41.4	36.9	37.8

(जारी) (Contd.)

सारणी 3.1: भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति (समाप्त)
TABLE 3.1 : PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA *(Concld)*

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in Rs.crores)

संस्था का प्रकार Type of Institution	मद Item	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून) Co-operative year (July-June)		
		1983-84	1984-85 £	1985-86 £
(ग) राज्य/मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक (c) State/Central Land Development Banks	संख्या Number	19	19	19
	स्वाधिकृत निधियां Owned funds	378	428	473
	बकाया डिबेंचर Debentures outstanding	..	..	..
	कार्यकारी पूंजी Working capital	3,145	3,360	3,532
	जारी किये गये ऋण + Loans issued +	439	461	533
	बकाया ऋण @ + Loans outstanding @ +	2,236	2,386	2,625
	अतिदेय ऋण @ Loans overdue @	283	268	323
	अतिदेयों में निम्नलिखित का % % of overdues to :			
	(i) बकाया ऋण Loans outstanding	12.7	11.2	12.3
	(ii) मांग Demand	44.0	42.8	45.0
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (d) Primary Agricultural Credit Societies	संख्या (हजारों में) Number (000's)	92	92	92
	सदस्यता (हजारों में) Membership (000's)	66,669	69,182	72,118
	स्वाधिकृत निधियां Owned funds	957	1,035	1,128
	जमाराशियां Deposits	464	524	572
	उधार Borrowings	3,164	3,743	3,927
	जारी किये गये कुल ऋण Total loans issued	2,499	2,693	3,140
	कुल बकाया ऋण Total loans outstanding	3,498	3,981	4,324
	कुल अतिदेय ऋण Total loans overdue	1,575	1,630	1,807
	अतिदेयों में निम्नलिखित का % % of overdues to :			
	(i) बकाया ऋण Loans outstanding	45.0	40.9	41.8
	(ii) मांग Demand	42.9	42.1	44.1
(ङ) प्राथमिक सहकारी बैंक * (e) Primary Co-operative Banks*	संख्या Number	1,310	1,331	1,346
	स्वाधिकृत निधियां Owned funds	429	511	612
	जमाराशियां Deposits	2,659	3,255	3,939
	उधार Borrowings	185	210	214
	बकाया ऋण Loans outstanding	2,103	2,524	3,046

£ अनंतिम Provisional. .. : अनुपलब्ध Not available. + दीर्घावधि ऋण Long-term loans.

@ ब्याज अतिदेय शामिल है Includes interest overdue. * वेतनभोगी समितियां शामिल हैं Include Salary Earners' Societies.

स्रोत : नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक Source : NABARD and RBI.

दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा वितरित किये गये 3,140 करोड़ रुपये के कुल ऋण 16.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं जबकि 1984-85 में इनमें 7.8 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। अलबत्ता, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वसूली की स्थिति चिंता का कारण बनी रही। उनकी अतिदेय राशियां जून 1985 के अंत के 1,630 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,807 करोड़ रुपये हो गयी।ये जून 1986 के अंत में बकाया कुल ऋणों का 41.8 प्रतिशत थीं। इसी अवधि के दौरान मांग में अतिदेय राशियों का प्रतिशत 42.1 से बढ़कर 44.1 हो गया।

3.6 1985-86 के दौरान 15 प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित किये गये जिससे उनकी कुल संख्या बढ़कर जून 1986 के अंत में 1,346 हो गयी। उनके द्वारा जुटाई गयी राशियों में जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान 684 करोड़ रुपये या 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे जून 1986 के अंत में 3,939 करोड़ रुपये हो गयी।1984-85 में इनमें 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक सहकारी बैंकों के बकाया ऋणों की कुल राशि में वर्ष के दौरान 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 3,046 करोड़ रुपये हो गयीं। यह वृद्धि पिछले वर्ष की 20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में थोड़ी सी अधिक थी।

3.7 तीनों स्तरों की सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा अल्प और मध्यवर्ती कृषि ऋणों पर ली जानेवाली ब्याज दरों की अनुसूची कृषि ऋणों पर ली जानेवाली ब्याज दरों की अनुसूची सारणी 3.2 और 3.3 में दी गयी है। ब्याज दरों के ढांचे में 1983 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नाबार्ड के कार्य

नाबार्ड के संसाधन

3.8 1986-87 के दौरान नाबार्ड के वित्तीय संसाधन, विशेष रूप से भारत सरकार से ऋण, रिज़र्व बैंक से अंशदान और बांड जारी करके बाजार ऋणों के जरिये जुटाये गये थे। नाबार्ड के अल्पावधि ऋण कार्यों के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,

aggregating Rs.3,140 crores were disbursed by PACS during 1985-86 showing an appreciable increase of 16.6 per cent as against 7.8 per cent in 1984-85. However, recovery performance of PACS continued to remain a matter of concern. Their overdues increased from Rs.1,630 crores as at the end of June 1985 to Rs.1,807 crores and formed 41.8 per cent of the total loans outstanding at end-June 1986. The percentage of overdues to demand also increased from 42.1 per cent to 44.1 per cent over the same period.

3.6 During 1985-86, 15 primary co-operative banks (PCBs) were established, raising the total number of PCBs to 1,346 as at the end of June 1986. The deposits mobilised by them rose by Rs.684 crores or by 21.0 per cent to Rs.3,939 crores during the year ended June 1986; the increase was 22.4 per cent during 1984-85. The total amount of loans outstanding of the PCBs increased by 20.7 per cent over the year to Rs.3,046 crores which was marginally higher than the increase of 20.0 per cent in the preceeding year.

3.7 The schedules of interest rates charged by the co-operative credit institutions at all the three levels in respect of short-term and medium-term agricultural loans are given in Tables 3.2 and 3.3. The structure of interest rates has remained unchanged since 1983.

Operations of NABARD

Resources of NABARD

3.8 The financial resources of the NABARD were augmented during 1986-87 mainly by borrowing from Government of India, contributions from the Reserve Bank and market borrowings through issue of bonds. The limit under the

सारणी 3.2 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें
TABLE 3.2 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF CO-OPERATIVE STRUCTURE

(अल्पावधि कृषि ऋण)
(Short-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	9.50/12.00	@	11.50/14.00
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	7.50	9.00/9.50/10.50	11.50/12.50/14.00
असम Assam	10.00/12.00	@	11.50/14.00
बिहार Bihar	7.75	9.75	11.50/14.00
गुजरात Gujarat	7.50	8.00/11.00	11.50/12.50/14.00
हरियाणा Haryana	7.25	9.00	11.50
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	7.60	10.00	12.50
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	7.50	9.35/10.35/11.85	11.50/12.50/14.00
कर्नाटक Karnataka	7.50/8.15	9.00/10.00/11.00	11.50/12.50/14.00
केरल Kerala	7.50/7.75	9.00/9.50	11.50/12.50
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	7.50/8.00	9.00/11.00	11.50/14.00
महाराष्ट्र Maharashtra	7.25	9.00	11.50/14.00
मणिपुर Manipur	10.00/11.00	@	11.50/12.50
मेघालय Meghalaya	10.00/12.50	@	11.50/14.00
नागालैंड Nagaland	10.00/11.00/12.50	@	11.50/12.50/14.00
उड़ीसा Orissa	7.50	10.00	12.50
पंजाब Punjab	7.30	9.00	11.50
राजस्थान Rajasthan	7.75	9.00/10.50	11.50/14.00
तमिलनाडु Tamil Nadu	7.66	9.00/10.00	11.50/12.50
त्रिपुरा Tripura	9.75	@	12.50
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	7.25	8.75/9.75	11.50/12.50/14.00

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 3.2 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (समाप्त)
TABLE 3.2 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF CO-OPERATIVE STRUCTURE *(Concld.)*

(अल्पावधि कृषि ऋण)
(Short-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies
पश्चिम बंगाल West Bengal	7.75	9.75/10.00	11.00/11.50/12.50
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	9.50/10.50/12.00	@	11.50/12.50/14.00
चंडीगढ़ Chandigarh	10.50/12.50	@	11.50/14.00
दिल्ली Delhi	9.50/12.00	@	11.50/12.50/14.00
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman and Diu	9.00	@	11.00
पांडिचेरी Pondicherry	9.25/9.50/9.75	@	11.25/12.00/12.50

@ इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है। *There are no CCBs in these areas.*

टिप्पणी : जहां एक से अधिक ब्याज दरें दर्शायी गयी हैं, वे भिन्न-भिन्न आकार के ऋणों के लिये हैं। वर्ष 1983 में राज्यों में विभिन्न तारीखों में पिछली संशोधित दरें तब से अपरिवर्तित हैं।

Note : Where more than one interest rate is indicated, they are on the basis of the size of loans. The rates, which were last revised on various dates in the States in 1983 have remained unchanged since then.

स्रोत : नाबार्ड
Source : NABARD.

सारणी 3.3 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें
TABLE 3.3 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF CO-OPERATIVE STRUCTURE

(मध्यावधि कृषि ऋण)
(Medium-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	8.25/10.50	@	10.25/12.50
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	7.50	9.00/9.50	10.25/12.50
असम Assam	9.00/10.50	@	10.25/12.50
बिहार Bihar	7.50/8.50	8.50/9.00/9.50	10.25/12.50
गुजरात Gujarat	7.00	8.00	10.00
हरियाणा Haryana	7.25/7.50	8.25/9.50	10.25/12.50
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	..	10.50	13.00
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	7.50/7.70	8.45/8.70/10.00	10.25/12.50
कर्नाटक Karnataka	7.50/7.75	8.75/10.00	10.25/12.50
केरल Kerala	7.50/7.75	8.25/9.50	10.25/12.50
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	7.50	8.25/9.50	10.25/12.50
महाराष्ट्र Maharashtra	7.25	9.00	12.00
मणिपुर Manipur	8.50/10.50	@	10.25/12.50
मेघालय Meghalaya	8.75/11.00	@	10.25/12.50
नागालैंड Nagaland	9.50/9.25/11.00	@	10.25/12.50
उड़ीसा Orissa	7.00/8.50	8.25/10.50	10.00/12.50
पंजाब Punjab	7.30	9.00	11.50
राजस्थान Rajasthan	7.25	8.25/10.00	10.25/12.50
तमिलनाडु Tamil Nadu	7.25/7.66	8.25/10.00	10.25/12.50
त्रिपुरा Tripura	9.00/9.25	@	10.50/11.50
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	7.20	8.75/10.00	10.25/12.50

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 3.3 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (समाप्त)
TABLE 3.3 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF CO-OPERATIVE STRUCTURE *(Concld.)*

(मध्यावधि कृषि ऋण)
(Medium-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies
पश्चिम बंगाल West Bengal	7.75	9.75/10.00	11.00/11.50/12.50
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands	8.25/10.50	@	10.25/12.50
चंडीगढ़ Chandigarh	9.25/11.50	@	10.25/12.50
दिल्ली Delhi		@	10.25/12.50
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman and Diu	11.00	@	13.00
पांडिचेरी Pondicherry	9.00/9.50	@	10.25/12.00

@ : इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है।
There are no CCBs in these areas.

: अनुपलब्ध।
Not available.

टिप्पणी : जहां एक से अधिक ब्याज दरें दर्शायी गयी हैं, वे पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां कि ये दरें ऋणों के आकार के अनुसार हैं, अन्यत्र अलग-अलग प्रयोजनों के लिए हैं। वर्ष 1983 में राज्यों में विभिन्न तारीखों में संशोधित पिछली दरें तबसे अपरिवर्तित हैं।

Note : Where more than one interest rate is indicated, they are for different purposes, except in West Bengal where they are on the basis of the size of loans. The rates, which were last revised on various dates in the States in 1983 have remained unchanged since then.

स्रोत : नाबार्ड
Source : NABARD.

1934 की धारा 17(4उ) के अंतर्गत मंजूर सामान्य ऋण शृंखला के अंतर्गत सीमा को वर्ष के दौरान 1,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,400 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1986-87 के दौरान नाबार्ड द्वारा जुटाये गये कुल शुद्ध संसाधन नीचे बताये गये अनुसार 887 करोड़ रुपये के थे :

General Line of Credit sanctioned under Section 17(4E) of the RBI Act, 1934 for financing the NABARD's short-term lending operations was raised during the year from Rs.1,300 crores to Rs.1,400 crores. The aggregate net resources mobilised by the NABARD during 1986-87 amounted to Rs.887 crores as indicated below:

नाबार्ड द्वारा जुटाये गये संसाधन (शुद्ध)*

RESOURCES (NET) MOBILISED BY THE NABARD*
(जुलाई-जून)
(July-June)

(करोड़ रुपये)
(Rs. crores)

संसाधन Resources	1985-86	1986-87
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष Reserves and Surplus	41	43
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि NRC (LTO) Fund	490	600
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि NRC (Stabilisation) Fund	35	20
जमाराशियाँ Deposits	46	−8
बांड और डिबेंचर Bonds and Debentures	25	40
भारत सरकार से लिए गये उधार Borrowings from Government of India	−6	106
भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गये उधार Borrowings from RBI	99	89
अन्य देयताएं Other Liabilities	32	−3
जोड़ Total	**762**	**887**

*आंकड़े अनंतिम हैं। Data are provisional

3.9 1986-87 के दौरान रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में क्रमशः 350 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में 10 करोड़ रुपये तथा नाबार्ड ने इन निधियों में क्रमशः 250 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये डाले। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक से शुद्ध उधार 89 करोड़ रुपये के रहे जबकि 1985-86 के दौरान ये 99 करोड़ रुपये के थे। 1986-87 के दौरान भारत सरकार से शुद्ध ऋण 106 करोड़ रुपये के रहे जबकि 1985-86 के दौरान चुकौतियों के माध्यम से अदा की जानेवाली शुद्ध राशियां 6 करोड़ रुपये की रहीं।

3.9 During 1986-87, the Reserve Bank contributed Rs.350 crores to NRC (LTO) Fund and Rs.10 crores to NRC (Stabilisation) Fund and the NABARD contributed Rs.250 crores and Rs.10 crores respectively, to these funds. The net borrowings from the Reserve Bank during the year amounted to Rs.89 crores as against Rs.99 crores during 1985-86. Net borrowings from the Government of India during 1986-87 amounted to Rs.106 crores as against a net outgo of Rs.6 crores by way of repayments during 1985-86.

कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता

अल्पावधि ऋण

3.10 1986-87 मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा मंजूर की गयी कुल अल्पावधि ऋण सीमाएं 1,425 करोड़ रुपये थीं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1,309 करोड़ रुपये की सीमा मंजूर की गयी थी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत मंजूर की गयी राशि में 41 करोड़ रुपये शामिल किये गये हैं। इन सीमाओं में से आहरण 1,756 करोड़ रुपये के थे जबकि 1985-86 में 1,698 करोड़ रुपये आहरित किये गये थे। कुल चुकौतियां पिछले वर्ष के 1,594 करोड़ रुपये की तुलना में 1,647 करोड़ रुपये की थीं। जून 1987 के अंत की स्थिति के अनुसार इन सीमाओं में से बकाया राशियां 660 करोड़ रुपये की थीं। नाबार्ड द्वारा कृषि और अन्य गतिविधियों जैसे फसलों का विपणन, उर्वरकों का वितरण आदि के लिए उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे सारणी 3.4 में दिये गये हैं।

मध्यावधि ऋण

3.11 कैलेण्डर वर्ष 1986 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को मध्यावधि कृषि प्रयोजनों के लिए मंजूर ऋण सीमाएं तथा उनके द्वारा किये गये आहरण क्रमशः 22 करोड़ रुपये और 14 करोड़ रुपये के थे जबकि पिछले वर्ष के दौरान ये राशियां क्रमशः 24 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये की थीं। दिसंबर 1986 के अंत में 34 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गयी सीमाएं और उनके द्वारा किये गये आहरण सारणी 3.4 में दर्शाये गये हैं।

परिवर्तन ऋण

3.12 1986-87 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 192 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएं मंजूर की गयी थीं, ताकि वे सूखे, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वड़े इलाके में फसलों के

The NABARD'S Assistance for Agriculture and other Allied Activities

Short-term Credit

3.10 During 1986-87, short-term credit limits aggregating Rs.1,425 crores were sanctioned by the NABARD for financing seasonal agricultural operations as against Rs.1,309 crores in the previous year. The sanctions during the year include Rs.41 crores under the National Oilseeds Development Project (NODP). The drawals against these limits were Rs.1,756 crores as compared with Rs.1,698 crores in 1985-86. Total repayments were Rs.1,647 crores as against Rs.1,594 crores in the previous year. The outstandings against these limits stood at Rs.660 crores at the end of June 1987. The details of financial accommodation provided by the NABARD for agriculture and other activities such as marketing of crops, distribution of fertilisers, are given in Table 3.4.

Medium-term Credit

3.11 During the calendar year 1986, credit limits for medium-term agricultural purposes sanctioned to SCBs and drawals made by them amounted to Rs. 22 crores and Rs. 14 crores as against Rs. 24 crores and Rs. 13 crores, respectively, in the preceding year. The amount outstanding at end-December 1986 was Rs. 34 crores. Credit limits sanctioned to the SCBs on behalf of CCBs and drawals made by them during the year are shown in Table 3.4.

Conversion Loans

3.12 During 1986-87 SCBs/CCBs were sanctioned credit limit of Rs.192 crores to enable them to convert short-term agricultural loans (including rephasing and resche-

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (1985-86 और 1986-87)
TABLE 3.4 : THE NABARD'S CREDIT TO CO-OPERATIVES AND STATE GOVERNMENTS (1985-86 and 1986-87)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा Section of the NABARD Act, 1981	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त Term-wise/Purpose-wise Finance	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं Period for which limits are sanctioned	1985-86 मंजूर की गयी ऋण सीमाएं Limits Sanctioned	1985-86 निकाली गयी राशियाँ Drawals	1985-86 चुकायी गयी राशियाँ Repayments	1985-86 बकाया Outstandings	1986-87 मंजूर की गयी ऋण सीमाएं Limits Sanctioned	1986-87 निकाली गयी राशियाँ Drawals	1986-87 चुकायी गयी राशियाँ Repayments	1986-87 बकाया Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I अल्पावधि Short-term		**1,672**	**2,219**	**2,107**	**747**	**1,781**	**2,468**	**2,425**	**790**
21 (1)(i)/2(i) 21 (1)(i)/3(क) 21 (1)(i)/3(ख) 21(1)(i)/2(i) 21(1)(i)/3(a) 21(1)(i)/3(b)	मौसमी कृषि-कार्य (बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर) Seasonal agricultural operations (at 3% below Bank Rate)	जुलाई-जून July-June	1,309	1,698*	1,594	551	1,425	1,756	1,647	660
	जिसमें से एन ओ डी पी के लिये of which for NODP						41	17	4	13
	रुई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन (बैंक दर पर) Marketing of crops other than cotton and kapas (at Bank Rate)	जुलाई-जून July-June	40	67	67	—	42	—	—	—
21 (1)(i)/3(ख) 21(1))(i)/3(b)	रुई की एकाधिकार वसूली सहित रुई और कपास का विपणन (बैंक दर पर) Marketing of cotton & kapas including monopoly procurement of cotton (at Bank Rate)	जुलाई-जून July-June								
21 (1)(ii)/3(ख) 21(1)(ii)/3(b)	उर्वरकों की खरीद और उनका वितरण (बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर) Purchase and distribution of fertilisers (at 1% above Bank Rate)	जनवरी-दिसंबर January-December	29	48	40	24	36	45	52	17
21 (i)(v)/3(क) 21(1)(v)/3(a)	हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और विपणन (बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम दर पर) Production and marketing of handloom products (at 2½% below Bank Rate)	अप्रैल-मार्च April-March	244	362	367	159	256	640	697	102
21 (1)(v)/3(क) 21(1)(v)/3(a)	अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्त पोषण (बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम दर पर) £ Financing of other cottage and small-scale industries (at 2½% below Bank Rate) £	अप्रैल-मार्च April-March	7	5	5	5	11	10	6	9
21 (1)(iv)/21(4) 21(1)(iv)/21(4)	धागों की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर) Purchase and sale of yarn (at Bank Rate)	अप्रैल-मार्च April-March	11	33	29	6	10	16	20	2
21 (1)(iii)/21(3) (क) और 3 (ख) 21(1)(iii)/21(3) (a) & 3 (b)	चीनी गिरवी रखने पर (बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर) Against pledge of sugar (at 5% above Bank Rate).	जुलाई-जून July-June	30	5	5	—	—	—	—	—

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (1985-86 और 1986-87) (समाप्त)
TABLE 3.4 : THE NABARD'S CREDIT TO CO-OPERATIVES AND STATE GOVERNMENTS(1985-86 and 1986-87)(Concld)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 (1)(iii)/21 (2)(i)	मध्यावधि परिवर्तन ऋणों में राज्य सहकारी बैंक के अंश की पूर्ति के लिए कृषि स्थिरीकरण निधि में उद्दिष्ट प्रतिभूतियों की गिरवी पर (बैंक दर)	जुलाई-जून								
21(1)(iii)/21 (2)(i)	Against pledge of securities earmarked under Agricultural Credit Stabilisation Fund for meeting SCB share in MT conversion loans (Bank Rate).	July-June	2	1	—	2	1	1	3	—
	II. मध्यावधि Medium-term		**142**	**102**	**83**	**177**	**215**	**134**	**109**	**202**
24	कृषि प्रयोजनों के लिए (बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)	जनवरी-दिसंबर								
24	Agricultural purposes (at 3% below Bank Rate).	January-December	24	13	16	35	22	14	15	34
	सहकारी अभिसंस्करण समितियों/चीनी मिलों में शेयरों का क्रय (बैंक दर)	जनवरी-दिसंबर								
	Purchase of shares in co-operative processing societies/sugar factories (Bank Rate)	January-December	1	1	1	—	1	—	—	—
22	अभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन जिसमें ऋणों की अदायगी फिर से निर्धारित करने और उनकी अदायगी अवधि बदलना भी शामिल है (बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)	जुलाई-जून								
22	Conversion of ST loans into MT loans in scarcity affected areas including rephasing and rescheduling (at 3% below Bank Rate).	July-June	117	88	66	142	192	120	94	168
27	**III. दीर्घावधि Long-term**		**6**	**7**	**15**	**101**	**14**	**12**	**18**	**95**
	सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (6 प्रतिशत वार्षिक की दर से)	अप्रैल-मार्च								
27	Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions (at 6% per annum)	April-March	6	7	15	101	14	12	18	95
	कुल ऋण Total Credit		**1,820**	**2,328**	**2,205**	**1,025**	**2,010**	**2,614**	**2,552**	**1,087**

— : कुछ नहीं अथवा नगण्य। Nil or Negligible

£ : इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अलग-अलग ग्रामीण कारीगरों को दी गयी वित्तीय सहायता शामिल है।
Includes financing of individual rural artisans through PACS.

स्रोत : नाबार्ड। Source : NABARD.

नष्ट हो जाने की वजह से किसानों को मंजूर किये गये अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में (ऋणों के चरण बदलने और उनकी अदायगी की अवधि बदलने सहित) बदल सकें। वर्ष के दौरान इन सीमाओं में से 120 करोड़ रुपये आहरित किये गये थे और जून 1987 के अंत तक 168 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

दीर्घावधि ऋण

3.13 वित्तीय वर्ष 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान राज्य सरकारों को 14 करोड़ रुपये की दीर्घावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयी थीं ताकि वे सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकें। 1985-86 के दौरान ये सीमाएं 6 करोड़ रुपये की थीं। आलोच्य वर्ष के दौरान इन सीमाओं में से 12 करोड़ रुपये आहरित किये गये थे जबकि 1985-86 में लगभग 7 करोड़ रुपये आहरित किये गये थे। मार्च 1987 के अंत में इन ऋणों में बकाया राशि एक वर्ष पहले के 101 करोड़ रुपये से घटकर 95 करोड़ रुपये रह गयी।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति

3.14 नाबार्ड इस समय विदेशी सहायता प्राप्त 42 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या 39, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि से सहायता प्राप्त दो और जर्मनी संघीय गणराज्य की क्रेडिटान्साटाइल्ट फुर वीडरॉफ बाउ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना एक थी। विश्व बैंक समूह तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों और द्विपक्षीय सहायता द्वारा मंजूर परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के जरिये दी जानेवाली कुल ऋण सहायता 30 जून 1987 को 26,220 लाख अमरीकी डालर थी जबकि एक वर्ष पहले यह राशि 25,310 लाख अमरीकी डालर थी। उपर्युक्त 42 परियोजनाओं में से जून 1987 के अंत तक 34 पूरी हो चुकी थीं। नाबार्ड ऋण परियोजना I के अलावा, इस समय कार्यान्वयन के अधीन

duling of loans) granted to farmers into medium-term loans due to the occurrence of widespread crop failure following drought, floods or other natural calamities. The drawals against these limits during the year amounted to Rs. 120 crores and the amount outstanding at the end of June 1987 stood at Rs. 168 crores.

Long-term Credit

3.13 During the financial year 1986-87 long-term credit limits amounting to Rs. 14 crores were sanctioned to State Governments for contribution to the share capital of co-operative credit institutions as against Rs. 6 crores sanctioned during 1985-86. The drawals against these limits during the year stood at Rs. 12 crores as compared to about Rs. 7 crores in 1985-86. The amount outstanding against these loans declined to Rs. 95 crores by the end of March 1987 from Rs. 101 crores a year ago.

Progress of Externally Aided Projects

3.14 The NABARD is at present associated with the implementation of 42 projects with external aid. The number of projects assisted by the World Bank group was 39, two by International Fund for Agricultural Development and one by *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* of Federal Republic of Germany. The total credit to be routed through NABARD for the projects sanctioned by the World Bank group and other international aid agencies including bilateral assistance aggregated US $ 2,622 million as on June 30, 1987, as against US $ 2,531 million a year ago. Of the 42 projects mentioned above, 34 were completed by the end of June 1987. Apart from NABARD Credit Project I, the projects now under implementation include 2

परियोजनाओं में 2 बहु राज्य परियोजनाएं तथा 5 राज्य विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।

अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के संबंध में अग्रिमों के लिए जमानत संबंधी मानदंड

3.15 सहकारी क्षेत्र द्वारा अपनाये जानेवाले ऋण संबंधी मानदंडों को, वाणिज्य बैंकों में प्रचलित मानदंडों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य के कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यावधि ऋणों और विशेष कार्यक्रमों, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मीयादी ऋणों सहित सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जानेवाले सभी अग्रिमों के संबंध में जमानत संबंधी मानदंड को तत्काल प्रभावी रूप से संशोधित करने का फैसला किया गया। नाबार्ड द्वारा जारी किये गये संशोधित अनुदेशों से वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनाये जा रहे ऋण मानदण्डों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकेगी।

अल्पावधि ऋण

मौसमी कृषि कार्यों के लिए सीमाएं

3.16 यह निर्णय किया गया है कि कमजोर और पुनर्वास के अंतर्गत रखे गये मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को, भले ही उनके अतिदेय कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक परंतु 65 प्रतिशत से कम हों, मौसमी कृषि कार्यों और फसलों के विपणन के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की जाएं। इसके लिए शर्त यह थी कि समयबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम बनाया गया हो और वह नाबार्ड की संतुष्टि के अनुसार लागू हो रहा हो।

पाइलट परियोजना ज़िले

3.17 चुने हुए 15 पाइलट परियोजना ज़िलों में 30 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समितियों के विकास के लिए एक 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया और यह निर्णय किया गया कि पाइलट परियोजना ज़िलों में कार्य कर रहे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि कार्यों के लिए एकमुश्त अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की जाएं, भले ही उनकी अतिदेय

multi-State projects and 5 State-specific projects.

Security Norms for Advances in respect of Approved Agricultural Purposes

3.15 In order to bring the lending norms being followed by co-operatives on par with those in vogue in commercial banks, it was decided to modify with immediate effect, the security norms in respect of advances made by co-operatives covering medium-term loans for agricultural purposes and all term loans made under special programmes, more particularly IRDP. The modified instructions issued by the NABARD would ensure uniformity in the lending norms being followed by commercial banks, RRBs and co-operatives.

Short-term Credit

Limits for Seasonal Agricultural Operations

3.16 It was decided to sanction short-term credit limits to CCBs which are weak and are under rehabilitation to enable them to finance seasonal agricultural operations and marketing of crops even if their overdues exceeded 60 per cent but were not more than 65 per cent of the total demand, provided a time-bound rehabilitation programme had been drawn up and was under implementation to the satisfaction of the NABARD.

Pilot Project Districts

3.17 A 15-point Programme for the development of 30 PACS and all LAMPS in 15 selected pilot project districts was launched and it was decided to sanction as a one-time measure short-term credit limits for seasonal agricultural operations to CCBs functioning in these districts, even if their overdues exceeded 60 per cent but

राशियां मांग के 60 प्रतिशत से अधिक परंतु 65 प्रतिशत से कम हों।

were not more than 65 per cent of the demand.

कृषि संबंधित ऋण देने में राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल

3.18 कृषि संबंधी ऋण देने में राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के स्रोतों के कम से कम इस्तेमाल के संबंध में मानदण्डों पर अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद यह निर्णय किया गया कि न्यूनतम इस्तेमाल की शर्त का पालन करने के प्रयोजन के लिए मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों में भी राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की भूमिका कम की जाये।

Minimum Involvement of Resources of SCBs and CCBs in Agricultural Lending

3.18 Following the acceptance of the recommendations of the Study Group on norms for involvement of resources by state and central co-operative banks in agricultural lending, it was decided that the involvement of SCBs and CCBs in medium-term (conversion) loans should also be reckoned for the purpose of complying with the minimum involvement stipulation.

जनता कपड़े की खरीद के लिए समितियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं

3.19 जून 1985 में भारत सरकार द्वारा घोषित नयी वस्त्र नीति के अंतर्गत 'जनता कपड़े' के उत्पादन के लिए सभी राज्यों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। चूंकि योजना का लक्ष्य मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना था, अतः यह निर्णय किया गया कि शिखर/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों को, कुछेक शर्तों के अधीन 'जनता कपड़े' की खरीद के संबंध में आर्थिक सहायता के दावों को, उनके उधारों के लिए कवर के रूप में दिखाने की अनुमति दी जाये।

Working Capital Requirements of Societies for Procurement of Janata Cloth

3.19 Under the new textile policy announced by the Government of India in June 1985 targets for production of 'janata cloth' for each State were allotted. As the scheme is intended mainly to benefit the weaker sections of the society, it was decided that the apex/regional weavers' co-operative societies may be allowed to show as cover for their borrowing the subsidy claims in respect of procurement of 'janata cloth' subject to certain terms and conditions.

3.20 राज्य सहकारी बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे यार्न के कारोबार के लिए शिखर/क्षेत्रीय बुनकर समितियों को अपने अग्रिमों पर, नाबार्ड के पुनर्वित्त की 10 प्रतिशत वार्षिक की मौजूदा दर के ऊपर 1.5 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत का मार्जिन रख सकते हैं। इसके लिए वे अंतिम उधार दर यथोचित रूप से बढ़ा सकते हैं।

3.20 SCBs were permitted to retain a margin of 2 per cent instead of 1.5 per cent on their advances to the apex/regional weavers' societies for trading in yarn, over the NABARD's refinance rate of 10 per cent per annum by suitably raising the ultimate lending rate.

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना

3.21 राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों में तिलहन की खेती के वित्तपोषण के लिये मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों

National Oilseeds Development Project

3.21 The drawals by SCBs on behalf of CCBs for financing cultivation of oilseeds in areas covered under NODP were per-

द्वारा आहरणों की इस शर्त पर अनुमति दी गयी थी कि राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना ऋणों के संबंध में गैर-अतिदेय कवर उपलब्ध हो। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिए अलग से रिपोर्ट देने में बैंकों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को, जो राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के ऋणों के संबंध में अलग से राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना की स्थिति दर्शाने की स्थिति में नहीं है। इस शर्त पर कुल गैर-अतिदेय कवर के आधार पर आहरणों की अनुमति दी जाये कि राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत आनेवाली तिलहन की खेती के वित्तपोषण के लिए अलग से मंजूर की गयी राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना ऋण सीमाएं, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिए किये गये कुल वितरणों से अधिक नहीं होंगी। इस छूट की वर्ष 1987-88 के अंत में समीक्षा की जायेगी।

मध्यावधि ऋण

3.22 अल्पावधि उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने के लिए वैज्ञानिक रीति का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किये गये कार्यकारी दल की सिफारिशें नाबार्ड द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों के नुकसान के कारण अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में, जो चालू मांग के रूप में होंगे, बदलने की राज्य सहकारी बैंकों की मांग पर नाबार्ड द्वारा तभी ध्यान दिया जायेगा जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि कार्यकारी दल की सभी सिफारिशें संबंधित राज्य सरकार को मान्य हैं तथा दल द्वारा सिफारिश की गयी संशोधित प्रणाली के आधार पर आनेवारी घोषित कर दी गयी है।

दीर्घावधि ऋण

3.23 सहकारी ऋण संस्थाओं के पास पर्याप्त ऋण शक्तियां हों ताकि वे अपने ऋण लक्ष्य पूरे कर सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से

mitted subject to the availability of non-overdue cover (NODC) in respect of the NODP loans. In view of the difficulties expressed by the banks in reporting separate NODC it was decided that such of the CCBs which were not in a position to furnish separate NODC position in respect of NODP lendings would be permitted drawals on the basis of total non-overdue cover subject to the condition that total drawals under the separate NODP credit limits sanctioned for financing cultivation of oilseeds would not exceed the total disbursements made for NODP during the year. The relaxation will be subject to a review at the end of 1987-88.

Medium-term Credit

3.22 The recommendations of the Working Group set up by the Government of India for evolving a scientific method for conversion of short-term production loans into medium-term loans have been accepted by theNABARD.The requests received from SCBs for conversion of short-term loans into medium-term loans on account of damage to crops due to natural calamities representing current demand would be entertained by the NABARD if it is satisfied that all the recommendations of the Working Group were accepted by the concerned State Governments and the *annewari* is declared on the basis of the modified system recommended by the Group.

Long-term Credit

3.23 With a view to enabling the co-operative credit institutions having adequate borrowing power to achieve the lend-

कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण
CO-OPERATIVE LOANS FOR AGRICULTURAL PURPOSES

(करोड़ रुपये CRORES OF RUPEES)

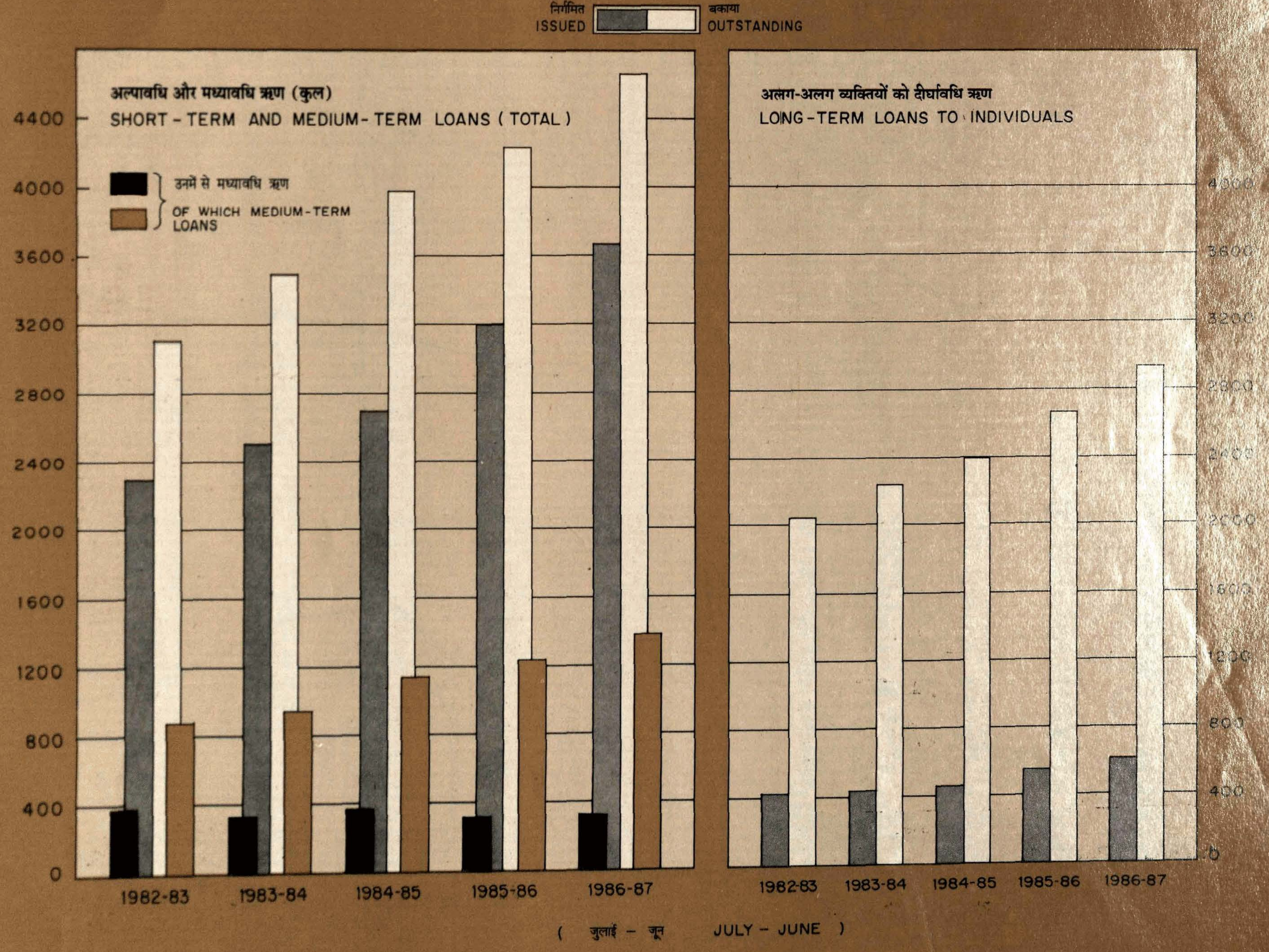

7 कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण

(करोड़ रुपये)

NABARD CREDIT FOR AGRICULTURAL PURPOSES

(CRORES OF RUPEES)

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण

LOANS TO STATE GOVERNMENTS FOR CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL OF CO-OPERATIVE CREDIT INSTITUTIONS

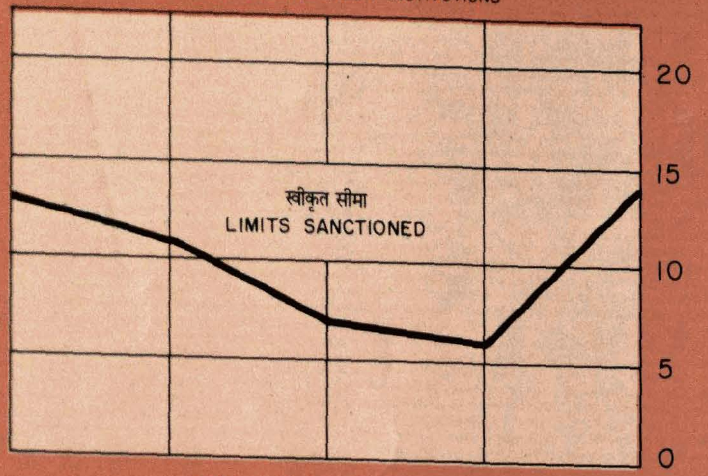

(अप्रैल – मार्च APRIL-MARCH)

मौसमी कृषि कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधि ऋण

SHORT-TERM LOANS PROVIDED TO STATE CO-OPERATIVE BANKS FOR SEASONAL AGRICULTURAL OPERATIONS

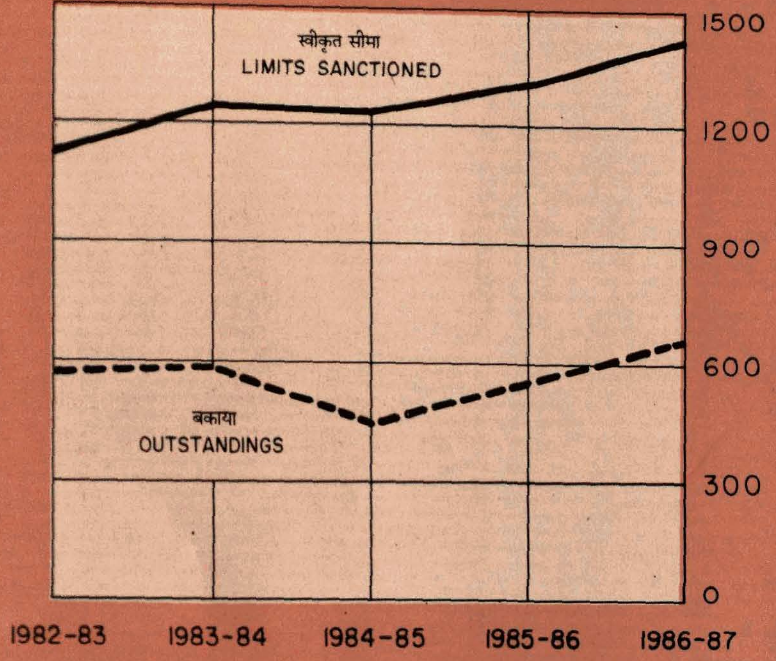

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

8 नाबार्ड के कार्य (योजना वित्त)

(करोड़ रुपये)

OPERATIONS OF NABARD (SCHEME FINANCE)

(CRORES OF RUPEES)

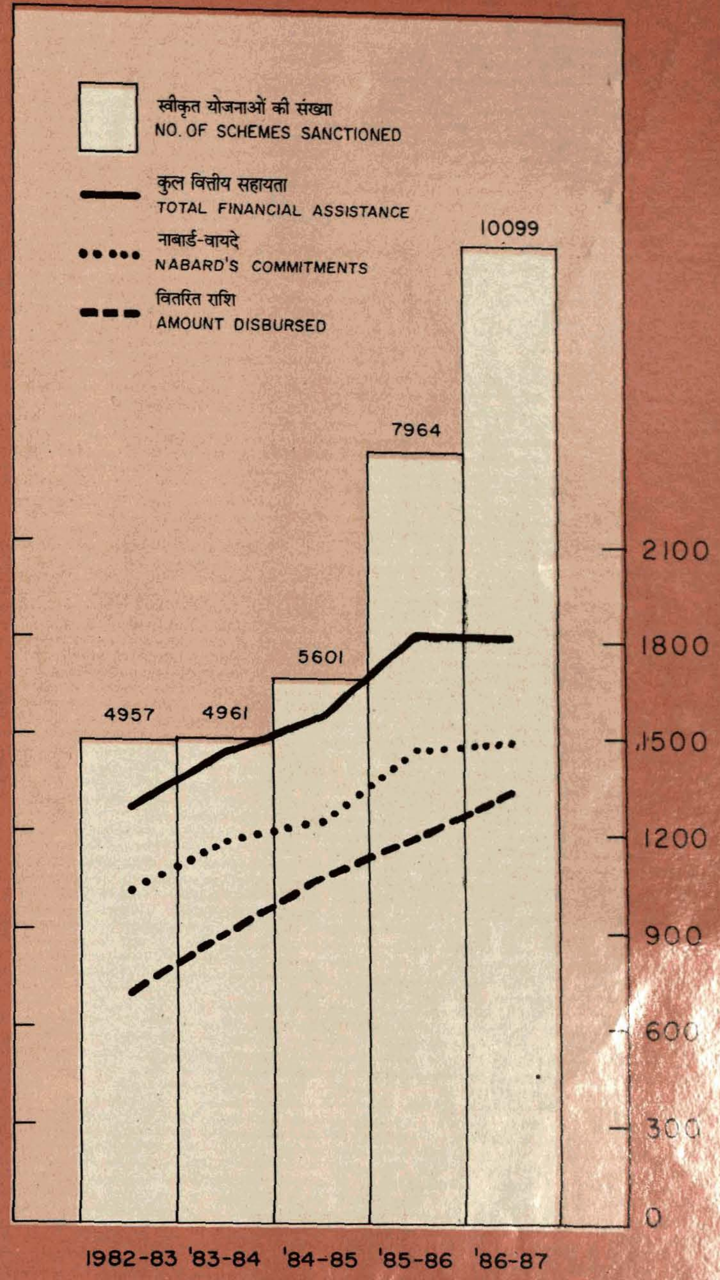

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

सहकारी संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण मंजूर करने के लिए अधिकतम सीमाओं में संशोधन करके उन्हें निम्नानुसार बढ़ा दिया गया :

लाख रुपये

सहकारी ऋण संस्थाएं	वर्तमान अधिकतम सीमा	संशोधित अधिकतम सीमा
मध्यवर्ती सहकारी बैंक	50.00	100.0
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	0.50	1.00
कृषक सेवा समितिया*	0.50	1.50
बड़े आकार की बहु-उद्देशीय समितियां (10,000 की आबादी तक के लिए) (बड़ी समितियों के अलावा)	0.50	1.00
बड़े आकार की बहु-उद्देशीय समितियां (समूचे ब्लाक के लिए)	1.00	1.50
आदिवासी क्षेत्रों में छोटे आकार की कृषि ऋण समितियां बड़ी समितियों के अलावा	0.50	1.00
राज्य/मध्यवर्ती/प्राथमिक भूमि विकास बैंक	–@	–@

* कृषक सेवा समितियों को 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त ऋणों की मंजूरी उनके ऋण और गैर-ऋण कारोबार पर निर्भर करेंगी।

@ कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर अंशदान के लिए ऋण

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के ग्रामीण कारीगर सदस्यों के वित्तपोषण को बढ़ावा मिले, इसके लिए पिछले वर्ष के दौरान ऐसे सदस्यों को जारी किये गये ऋणों में कुल सीमा के भीतर 5 प्रतिशत तक की सीमा तक अतिरिक्त शेयर पूंजी अंशदान मंजूर किया जायेगा।

3.24 नाबार्ड ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 1986-87 से प्राथमिक सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से राज्य सरकारों को ऋण मंजूर करना बंद कर दिया। अच्छी स्थिति में कार्य कर रहे जिला मध्यवर्ती

ing targets, the ceilings for grant of loans to the State Governments for contribution to the share capital of co-operative institutions out of the NRC (LTO) Fund were revised upwards as indicated below:

(Rs. lakhs)

Co-operative Credit Institutions	Existing ceiling	Revised ceiling
Central co-operative banks	50.00	100.00
Primary agricultural credit societies	0.50	1.00
Farmers' service societies*	0.50	1.50
Large sized multi-purpose societies (covering population upto 10.000)	0.50	1.00
Large sized multi-purpose societies (covering a whole block)	1.00	1.50
Small sized agricultural credit societies in tribal areas other than LAMPS	0.50	1.00
State/Central/primary land development banks	—@	—@

* Sanction of additional loans upto Rs. 50,000 to FSS will depend upon their credit and non-credit business.

@ No ceiling fixed, and loans for contribution will be on merit of each case.

In order to encourage financing of rural artisan members of PACS, an additional share capital contribution to the extent of 5 per cent of the increase in the loans issued to such members during the previous year would be granted within the overall ceiling.

3.24 The NABARD in consultation with the RBI, decided to discontinue sanctioning of loans to State Governments out of the NRC (LTO) Fund for contributing to the share capital of PCBs from the financial year 1986-87. The quantum of token

सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में, राज्य सरकारों द्वारा किये जानेवाले एक लाख रुपये के सांकेतिक अंशदान की मात्रा को अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है ताकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने में ऐसे बैंकों को प्रोत्साहन मिले। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 1987-88 से राज्य सरकारों को अनुमति दी गयी है कि वे अच्छा कार्य करने वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उनकी शेयर पूंजी में, 5 लाख रुपये का सांकेतिक अंशदान कर सकते हैं। अधिसूचित आदिवासी इलाकों में कार्य कर रहे प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को उचित रियायतें प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि इस तरह के प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को शेयर पूंजी में अंशदान के लिए पात्र माना जायेगा, बशर्ते मांग की तुलना में उनके अतिदेयों का प्रतिशत 35 से अधिक न हो। जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां निर्धारित मानदण्ड पूरे करती हैं, वे 15,000 रुपये के बजाय 25,000 रुपये के शेयर पूंजी अंशदान के लिए पात्र होंगी तथा जो समितियां कृषि ऋण के अलावा उपभोक्ता ऋण जारी करने, गैर-ऋण कारोबार, ग्रामीण कारीगरों, शिल्पियों का वित्तपोषण करने जैसे कार्य करती हैं, वे कारोबार की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपये की सीमा के भीतर, 25,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये के अंशदान के लिए पात्र होंगी।

राज्य भूमि विकास बैंक

राज्य भूमि विकास बैंकों के उधार कार्यक्रम और संसाधन

3.25 वर्ष 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के कुल ऋण कार्यक्रम के लिए, 1985-86 के 566 करोड़ रुपये की तुलना में 593 करोड़ रुपये तय किये गये थे। कार्यक्रम के लिए संसाधन मुख्यतः विशेष विकास डिबेंचर (500 करोड़ रुपये, जिसमें नाबार्ड, केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अभिदान हो) तथा सामान्य डिबेंचर (92 करोड़ रुपये) जारी करके जुटाये जाने थे। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के लिए सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों से प्राप्त की गयी

contribution of Rs. 1 lakh to be made by the State Governments, to the share capital of good working DCCBs has since been raised to Rs. 5 lakhs with a view to providing an incentive to such banks for implementing the programme of integrated rural development. Similarly, State Governments are permitted to make, from the financial year 1987-88, a token contribution of Rs. 5 lakhs to the share capital of good working PLDBs/branches of SLDBs with a view to providing incentive to them. *Further, PLDBs functioning in notified* tribal areas would also be considered eligible for share capital contribution, provided that the proportion of their overdues to demand does not exceed 35 per cent. PACS which satisfy the prescribed criteria would be eligible for share capital contribution of Rs. 25,000 instead of Rs. 15,000 and those undertaking, in addition to agricultural credit, activities like issue of consumption loans, non-credit business, financing of rural artisans, craftsmen, etc., would be eligible for contribution upto Rs. 50,000 instead of Rs. 25,000 depending upon the business turnover within the overall ceiling of Rs. 1 lakh.

State Land Development Banks

Lending Programme and Resources of SLDBs

3.25 The total lending programme of SLDBs for the year 1986-87 (April-March) was fixed at Rs. 593 crores as compared with Rs. 566 crores for 1985-86. The resources for the programme were mainly to be raised by floatation of special development debentures (Rs. 500 crores), subscribed by NABARD, Central and State Governments and issue of ordinary debentures (Rs. 92 crores). The support availed of from the institutional investors under

सहायता तथा 1987-88 के लिए लक्ष्य सारणी 3.5 में दर्शाये गये हैं।

सहकारी चीनी फैक्टरियों में शेयर खरीदने के लिए दीर्घावधि ऋण सीमाएं बढ़ाना

3.26 चीनी फैक्टरियों की ब्लॉक पूंजी लागत में काफी वृद्धि और उनके द्वारा गन्ना उत्पादक सदस्यों से पर्याप्त ईक्विटी जुटाने में महसूस की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए भूमि विकास बैंकों द्वारा ऐसे ऋण जारी करने से संबंधित मौजूदा अधिकतम सीमाओं को नाबार्ड ने 20 मार्च 1987 से निम्नानुसार बढ़ा दिया है :

	प्रति उधारकर्ता अधिकतम सीमा	
	मौजूदा	संशोधित
1. विकसित क्षेत्र	2,250 रुपये	3,750 रुपये
2. औद्योगिक रूप से कम विकसित/पिछड़े क्षेत्र	2,700 रुपये	4,500 रुपये

राज्य भूमि विकास बैंक के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

3.27 बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में कमजोर राज्य भूमि विकास बैंकों के संबंध में पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने के अलावा विश्व बैंक द्वारा जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में पता लगाये गये 4 अन्य भूमि विकास बैंकों के पुनर्वास के लिए 1986-87 के दौरान समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया। शेष 9 राज्य भूमि विकास बैंकों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में भी वर्ष के दौरान संगठन और पद्धति अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रगति जारी रही।

भूमि विकास बैंक ढांचा मजबूत करने के लिए कार्य योजना

3.28 भूमि विकास बैंकों की ऐसी कमजोर प्राथमिक

the ordinary debentures programme for the years 1985-86 and 1986-87 together with targets for 1987-88 is indicated in Table 3.5.

Long-term Loans for Purchase of Shares in Co-operative Sugar Factories

3.26 Taking into account the substantial increase in the block capital cost of sugar factories and the difficulties faced by them in raising adequate equity from cane-grower members, the existing ceilings on issue of such loans by LDBs have been enhanced by the NABARD with effect from March 20, 1987 as under :

	Ceiling per borrower	
	Existing	Revised
i) Developed areas	Rs.2,250	Rs.3,750
ii) Industrially less developed/ backward areas	Rs.2,700	Rs.4,500

Rehabilitation Programme of SLDBs

3.27 Besides the implementation of rehabilitation programme in respect of weak SLDBs in Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu, four more SLDBs identified by the World Bank as weak in Jammu and Kashmir, Rajasthan, Tripura and West Bengal were taken up for rehabilitation on a time-bound programme during 1986-87. The implementation of the O & M study recommendations in respect of the remaining 9 SLDBs viz., Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Orissa, Pondicherry, Punjab and Uttar Pradesh was also in progress during the year.

Action Programme for Strengthening LDB Structure

3.28 With a view to improving the financial

सारणी 3.5 : राज्य भूमि विकास बैंकों के संसाधन
TABLE 3.5 : RESOURCES OF SLDBs

(करोड़ रुपये) (Rs.crores)

मद Item	(उपलब्धि) (Achievements) 1985-86	 1986-87	(लक्ष्य) (Target) 1987-88
ऋण कार्यक्रम/संसाधनः Lending Programme/Resources	566	593	695
क) विशेष विकास डिबेंचर a) Special development debentures	471	500	600
ख) आंतरिक संसाधन b) Internal resources	0.40	1	—
ग) सामान्य डिबेंचर (लक्ष्य) c) Ordinary debentures (Target)	95	92	95
(।) (ग) में से वास्तव में जारी किये गये डिबेंचर 1) Out of (c) actual floatations	89	57	
i) केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त साधारण डिबेंचरों के लिए अंशदान Subscription for ordinary debentures from Central / State Governments.	10	8	
ii) जीवन बीमा निगम LIC	35	—	
iii) भारतीय स्टेट बैंक समूह SBI group	15	15	
iv) वाणिज्य-बैंक Commercial banks	10	10	
v) पारस्परिक समर्थन / अपनी स्वयं की सहायता Mutual support/self-help	19	24	
कुल बढ़ी हुई राशि [क + ख + ग (।)] **Total amount raised [(a+b+c(1)]**	**560**	**558**	

स्रोत : नाबार्ड Source : NABARD

उपलब्ध करायी गयी थीं।

योजनाबद्ध ऋण देना
नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता

3.31 1986-87 के दौरान नाबार्ड ने 1,483 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त वचनबद्धताओं वाली 10,099 योजनाएं मंजूर कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1,464 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त वचनबद्धताओं वाली 7,964 योजनाएं मंजूर की गयी थीं। वर्ष के दौरान 1,334 करोड़ रुपये के वितरण किये गये। 1985-86 के दौरान 1,192 करोड़ रुपये वितरण किये थे। जून 1987 के अंत की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा अब तक मंजूर की गयी योजनाओं की कुल संख्या 52,620 थी और इनमें 10,749 करोड़ रुपये की वचनबद्धताएं थीं जिनमें से 7,953 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका था (सारणी 3.6)।

3.32 जिस अकेली मद के लिए सबसे अधिक योजनाएं मंजूर की गयीं और वचनबद्धताएं की गयीं, वह लघु सिंचाई रही। 1986-87 के दौरान नाबार्ड ने 483 करोड़ रुपये की वचनबद्धताओं वाली लघु सिंचाई की 3,045 योजनाएं मंजूर कीं और विविध प्रयोजनों (अर्थात् लघु सिंचाई से इतर) के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वचनबद्धताओं वाली 7,054 योजनाएं मंजूर कीं। 1986-87 के दौरान एजेंसीवार नाबार्ड के कुल वितरणों में वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), राज्य भूमि विकास बैंकों, तथा राज्य सहकारी बैंकों के हिस्से क्रमशः 836 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत), 433 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) तथा 65 करोड़ रुपये (5 प्रतिशत) रहे (सारणी 3.7)।

3.33 क्षेत्रवार, कुल वितरणों में उत्तरी, पूर्वोत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के हिस्से 1985-86 के क्रमशः 21.0 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत तथा 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 1986-87 में क्रमशः 21.4 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत हो गये। अलबत्ता, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों के अंश क्रमशः 21.5 प्रतिशत तथा 14.7 प्रतिशत से गिरकर क्रमशः 20.3 प्रतिशत तथा 13.7 प्रतिशत रह गये। दक्षिणी क्षेत्र का अंश

way of composite loans upto Rs. 30,000 each.

Refinance Assistance from NABARD

Schematic Lending

3.31 During 1986-87, the NABARD sanctioned 10,099 schemes involving refinance commitments of Rs. 1,483 crores as against 7,964 schemes with refinance commitments of Rs. 1,464 crores during the preceding year. Disbursements during the year amounted to Rs. 1,334 crores as against Rs. 1,192 crores during 1985-86. As at the end of June 1987, the cumulative number of schemes sanctioned by the NABARD stood at 52,620 with commitments at Rs. 10,749 crores and the disbursements at Rs. 7,953 crores (Table 3.6).

3.32 Minor irrigation continued to be the single largest item, both in regard to the number of schemes sanctioned and commitments made. During 1986-87, the NABARD sanctioned 3,045 schemes for minor irrigation involving commitments of Rs. 483 crores and 7,054 schemes for diversified purposes (i.e., other than minor irrigation) involving commitments of Rs. 1,000 crores. Agency-wise, the shares of commercial banks (including RRBs), SLDBs and SCBs in the NABARD's total disbursements stood at Rs. 836 crores (63 per cent), Rs. 433 crores (32 per cent) and Rs. 65 crores (5 per cent), respectively, during 1986-87 (Table 3.7).

3.33 Region-wise, the shares of Northern, North-Eastern and Eastern regions in total disbursements rose from 21.0 per cent, 1.8 per cent and 12.4 per cent, in 1985-86 to 21.4 per cent, 2.0 per cent and 14.0 per cent, respectively, in 1986-87. The shares of the Central and Western regions, however, declined from 21.5 per cent and 14.7 per

सारणी 3.6: नाबार्ड द्वारा दी गयी पुनर्वित्त सहायता की प्रयोजनवार मंजूरियां और वितरित राशि

TABLE 3.6 : PURPOSE-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS OF REFINANCE BY NABARD

जुलाई-जून
(July-June)

(राशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in Rs.crores)

	1985-86			1986-87			30 जून 1987 को संचयी स्थिति @ Cumulative position as on June 30, 1987 @		
प्रयोजन Purpose	स्वीकृत योजनाओं की संख्या No.of Schemes Sancti-oned	प्रतिबद्ध-तायें Commit-ments	वितरित राशि Disburse-ments	स्वीकृत योजनाओं की संख्या No.of Schemes Sancti-oned	प्रतिबद्ध-तायें Commit-ments	वितरित राशि Disburse-ments	स्वीकृत योजनाओं की संख्या No.of Schemes Sancti-oned	प्रतिबद्ध-तायें Commit-ments	वितरित राशि* Disburse-ments*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
लघु सिंचाई Minor Irrigation	2,589	517	385	3,045	483	460	18,960	4,633	3,384
भूमि विकास/सीएडी Land Development/CAD	148	29	27	244	52	26	1,864	411	246
कृषि मशीनीकरण Farm Mechanisation	1,325	205	200	1,483	151	192	8,867	1,520	1,429
बागान/बागबानी Plantation/Horticulture	698	99	63	798	110	68	5,012	770	361
मुर्गी पालन/भेड़ पालन/सूअर पालन Poultry/Sheep breeding/ Piggery	631	46	26	727	55	32	3,685	239	150
मत्स्य पालन Fisheries	191	22	13	335	36	18	1,995	214	104
डेरी विकास Dairy Development	558	57	29	719	86	48	3,900	333	189
भंडारण/मंडियाँ Storage/Market Yards	237	31	19	114	36	26	1,817	267	210
अन्य Others	1,587	458	430	2,634	474	464	6,520	2,362	1,880
कुल Total	**7,964**	**1,464**	**1,192**	**10,099**	**1,483**	**1,334**	**52,620**	**10,749**	**7,953**

* : अल्पावधि वित्त को छोड़कर। Excludes short-term finance..

@ : संचयी स्थिति में समायोजन शामिल हैं। Cumulative position includes adjustments.

स्रोत : नाबार्ड . Source : NABARD.

यूनिटों, जिनकी अतिदेय राशियां 30 जून, 1985 को उनकी मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थीं, वित्तीय स्थिति तथा परिचालनगत क्षमता सुधारने की दृष्टि से नाबार्ड ने उनके पुनर्वास के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार देश में 1,784 ऐसी इकाइयों में से 16 राज्यों में 539 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाएं प्रथम दृष्ट्या पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की जाने के लिए पात्र थीं, क्योंकि उनके अतिदेय, मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थे। इनमें से, 219 यूनिटें या तो पिछले 5 वर्ष से लगातार घाटे उठा रही थीं या उन्हें इस स्थिति में नहीं पाया गया कि वे अगले 3-5 वर्षों की अवधि में कुछ संभावनाएं दर्शा सकें। इसलिए इन इकाइयों को पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। चूंकि कुछ राज्यों में पुनर्वास के योग्य प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अतः कारगर कार्यान्वयन के हित में यह निर्णय किया गया कि 1986-87 के दौरान पुनर्वास के लिए 14 राज्यों की लगभग 200 इकाइयों को लिया जाये।

3.29 अर्थक्षम न समझे गये प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं का या तो विलयन करना होगा या उन्हें समाप्त करना होगा या राज्य सरकारों को उनके पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ग्यारह राज्यों अर्थात् गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल द्वारा व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

अलग-अलग कारीगरों, शिल्पियों, हस्तकला कर्मियों तथा छोटे उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता

3.30 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अलग-अलग कारीगर सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा के अलावा, अलग-अलग कारीगरों, शिल्पियों का 30,000 रुपये तक के संमिश्र ऋणों के जरिये सीधे ही वित्तपोषण के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को इसी तरह की सुविधाएं

viability and operational efficiency of the weak primary units in LDBs whose overdues exceeded 60 per cent of the demand as on June 30, 1985 the NABARD prepared a 10-point Action Programme for their rehabilitation. Out of the 1784 such units in the country as on June 30, 1985, 539 PLDBs/branches of SLDBs in 16 States were, *prima facie*, eligible for being covered under the rehabilitation programme as their overdues exceeded 60 per cent of the demand. Of these, 219 units were reported to be either incurring losses continuously for the past 5 years or were not considered capable of attaining viability within a period of next 3-5 years. These units were, therefore, not taken up for rehabilitation. Since the number of PLDBs/branches of SLDBs to be rehabilitated was large in some States, it was decided in the interest of effective implementation, to take up about 200 units in 14 States for rehabilitation during 1986-87.

3.29 The PLDBs/branches of SLDBs considered non-viable will have to be either amalgamated or liquidated or the concerned State Governments will have to take full responsibility of nursing them. Comprehensive rehabilitation programmes have been formulated by 11 States viz., Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal.

Refinance Assistance to SLDBs for Financing Individual Artisans, Craftsmen and Small Entrepreneurs

3.30 In addition to the NABARD's refinance facility to SLDBs for extending financial assistance to the individual artisan members of PACS, such facilities were extended to SLDBs for directly financing individual artisans, craftsmen, handi-craftsmen and small entrepreneurs by

सारणी 3.7: नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की एजेंसीवार मंजूरियां और वितरित राशि
TABLE 3.7 : AGENCY-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS OF REFINANCE BY NABARD
(जुलाई-जून)
(July-June)

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in Rs. crores)

एजेंसी Agency	योजनाओं की संख्या* Number of Schemes*		वित्तीय सहायताएँ Financial Assistance		नाबार्ड की प्रतिबद्धता NABARD's Commitments		नाबार्ड द्वारा वितरित राशि Disbursements by NABARD		30 जून 1987 को संचयी स्थिति £ Cumulative position as on June 30, 1987 £			
	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	योजनाओं की संख्या No. of schemes	एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता Financial assistance by agencies	नाबार्ड की प्रतिबद्धता NABARD's commitments	नाबार्ड द्वारा वितरित राशि@ Disbursements by NABARD@
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. राज्य भूमि विकास बैंक State Land Development Banks	2,000	2,427	543	573	495	520	337	433	14,425	4,648	4,111	3,021
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंक @@ Scheduled Commercial Banks @@	5,763	7,368	1,220	1,158	926	894	819	836	37,034	8,124	6,276	4,671
3. राज्य सहकारी बैंक State Co-operative Banks	201	304	51	81	43	69	36	65	1,161	417	362	261
कुल Total	**7,964**	**10,099**	**1,814**	**1,812**	**1,464**	**1,483**	**1,192**	**1,334**	**52,620**	**13,189**	**10,749**	**7,953**

@ अल्पावधि वित्त को छोड़कर Excludes short-term finance. @@ इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं Including RRBs

* : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं को छोड़कर Excludes IRDP

£ संचयी स्थिति में समायोजन शामिल है Cumulative position includes adjustments.

स्रोत : नाबार्ड Source : NABARD.

28.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा (सारणी 3.8)।

cent to 20.3 per cent and 13.7 per cent, respectively. The share of the Southern region remained unchanged at 28.6 per cent (Table 3.8).

3.34 नाबार्ड कम विकसित और/या कम बैंक वाले राज्यों में कृषि निवेशों के विकास और प्रगति की नीति का पालन कराने के लिए प्रयत्नशील रहा। इन राज्यों में 1986-87 के दौरान वितरण 563 करोड़ रुपये के रहे, जो अखिल-भारतीय स्तर के कुल वितरणों के 42.2 प्रतिशत थे, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 502 करोड़ रुपये (42.1) प्रतिशत वितरित किये गये थे (सारणी 3.9)। कुल मिला कर जून 1987 के अंत तक इन राज्यों में कुल 3,273 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके थे।

3.34 The NABARD continued to pursue the policy of development and promotion of agricultural investments in the less developed and/or under-banked States. The disbursements in these States stood at Rs. 563 crores during 1986-87 and formed 42.2 per cent of the total disbursements at all-India level as against Rs. 502 crores (42.1 per cent) during the corresponding period of the previous year (Table 3.9). On a cumulative basis, total disbursements in these States upto the end of June 1987 amounted to Rs. 3,273 crores.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3.35 1986-87 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड ने 379 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त उपलब्ध कराया। इनमें से 44 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, 45 प्रतिशत वाणिज्य बैंकों के लिए तथा 11 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए था। 1986-87 के दौरान उद्योग, सेवा तथा कारोबार घटकों का अंश 197 करोड़ रुपये था (सारणी 3.10)।

Integrated Rural Development Programme

3.35 During 1986-87 the NABARD's refinance assistance under IRDP amounted to Rs. 379 crores of which RRBs accounted for 44 per cent, commercial banks for 45 per cent and SCBs and SLDBs together for 11 per cent. The industry, service and business components of the IRDP accounted for Rs. 197 crores of the total disbursements during 1986-87 (Table 3.10).

छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करना और उनका विपणन

3.36 छोटे छोटे वन उत्पादों को एकत्र करना और उनके विपणन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना आदिवासियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इस दृष्टि से इस प्रयोजन के लिए पुनर्वित्त सुविधा का दायरा बढ़ाया गया। इसमें सभी प्रकार के ऐसे सभी छोटे वन उत्पादों को शामिल कर लिया गया जो तेजी से बढ़ते हैं और जहां ये कार्य कारोबारी स्तर पर किये जाते हैं। इसके अलावा आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा अपनी जमीन पर फसलें उगाने तथा उन्हें बाजार में बेचने जैसे उत्पादक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता, नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र होगी।

Collection and Marketing of Minor Forest Produce

3.36 With a view to providing necessary support for procurement and marketing of minor forest produce, which is essential for the economic development of Adivasis and Scheduled Tribes, the scope of refinance facility for this purpose was enlarged to cover all types of minor forest produce which are fast moving and where operations are conducted on a commercial basis. In addition to this, financial assistance for production activities undertaken by the Adivasis and Scheduled Tribes for raising crops on their land as also marketing thereof would be eligible for refinance from the NABARD.

सारणी 3.8: नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्रवार वितरण
TABLE 3.8 : REGION-WISE DISBURSEMENTS OF REFINANCE BY NABARD
(जुलाई-जून)
(July-June)

क्षेत्र Region	1985-86 राशि (करोड़ रु.) Amount (Rs. crores)	1985-86 कुल का प्रतिशत Percentage to total	1986-87 राशि (करोड़ रु.) Amount (Rs. crores)	1986-87 कुल का प्रतिशत Percentage to total
उत्तरी Northern	250	21.0	286	21.4
उत्तर-पूर्वी North-Eastern	22	1.8	26	2.0
पूर्वी Eastern	148	12.4	187	14.0
मध्यवर्ती Central	256	21.5	271	20.3
पश्चिमी Western	175	14.7	183	13.7
दक्षिणी Southern	341	28.6	381	28.6
कुल Total	**1,192**	**100.0**	**1,334**	**100.0**

उत्तरी क्षेत्र : चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और राजस्थान
Northern Region : Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan.
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश
North-Eastern Region : Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Arunachal Pradesh.
पूर्वी क्षेत्र : सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अंदमान निकोबार द्वीप समूह
Eastern Region : Sikkim, Bihar, Orissa, West Bengal and Andaman & Nicobar Islands.
मध्यवर्ती क्षेत्र : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश;
Central Region : Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
पश्चिमी क्षेत्र गोवा, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र
Western Region : Goa, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Gujarat and Maharashtra.
दक्षिणी क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु
Southern Region : Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu.
स्रोत : नाबार्ड।
Source : NABARD.

सारणी 3.9: कम विकसित और/अथवा कम बैंक सुविधावाले राज्यों को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की राशि का वितरण (जुलाई-जून)

TABLE 3.9 : DISBURSEMENTS OF REFINANCE BY NABARD TO LESS-DEVELOPED AND/OR UNDER-BANKED STATES (July-June)

(योजनाबद्ध ऋण)
(Schematic Lending)

(करोड़ रुपये में) (Rs. crores)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र States/Union Territories	1985-86	1986-87
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	169	181
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	88	90
बिहार Bihar	74	88
राजस्थान Rajasthan	64	65
उड़ीसा Orissa	34	43
जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	7	8
पश्चिम बंगाल West Bengal	40	56
असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य Assam and other North-Eastern States	22	26
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	3	6
अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह Andaman & Nicobar Islands	—	—
सिक्किम Sikkim	—	—
अ) कुल A) Total	502	563
आ) कुल वितरण (अखिल भारतीय) **B) Total Disbursements (All-India)**	**1,192**	**1,334**
अ से आ का प्रतिशत Percentage of A to B	(42.1)	(42.2)

स्रोत : नाबार्ड।
Source : NABARD.

सारणी 3.10 : एकीकृत ग्रामीण विकास-कार्यक्रम के लिए नाबार्ड का पुनर्वित्त (जुलाई-जून)
TABLE 3.10 : NABARD'S REFINANCE FOR IRDP (July-June)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

एजेंसी Agency	वितरित राशि Disbursements		जून 1987 के अंत तक संचयी Cumulative upto the end of June 1987
	1985-86	1986-87	
राज्य भूमि विकास बैंक SLDBs	9 (-)	10 (-)	68 (-)
वाणिज्य बैंक Commercial Banks	214 (71)	172 (87)	846 (233)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs	135 (67)	165 (99)	577 (258)
राज्य सहकारी बैंक SCBs	18 (3)	32 (11)	150 (21)
कुल **Total**	**376 (141)**	**379 (197)**	**1,641 (512)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े आई. एस. बी. घटक के वितरणों को दर्शाते हैं।
Note : Figures in brackets indicate disbursements for ISB Component.

स्रोत : नाबार्ड।
Source : NABARD.

दोहरे ईंधन वाले इंजनों की खरीद तथा बायो-गैस संयंत्र और दोहरे ईंधन वाले इंजन लगाना

3.37 नाबार्ड ने निम्नलिखित ऋण उपलब्ध कराने की योजनाओं के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं देने का फैसला किया है (i) जिन किसानों ने अपेक्षित क्षमता के बायो-गैस संयंत्र पहले ही लगा लिये हैं, उन्हें दोहरे ईंधन वाले इंजन खरीदने के लिए ऋण (ii) अपेक्षित आकार का बायो-गैस संयंत्र लगाने के लिए तथा विशेष रूप से लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए दोहरे ईंधन वाले इंजन खरीदने के लिए संमिश्र ऋण। इससे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों को बचाये रखा जा सकेगा। ऐसे मामलों में, जहां बायो-गैस संयंत्र कूएं से दूर हैं, संयंत्र कूएं के पास लगाये गये इंजन तक बायो-गैस ले जाने के लिए कम दाब वाले बैलून खरीदने के लिए भी पुनर्वित्त दिया जाता है। नाबार्ड, राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित किये गये ऋणों के 95 प्रतिशत के बराबर तथा अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा वितरित किये गये ऋणों के 90 प्रतिशत तक पुनर्वित्त उपलब्ध करायेगा। नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 6.5 प्रतिशत रहेगी और वित्तपोषक बैंक अंतिम उधारकर्ता से 10 प्रतिशत ब्याज ले सकेंगे। चुकौती की अधिकतम अवधि 9 वर्ष होनी चाहिए।

बंजर भूमि विकास

3.38 नाबार्ड चारा उगाने तथा जलाने की लकड़ी और इमारती लकड़ी के पेड़ों के लिए पौध शालाएं स्थापित करने के जरिये बंजर भूमि के विकास की योजना के लिए 100 प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध कराता रहा है। इस योजना को, जिसे 1985 के दौरान 19 जिलों में पाइलट आधार पर शुरू किया गया था, देश भर के सभी खण्डों के लिए लागू कर दिया गया है।

3.39 नाबार्ड का पुनर्वित्त 1986-87 के दौरान भारत सरकार द्वारा बनायी गयी वृक्ष पट्टा योजना के लिए भी उपलब्ध होगा। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा इस दृष्टि से

Purchase of Dual Fuel Engines and Installation of Bio-gas Plants and Dual Fuel Engines

3.37 The NABARD has decided to extend refinance facilities to scheduled commercial banks, SCBs and SLDBs in respect of schemes for providing (i) loan for purchase of dual fuel engines to farmers who have already set up bio-gas plants of the required capacity and (ii) composite loan for setting up bio-gas plants of the required size and installation of dual fuel engine, mainly for minor irrigation purposes, with a view to conserving the conventional sources of energy. Refinance is also extended for purchase of a low pressure portable balloon for transporting bio-gas from the plant to the engine installed near the well wherever the bio-gas plant is away from the well. Refinance from NABARD will be provided to the extent of 95 per cent of loans disbursed by SLDBs and 90 per cent of loans disbursed by other eligible institutions. The rate of interest on NABARD's refinance would be 6.5 per cent and on loans by financing banks 10 per cent to the ultimate borrower. The period of repayment should be limited to 9 years.

Wasteland Development

3.38 NABARD has been providing 100 per cent refinance for the scheme of wasteland development through setting up of nurseries for raising fodder, fuelwood and timber trees. The scheme, which was introduced on a pilot basis in 19 districts during 1985, has been extended to all blocks throughout the country.

3.39 NABARD's refinance will also be available for the *Tree Patta* scheme of the Government of India formulated during 1986-87. The scheme is implemented by the

लागू की जा रही है कि ग्रामीण समुदायों को सामाजिक वनीकरण के व्यापक कार्यक्रम में शामिल किया जा सके और इसे आम जनता का कार्यक्रम बना कर 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को जलाने की लकड़ी और चारा उगाने के अन्तर्गत लाया जा सके। हालांकि योजना के अन्तर्गत पट्टा/परमिटधारी को आबंटित की गयी जमीन पर कोई स्वामित्व नहीं होता, परन्तु उसे ऐसी जमीनों पर, उसके द्वारा उगाये गये पेड़ों के उत्पाद इस्तेमाल करने का हक होता है। निर्धारित जमीन का इस्तेमाल, जलाने की लकड़ी, चारा तथा फलदार पेड़ लगाने के लिए किया जाना चाहिए। परमिटधारी पेड़ उगाने के लिए, पेड़ पट्टा/परमिट को बैंक के पास जमा करके, पेड़ों को दृष्टिबंधक रखकर बैंक ऋण प्राप्त कर सकता है। परमिट की अवधि वृक्षों की वन-वृक्ष वैज्ञानिकी उम्र के अनुसार निरन्तर आधार पर वैध रहेगी लेकिन यह किसी भी स्थिति में 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मीयादी ऋण की अवधि के दौरान पट्टे का हस्तांतरण केवल वित्तीय संस्था की सहमति से ही किया जा सकता है।

औद्योगिक सहकारी संस्थाएं

बिजली चालित करघे (पावरलूम) प्राप्त करने के लिए पुनर्वित्त

3.40 उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बिजली चालित करघों के बुनकर और उनके द्वारा गठित समितियां अपने खुद के करघे खरीद सकें, इस दृष्टि से नाबार्ड प्राथमिक हथकरघा/बिजली चालित करघा बुनकर समितियों के सदस्यों तथा स्वयं प्राथमिक पावरलूम बुनकर समितियों को पावरलूम खरीदने के लिए सहकारी बैंकों के जरिये मीयादी ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। योजनाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अधिकतम चार तक करघे प्राप्त कर सकता है, औत ऋण की मात्रा 25,000 रुपये प्रति करघा, या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के बराबर होगी। समितियों के मामले में निवेश की लागत तो 25,000 रुपये प्रति करघा या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी, किन्तु करघों की संख्या की कोई

State Governments with a view to involving the village communities in the massive programme of social forestry and for achieving the objective of bringing 5 million hectares of wastelands under fuelwood and fodder by making it a people's programme. Under the scheme, although the *patta*/permit holder does not have any ownership right on the lands allotted, he would be entitled to use products of the trees planted by him on such lands. The earmarked land should be used by him only for raising fuelwood, fodder and fruit trees. The permit holder may avail of bank loans for raising the trees against hypothecation of trees covered under the tree *patta*/permit, by depositing the same with the bank. The validity of the permit will be continuous with the silvicultural life of the trees and in any case not less than the period of term loan which may not exceed 15 years. Transfer of the *patta* during the currency of the term loan can be done only with the consent of the financing institution.

Industrial Co-operatives

Refinance for Acquisition of Powerlooms

3.40 With a view to assisting the powerloom weavers and the societies organised by them to acquire their own looms so as to generate productive employment, the NABARD has extended term loan refinance facilities through co-operative banks to members of primary handloom/powerloom weavers' societies as also to primary powerloom weavers' societies themselves for acquisition of powerlooms. The maximum number of looms which may be acquired by an individual under the scheme will be limited to four and the quantum of loan to Rs. 25,000 per loom or the actual cost, whichever is less. In the case of societies, while the cost of investment will be limited to Rs. 25,000 per loom or the actual cost, whichever is less, there will be

अधिकतम सीमा नहीं होगी। इसके लिए शर्त यह होगी कि संयंत्र और मशीनरी पर कुल निवेश लघु उद्योग की सीमाओं से अधिक न हो।

no ceiling on number of looms, provided the total investment in plant and machinery does not exceed the SSI limits.

हथकरघों पर रेशमी वस्त्र के लिये वित्त

3.41 नयी गठित समितियों या फिर से चालू की गयी समितियों द्वारा हथकरघों पर उत्पादित कपड़े की रेशम किस्मों के लिए प्रति करघा की मात्रा में नाबार्ड ने 13 मार्च 1987 से संशोधन किया और उसे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया

Finance for Silk Cloth on Handlooms

3.41 The NABARD has revised, with effect from March 13, 1987 the per loom scale of finance from Rs. 6,000 to Rs. 10,000 for silk variety of cloth produced on handlooms by newly organised societies or societies to be reactivised.

शालों की कुल्लू किस्म के लिए वित्त

3.42 नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में हथकरघों पर बनायी गयी ऊनी शालों की (कुल्लू किस्म की) विशेष किस्मों के संबंध में 30 जुलाई 1986 से प्रति करघा वित्त की 7,000 रुपये की अलग से श्रेणी निर्धारित की है।

Finance for Kullu Variety of Shawls

3.42 The NABARD has fixed separate per loom scale of finance at Rs. 7,000 in respect of special variety of woollen shawls (Kullu variety), produced on handlooms in Himachal Pradesh with effect from July 30, 1986.

औद्योगिक सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं

3.43 औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण की अधिकतम सीमा (5 लाख रुपये तक) निर्धारित करने के अपने पहले निर्णय को संशोधित करते हुए, अब नाबार्ड 5 लाख रुपये की सीमा तक मीयादी ऋण पुनर्वित्त प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर विचार करेगा। इसके लिए शर्त यह होगी कि संयंत्र और मशीनरी पर निवेश लघु उद्योग सीमाओं से अधिक न हो। संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अलावा, वर्कशेड, शोरूम तथा डिलीवरी वैन/ट्रक को भी सुविधा के अंतर्गत औद्योगिक सहकारी समितियों में निवेश के लिए पात्र मदें मान लिया गया है।

Refinance Facilities for Financing of Industrial Co-operative Societies

3.43 In modification of the earlier decision to fix a ceiling on loans to industrial co-operative societies (upto Rs. 5 lakhs), the NABARD will now consider on the merits of each case, term loan refinance proposals in excess of Rs. 5 lakhs provided their investment in plant and machinery does not exceed the SSI limits. Apart from investment in plant and machinery, work-shed, godown, showroom and delivery van/truck have also been made eligible items of investment by industrial co-operatives under the facility.

गैर-कृषि गतिविधियाँ

कुटीर, लघु और ग्रामीण उद्योगों के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त सहायता

3.44 समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सभी औद्योगिक संस्थाओं को वाणिज्य बैंकों के जरिये नाबार्ड पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र बना

Non-farm Activities

Refinance Assistance for Financing Cottage, Tiny and Village Industries

3.44 All institutions registered under the Societies Registration Act, 1860 have been made eligible for NABARD's refinance

दिया गया है। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की मान्यता प्राप्त करना जरूरी नहीं है। पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में, मीयादी ऋण पुनर्वित्त के ऐसे प्रस्तावों पर, जो 5 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक हैं, नाबार्ड अब विचार करेगा बशर्ते, यूनिट के लिए संयंत्र और मशीनरी पर निवेश लघु उद्योग की सीमा से अधिक न हो। पंजीकृत संस्थाएं एक चक्र की कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं को मीयादी ऋण के साथ मिला सकती हैं। सुविधा के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के अलावा वर्क शेड, गोदाम, शोरूम तथा डिलीवरी वैन/ट्रक भी निवेश की पात्र मदों में शामिल कर लिये गये हैं। योजना के अंतर्गत बैंक अपने ऋण बढ़ाने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए नीचे बताये गये अनुसार योजना में उपयुक्त संशोधन किये गये हैं :

i) व्यक्तियों/स्वामित्व/भागीदारी फर्मों को बैंक ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋण राशि की अधिकतम सीमा को पहले के एक लाख रुपये और 2 लाख रुपये के बीच की राशि से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है,

ii) रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कुटीर और ग्रामीण उद्योग के 22 बृहद समूहों की सूची के अलावा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य औद्योगिक गतिविधियों को भी गैर-कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र बना दिया गया है।

iii) 50,000 जनसंख्या के मानदण्ड के बावजूद किसी भी स्थान पर समूह आधार पर कारीगरों तथा शिल्पियों द्वारा किये जानेवाले कार्यों के लिए सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कुटीर/ग्रामीण यूनिटों की सहायता के लिए विशेष रूप से स्थापित की गयी इकाइयों/परियोजनाओं को, उनके स्थान की परवाह किये बिना, उन्हें स्वतः पुनर्वित्त सुविधा योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना के लिये पात्र बना दिया जायेगा।

facility through commercial banks irrespective of recognition by KVIC/KVIB. Term loan refinance proposals in respect of such institutions which exceed the hitherto stipulated limit of Rs. 5 lakhs, will now be considered by NABARD, provided the investment in plant and machinery for the unit does not exceed the SSI limit. The institutions may integrate working capital requirements of one operating cycle with the term loan. Apart from plant and machinery, workshed, godown, showroom and delivery van/truck have also been made eligible items of investment under this facility. In order to encourage the banks to increase their lending under the scheme, suitable modifications have been made as indicated below:

i) The ceiling/limit of loan amount eligible for refinance in respect of bank loans to individuals/proprietory/partnership firms has been enhanced to Rs. 5 lakhs instead of between Rs. 1 lakh and Rs. 2 lakhs.

ii) Apart from the list of 22 broad groups of cottage and village industries approved by RBI/NABARD, any industrial activity approved by the Government of India has also been made eligible for refinance assistance under NABARD's scheme for non-farm sector.

iii) Activities to be undertaken by the artisans and craftsmen on cluster basis may be assisted at any location irrespective of the population criterion of 50,000. Furthermore, units/projects which have been specifically set up for providing support exclusively to the cottage/village units in rural areas will also be made eligible for refinance assistance under the automatic Refinance Scheme regardless of their location.

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग इकाइयों को मार्जिन धनराशि के लिए सहायता

3.45 अब तक मार्जिन धनराशि के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा उदार ऋण सहायता केवल व्यक्तियों/स्वामित्व/भागीदारी संस्थाओं को ही उपलब्ध थी। अब यह सुविधा सामान्य पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठा रहे व्यक्तियों के समूहों, सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों, प्रवर्तक एजेंसियों, विकास निगमों, पंजीकृत या धर्मादाय सस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए भी उपलब्ध करा दी गयी है। इस सुविधा का लाभ उत्पादन इकाइयां स्थापित करने, आधारभूत तथा प्रवर्तन सहायता परियोजनाएं तैयार करने, कच्चे माल की आपूर्ति के केन्द्र, विपणन केन्द्र, विविध सुविधा केन्द्र आदि स्थापित करने के लिए उठाया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तपोषित बायो-गैस के अधिकतम आकार के बारे में छूट

3.46 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा, जो अब तक 3 घन मीटर के अधिकतम आकार तक के बायो-गैस प्लांट लगाने के लिए उपलब्ध थी, उसे अब 3 घनमीटर से बड़े आकार के प्लांटों के लक्ष्य समूहों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है।

छोटे, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का वित्तपोषण करने वाले राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता

3.47 वर्ष के दौरान नाबार्ड ने द्विस्तरीय ऋण प्रणाली के अंतर्गत ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को और राज्य सहकारी बैंकों को भी अपनी पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं ताकि वे अलग-अलग कारीगरों, शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों तथा अन्य छोटे उद्यमियों/इकाइयों का वित्तपोषण कर सकें जिससे वे कुटीर, अति लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के 22 बड़े समूहों के अंतर्गत आनेवाली गतिविधियों और साथ ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य औद्योगिक गतिविधियों को शुरू कर

Assistance for Margin Money to Cottage and Village Industrial Units in Rural Areas

3.45 Hitherto, the soft loan assistance by scheduled commercial banks for margin money was available only to individuals/proprietory/partnership concerns. This has been now extended to groups of individuals, Government/quasi-Government agencies, promotional agencies, development corporations, registered and charitable institutions and voluntary organisations availing of refinance assistance under the General Refinance Scheme for setting up production units as well as infrastructural and promotional support projects, for establishment of raw material supply centres, marketing centres, common facility units, etc.

Relaxation in respect of Maximum Size of Bio-gas to be Financed by RRBs

3.46 The NABARD's refinance facility to RRBs which was available hitherto for their advances for installation of bio-gas plants upto the maximum size of 3 cubic metres was extended to the target groups for bio-gas plants of above 3 cubic metres size also.

Refinance Assistance to SCBs/CCBs for Financing Small, Cottage and Village Industries

3.47 During the year, the NABARD extended its refinance facilities to SCBs on behalf of DCCBs and also to SCBs operating under the two-tier credit system, to finance directly individual artisans, craftsmen, handicraftsmen and other small entrepreneurs/units, for undertaking activities covered by 22 broad groups of cottage, tiny and village industries and also any industrial activity approved by

सकें। पुनर्वित्त सुविधाओं के ब्यौरे यहां संक्षेप में दिये गये हैं।

(प्रतिशत वार्षिक)

योजना	नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज	हिताधिकारियों से लिया जानेवाला ब्याज
अलग-अलग कारीगरों के 30,000 रुपये प्रत्येक तक वित्तपोषण के लिए संमिश्र ऋण योजना	6.5	10.0
लघु, अति लघु, कुटीर तथा ग्राम्य उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों के 5 लाख रुपये प्रत्येक तक मीयादी/एकीकृत ऋणों के लिए सामान्य पुनर्वित्त योजना	8.0	12.5
परामर्शदाता की सेवाएं लेने के लिए, सामान्य पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों को 10,000 रुपये तक परियोजना निर्माण तथा परामर्शदात्री सहायता के लिए योजना	6.5	10.0

वर्कशेडों के निर्माण के लिए ऋण सीमा में वृद्धि

3.48 नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, वर्कशेडों के निर्माण के लिए उपलब्ध कराये जानेवाले ऋणों की सीमा बढ़ा दी है। इसके लिए न्यूनतम सीमा 3,000 रुपये तथा अधिकतम सीमा स्वतः पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत अलग-अलग ग्रामीण कारीगरों को मंजूर किये जानेवाले संमिश्र ऋण के 25 प्रतिशत पर निर्धारित की गयी है। वर्कशेडों के निर्माण के लिए प्राथमिक स्तर की समितियों के ग्रामीण कारीगर सदस्यों के लिए सहकारी बैंकों की योजना में भी संशोधन किये गये हैं। वर्कशेडों के निर्माण के लिए ऋण की राशि किसी ग्रामीण कारीगर को जारी कार्यशील पूंजी ऋण सीमा तथा ब्लाक पूंजी ऋण को मिलाकर कुल ऋण के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम और अधिकतम राशि क्रमशः 3,000 रुपये और 7,500 रुपये होगी।

Government of India. The package of refinance facilities is summarised below:

(Per cent per annum)

Scheme	Interest on NABARD's refinance	Interest charged to beneficiaries
Composite Loan Scheme for financing individual artisans upto Rs. 30,000 each	6.5	10.0
General Refinance Scheme (GRS) for term/integrated loans upto Rs. 5 lakhs each for entrepreneurs for setting up small, tiny, cottage and village industries.	8.0	12.5
Scheme for project formulation and consultancy assistance upto Rs. 10,000 each to beneficiaries under GRS for engaging the services of a consultant.	6.5	10.0

Enhancement of Loan Limit for Construction of Worksheds

3.48 The NABARD has enhanced the loan limit for construction of worksheds to be provided by scheduled commercial banks and RRBs. The minimum amount is Rs. 3,000 and the maximum ceiling is fixed at 25 per cent of the composite loan sanctioned to individual rural artisans under the automatic refinance scheme. The scheme for co-operative banks for rural artisan members of primary level societies for construction of worksheds has also been modified. The loan for construction of worksheds should not be more than 25 per cent of the aggregate loan comprising working capital loan limit and block capital loan issued to a single rural artisan, with a minimum and maximum of Rs. 3,000 and Rs. 7,500 respectively.

गैर-कृषि कार्यों के लिए वित्तपोषण

पुनर्वित्त की सीमा में वृद्धि

3.49 ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण मिल सकें, इसके लिए नाबार्ड ने जुलाई 1986 से, अपनी पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत, बैंकों को, गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों के लिए (बायो-गैस संयंत्रों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आइ.एस.बी. घटक तथा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से इतर कार्य योजना को छोड़कर) उनके अग्रिमों के पहले के 90 प्रतिशत के स्तर की तुलना में 100 प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा देना शुरू कर दिया है।

स्वतः पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत 1) लघु सेवा इकाइयों तथा 2) व्यक्तियों/प्राथमिक स्तर की समितियों के सदस्यों को गैर-कृषि कार्यों के लिए पुनर्वित्त

3.50 नाबार्ड ने कुटीर, अत्यंत छोटे तथा ग्रामीण उद्योग के लिए अपनी स्वतः पुनर्वित्त सुविधा को उदार बनाने तथा इसे ऐसे सेवा उन्मुखी उद्योगों के लिए भी करने का निर्णय किया है, जिनका अचल आस्तियों में निवेश 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा एक लाख या कम की जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित हैं। उदाहरण के रुप में इस प्रकार की संस्थाओं/कार्यों में पंपसेटों की मरम्मत इलेक्ट्रिक वायरिंग/ आटोमोबाइल/ स्कूटर/ मोटरसाइकिल की मरम्मत/ट्रैक्टर की मरम्मत/उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का रख-रखाव, लांड्री, जैराक्सिंग, चक्की का काम आदि शामिल होंगे। छोटे उधारकर्ताओं के लिए वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक 30,000 रुपये तक के संमिश्र ऋण मंजूर कर सकते हैं जबकि बड़े उधारकर्ताओं के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक 5 लाख रुपये की सीमा तक के ऋण मंजूर कर सकते हैं। ये ऋण पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे बशर्ते किया जाने वाला कार्य पूरी तरह से कारोबारी या व्यापारिक किस्म का न हो तथा इस उद्योग के लिए क्षेत्र में पर्याप्त गुंजाइश मौजूद हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में आदिवासियों के स्वामित्व वाली छोटी इकाइयों को एक व्यक्ति को 5,000 रुपये तक और समूह ऋण के संबंध में 30,000 रुपये तक के संमिश्र ऋण मंजूर किये जा सकते हैं।

Refinance for Non-Farm Activities

Increase in Refinance Limits

3.49 With a view to increasing the credit flow to rural non-farm sector, the NABARD extended with effect from July 1986, 100 per cent refinance facility to banks as against the previous level of 90 per cent for their advances for non-farm sector activities under its refinance scheme (except for bio-gas plants, ISB component of IRDP and SC/ST, action plan outside IRDP).

Automatic Refinance Facility to 1) Small-scale Service Units and 2) Individual/Artisan Members of Primary Level Societies

3.50 NABARD has decided to liberalise its automatic refinance facility for cottage, tiny and village industries and make it also applicable to service-oriented industries which do not have investment in fixed assets exceeding Rs.2 lakhs and are situated in rural areas and towns with population of one lakh or less. Illustratively, such establishments/activities would include pumpset repairs, electrical wiring, repairs to automobiles/scooters/motorcycles and tractors, maintenance of consumer durables, laundry, zeroxing, grinding, etc. For small borrowers the commercial banks, RRBs, SLDBs and SCBs/DCCBs could sanction a composite loan of Rs. 30,000, while for bigger borrowers the CCBs and SCBs could sanction loans upto Rs. 5 lakhs which would be eligible for refinance provided the activity is not of purely a trading or business nature and there exists sufficient scope for the industry in the area. In the case of RRBs, composite loans for small-scale establishments owned by tribals up to Rs. 5,000 to a single individual and Rs. 30,000 in the case of group loans, may be sanctioned.

3.51 29 जून 1987 को स्वतः आधार पर इस प्रकार की पुनर्वित्त सुविधा राज्य सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं को भी उपलब्ध करायी गयी थी ताकि ये शाखायें कुछेक रक्षोपायों और शर्तों के अधीन अलग-अलग ग्रामीण कारीगर सदस्यों, प्राथमिक स्तरीय संस्थाओं को 30,000 रुपये तक संमिश्र ऋण उपलब्ध करा सकें। संमिश्र ऋण कुटीर और लघु उद्योगों के 22 विनिर्दिष्ट बृहद समूहों में से कोई भी कार्य करने पर दिया जाता है।

पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्रता मानदण्ड से अतिदेय की शर्त को अलग करना

3.52 गैर-कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए वाणिज्य बैंकों को नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्रता मानदण्ड से अतिदेय की शर्तों को अलग करने का प्रावधान जो जून 1988 को समाप्त होना था, उसे बनाये रखने का निर्णय किया गया है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

3.53 प्राथमिक सहकारी बैंकों (97 वेतन-भोगी समितियों सहित) की संख्या जून 1986 के अंत की 1,346 से बढ़कर जून 1987 के अंत में 1,359 हो गयी। 31 दिसंबर 1986 की स्थिति के अनुसार देश में, वेतनभोगी समितियों के 249 कार्यालयों सहित प्राथमिक सहकारी बैंकों के 3,059 कार्यालय कार्य कर रहे थे। प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा जुटायी गयी राशियाँ जून 1985 के अंत के 3,255 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष के दौरान 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए जून 1986 के अंत में 3,939 करोड़ रुपये हो गयी थीं। पिछले वर्ष यह 22.4 प्रतिशत थी। जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों के बकाया ऋण पिछले वर्ष की 20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,046 करोड़ रुपये हो गये। 1986-87 के दौरान (27 फरवरी 1987 तक) प्राथमिक सहकारी बैंकों के बकाया ऋण और बढ़कर क्रमशः 4,413 करोड़ रुपये तथा 3,509 करोड़ रुपये हो

3.51 Such refinance facility on an automatic basis was also extended from June 29, 1987 to SCBs on behalf of CCBs/ branches of SCBs to enable the latter to provide composite loans upto Rs.30,000 each to individuals/rural artisan members of primary level institutions subject to certain safeguards and conditions. The composite loan is extended for undertaking any of the 22 specific broad groups of cottage and small-scale industries.

Delinking of Overdue Norms from Eligibility Criteria for Refinance Assistance

3.52 The delinking provision of the overdue norms from eligible criteria for NABARD's refinance assistance to commercial banks for financing non-farm sector was to expire in June 1988. It was however, decided to retain the provision.

Primary (Urban) Co-operative Banks

3.53 The number of PCBs increased from 1,346 at end-June 1986 to 1,359 (which included 97 salary earners' societies) at end-June 1987. As on December 31, 1986, there were 3,059 offices of the PCBs operating in the country including 249 offices of the salary earners' societies. The deposits mobilised by the PCBs rose from Rs.3,255 crores at end-June 1985 to Rs.3,939 crores at end-June 1986, showing an increase of 21 per cent over the year as compared to 22.4 per cent during the previous year. The loans outstanding of PCBs rose by 20.7 per cent to Rs.3,046 crores during the year ended June 1986 as against a rise of 20 per cent in the previous year. During 1986-87, (upto February 27, 1987) the deposits and loans outstanding of PCBs increased further to Rs.4,413 crores and Rs.3,509 crores, respectively. The progress made by

गये। वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा की गयी प्रगति नीचे सारणी में दी गयी है।

the PCBs over the years is presented in the table below:

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की प्रगति

PROGRESS OF PRIMARY (URBAN) CO-OPERATIVE BANKS

(करोड़ रुपये)
(Rs. crores)

मदें Items	सहकारिता वर्ष (जुलाई-जून) Co-operative Year (July-June)			
	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या * Number of PCBs*	1,310 (101)	1,331 (102)	1,346 (99)	1,359 (97)
प्राथमिक सहकारी बैंकों के कार्यालय की संख्या * Number of Offices of PCBs*	2,751 (232)	2,897 (236)	3,031 (245)	3,059@ (249)
जमा राशियाँ Deposits	2,659	3,255	3,939	4,413 £
बकाया ऋण Loans outstanding	2,103	2,524	3,046	3,509 £

* इनमें वेतन-भोगी समितियां शामिल हैं इनके लिए आंकड़े कोष्ठकों में दिये गये हैं।
Includes salary earners' societies,figures for which are given in brackets.

@ 31 दिसंबर 1986 की स्थिति के अनुसार
As on December 31, 1986.

£ 27 फरवरी 1987 की स्थिति के अनुसार
As on February 27, 1987

लाइसेंस जारी करना और निरीक्षण

3.54 लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या जून 1986 के अंत के 461 से बढ़कर जून 1987 के अंत में 845 हो गयी। इससे भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने/जारी रखने के लिए प्राथमिक सहकारी बैंकों को मंजूर किये गये लाइसेंसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है। वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों को कारोबार के 13 नये क्षेत्र खोलने की अनुमति दी गयी थी। 1986-87 के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अन्तर्गत 386 प्राथमिक सहकारी बैंकों के निरीक्षण किये गये। पिछले वर्ष 470 प्राथमिक सहकारी बैंकों के निरीक्षण किये गये थे।

अल्पावधि ऋण सीमायें

3.55 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान ब्याज की रियायती दर अर्थात् बैंक दर से 2.5 प्रतिशत कम पर कुटीर और लघु औद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण के लिए 53 प्राथमिक सहकारी बैंकों को 30 करोड़ रुपये की अल्पावधि

Licensing and Inspection

3.54 The number of licensed PCBs increased from 461 at the end of June 1986 to 845 by end-June 1987, reflecting an appreciable rise in the number of licences granted to the PCBs to commence/carry on banking business in India. Permission to open 13 new places of business was granted to the PCBs during the year. Inspections of 386 PCBs were conducted during 1986-87 under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative socieites) as against 470 in the previous year.

Short-term Credit Limits

3.55 During 1986-87 (April-March) short-term credit limits for financing cottage and small-scale industrial units at concessional rate of interest i.e. 2.5 per

ऋण सीमायें मंजूर की गयी थीं, जबकि पिछले वर्ष 43 प्राथमिक सहकारी बैंकों को 25 करोड़ रुपये की सीमायें मंजूर की गयी थीं। 31 मार्च 1987 की स्थिति के अनुसार इन सीमाओं में से प्राथमिक सहकारी समितियों पर 25 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे जबकि एक वर्ष पहले 22 करोड़ रुपये बकाया थे।

ऋण प्राधिकरण योजना

3.56 1986-87 के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राधिकरण के लिए 12 प्राथमिक सहकारी बैंकों से कुल 46 करोड़ रुपये की राशि के 66 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुल 25 करोड़ रुपये की राशि के 38 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये।

जमाराशियों पर ब्याज दरें

3.57 वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू, जमाराशियों पर ब्याज दरों में सभी परिवर्तन सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिये गये हैं। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों के अनुरूप, कुछेक अवधि समाप्तियों वाली घरेलू जमाराशियों पर ब्याज दरें पहली अप्रैल 1987 से संशोधित कर दी गयीं। विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों में रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें 8 सितम्बर 1986 से संशोधित करके कम कर दी गयी थीं। अलबत्ता, लोकहित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में 6 महीने और उससे अधिक तथा तीन वर्ष तक की और उस समय की अवधियों के लिए रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज की दरें 25 मई 1987 से 0.5 से 1.5 प्रतिशत अंक बढ़ा दी गयीं। अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों पर ब्याज द्रों को घरेलू जमाराशियों पर निर्दिष्ट दरों से अलग कर दिया गया और ब्याज दरों तथा अवधि समाप्तियों का एक स्वतंत्र ढ़ांचा निर्दिष्ट किया गया(ब्यौरे के लिए कृपया अध्याय 2 देखें)।

3.58 अलबत्ता, प्राथमिक सहकारी बैंक, सभी मीयादी और बचत जमाराशियों पर विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों को छोड़कर निर्धारित

cent below the Bank Rate, aggregating Rs.30 crores were sanctioned to 53 PCBs as against the limits of Rs.25 crores sanctioned to 43 PCBs in the preceding year. The oustanding borrowings of PCBs against these limits amounted to Rs.25 crores as on March 31, 1987 as against Rs.22 crores a year ago.

Credit Authorisation Scheme

3.56 During 1986-87, 66 proposals from 12 PCBs involving an aggregate amount of Rs.46 crores were received for authorisation under the CAS; of this, 38 proposals for amounts aggregating Rs.25 crores were approved.

Interest Rates on Deposits

3.57 All changes in interest rates on deposits applicable to commercial banks and RRBs are also applicable to co-operative banks. Accordingly, in line with commercial banks, interest rates on domestic deposits of certain maturities were revised with effect from April 1, 1987. The interest rates on deposits held in Foreign Currency (Non-Resident) Accounts had been revised downwards with effect from September 8, 1986. However, keeping in view the public interest, the interest rates on deposits held in FCNR accounts for periods ranging from 6 months and above and upto and inclusive of three years were raised by 0.5 to 1.5 percentage points with effect from May 25, 1987. Interest rates on Non-Resident (External) Rupee Accounts were delinked from the rates specified for domestic deposits and an independent structure of interest rates and maturities was specified. (for details please see Chapter 2).

3.58 The PCBs may, however, at their discretion, allow additional interest on all term and savings deposits (other than

दरों से एक प्रतिशत अधिक की दर पर अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं।

मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं पर अग्रिम

3.59 पहली अप्रैल 1987 से, मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं पर अग्रिमों के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में वाणिज्य बैंकों के संबंध में किये गये परिवर्तन किये गये थे। इन्हें सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया गया। अलबत्ता, किसी एक ही उधारकर्ता को ऋण का स्तर 2 लाख रुपये पर ही अपरिवर्तित रखा गया।

अग्रिमों की अधिकतम सीमा

3.60 25 नवम्बर 1986 से ऐसे बैंकों के संबंध में, जिनकी कुल मियादी और मांग देयताएं 10 करोड़ रुपये या अधिक हैं, एकल पार्टी के लिए इसे 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया। प्राथमिक सहकारी बैंक पार्टियों को, उनके द्वारा मंजूर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत सीमा या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, के 10 प्रतिशत अधिक तक की राशि 3 महीने के लिए मंजूर कर सकते हैं ताकि वे किसी आकस्मिक खर्च या ऋण सीमाओं में अस्थायी वृद्धि को पूरा कर सकें। बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गयी कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा पहले अनुमोदित सीमाओं का नवीकरण कर सकते हैं।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण

3.61 शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त और कमजोर वर्गों को ऋण देने के जून 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार अपने कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों के क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्त करने थे। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि छोटे शहरी बैंकों ने तो निर्धारित स्तर प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन बड़े शहरी सहकारी बैंकों का कार्य इस दिशा में संतोषजनक नहीं रहा।

सहकारिता के ढांचे को मजबूत करना और उसका भावी विकास

3.62 1976 में निर्धारित संभाव्यता मानदण्डों के अनुसार पुनर्गठन की प्रक्रिया गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर

FCNR and NRE Accounts) upto 1 per cent over and above the prescribed rates.

Advances Against Sensitive Commodities

3.59 With effect from April 1, 1987 changes were made in selective credit controls for advances against sensitive commodities in respect of commercial banks. These were also made applicable to co-operative banks. The level of credit to a single borrower was, however, retained at Rs.2 lakhs.

Maximum Limit on Advances

3.60 Effective November 25, 1986, the maximum limit on advances to a single party was raised from Rs.30 lakhs to Rs.40 lakhs in respect of banks with total time and demand liabilities of Rs.10 crores or more. PCBs were permitted to allow the parties excess drawings upto 10 per cent of the limit sanctioned by them or authorised by RBI or Rs.10 lakhs whichever is less for a period upto 3 months in order to meet any contingencies or temporary increase in credit limits. Banks were also permitted to renew the limits earlier approved by the RBI.

Lending to Priority Sector

3.61 Lendings to priority sector and weaker sections by the urban co-operative banks (UCBs) were required to reach a level of 60 per cent and 15 per cent, respectively, of the total loans and advances outstanding as at the end of June 1986. Available information indicates that while smaller UCBs have made substantial endeavour in achieving the stipulated levels, the performance of bigger urban co-operative banks was not satisfactory.

Strengthening and Future Development of Co-operative Structure

3.62 The process of reorganisation as per viability norms prescribed in 1976 has

और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों में पूरी कर ली गयी है। अलबत्ता, अभी भी बड़ी संख्या में समितियों की कम ऋण सदस्यता, कम कारोबार तथा अतिदेयों के ऊंचे स्तर बने हुए हैं। परिणाम स्वरूप उनकी हानियां बढ़ती जा रही हैं और उनमें से कई गैर-संभावनाओं वाली बनी हुई हैं। 2 लाख रुपये के ऋण कारोबार का न्यूनतम स्तर जो 1976 में संभाव्यता के लिए पर्याप्त माना जाता था, अब कई कारणों जैसे, ब्याज दरों में इस तरह के संशोधन तथा मजदूरी के स्तर में वृद्धि और अन्य ऊपरी खर्चों की वजह से कोई मायने नहीं रखता। अतः, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए संभाव्यता मानदण्डों में संशोधन करके वृद्धि करने की तत्काल जरूरत है। नाबार्ड ने इस पहलू की जांच का काम जिस वरिष्ठ विशेषज्ञ दल को सौंपा है, उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

already been completed in all the States except Gujarat, Jammu and Kashmir and Maharashtra. However, a large number of societies continue to have low borrowing membership, low business turnover and high level of overdues resulting in accumulation of losses and many of them continue to be non-viable. The minimum level of loan business of Rs.2 lakhs which was considered adequate for viability in 1976 does not hold good in the present context due to a variety of reasons such as revision of rates of interest and escalation in wage level and other overheads. There is thus an urgent need for upward revision of the viability norms for PACS. The recommendations of the senior expert group entrusted by NABARD with the examination of this aspect are awaited.

3.63 नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की पुनरीक्षण समिति (क्राफीकार्ड) की सिफारिशों पर आधारित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत सभी राज्य सरकारों को परिचालित किये थे और उनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियां द्वारा दी जानेवाली सेवाओं की गुणवत्ता तथा दायरे में उनके द्वारा ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका को निभाते हुए सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की ज़रूरत पर बल दिया गया था। इसके लिए न केवल उनके सदस्यों को अलग-अलग किस्म की ऋण सुविधायें देने की ज़रूरत होगी, बल्कि उत्पादों के विपणन, निवेश वस्तुओं के वितरण तथा ग्रामीण जमाराशियां जुटाने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी। राज्यों को सलाह दी गयी थी कि वे राज्य में लाभ कमाने वाली समितियों में से 10 प्रतिशत समितियों की सीमा तक प्रत्येक राज्य में 10 से 15 समितियाँ चुनें और 1982-83 तक उसका गहन विकास किया जाये। बाद में धीरे-धीरे इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना (1985) के अंत तक सभी समितियों पर लागू कर दिया जाये। जून 1987 के अंत की स्थिति के अनुसार 18 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में गहन विकास के लिए 4,826 समितियाँ चुनी गयीं। 13 राज्यों से पाइलट आधार पर 275 समितियों के बारे में एकत्र

3.63 Based on the recommendations of the CRAFICARD, the NABARD had circulated detailed guidelines to all State Governments stressing the need for a time bound programme for improving the quality and range of services rendered by PACS by their assuming the character of rural banking institutions through provision of not only diversified credit facilities to their members but by extending facilities for marketing of produce, distribution of inputs and mobilising rural deposits. The State Governments had been advised to select 10 to 15 societies in each district subject to 10 per cent of the profit-making societies in each State for their intensive development by 1982-83 and gradually extend the scheme to all the societies by the end of the Sixth Five-Year Plan (March 1985). As at the end of June 1987 as many as 4,826 societies in 18 States/Union Territories were selected for intensive development. Data collected in respect of 275 societies on a pilot basis from thirteen States revealed that while the selected PACS in the States of Haryana, Karnataka,

किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश राज्यों में चुनी हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में सदस्य बनाने, जमाराशियाँ जुटाने, ऋण देने तथा गैर ऋण कारोबार में वृद्धि करने में काफी तेजी से प्रगति की है, जबकि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में इन्होंने खासी तरक्की की है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सहकारी बैंक

3.64 मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों के कार्यचालन को बहुत अधिक मात्रा में अतिदेयों ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। इन बैंकों को अनुमति दी गयी थी कि वे नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाने की दृष्टि से अपने अतिदेय 3 वर्ष के लिए रोक रखें। उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी राज्य सहकारी बैंकों को, अतिदेयों का कोई भी स्तर होने के बावजूद नाबार्ड से पुनर्वित्त लेने की अनुमति दे दी गयी है। मेघालय एपेक्स बैंक के संगठनात्मक और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा के लिए एक अध्ययन भी आयोजित किया गया था। इसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों का पुनर्वास

3.65 30 जून 1986 की स्थिति के अनुसार 173 मध्यवर्ती सहकारी बैंक पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत लाये गये थे। सबसे अधिक संख्या में कमज़ोर बैंक (34) बिहार में थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 16 कमज़ोर बैंक थे। द्विस्तरीय सहकारी ऋण ढांचे के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों में 8 राज्य सहकारी बैंकों अर्थात् असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा नागालैंड को भी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया।

अनुसंधान और विकास निधि

3.66 वर्ष 1986-87 के दौरान नाबार्ड ने अपनी अनुसंधान और विकास निधि से 9 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने/को मज़बूत बनाने के लिये वित्तीय सहायता मंजूर की थी। इस प्रकार इस निधि से सहायता प्राप्त क्षेत्रीय

Kerala and Madhya Pradesh had maintained a steady pace of development in membership drive, deposit mobilisation, increase in loan business and non-credit activities, in other States like Himachal Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu, they had achieved sizeable progress.

Co-operative Banks in the North-Eastern Region

3.64 The working of SCBs in the States of Manipur, Tripura and Meghalaya has been seriously affected by heavy overdues. These banks were permitted to block the overdues over 3 years for the purpose of providing them with refinance facilities from the NABARD. All the SCBs in the North-East have also been permitted to draw refinance from NABARD, irrespective of their level of overdues. A study was also conducted to review the organisational and financial aspects of the Meghalaya Apex Bank, the findings of which are awaited.

Rehabilitation of CCBs/SCBs

3.65 As on June 30, 1986,173 CCBs were brought under the programme of rehabilitation. The largest number of weak banks were in Bihar (34) followed by Uttar Pradesh and West Bengal (16 each). The programme of rehabilitation also covers 8 SCBs in the areas served by two-tier co-operative credit structure viz., Assam, Chandigarh, Delhi, Goa, Manipur, Meghalaya, Tripura and Nagaland.

Research and Development Fund

3.66 During 1986-87, financial assistance was sanctioned by the NABARD from its Research and Development Fund to 9 more RRBs for setting up/strengthening their Technical Monitoring and Evaluation (TME) Cells, bringing the total number of

ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 30 जून 1987 को 39 हो गयी। वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए दो और राज्य भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता मंजूर की गयी। राज्य भूमि विकास बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों, जिनके लिये अनुसंधान और विकास निधि से वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है, कुल संख्या 30 जून 1987 को क्रमशः 13 और 2 हो गयी। वर्ष के दौरान तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने/को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को 13.24 लाख रुपयों की राशि वितरित की गयी थी।

3.67 इसके अलावा नाबार्ड ने अपनी अनुसंधान और विकास निधि से नाबार्ड से जुड़े विषयों पर अनुसंधान अध्ययन करने, सेमीनार/सम्मेलनों/गोष्ठियों आदि के आयोजन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की। वर्ष के दौरान निधि से ऐसे 5 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूर किया गया तथा 17 सेमीनारों को सहायता प्रदान की गयी। वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं को दी गयी सहायता तथा सेमीनारों/सम्मेलनों/गोष्ठियों के आयोजन के लिए प्रदान की गयी राशि 33.41 लाख रुपये थे। 30 जून 1987 तक अनुसंधान और विकास निधि द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों की संख्या 48 थी। वर्ष 1986-87 के दौरान नाबार्ड की अनुसंधान और विकास निधि द्वारा उक्त प्रयोजनों की वितरित की गयी वित्तीय सहायता की राशि 46.65 लाख रुपये है।

अन्य गतिविधियां

ऋण प्राधिकरण योजना

3.68 सहकारी बैंकों पर लागू रिज़र्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना (ऋप्रायो) नियंत्रण की जिम्मेदारी नाबार्ड की बनी रही। वर्ष 1986-87 के दौरान ब्लाक पूंजी के वित्त के लिये दिये गये ऋण प्राधिकरण की राशि 1985-86 के 59 करोड़ रुपये की तुलना में 25 करोड़ रुपये रही। वर्ष के दौरान कार्यकारी पूंजी वित्त के लिये कुल 1,254 करोड़ रुपयों के प्राधिकरण मंजूर किये गये जबकि वर्ष 1985-86

RRBs assisted from the Fund to 39 as on June 30, 1987. During the year two more SLDBs were sanctioned financial assistance from the Fund for the same purpose. The total number of SLDBs and SCBs for whom financial assistance had been sanctioned from the R & D Fund was 13 and 2, respectively, as on June 30, 1987. During the year, a sum of Rs. 13.24 lakhs was disbursed to RRBs, SLDBs and SCBs for setting up/strengthening their TME Cells.

3.67 In addition, the NABARD sanctioned financial assistance from its R & D Fund to various institutions for undertaking research studies, organising seminars/conferences/symposia, etc. on subjects of relevance to the NABARD. During the year 5 such research proposals were approved and 17 seminars were assisted from the Fund. The total financial assistance provided to various research institutions and for conducting seminars/conferences/symposia, etc. during the year stood at Rs. 33.41 lakhs. The total number of research proposals approved from R & D Fund as on June 30, 1987 stood at 48. The total financial assistance disbursed from R & D Fund of NABARD during 1986-87 for all these purposes stood at Rs. 46.65 lakhs.

Other Developments

Credit Authorisation Scheme

3.68 The responsibility of administering the Credit Authorisation Scheme of the Reserve Bank as applicable to co-operative banks continues to rest with the NABARD. During 1986-87, credit authorisations granted for block capital finance amounted to Rs. 25 crores as against Rs. 59 crores in 1985-86. During the year, authorisations for working capital finance

के दौरान राशि 1239 करोड़ रुपये थी।

3.69 वर्ष के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सहकारी चीनी फैक्टरियों की कार्यकारी पूंजी के लिये जारी अधिक महत्वपूर्ण अनुदेश नीचे दिये जा रहे हैं :

(i) राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड के पूर्व प्राधिकरण के बिना चीनी के स्टॉक की जमानत पर सहकारी चीनी फेक्टरियों को 1986-87 के गन्ना पेराई मौसम के लिये पिछले मौसम के दौरान उनके द्वारा ली गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अधिक आहरणों को छोड़कर) के 115 प्रतिशत की समा तक कार्यकारी पूंजी सीमायें करने की अनुमति दी. गयी। यदि किसी चीनी फैक्ट्री को उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक गिरवी सीमा की आवश्यकता हो तो नाबार्ड के पूर्व प्राधिकरण की अनिवार्यता बनी रही बिना पूर्व प्राधिकरण सीमा के चीनी फैक्टरी को अलग से कोई निर्बंध दृष्टिबंधक सीमायें स्वीकृत नहीं की जा सकती। अब तक की तरह मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सहकारी चीनी फैक्ट्रीयों को 150 लाख रुपयों से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमायें स्वीकृत करने के लिये नाबार्ड का प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।

(ii) गत वर्षों की तरह, ब्लाक तथा कार्यकारी पूंजी वित्त के लिए प्रदत्त प्राधिकरण का अधिकांश भाग सहकारी चीनी फैक्टरियों के लिये ही था। अब तक केवल सहकारी अभिसंस्करण अथवा विपणन एवं अभिसंस्करण समितियां तथा उपभोक्ता स्टोअर्स ऋण प्राधिकरण योजना की सीमा में थे। जुलाई 1986 से सभी प्रकार की गैर-ऋण सहकारी समितियों को ऋण प्राधिकरण योजना के दायरे में ले लिया गया।

(iii) नाबार्ड ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से किसी भी प्रकार की गैर ऋण सहकारी समितियों को कार्यकारी पूंजी वित्त मंजूर करने की निर्धारित सीमा (उच्चतम सीमा) को फरवरी 1987 से संशोधित और फिर से क्रमबद्ध किया है। अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के लिए 4 करोड़ रुपये, गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के लिए 3 करोड़ रुपये तथा राज्यों और संघशासित प्रदेशों में केन्द्रीय वित्तपोषण

were granted for a total amount of Rs. 1,254 crores as compared to Rs. 1,239 crores in 1985-86.

3.69 The more important of the instructions issued during the year regarding sanction of working capital limits under CAS to co-operative sugar factories are given below:

(i) The SCBs were permitted to sanction without prior authorisation from NABARD, working capital limits, against pledge of stocks of sugar to co-operative sugar factories for the 1986-87 sugarcane crushing season, to the extent of 115 per cent of the maximum amount availed of by them during the previous season (excluding temporary excess drawings). The NABARD's prior authorisation continued to be obligatory if any of the sugar factories required additional pledge limits. No separate clean hypothecation limits can be sanctioned to sugar factories without prior authorisation. The CCBs were required to obtain, as hitherto, prior authorisation from the NABARD for sanction of working capital limits in excess of Rs. 150 lakhs.

(ii) As in the past, the bulk of the authorisations granted for block and working capital finance was in favour of co-operative sugar factories. Hitherto the co-operative processing or marketing or marketing-cum-processing societies and consumer stores only were within the purview of the CAS. From July 1986 all types of non-credit co-operative societies were brought within the ambit of CAS.

(iii)The NABARD, in consultation with RBI, revised and realigned from February 1987, the prescribed limit (cut-off point) for sanction of working capital finance to any type of non-credit co-operative societies. The cut-off points are now Rs. 4 crores for scheduled SCBs, Rs. 3 crores for non-scheduled SCBs and Rs. 1.50 crores for SCBs in States and Union Territories

एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती बैंकों के लिए 1.50 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत करने के लिए पाइलट परियोजना

3.70 होशंगाबाद (मध्यप्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र) तथा साबरकांठा (गुजरात) के तीन ज़िलों में ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू की गयी पाइलट परियोजना के परिणामों से उत्साहित होकर इसे पहली जुलाई 1986 से 12 और ज़िलों में लागू कर दिया गया। इस तरह इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गयी। चरण I में 20 ज़िले प्रस्तावित किये गये थे। 5 और ज़िलों के लिए पाइलट परियोजना के चरण II को जनवरी 1988 के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि कई अड़चनों के कारण सहभागी बैंक अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे।

3.71 *विश्व बैंक के आदेश पर तीन ज़िलों अर्थात्* होशंगाबाद, साबरकांठा तथा औरंगाबाद के संबंध में मध्यावधि मूल्यांकन कराया गया था और यह पाया गया था कि परियोजना से ऋण की मात्रा बढ़ाने, ऋण देने के क्षेत्रों को बढ़ाने, अधिक मात्रा में राशियां जुटाने तथा वसूली की स्थिति सुधारने में मदद मिली है, इसके लागू होने के दो वर्षों के दौरान भूमि विकास बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने वसूली ऋण कारोबार तथा जमाराशियाँ जुटाने के क्षेत्र में उत्साहजनक सुधार दर्शाया है।

3.72 जुलाई 1986 से नाबार्ड ने देश के प्रत्येक पाइलट परियोजना जिले में 30 चुनी हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा बड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियों के गहन विकास के लिए पाइलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में एक 15-सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम से छोटे छोटे उत्पादों को इकट्ठा करने के काम में लगे हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को लाभ पहुंचेगा।

बैंकों का निरीक्षण

3.73 1986-87 के दौरान नाबार्ड द्वारा 7 राज्य भूमि

functioning as central financing agencies, as well as for CCBs.

Pilot Project for Strengthening Credit Delivery System

3.70 Encouraged by the results in the three districts of Hoshangabad (Madhya Pradesh), Aurangabad (Maharashtra) and Sabarkantha (Gujarat), the pilot project for strengthening credit delivery system was extended to 12 more districts with effect from July 1, 1986 taking the total number of districts to 15; twenty districts had been proposed under Phase-I. The extension of Phase-II of the pilot project covering 5 more districts has been deferred to January 1988 since the participating banks were not in a position to provide additional staff due to various constraints.

3.71 At the instance of the World Bank, a mid-term evaluation was conducted in respect of the three districts viz., Hoshangabad, Sabarkantha and Aurangabad and it was found that the project has contributed to increased volume of lending, modest diversification in loan business, larger deposit mobilisation and improved recovery performance. During the two years of implementation, the participating banks, which include LDBs and CCBs have shown encouraging trends in recovery, loan business and deposit mobilisation.

3.72 The NABARD also launched from July 1986 a 15-point programme as part of the pilot project for intensive development of 30 selected PACS and all LAMPS in each of the pilot project districts in the country. The programme will benefit farmers belonging to SCs/STs engaged in collection of minor forest produce.

Inspection of Banks

3.73 During 1986-87 inspections of 7

विकास बैंकों, 178 मध्यवर्ती/सहकारी बैंकों, 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा 30 अन्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

SLDBs, 178 CCBs, 86 RRBs and 30 other institutions were conducted by NABARD.

फसल बीमा योजना

3.74 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में चर्चा की गयी थी, 1985 के खरीफ मौसम से देश में व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गयी थी। योजना को 1986 के खरीफ मौसम के दौरान 16 राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 37.7 लाख किसान तथा 74.8 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र शामिल किया गया था। 31 जनवरी 1987 तक बीमाकृत फसल ऋणों की राशि 828 करोड़ रुपये तथा एकत्र किये गये प्रीमियम 14.6 करोड़ रुपये के रहे। बैंकों को सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों तथा गहनों की जमानत पर किसानों को मंजूर फसल ऋण को शामिल न करने का फैसला किया है।

Crop Insurance Scheme

3.74 As discussed in the last year's Report, a comprehensive crop insurance scheme was introduced in the country from the 1985 kharif season. The scheme was implemented in 16 States and 4 Union Territories during kharif 1986 season. The scheme covered 37.7 lakh farmers and cultivating area of 74.8 lakh hectares. The crop loans insured aggregated Rs. 828 crores and the premium collected amounted to Rs.14.6 crores (upto January 31, 1987). Banks were advised that the Government of India has taken a decision not to cover crop loans granted to farmers against the security of gold ornaments and jewellery under the scheme.

संपूर्ण पंपिंग तंत्र की स्थापना

3.75 भारत सरकार तथा नाबार्ड, किसानों द्वारा लघु सिंचाई कार्यों के लिए लगाये गये कृषि पंप सेटों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ ही बहुमूल्य ऊर्जा स्त्रोतों की संरक्षण प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कार्यक्षम और संपूर्ण पंपिंग तंत्र की आपूर्ति और निर्माण की व्यवस्था करके की जानी थी। इस कार्य को आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बैंक-ऋण द्वारा करने के प्रस्ताव का नाबार्ड ने अनुमोदन तथा इसे उन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

Installation of Complete Pumping System

3.75 The Government of India and NABARD are keen on increasing the efficiency of agricultural pumpsets installed by farmers on their minor irrigation works and also in the process conserve scarce energy resources. This was to be achieved by making arrangement for supply and erection of an efficient and complete pumping system. A proposal to undertake this work through bank loans in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal has been approved by the NABARD and is under implementation in these States.

वर्षा पर आधारित कृषि

3.76 नाबार्ड ने वर्षा पर आधारित कृषि परियोजनाओं के वित्त-पोषण के अपने दृष्टिकोण में संशोधन किया है। नये दृष्टिकोण के अनुसार, वर्षा पर आधारित कृषि परियोजनाओं का निर्माण उन जिलों में किया जाना चाहिए

Rainfed Farming

3.76 The NABARD has revised its approach to financing rainfed farming projects. As per the new approach, rainfed farming projects should be formulated in districts which have mean annual rainfall

जिनमें वार्षिक वर्षा कम से कम 750 मि.मि और 1,000 मि.मी. के बीच हो तथा जहां उगती हुई फसल के लिए नमी की उपलब्धता कम से कम 150 दिनों की अवधि के लिए बिल्कुल निश्चित हो। इन परियोजनाओं का निर्माण आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु के राज्यों में फैले हुए 20 निर्दिष्ट जिलों में किया जाना है।

अध्ययन टीमें/समितियां/कार्यकारी दल पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता विषयक समिति

3.77 उपरोक्त समिति की ऋण संबंधी सिफारिशों के अनुपालन के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इस संबंध में किये गये कतिपय प्रमुख निर्णय नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(i) अल्पावधि कृषि ऋणों की वापसी अदायगी में व्यतिक्रम करनेवाले लघु/सीमांत किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा नये वित्त प्रदान करने के संबंध में यह शर्त थी कि इस प्रकार के ऐसे ही ऋणकर्ताओं को नये वित्त प्रदान किये जाएं जिनका व्यतिक्रम उक्त ऋणों के अंतर्गत उनकी पात्रता के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। अगले 3 वर्षों के लिए इस सीमा को उदार बनाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ii) बैंकों से कहा गया है कि वे मीयादी ऋणों के उन उधारकर्ताओं को, जो वास्तव में व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण कठिनाई ग्रस्त हैं तथा जो पिछले 3 वर्षों के दौरान ऋण अदायगी में नियमित रहे हैं, उन्हें ऋणों की किस्तों को स्थगित/पुनर्निर्धारित कर के और दण्ड उपायों से छूट देकर रियायत प्रदान करें।

(iii) सहकारी समितियों के पंजीयकों को सूचित किया गया था कि वे बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की चुनी हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में प्रायोगिक आधार पर अल्पावधि कृषि ऋणों के बदले नकद ऋण प्रणाली लागू करने की आवश्यक व्यवस्था करें।

between 750 mm and 1000 mm and where the moisture availability for growing crops for a period of at least 150 days is fairly certain. The projects are to be formulated in 20 identified districts spread over Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu.

Study Teams/Committees/Working Groups

Committee on Agricultural Productivity in Eastern India

3.77 A number of steps have been initiated to implement the recommendations of the above committee relating to credit. Some of the major decisions taken in this respect are given below:

(i) The existing stipulation of providing fresh finance by PACS to small/marginal farmer defaulters whose defaults do not exceed 10 per cent of their eligibility under short-term agricultural loans, has been liberalised to 20 per cent for the next three years.

(ii) Banks were advised to extend concessions by way of postponement/rescheduling of instalments of loans and waiver of penalty measures to borrowers of term loans affected by genuine hardship due to personal circumstances and who have been regular in repayment during the previous 3 years.

(iii) The Registrars of co-operative societies were advised to make necessary arrangements for introduction of cash credit system in lieu of short-term agricultural loans on a trial basis in selected PACS in Bihar, Orissa, Eastern UP and West Bengal.

(iv) मीयादी ऋणों के मामले में सहकारी बैंकों के ऋण सुरक्षा मानदण्डों को वाणिज्य बैंकों के मानदण्डों के समकक्ष ले आया गया है ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति

3.78 शहरी सहकारी बैंकों विषयक स्थायी सलाहकार समिति की छठी बैठक फरवरी 1987 को हुई। समिति ने, अन्य विषयों के साथ-साथ, शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि और विकास में राज्य सहकारी बैंकों की भूमिका, नाम मात्र के सदस्यों के लिए वित्त व्यवस्था पर प्रतिबंध और उनके मुख्य कार्यकलाप अधिकारियों तथा प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति पर भी चर्चा की। समिति ने सिफारिश की है कि शहरी सहकारी बैंकों को, उन व्यक्तियों को जो बैंक के नियमित सदस्य नहीं हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे टेलीविजन सेट, रेफ्रीजरेटर, दो पहियोंवाली गाड़ियों इत्यादि की खरीद के लिए ऋण देने की अनुमति, उक्त प्रकार के उधारकर्ताओं को नाम मात्र का सदस्य बनाकर दी जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे शहरी सहकारी बैंकों के स्वस्थ और सही विकास पर अधिक ध्यान दें।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन

3.79 भारत सरकार के अनुदेश पर, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर किये गये समवर्ती मूल्यांकन-अध्ययनों से, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का भी पता चला है कि (i) साठ प्रतिशत से भी अधिक मामलों में बैंक की शाखाओं द्वारा नियत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम का निर्धारण 3 वर्ष से कम समय के लिए है और (ii) बैंकों को आवेदनों के भेजने और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को शाखा स्तर पर मिलनेवाली वास्तविक सहायता के बीच का औसत विलंब लगभग 100 दिनों का है.यह बहुत से राज्यों के औसत से कहीं अधिक है।

(iv) The security norms for lending by co-operative banks were brought on par with those of commercial banks for term loans to avoid ambiguity.

Standing Advisory Committee for Urban Co-operative Banks

3.78 The sixth meeting of the Standing Advisory Committee for urban co-operative banks was held in February 1987. The Committee discussed, among others, matters relating to the role of state co-operative banks in the growth and development of urban co-operative banks, restrictions on provision of finance to their nominal members and appointment of their chief executives and other key personnel. The Committee recommended that UCBs may be allowed to grant loans for purchase of consumer durable articles such as television sets, refrigerators, two-wheelers, etc. to individuals who are not their regular members by admitting such borrowers as nominal members. The Committee has also recommended that the SCBs should devote more attention to the development of UCBs on sound and healthy lines.

Evaluation Studies on IRDP

3.79 The concurrent evaluation studies on IRDP carried out at the instance of the Government of India revealed among others that (i) in more than 60 per cent of the cases, the repayment schedules of IRDP loans fixed by the bank branches were for less than 3 years and (ii) the average delay between forwarding of applications to the bank and actual assistance at the bank branch level to IRDP beneficiaries was about 100 days and in several States it was higher than the average.

3.80 इन तथ्यों के आधार पर, सहभागी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अदायगी अवधि के संबंध में जारी किये गये अनुदेशों का अपनी शाखाओं द्वारा पालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। वे दो सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर ऋण संबंधी आवेदनों के निपटान को सुनिश्चित करें। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दूसरा ऋण उसी बैंक की नजदीकी शाखा द्वारा जिसने पहला ऋण दिया था या किसी अन्य बैंक द्वारा दिया जाए बशर्ते कि उधारकर्ता ने पहले ऋण का उपयोग संतोषजनक ढंग से किया हो तथा संपूर्ण ऋण को भी अदा कर दिया हो। यदि पहला ऋण किसी सहकारी बैंक ने उपलब्ध कराया है और अब वह इस स्थिति में नहीं है कि दूसरा ऋण दे तो किसी वाणिज्य बैंक की शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूसरे/अनुवर्ती ऋण उधारकर्ता की पात्रता को सुनिश्चित करने और सहकारी बैंक से 'आपत्ति नहीं' प्रमाण-पत्र लेने के पश्चात् प्रदान कर सकती है।

3.81 भारत सरकार द्वारा गठित दल ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपदान के निर्गमन/समायोजन में विलंब की रोकथाम के कतिपय उपाय सुझाए। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि ज़िला परामर्शदात्री समिति/ज़िला परामर्शदात्री समिति की स्थायी समिति के जरिये एक नियमित समाशोधन प्रणाली तैयार की जाए जो कि बैंकों के पास रखे गये ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में समुचित निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करे।

3.80 Based on these findings, participating banks were advised to take immediate steps to make their branches adhere to the instructions issued on the repayment period. They should ensure disposal of loan applications within the prescribed time of a fortnight. The second loan under IRDP should be granted by a nearby branch of the same bank which gave the initial loan or by any other bank provided the borrower has utilised the first loan satisfactorily and has also repaid the loan in full. In case the first loan was provided by a co-operative bank which is not in a position to give the second one, a branch of commercial bank or RRB may advance the second/subsequent loan after ascertaining the eligibility of the borrower and obtaining a 'no objection' certificate from the co-operative bank.

3.81 A Group constituted by the Government of India, suggested certain measures for obviating delays in the release/adjustment of subsidy under the IRDP. Accordingly, it was decided that there should be a regular clearance system through the District Consultative Committee/Standing Committee of DCC which will ensure availability of adequate funds in the account of district rural development agencies with banks.

अध्याय 4

अन्य वित्तीय संस्थाएं

विहगावलोकन

इस अध्याय में वर्ष 1986-87 के दौरान औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के परिचालनों और साथ ही अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों की समीक्षा की गई है। पात्र वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. और राज्य वित्तीय निगमों को 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता कुल मिलाकर पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थी। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को छोड़कर) द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान स्वीकृत सहायता भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थी।

4.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने दो विशेष योजनाएं अर्थात् भारतीय निधि यूनिट योजना, 1986 और पारस्परिक निधि यूनिट योजना, 1986 शुरू कीं। भारतीय निधि यूनिट योजना मॅरिल लिंच के सहयोग से अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारत के बाहर बसनेवाले व्यक्तियों को भारत के प्रतिभूति बाजार में निवेश के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 1986 में शुरू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत 139.5 करोड़ रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्रा जुटाई गयी थी। पारस्परिक निधि यूनिट योजना 1986, एक वृद्धि योजना है जो निवेशकर्ताओं को इक्विटी बाजार में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सितंबर 1986 में शुरू की गई थी। अन्य नयी गतिविधियों में शामिल हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की स्थापना तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम का संशोधन,जो कि 14 अगस्त 1986 से प्रभावी हुआ। भारतीय औद्योगिक वित्त

CHAPTER 4

OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

Overview

Operations of the Reserve Bank of India and those of other all-India and State-level financial institutions in the sphere of industrial finance during 1986-87 are reviewed in this Chapter. Total assistance sanctioned by the Reserve Bank to eligible financial institutions, viz., Industrial Development Bank of India (IDBI), Export-Import Bank of India (Exim Bank), Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), Industrial Finance Corporation of India (IFCI), Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) and State Financial Corporations (SFCs) together was higher during 1986-87 (July-June) than in the previous year. Assistance sanctioned by all-India financial institutions (except those of Life Insurance Corporation of India and Unit Trust of India) during the financial year 1986-87 was also higher than in the previous year.

4.2 The Unit Trust of India launched two special schemes viz., India Fund Unit Scheme 1986 and Mutual Fund Unit Scheme 1986. India Fund Unit Scheme was launched in July 1986 in association with Merrill Lynch to provide opportunity to non-resident Indians and persons of Indian origin and individuals resident outside India to invest in the securities market of India. The foreign exchange equivalent of Rs. 139.5 crores was mobilised under the scheme. The Mutual Fund Unit Scheme 1986, a growth scheme, was launched by the Unit Trust in September 1986 to provide an opportunity for the investors to participate in the equity market. Among other new developments were the setting up of Textile Modernisation Fund Scheme by IDBI and the amendment to the IDBI

निगम अधिनियम,1948 में भी औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम 1986 द्वारा संशोधन किया गया। 2 फरवरी 1987 से प्रभावी इस संशोधन के जरिये निगम के परिचालन क्षेत्र का विस्तार हुआ है तथा प्राधिकृत पूंजी में भी वृद्धि हुई।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से सहायता

4.3 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 330 करोड़ रुपये की राशि के दीर्घावधि ऋण स्वीकृत तथा वितरित किये जबकि यह राशि 1985-86 में 300 करोड़ रुपये थी। इस निधि से उधार की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बकाया राशि 30 जून 1987 को 2,875 करोड़ रुपये थी (सारणी 4.1)।

4.4 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उसके द्वारा पुनः भुनाये गये पात्र मीयादी बिलों की जमानत पर अगस्त 1986 में 200 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं स्वीकृत की गई जो कि अक्तूबर 1986 के अंत तक वैध थीं किन्तु उसने इस सीमा का उपयोग नहीं किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मई 1987 में 300 करोड़ रुपये की नयी सीमा स्वीकृत की गई जो कि अगस्त 1987 के अंत तक वैध थी। निवेशकर्ता संस्थाओं द्वारा (राज्य बिजली बोर्डों और राज्य परिवहन निगमों की सहायता के लिए) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उपलब्ध करायी गयी निधि और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वास्तव में वितरित निधियों के बीच की असमानता को दूर करने के लिए 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्वीकृत 200 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमा की बकाया राशि 30 जून 1987 को 62.5 करोड़ रुपये थी।

4.5 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय निर्यात आयात बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से स्वीकृत दीर्घावधि ऋण की राशि 85 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में यह राशि पिछले वर्ष 80 करोड़ रुपये थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने इस

Act, which came into effect from August 14, 1986. Also the Industrial Finance Corporation of India Act, 1948 was amended by the Industrial Finance Corporation (Amendment) Act,1986. This amendment effective from February 2, 1987, enlarges the area of operations and also increases the authorised capital of the Corporation.

RBI Assistance to Financial Institutions

4.3 During 1986-87 (July-June), the Reserve Bank sanctioned and disbursed long-term loans amounting to Rs. 330 crores to IDBI out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) [NIC(LTO)] Fund as against Rs. 300 crores in 1985-86. The outstanding amount of IDBI's borrowings out of this Fund stood at Rs. 2,875 crores as on June 30, 1987 (Table 4.1).

4.4 Short-term credit limits of Rs. 200 crores were sanctioned to IDBI in August 1986 valid upto end-October 1986 against the security of eligible usance bills rediscounted by it. This limit was, however, not utilised by it. A fresh limit of Rs.300 crores was sanctioned to IDBI in May 1987 valid upto end-August 1987. The amount outstanding against the short-term credit limit of Rs. 200 crores sanctioned during 1983-84 and 1984-85 for meeting the mismatch between the funds placed at the disposal of IDBI by investment institutions (for assistance to SEBs and SRTCs) and actual disbursements by IDBI was Rs. 62.5 crores as on June 30, 1987.

4.5 Long-term loans sanctioned to the Exim Bank out of the NIC (LTO) Fund during 1986-87 (July-June), amounted to Rs. 85 crores as against Rs. 80 crores during the previous year. The Exim Bank utilised the entire limit raising the

सारणी 4.1: वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहायता

TABLE 4.1 : RBI ASSISTANCE TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(जुलाई-जून)

(July-June)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

सहायता का प्रकार Type of Assistance	1985-86		1986-87		30 जून 1987 को बकाया राशि Amount outstanding as on June 30, 1987
	स्वीकृत Sanctioned	उपयोग में लायी गयी Utilised	स्वीकृत Sanctioned	उपयोग में लायी गयी Utilised	
दीर्घावधि ऋण [रा. औ. ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि] **Long-term credit [NIC(LTO)Fund]**					
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक I.D.B.I.	300.0	300.0	330.0	330.0	2,875.0
निर्यात-आयात बैंक Exim Bank	80.0	80.0	85.0	85.0	345.0
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक I.R.B.I.	10.0	10.0	15.0	15.0	25.0
मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सीमाएं **Medium/Short-term Credit Limits**					
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक I.D.B.I.	200.0 @	—	300.0 @	—	62.5*
भारतीय औद्योगिक विकास निगम I.F.C.I.	15.0 @	—	15.0 @	—	—
भारतीय औद्योगिक ऋण नि. नि. I.C.I.C.I	15.0 @	+	15.0 @	+	20.0
राज्य वित्त निगम S.F.Cs	38.7 @	+	55.2 @	+	—

@ नकद ऋण सुविधा। भा. औ. ऋ. नि. निगम के मामले में 15 करोड़ रुपये की सीमा 31 मार्च 1987 को समाप्त कर दी गयी और 1987-88 के लिए 20 करोड़ रुपये की एक नयी सीमा मंजूर की गयी थी।

Cash credit facility. In the case of ICICI, Rs. 15 crores limit expired on March 31, 1987 and a fresh limit of Rs. 20 crores was sanctioned for 1987-88.

* केवल अंतराल पाटने के प्रयोजन के लिए 1983-84 और 1984-85 में मंजूर की गयी ऋण राशि में से बकाया राशि।

Ameunt outstanding against the credit limit sanctioned during 1983-84 and 1984-85 exclusively for meeting the mismatch.

\+ अपेक्षाओं के अनुसार वैधता की सीमा तक आवधिक रूप में उपयोग में लायी गयी ऋण सीमाएं।

Limits were utilised periodically as per requirements till their validity.

स्रोत : औद्योगिक निर्यात ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक। Source : Industrial and Export Credit Department, RBI.

संपूर्ण सीमा का उपयोग किया जिससे इस निधि से लिये गये उसके उधारों की बकाया राशि जून 1987 के अंत तक बढ़कर 345 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से 1986-87 के दौरान 15 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की गई जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में यह राशि 10 करोड़ रुपये थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने इस सीमा का सम्पूर्ण उपयोग किया और इस निधि से लिये गये उसके उधारों की बकाया राशि 30 जून 1987 को 25 करोड़ रुपये थी।

4.6 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कैलेंडर वर्ष 1987 के लिए 15 करोड़ रुपये की तदर्थ उधार सीमा स्वीकृत की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जून 1987 के अंत तक इस सीमा का उपयोग नहीं किया था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. को कैलेंडर वर्ष 1986 के लिए स्वीकृत 15 करोड़ रुपये की उधार सीमा की अवधि को 31 मार्च 1987 तक बढ़ा दिया गया था। इस सीमा के अंतर्गत लिए गए उधार की बकाया राशि की पूर्ण अदायगी की गई। निगम को 20 करोड़ रुपये की उधार सीमा स्वीकृत की गई जो 31 मार्च 1988 तक वैध है तथा इस सीमा की बकाया राशि 30 जून 1987 को 20 करोड़ रुपये थी।

4.7 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान, 15 राज्य वित्तीय निगमों (तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन को मिलाकर) को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों की जमानत पर कुल 55.2 करोड़ रुपये की नयी तदर्थ उधार सीमाएँ स्वीकृत की गयीं, जो कि 25 जून 1987 तक वैध थीं। जून 1987 के अंत तक इन सीमाओं में कोई बकाया राशि शेष नहीं थी।

मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के कार्यकलाप

4.8 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं (अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं) द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87

outstanding amount of its borrowing from this Fund to Rs. 345 crores by the end of June 1987. A credit limit of Rs. 15 crores was sanctioned to the IRBI out of the NIC (LTO) Fund during 1986-87 as against Rs. 10 crores in 1985-86. The IRBI fully utilised the limit and its outstanding borrowing from the Fund amounted to Rs. 25 crores as on June 30, 1987.

4.6 An *ad-hoc* borrowing limit of Rs. 15 crores was sanctioned to IFCI for the calendar year 1987. IFCI did not avail of this limit till the end of June 1987. The borrowing limit of Rs. 15 crores sanctioned to ICICI for the calendar year 1986 was extended upto March 31, 1987. The outstanding amount of borrowing against this limit was fully repaid. A fresh borrowing limit of Rs. 20 crores, valid upto March 31, 1988 was sanctioned to it and the outstanding amount against this limit was Rs. 20 crores as on June 30, 1987.

4.7 During 1986-87 (July-June), fresh *ad-hoc* borrowing limits aggregating Rs. 55.2 crores, valid upto June 25, 1987 were sanctioned to 15 SFCs (including TIIC) against *ad-hoc* bonds guaranteed by the respective State Governments. No amount was outstanding against these limits at the end of June 1987.

Operations of Term-lending Institutions

4.8 Total financial assistance sanctioned and disbursed by all-India term-lending institutions (i.e. IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, LIC, UTI and GIC and its subsidiaries) during the financial year 1986-87 aggregated Rs. 7,512 crores and Rs. 5,272

के दौरान स्वीकृत तथा वितरित वित्तीय सहायता की कुल राशि क्रमशः7,512 करोड़ रुपये तथा 5,272 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में 1985-86 के दौरान यह राशि क्रमशः 6,222 करोड़ रुपये तथा 4,621 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष की तुलना में स्वीकृत राशि में 20.7 प्रतिशत तथा वितरण में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 4.2)। 1986-87 के दौरान कुल स्वीकृतियों में 6,490 करोड़ रुपये की ऋण राशि तथा 1,023 करोड़ रुपये राशि के शेयरों और डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अंशदानऔर हामीदारी के रूप में दी गयी अन्य सहायता शामिल है। 1985-86 में उक्त राशियाँ क्रमशः 1,239 करोड़ रुपये और 52 करोड़ रुपये अधिक थीं। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण-वितरण में 609 करोड़ रुपये की अन्य सहायता में 41 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को छोड़कर, सभी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता पिछले वर्ष की तुलना में 1986-87 में अधिक थी। वर्ष के दौरान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को छोड़कर सभी संस्थाओं के मामले में वितरण की मात्रा अधिक रही।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

4.9 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता (गारंटियों को छोड़कर किन्तु वित्तीय संस्थाओं के बांड और शेयरों में अंशदान सहित) वर्ष 1985-86 (अप्रैल-मार्च) के 3,673 करोड़ रुपये से बढ़कर 1986-87 में 4,481 करोड़ रुपये हो गई या उसमें 22.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 4.3)। इस वर्ष के दौरान 3,108 करोड़ रुपये का वितरण भी 18.9 प्रतिशत अधिक था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कुल संचयी सहायता की स्वीकृत तथा वितरित राशि स्थापना के समय से मार्च 1987 के अंत तक क्रमशः 22,680 करोड़ रुपये तथा 16,454 करोड़ रुपये थी।

4.10 परियोजना ऋण के रूप में स्वीकृत प्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता, जिसमें आधुनिकीकरण योजना, तकनीकी विकास निधि योजना, उपकरण वित्त योजना तथा संबंधित उद्योगों के डिबेंचरों तथा शेयरों में प्रत्यक्ष अंशदान और उनकी हामीदारी शामिल है; की कुल राशि 1,604 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष के 1,103 करोड़ रुपये से 45.4 प्रतिशत अधिक थी। 929 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता का

crores, respectively, compared with those of Rs. 6,222 crores and Rs. 4,621 crores during 1985-86. Sanctions rose by 20.7 per cent and disbursements by 14.1 per cent over the previous year (Table 4.2). Total sanctions during 1986-87 comprised loans amounting to Rs. 6,490 crores and other assistance by way of underwriting and direct subscriptions to shares and debentures amounting to Rs. 1,023 crores. These were higher by Rs. 1,239 crores and Rs. 52 crores, respectively, over those in 1985-86. Disbursements of loans were higher by Rs. 609 crores and other assistance by Rs. 41 crores over those in the previous year. Assistance sanctioned by all institutions excepting LIC and UTI was higher in 1986-87 than in the previous year. Disbursements during the year were higher in the case of all institutions excepting UTI.

Industrial Development Bank of India

4.9 Aggregate financial assistance sanctioned (excluding guarantees but including subscriptions to shares and bonds of financial institutions) by the IDBI rose from Rs. 3,673 crores in 1985-86 (April-March) to Rs. 4,481 crores in 1986-87 or by 22.0 per cent over the year (Table 4.3). Disbursements during the year at Rs.3,108 crores were also higher by 18.9 per cent. The cumulative assistance sanctioned and disbursed by the IDBI since its inception upto end-March 1987 aggregated Rs.22,680 crores and Rs.16,454 crores,respectively.

4.10 Direct industrial assistance sanctioned by way of project loans, including assistance under the modernisation scheme, technical development fund scheme, equipment finance scheme and underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures of industrial concerns

सारणी 4.2:मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा सहायता (1985-86 और 1986-87)
TABLE 4.2 : ASSISTANCE BY TERM-LENDING INSTITUTIONS (1985-86 and 1986-87)

(अप्रैल - मार्च)
(April-March)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

संस्थाएं Institutions	ऋण Loans				शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान Underwriting and direct subscription to shares and debentures				कुल Total			
	1985-86		1986-87*		1985-86		1986-87*		1985-86		1986-87*	
	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भा. औ. वि. बैंक @ £ I.D.B.I. @ £	3,637.2	2,759.3	4,331.6	3,054.0	68.5	9.5	134.2	29.4	3,705.7	2,768.8	4,465.8 (+20.5)	3,083.4 (+11.4)
भा. औ. वि. नि. @ I.F.C.I.@	459.4	399.2	744.8	448.4	39.8	5.2	53.3	10.9	499.2	404.4	798.1 (+59.9)	459.3 (+13.6)
भा. औ. ऋ. नि. नि +@ I.C.I.C.I.+@	667.2	472.0	1,039.0	671.0	41.0	10.2	78.4	24.5	708.2	482.2	1,117.4 (+57.8)	695.5 (+44.2)
भा. औ. पु. नि. I.R.B.I.	75.2	67.8	148.9	94.6	—	—	—	—	75.2	67.8	148.9 (+98.0)	94.6 (+39.5)
जीवन बीमा निगम ++ L.I.C.++	124.7	75.6	67.0	109.8	258.9	186.3	296.8	280.0	383.6	261.9	363.8 (−5.2)	389.8 (+48.8)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट U.T.I.	227.2 $	106.8 $	142.9 $	110.7 $	469.4	422.1	322.1	306.9	696.6	528.9	465.0 (−33.2)	417.6 (−21.0)
सा. बी. नि. एवं स. सं. G.I.C. and its subsidiaries	59.9	27.9	15.3	29.4	93.1	79.4	138.0	102.2	153.0	107.3	153.3 (+0.2)	131.6 (+22.6)
जोड़ Total	**5,250.8**	**3,908.6**	**6,489.5**	**4,517.9**	**970.7**	**712.7**	**1,022.8**	**753.9**	**6,221.5**	**4,621.3**	**7,512.3 (+20.7)**	**5,271.8 (+14.1)**

£ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदानों को छोड़कर सभी तरह की सहायता शामिल है।
Includes all types of assistance with the exception of subscription to shares and bonds of all-India financial institutions.

* अनंतिम। Provisional.

@ गारंटियां शामिल हैं। Includes guarantees.

\+ पूर्तिकर्ताओं के ऋण और पट्टे पर दी जाने वाली सहायता के रूप में शामिल है।
Includes assistance by way of suppliers' credit and leasing.

$ निजी रूप से रखे गये डिबेंचर और विशेष जमाराशियां।
Privately placed debentures and special deposits.

++ इसमें अल्पावधि ऋण शामिल नहीं है। Excludes short-term loans.

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।
Note : Figures in brackets indicate percentage variation over the year.

स्रोत : सम्बद्ध संस्थाएं। Source : Respective Institutions.

सारणी 4.3: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर और वितरित योजनावार सहायता
TABLE 4.3 : SCHEME-WISE ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY IDBI

(अप्रैल मार्च)
(April-March)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

योजना Scheme	मंजूरियां Sanctions 1985-86	मंजूरियां Sanctions 1986-87	मार्च 1987 के अन्त तक संचयी मंजूरियां Cumulative sanctions upto end-March 1987	संवितरण Disbursements 1985-86	संवितरण Disbursements 1986-87	मार्च 1987 के अन्त तक संचयी संवितरण Cumulative disbursements upto end-March 1987
I. प्रत्यक्ष सहायता Direct Assistance	1,103.2	1,604.4	7,712.6	794.4	929.0	4,926.2
1. परियोजना वित्त Project Finance						
(क) परियोजना ऋण a) Project loans	999.8	1,415.0	6,835.0	765.3	862.6	4,609.6
(ख) हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान b) Underwriting and direct subscription	68.5	134.2	686.7	9.5	29.4	183.2
2. तकनीकी विकास निधि Technical Development Fund	24.1	39.3	162.9	19.4	25.9	121.7
3. उपकरण वित्त Equipment Finance	10.8	15.9	28.0	0.2	11.1	11.7
II. अप्रत्यक्ष सहायता Indirect Assistance	2,569.8	2,876.6	14,967.6	1,818.8	2,178.6	11,527.8
4. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त Refinance of industrial loans	1,564.0	1,659.9	8,885.2	1,047.4	1,245.0	6,801.9
5. बिलों का पुनर्भाजन Rediscounting of bills	928.0	1,014.2	5,214.1	697.8	758.3	3,939.6
6. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान Subscription to shares and bonds of financial institutions	61.6	191.3	800.2	62.2	162.1	737.6
7. प्रारंभिक पूंजी सहायता Seed capital assistance	16.2	11.2	68.1	11.4	13.2	48.7
उप जोड़ (I + II) **Sub-total (I+II)**	**3,673.0**	**4,481.0**	**22,680.2**	**2,613.2**	**3,107.6**	**16,454.0**
III. 1. ऋणों और आस्थगित भुगतानों के लिए गारंटियां Guarantees for loans/deferred payment	23.7	72.6	367.5	146.5 *	75.8 *	249.2 *
2. विदेशी मुद्रा ऋण के संदर्भ में गारंटियां Guarantees in respect of foreign currency loan	24.0	—	24.0	24.0 *	—	24.0 *
कुल जोड़ Grand Total	**3,720.7**	**4,553.6**	**23,071.7**	**2,783.7**	**3,183.4**	**16,727.2**

* गारंटियाँ निष्पादित की गयी हैं
Guarantees executed.

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं
Note : Data are provisional.

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Source : Industrial Development Bank of India.

वितरण भी वर्ष 1985-86 के 794 करोड़ रुपये की अपेक्षा 17.0 प्रतिशत अधिक था। परियोजना ऋणों के मामले में 1,415 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि 1985-86 की तुलना में 41.5 प्रतिशत अधिक थी। औद्योगिक संस्थाओं के डिबेंचरों और शेयरों में प्रत्यक्ष अंशदान और हामीदारी के लिए स्वीकृत राशि 1985-86 के 69 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष के दौरान 134 करोड़ रुपये हो गई।

4.11 वर्ष के दौरान, औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त और पुनः भुनाये गये बिलों के रूप में परोक्ष सहायता की स्वीकृत राशि तथा वितरण की राशि क्रमशः 2,674 करोड़ रुपये तथा 2,003 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 1985-86 की तुलना में 7.3 प्रतिशत तथा 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। परोक्ष सहायता की स्वीकृत राशि कुल स्वीकृत राशि की 59.7 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में, 1985-86 में यह 67.8 प्रतिशत थी तथा परोक्ष सहायता की वितरित राशि कुल वितरित राशि की 64.5 प्रतिशत रही थी जबकि इसकी तुलना में, 1985-86 में यह 66.8 प्रतिशत थी।

4.12 1986-87 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आयात नीति में परिवर्तन किये गये तथा नयी योजनाएं शुरू की गयीं। इसमें (i) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की स्थापना तथा इसके कार्यक्षेत्र का ऊन उद्योग तक विस्तार *(ii)* निर्यातोन्मुख यूनिटों इत्यादि के लिए सहायता की नयी योजना की शुरुआत तथा (iii) 3 वर्ष की अवधि-समाप्ति वाली 9 प्रतिशत पूँजी लाभ बांड योजना शामिल है। पूँजी लाभ कर से छूट के साथ ही इन बांडों पर देय ब्याज, स्रोत पर काटे जानेवाले कर से छूट के लिए पात्र हैं। इन बांडों का नया वैशिष्ट्य यह है कि निवेशकर्ता अपने विकल्प पर बांडों में निवेश के समय ही बट्टे के आधार पर तीन साल की अवधि के लिये ब्याज की संपूर्ण राशि अग्रिम ले सकते हैं अथवा 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्ध-वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय औद्योगिक

aggregated Rs. 1,604 crores which was higher by 45.4 per cent than that of Rs. 1,103 crores in the preceding year. Disbursements of direct assistance at Rs. 929 crores were also higher by 17.0 per cent than that of Rs. 794 crores in 1985-86. In the case of project loans, sanctions at Rs. 1,415 crores were 41.5 per cent higher than those in 1985-86. Sanctions for underwriting and direct subscriptions to shares and debentures of industrial concerns increased to Rs. 134 crores during the year from Rs. 69 crores in 1985-86.

4.11 Sanctions and disbursements of indirect assistance by way of refinance of industrial loans and rediscounting of bills aggregated Rs. 2,674 crores and Rs. 2,003 crores, respectively, during the year showing a rise of 7.3 per cent and 14.8 per cent over those in 1985-86. Sanctions of indirect assistance under these two heads constituted 59.7 per cent of total sanctions as against 67.8 per cent and disbursements of indirect assistance constituted 64.5 per cent of total disbursements as compared with 66.8 per cent in 1985-86.

4.12 Important policy changes were introduced and new initiatives were undertaken by the IDBI during 1986-87. These included (i) setting up of the Textile Modernisation Fund Scheme and extension of its coverage to woollen industry, (ii) introduction of a new scheme of assistance for export-oriented units etc., and (iii) introduction of the 9 per cent Capital Gains Bonds Scheme with a maturity of 3 years. Besides qualifying for exemption from capital gains tax, interest payable on these bonds is exempted from deduction of tax at source. A novel feature of these Bonds is that the investor can receive at his option, the entire amount of interest for three year period in advance on discounted basis at the time of investment

विकास बैंक के नेतृत्व में, वित्तीय संस्थाओं ने एक ही जगह से सहायता कराने के सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाया है तथा सहायता की मंजूरी और वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई करने के अलावा ऋण-ईक्विटी के मानदण्डों को और अधिक उदार बनाया है। राज्य-स्तरीय संस्थाओं द्वारा छोटी और मध्यम आकार वाली यूनिटों की वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की दृष्टि से उनके स्रोतों को बढ़ाने के उपाय शुरू किये गए तथा उनके परिचालनों की जांच के लिए बनायी गयी क्रियाविधि को भी मजबूत बनाया गया।

4.13 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1986,14 अगस्त 1986 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा को विस्तार प्रदान किया ताकि विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को भी शामिल किया जा सके जिसमें उद्योगों के सेवा-क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा, संग्रहण तथा ऊर्जा वितरण और अन्य मूल्ययोजित सेवाएं शामिल हैं। इस संशोधन ने परामर्शसेवा, व्यापार बैंकिग और न्यासधारिता जैसी गतिविधियों के जरिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कारोबार के क्षेत्र को भी विस्तार प्रदान किया। वित्तीय लिखतों की सीमा को भी विस्तार प्रदान किया गया है ताकि ऋण प्रदान करने की व्यवस्था और साख पत्रों को जारी करने जैसी लिखतों को शामिल किया जा सके।उक्त संशोधन के कारण अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक संस्थानों में निवेश के लिए व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम दे सकता है।

4.14 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शेयर पूँजी को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके परिचालनों की बढ़ती हुई गति को बनाये रखने के लिए उसकी प्राधिकृत पूँजी को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

4.15 1985-86 की तुलना में 1986-87 (जुलाई-जून) में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकलापों की वृद्धि दर में बढ़ोतरी परिलक्षित हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान इसकी विभिन्न

in them or can opt to receive half-yearly interest at 9 per cent per annum. Under the leadership of IDBI, financial institutions made the single window concept more effective, and liberalised the debt-equity norms apart from taking steps to expedite the process of sanctions and disbursements of assistance. With a view to increasing the financial assistance to small and medium scale units by state-level institutions, measures were introduced to augment their resources and the mechanism for monitoring their operations was also strengthened.

4.13 The IDBI (Amendment) Act, 1986 came into effect from August 14, 1986. The Act has enlarged the definition of an industrial concern to cover diverse range of industrial activities including the services sector of industries like health care, storage and distribution of energy and other services contributing to value addition. The amendments also widen the scope of business of IDBI by addition of such activities as consultancy, merchant banking and trusteeship activities. The range of financing instruments has been further enlarged to include instruments like grant of lines of credit and issue of letters of credit. The amendment enables the IDBI to grant loans and advances to individuals for investment in industrial concerns.

4.14 Keeping in view the need to augment the share capital of IDBI for sustaining the growing tempo of its operations, its authorised capital was raised to Rs. 1,000 crores.

Unit Trust of India

4.15 The operations of the Unit Trust of India recorded higher growth rate in 1986-87 (July-June) than in 1985-86. Gross

योजनाओं में यूनिटों की कुल बिक्री की राशि 1,240 करोड़ रुपये हो गयी (इसमें भारत निधि के जरिये जुटायी गयी 139.5 करोड़ रुपये की राशि शामिल है) जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है (सारणी 4.4)। जिन तत्वों के कारण वृद्धि हुई-वे हैं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1985-86 के लिए लाभांश की उच्चतर दरों की घोषणा, वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1987 का प्रारंभ तथा भारत निधि तथा परस्पर निधि यूनिट योजनाओं की शुरुआत। वर्ष के दौरान यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री 319 करोड़ रुपये से घटकर 149 करोड़ रुपये रह गयी जबकि पूँजी लाभ यूनिट योजना 1983 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की राशि 271 करोड़ रुपये से बढ़कर 317 करोड़ रुपये हो गयी।

4.16 ट्रस्ट ने पाँच नयी योजनाएं प्रारंभ की जिनमें दो निधि योजनाएं शामिल हैं अर्थात् भारत निधि यूनिट योजना 1986 तथा पारस्परिक निधि यूनिट योजना 1986 और निश्चित अवधि में समाप्त होनेवाली तीन योजनाएं अर्थात् अतिरिक्त वृद्धि सहित मासिक आय यूनिट योजना (7) 1986, वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1987 तथा अतिरिक्त बोनस और वृद्धि सहित मासिक आय यूनिट योजना (8) 1987। इन नयी योजनाओं के अंतर्गत बिक्री की कुल राशि 661 करोड़ रुपये है जो वर्ष के दौरान कुल बिक्री का 53.3 प्रतिशत है।

4.17 अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारत से बाहर बसनेवाले व्यक्तियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ट्रस्ट द्वारा मॅरिल लिंच के सहयोग से 10 जुलाई 1986 से भारतीय निधि यूनिट योजना 1986 शुरू की गयी थी। इस निधि के शेयर, अभिदान के लिए 15 अगस्त 1986 तक खुले थे। इस निधि के लिए प्रतिक्रिया काफ़ी उत्साहवर्धक थी। 600 लाख पौंड के मूल निर्गम की तुलना में 1,280 लाख पौंड का कुल अभिदान प्राप्त हुआ तथा 25 प्रतिशत के अधिक अभिदान को बनाये रखा गया। जुटायी गयी यह राशि रुपयों में 139.5 करोड़ रुपये बैठती है।

sales of units during the year under its various schemes amounted to Rs. 1,240 crores (including Rs. 139.5 crores mobilised through India Fund) showing a rise of 39 per cent over those in the previous year (Table 4.4). The factors which contributed to the higher growth included declaration of higher rates of dividends for 1985-86 under different schemes, introduction of Growing Income Unit Scheme 1987 and launching of India Fund and Mutual Fund Unit schemes. While sales of units under Unit Scheme 1964 declined from Rs. 319 crores to Rs. 149 crores, those under Capital Gains Unit Scheme (CGS) 1983 rose from Rs. 271 crores to Rs. 317 crores during the year.

4.16 The Trust introduced five new schemes which included two Fund schemes viz., India Fund Unit Scheme 1986 and Mutual Fund Unit Scheme 1986 and three close-ended schemes, viz., Monthly Income Unit Scheme with Extra Growth (7) 1986, Growing Income Unit Scheme 1987 and Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus and Growth (8) 1987. Sales under the new schemes together amounted to Rs. 661 crores which accounted for 53.3 per cent of total sales during the year.

4.17 The India Fund Unit Scheme 1986 was launched by the Trust in association with Merrill Lynch on July 10, 1986 with a view to providing a unique opportunity to non-resident Indians and persons of Indian origin and individuals resident outside India to invest in the securities market in India. The shares of the Fund were open for subscription till August 15, 1986. The response to this Fund was very encouraging. As against the original issue of £ 60 million, total subscription amounted to £ 128 million and 25 per cent of over subscription was retained. In terms of rupees, the amount mobilised was

लंदन शेयर बाज़ार में भारत निधि के शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है और उन शेयरों पर बोली लगायी जाती है और व्यापार किया जाता है।

4.18 वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने 'पारस्परिक निधि यूनिट योजना', 1986 की भी शुरुआत की है। "मास्टर शेयर" के नाम से यह एक अनूठी वृद्धिशील योजना है, जिसमें निवेशक को ईक्विटी बाजार में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस योजना का जनता ने जोरदार स्वागत किया और 50 करोड़ रुपये के मूल निर्गम की तुलना में 158 करोड़ रुपये की अभिदान राशि प्राप्त हुई। ट्रस्ट ने 150 करोड़ रुपये रख लिये। व्यापक रूप से फैले उद्योगों की विभिन्न ईक्विटियों में निधियों का निवेश किया गया है। मास्टर शेयर जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- है, सभी शेयर बाज़ारों की सूची में शामिल है तथा इसका शुद्ध आस्ति मूल्य हर सप्ताह प्रकाशित किया जाता है। 29 जून 1987 को शुद्ध आस्ति मूल्य रु. 11.05 था।

4.19 वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि [एम आई एस जी(7)] 1986 के साथ मासिक आय यूनिट योजना के अंतर्गत बिक्री कुल 77 करोड़ रुपये हुई जो 1 अक्तूबर 1986 से 15 दिसंबर 1986 तक खोली गयी थी। वृद्धिशील आय यूनिट योजना, 1987 (जीआईयूएस 1987) के अंतर्गत कुल बिक्री 100 करोड़ रुपये हुई जो पहली जनवरी, 1987 से दो महीनों की अवधि के लिए खोली गयी थी। अतिरिक्त बोनस तथा वृद्धि [एम आई एस जी (8)] 1987 के साथ मासिक आय यूनिट स्कीम के अंतर्गत कुल बिक्री 194 करोड़ रुपये की हुई जो अप्रैल-मई 1987 के दौरान खोली गयी थी।

4.20 एम आई एस जी (7)1986 तथा एम आई एस जी (8) 1987 मासिक अदायगी के आधार पर 12 प्रतिशत वार्षिक लाभांश, चौथे वर्ष के अंत में बोनस लाभांश तथा पूँजी में 2 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि प्रदान करती हैं। एम आई एस जी (8) 1987 द्वारा दिये गये अतिरिक्त लाभों अर्थात् बोनस लाभांश तथा अवधि पूर्ण होने पर न्यूनतम दिये गये अतिरिक्त लाभों अर्थात् बोनस लाभांश तथा अवधि पूर्ण होने पर न्यूनतम 2 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए एम आई एस (1) से एमआईएस (5) तक के यूनिट

Rs. 139.5 crores. The shares of India Fund are listed on the London Stock Exchange and they are quoted and traded.

4.18 During the year, the Trust also launched the Mutual Fund Unit Scheme 1986, a special growth scheme under the name of Mastershare to provide an opportunity for investors to participate in the equity market. The scheme received an over-whelming response from the public and the subscription received amounted to Rs. 158 crores as against the original issue of Rs. 50 crores. The Trust retained Rs. 150 crores. The funds are invested in a basket of equities spread over a wide range of industries. The Mastershare, which has a face value of Rs. 10, is listed on all the stock exchanges and its net asset value (NAV) is published every week. The NAV as on June 29, 1987 was Rs. 11.05.

4.19 Sales during the year under the Monthly Income Unit Scheme with Extra Growth [MISG(7)], 1986 which was open from October 1, 1986 to December 15, 1986 aggregated Rs. 77 crores and under the Growing Income Unit Scheme 1987 (GIUS 1987) which was open for a period of two months from January 1, 1987 aggregated Rs. 100 crores. Sales under the Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus and Growth [MISG(8)], 1987 which was open during April-May 1987 aggregated Rs. 194 crores.

4.20 The MISG(7) 1986 and MISG (8) 1987, provide for 12 per cent annual dividend payable on monthly basis, a bonus dividend at the end of the fourth year and minimum capital appreciation of 2 per cent. With a view to providing extra benefits offered by MISG (8) 1987, viz., bonus dividend and 2 per cent minimum growth on maturity, the unit holders under MIS (1) to MIS (5) were given option to convert their unit holdings into MISG (8) 1987. The

सारणी 4.4:भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा योजनावार बिक्री और पुनः खरीद
TABLE 4.4 : SCHEME-WISE SALES AND REPURCHASES BY UTI

(जुलाई-जून)
(July-June)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

योजनाएं Schemes	बिक्री Sales		पुनः खरीद Repurchases		बकाया (30 जून को) Outstanding (as on June 30)		लाभांश दर (प्रतिशत) Dividend Rate (Per cent)
	1985-86	1986-87*	1985-86	1986-87*	1986	1987*	1986-87
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme 1964	319.4	149.1	50.8	27.3	1,284.9	1,406.7	16.00
यूनिट योजना 1971 (यूनिट संबद्ध बीमा पॉलिसी) Unit Scheme 1971 (ULIP)	40.5 £	55.3 £	7.6	8.6	144.4	191.1	13.25
धर्मार्थ और धार्मिक न्यास तथा पंजीकृत समितियां योजना 1981 CRTS 1981	10.4	8.7	0.5	1.7	42.0	49.0	14.50
आय यूनिट योजना 1982 Income Unit Scheme 1982	—	—	0.7	0.4	65.9	65.4	13.00
मासिक आय यूनिट योजना (1, 2, 3, 4 और 5) £ £ Monthly Income Unit Schemes (1,2,3,4 & 5) £ £	48.3+	—	1.8 $	6.6 $	201.0	41.3 $ $	12.00
वृद्धि और आय यूनिट योजना, 1983 Growth and Income Unit Scheme 1983	—	—	0.2	0.3	13.0	12.7	10.00
पूंजीगत लाभ यूनिट योजना 1983 Capital Gains Unit Scheme 1983	270.6	317.1	1.0 $	72.7	577.4	821.7	9.50
आय यूनिट योजना 1985 Income Unit Scheme 1985	2.5 **	3.1++	0.1 $	0.1 $	57.7	60.6	12.50
वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (6) 1986 Monthly Income Unit Scheme with Growth (6) 1986	75.6	—	—	0.7 $	75.6	75.0	12.00
वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1986 Growing Income Unit Scheme 1986	105.8	9.5++	—	0.2	105.8	115.1	12.50
बच्चों के लिए उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986	18.7	36.7	—	—	18.7	55.4	12.50 (यथानुपात) (Pro-rata)
भारत निधि यूनिट योजना 1986 India Fund Unit Scheme 1986	—	139.5	—	—	—	139.5	2.50 (यथानुपात) (Pro-rata)
पारस्परिक निधि यूनिट योजना 1986 Mutual Fund Unit Scheme 1986	—	150.4	—	—	—	150.4	8.00 (यथानुपात) (Pro-rata)
अतिरिक्त वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (7) 1986 Monthly Income Unit Scheme with Extra Growth (7) 1986	—	77.0	—	—	—	77.0	12.00

(जारी) *(Contd.)*

सारणी 4.4: भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा योजनावार बिक्री और पुनः खरीद (समाप्त)
TABLE 4.4 : SCHEME-WISE SALES AND REPURCHASES BY UTI (Concld.)

(जुलाई-जून)
(July-June)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

योजनाएं Schemes	बिक्री Sales		पुनः खरीद Repurchases		बकाया (30 जून को) Outstanding (as on June 30)		लाभांश दर (प्रतिशत) Dividend Rate (Per cent)
	1985-86	1986-87*	1985-86	1986-87*	1986	1987*	1986-87
वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1987 Growing Income Unit Scheme 1987	—	99.7	—	—	—	99.7	12.50 (यथानुपात) (Pro-rata)
अतिरिक्त बोनस और वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (8) 1987 Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus & Growth (8) 1987	—	194.3	—	—	—	347.5 @	12.00
जोड़ Total	**891.8**	**1,240.4**	**62.7**	**118.6**	**2,586.4**	**3,708.1**	

* अनन्तिम। Provisional.

\+ आपत्तियाँ दूर करने पर 1985-86 के दौरान की गयी बिक्रियाँ।
Sales effected during 1985-86 on clearance of objections.

** इसमें पुनर्निवेश के कारण 2.49 करोड़ रुपये की बिक्री और आपत्तियाँ दूर करने पर वसूल हुई 1 लाख रुपये की बिक्री की राशि शामिल है।
Includes sales on account of reinvestment amounting to Rs. 2.49 crores and sales realised on clearance of objections for Rs. 1 lakh.

++ लाभांश पुनर्निवेश के कारण बिक्री।
Sales on account of dividend reinvestment.

$ अवधि पूर्ण होने के पहले निकाली गयी राशियाँ।
Premature withdrawals.

$$ एमआईएस (1) - 83, एमआईएस (2) - 83, एमआईएस (3) - 84, एमआईएस (4) - 85, और एमआईएसजी (8) - 87 के अधीन क्रमशः 34.59 करोड़ रुपये, 24.18 करोड़ रुपये 32.51 करोड़ रुपये, 23.79 करोड़ रुपये और 38.17 करोड रुपये के परिवर्तनों के लिए विकल्प शामिल नहीं है।
Excludes option for conversions to the tune of Rs. 34.59 crores, Rs. 24.18 crores, Rs. 32.51 crores, Rs. 23.79 crores and Rs. 38.17 crores respectively under MIS(1)-83, MIS(2)-83, MIS(3)-84, MIS(4)-85, and MIS(5)-85 to MISG(8)-87.

£ इसमें लाभांश के पुनर्निवेश से हुई बिक्री, नये प्रवेशकों से प्रारंभिक अभिदान और वर्तमान सदस्यों से नवीकृत अभिदान राशियाँ शामिल हैं।
Includes sales from reinvestment of dividend, initial contribution from new entrants and renewal contribution from existing members.

££ मासिक आय यूनिट योजनाएँ 1 और 2-1983 से, 3-1984 से, 4 और 5-1985 से सम्बंध रखती हैं।
Monthly Income Unit Schemes 1 and 2 relate to 1983, 3 to 1984 and 4 and 5 to 1985.

@ एमआईएस (1 से 5) से एमआईएसजी (8)-87 तक 153.24 करोड़ रुपये तक के परिवर्तनों के लिये विकल्प शामिल हैं।
Includes option for conversions to the tune of Rs. 153.24 crores from MIS (1 to 5) to MISG(8)-87.

स्रोत : भारतीय यूनिट ट्रस्ट Source : Unit Trust of India.

धारकों को यह विकल्प दिया गया था कि वे अपने यूनिट एम आई एस जी (8) 1987 में परिवर्तित कर सकते हैं। योजना की श्रृंखला के आधार पर यह परिवर्तन 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक के प्रीमियम पर लागू किया गया। साथ ही, एमआईएसजी (7) तथा एमआईएसजी (8) को उपलब्ध बोनस लाभांश का लाभ एमआईएसजी (6) के यूनिटधारकों को भी दिया गया।.

4.21 जीआईयूएस 1987, मीयाद पूरी होने पर यूनिटों पर पूँजी में न्यूनतम 2 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा वार्षिक 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत की वृद्धिशील दर पर लाभांश भी देती है। लाभांश छमाही आधार पर दिया जाता है या निवेशक के विकल्प के मुताबिक छमाही आधार पर संचित किया जा सकता है।

4.22 सभी जारी योजनाओं के संदर्भ में 1986-87 के दौरान लाभांशों में वृद्धि की गयी। मुख्य योजना यूनिट योजना, 1964 के संदर्भ में लाभांश 15.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.00 प्रतिशत कर दिया गया। अन्य जारी योजनाओं पर लाभांश दरें 0.75 प्रतिशत अंक बढ़ायी गयीं। यूनिट योजना,1971 (यूनिट संबद्ध बीमा योजना) के लिए घोषित लाभांश 13.25 प्रतिशत, सीआरटीएस-81 के लिए 14.50 प्रतिशत तथा सीजीएस-83 के लिए 9.50 प्रतिशत था। मास्टर शेयर पर पहली बार 8 प्रतिशत (समानुपातिक) लाभांश घोषित किया गया।

4.23 सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल यूनिट पूँजी काफी बढ़कर 30 जून 1987 को 3,708 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि एक साल पहले यह राशि 2,586 करोड़ रुपये थी। बिक्री में हुए सुधार तथा आय में वृद्धि के पारिणामस्वरूप, ट्रस्ट की निवेशयोग्य कुल निधियां जून 1986 के 3, 218 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1987 के अंत में 4,480 करोड़ रुपये हो गयी। ये आंकड़े साल भर में हुई 1,262 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाते हैं, जो अब तक का उच्चतम रिकार्ड है। 30 जून 1987 की स्थिति के मुताबिक निवेशयोग्य कुल निधियों में से 623 करोड़ रुपये (13.9 प्रतिशत) ईक्विटी शेयरों में निवेश किये गये, 10 करोड़ रुपये (0.2 प्रतिशत) अधिमान्य शेयरों में, 1,761 करोड़ रुपये (39.3 प्रतिशत)

conversion was effected at a premium varying from 2 per cent to 5 per cent depending upon the series of the scheme. Further, the benefit of bonus dividend available for MISG (7) and MISG (8) was extended to unitholders of MISG (6).

4.21 The GIUS 1987 provides for increasing rate of dividend from 12.5 per cent to 14 per cent per annum in addition to a minimum of 2 per cent growth in capital on maturity. The dividend is payable at half-yearly rests or it can be cumulated on half-yearly basis as per the option of the investors.

4.22 Dividends were stepped up during 1986-87 in respect of all on-going schemes. For the main scheme-Unit Scheme 1964, the dividend was raised from 15.25 per cent to 16.00 per cent. Dividend rates for other on-going schemes were raised by 0.75 percentage point. The dividend declared was 13.25 per cent for Unit Scheme 1971 (Unit Linked Insurance Plan), 14.50 per cent for CRTS-81 and 9.50 per cent for CGS-83. A maiden dividend of 8 per cent (pro-rata) was declared on Mastershares.

4.23 Aggregate unit capital of the Trust under all schemes rose substantially to Rs. 3,708 crores as on June 30, 1987 from Rs. 2,586 crores a year ago. As a result of the improved sales performance and growth in income, the total investible funds of the Trust rose from Rs. 3,218 crores at the end of June 1986 to Rs. 4,480 crores at the end of June 1987 showing an increase of Rs. 1,262 crores over the year—the highest on record so far. Out of total investible funds as on June 30, 1987, Rs. 623 crores (13.9 per cent) were invested in equity shares, Rs. 10 crores (0.2 per cent) in preference shares,

डिबेंचरों में तथा शेष 2,086 करोड़ रुपये (46.6 प्रतिशत) निम्नलिखित में निवेश किये गयेः निवेश प्रतिबद्धता, गैर जमानती मीयादी अग्रिम जमाराशियाँ, पूरक वित्त,लागू करने के लिए धन,अग्रिम मांग जमाराशियां तथा बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश।

Rs. 1,761 crores (39.3 per cent) in debentures and the balance of Rs. 2,086 crores (46.6 per cent) in advance deposits against investment commitments, unsecured short-term deposits, bridge finance, application money, advance call deposits and other investments with banks and Government securities.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

4.24 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने अपने दोहरे उद्देश्य को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की। ये उद्देश्य थे – बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना तथा पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों, विशेषरूप से समाज के कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं तथा लघु उद्योग यूनिटों को दी जानेवाली ऋण सुविधा को गारंटी सहायता प्रदान करना।

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

4.24 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) made significant progress in fulfilling its twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee support to credit facilities extended by eligible credit institutions to certain categories of small borrowers particularly those belonging to weaker and neglected sections of the society as also to small-scale industrial units.

जमा बीमा कार्य

4.25 बीमाकृत बैंकों की संख्या 30 जून 1986 को 1,851 थी, जो बढ़कर जून 1987 के अंत में 1,887 हो गयी जिसमें 83 वाणिज्य बैंक, 194 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 1,610 सहकारी बैंक शामिल हैं। जून 1987 के अंत में इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और तीन संघशासित क्षेत्र अर्थात् दिल्ली, दमण और दीव तथा पांडिचेरी स्थित सहकारी बैंक आते हैं।

Deposit Insurance Function

4.25 The number of insured banks increased from 1,851 as on June 30, 1986 to 1,887 by the end of June 1987, comprising 83 commercial banks, 194 regional rural banks and 1,610 co-operative banks. By the end of June 1987, the scheme covered co-operative banks in 16 States, viz., Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories viz. Delhi, Daman and Diu and Pondicherry.

4.26 बीमा रक्षा की सीमा तथा बीमा प्रीमियम की दर क्रमशः प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता रु. 30,000 (उसी अधिकार तथा हैसियत में) तथा प्रति 100 रुपये 4 पैसे वार्षिक पर अपरिवर्तित रही। जून 1985 के अंत में करयोग्य जमाराशियों की राशि 76,517 करोड़ रुपयों से बढ़कर जून 1986 के अंत में 86,214 करोड़ रुपये हो गयी। इसी

4.26 The limit of insurance cover and the rate of insurance premium remained unchanged at Rs. 30,000 per depositor per bank (in the same right and capacity) and at 4 paise per Rs. 100 per annum, respectively. The amount of assessable deposits increased from Rs. 76,517 crores

अवधि के दौरान बीमाकृत जमाराशियां भी 56,211 करोड़ रुपये से बढ़कर 62,878 करोड़ रुपये हो गयीं, जिसके कारण कुल करयोग्य जमाराशियां 72.9 प्रतिशत हो गयीं। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम आय 33.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गयी तथा कैलेण्डर वर्ष 1986 में जमा बीमा निधि में 35.4 करोड़ रुपये की वृद्धि से वह 283.8 करोड़ रुपये हो गयी। अब यह निधि कुल निर्धारणीय जमाराशियों का 0.33 प्रतिशत तथा कुल बीमाकृत जमाराशियों का 0.45 प्रतिशत है।

4.27 जून 1986 के अंत में, पूरी तरह से संरक्षित खाते कुल जमा खातों की संख्या के 98 प्रतिशत थे। इस योजना की शुरुआत से लेकर जून 1987 के अंत तक 16 वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों के संदर्भ में, बीमाकृत जमा राशि दावों की अदा की गयी कुल राशि क्रमशः 12.8 करोड़ रुपये तथा 2.5 करोड़ रुपये हो गयी। निगम को वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों से चुकौती के रूप में 1.3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

ऋण गारंटी कार्य

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित योजनाएं

4.28 जून 1987 के अंत में 263 बैंकों (अर्थात् 71 वाणिज्य तथा 192 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) ने निगम की लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में भाग लिया। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाले वित्तीय निगमों, जिनमें राज्य औद्योगिक विकास निगम शामिल हैं, की संख्या 20 पर ही अपरिवर्तित रही, जबकि सेवा सहकारिता गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 175 थी। जून 1987 के अंत के दौरान लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 में भाग लेने वालों की संख्या 44 से बढ़कर 77 हो गयी।

at the end of June 1985 to Rs. 86,214 crores at the end of June 1986. The insured deposits also rose from Rs. 56,211 crores to Rs. 62,878 crores during the same period forming 72.9 per cent of the total assessable deposits. Consequently the premium income rose from Rs. 33.9 crores to Rs. 43 crores, raising the Deposit Insurance Fund over the calendar year 1986 by Rs. 35.4 crores to Rs. 283.8 crores. The Fund now constitutes 0.33 per cent of the total assessable deposits and 0.45 per cent of the aggregate insured deposits.

4.27 As at the end of June 1986, fully protected accounts formed 98 per cent of the total number of deposit accounts. The total amount of deposit insurance claims paid and provided for since inception of the scheme upto the end of June 1987 in respect of 16 each of commercial and co-operative banks aggregated Rs. 12.8 crores and Rs. 2.5 crores, respectively. The Corporation has received from the commercial and co-operative banks a sum of Rs. 1.3 crores towards repayment.

Credit Guarantee Function

Schemes relating to small borrowers

4.28 As at the end of June 1987, 263 banks (i.e. 71 commercial banks and 192 RRBs) were participating in the Corporation's Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The number of financial corporations including SIDCs participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 remained unchanged at 20, while the number of credit institutions participating in the Service Co-operatives Guarantee Scheme, 1971 stood at 175. The participants in the small loans (co-operative banks) Guarantee Scheme, 1984 increased from 44 to 77 during the year ended June 1987.

4.29 जून 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की कुल राशि 10,446 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,978 करोड़ रुपये हो गयी, जो 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (सारणी 4.5)। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971, जिसमें वाणिज्य बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाग लेते हैं, कुल गारंटीकृत अग्रिमों के 99 प्रतिशत पर स्थिर रही। किसानों और कृषकों को दिये जानेवाले अग्रिम, लघु ऋणकर्ता को दिये जानेवाले अग्रिम गारंटीकृत अग्रिमों के आधे से ज्यादा अर्थात् उसका 57.5 प्रतिशत थे। इसके बाद निम्नलिखित थे – परिवहन चालकों को ऋण (15.8 प्रतिशत), खुदरा व्यापारी (11.3 प्रतिशत), व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति (6.3 प्रतिशत), व्यवसायी उद्यम (6.6 प्रतिशत) तथा विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत आनेवाले ऋणकर्ताओं की शेष श्रेणियां (2.4 प्रतिशत)।

4.30 वर्ष 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान 199 करोड़ रुपये के 8.52 लाख ऋण गारंटी दावे प्राप्त हुए। इस योजना की शुरुआत से लेकर जून 1987 के अंत तक 542 करोड़ रुपये के लिए 23.84 लाख दावे प्राप्त हुए, जो जून 1987 के अंत के 10,978 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों के 4.9 प्रतिशत हैं। वर्ष के दौरान 170 करोड़ रुपये के 6.94 लाख दावों का निपटान किया गया। इन योजनाओं की शुरुआत से अब तक निपटान किये गये दावों की संचयी स्थिति 457 करोड़ रुपयों के 21.19 लाख दावे हैं।

लघु उद्योगों से संबंधित योजनाएं

4.31 जून 1987 को समाप्त होनेवाले वर्ष के दौरान निगम की लघु उद्योग गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या 462 से बढ़कर 486 हो गयी, जिनमें 69 वाणिज्य बैंक, 152 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 14 राज्य वित्तीय निगम, 8 अन्य राज्य विकास एजेंसियां तथा 243 सहकारी बैंक शामिल हैं। लघु उद्योगों को दिये जानेवाले कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जून 1986 के अंत में 7,497 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1987 के अंत में 7,738

4.29 The total amount of advances guaranteed under these schemes increased from Rs. 10,446 crores to Rs. 10,978 crores during the year ended June 1987 recording a rise of 5.1 per cent (Table 4.5). The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 in which commercial banks and regional rural banks are participating, continued to account for bulk of the total guaranteed advances at 99 per cent. Advances to farmers and agriculturists continue to account for more than half of the guaranteed advances to small borrowers forming 57.5 per cent thereof, followed by credit to transport operators (15.8 per cent), retail traders (11.3 per cent), professional and self-employed persons (6.3 per cent), business enterprises (6.6 per cent) and the residual category of borrowers under DRI scheme (2.4 per cent).

4.30 Credit guarantee claims preferred during 1986-87 (July-June) were 8.52 lakhs for Rs. 199 crores. Claims received since inception of the schemes till the end of June 1987 were 23.84 lakhs for Rs. 542 crores, and formed 4.9 per cent of the total guaranteed advances of Rs. 10,978 crores at the end of June 1987. During the year 6.94 lakh claims for Rs. 170 crores were disposed, the cumulative position of claims disposed of since inception of the schemes being 21.19 lakh claims for Rs. 457 crores.

Schemes relating to small-scale industries

4.31 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 rose from 462 to 486 during the year ended June 1987, comprising 69 commercial banks, 152 regional rural banks, 14 state financial corporations, 8 other state development agencies and 243 co-operative banks. The total guaranteed advances to small-scale industries rose from Rs. 7,497 crores at the end of June 1986 to Rs. 7,738 crores at the

सारणी 4.5: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्योरे.
TABLE 4.5 : SECTOR-WISE DETAILS OF DICGC'S GUARANTEED ADVANCES

(करोड़ रुपये) (Rs.crores)

योजना/उधारकर्ताओं की श्रेणी Scheme/Category of borrowers	जून के अंत में स्थिति As at the end of June			
	1972	1985	1986	1987
अ. छोटे उधारकर्ता **A. Small Borrowers**				
I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 **Small Loans Guarantee Scheme, 1971**	**205.7** **(98.7)**	**8,842.3** **(99.1)**	**10,345.1** **(99.0)**	**10,868.1** **(99.0)**
किसान तथा कृषिकर्मी Farmers and Agriculturists	134.7 (64.6)	5,057.7 (56.7)	6,020.3 (57.6)	6,306.3 (57.5)
परिवहन चालक Transport Operators	28.3 (13.6)	1,510.2 (16.9)	1,606.0 (15.4)	1,642.6 (15.0)
खुदरा व्यापारी Retail Traders	28.3 (13.6)	972.5 (10.9)	1,191.9 (11.4)	1,236.2 (11.2)
व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति Professional and Self-employed persons	9.1 (4.4)	484.9 (5.4)	656.6 (6.3)	692.4 (6.3)
कारोबारी उद्यम Business Enterprises	5.3 (2.5)	473.4 (5.3)	609.5 (5.8)	724.5 (6.6)
विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी Residual category of borrowers under DRI Scheme	—	343.6 (3.9)	260.8 (2.5)	266.1 (2.4)
II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 **Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971**	**2.6** **(1.2)**	**69.2** **(0.8)**	**85.2** **(0.8)**	**88.0** **(0.8)**
परिवहन चालक Transport Operators	2.4 (1.2)	68.9 (0.8)	84.9 (0.8)	87.7 (0.8)
कारोबारी उद्यम Business Enterprises	0.2 (0.1)	0.3 (—)	0.3 (—)	0.3 (—)
III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 **Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971**	**0.1** **(—)**	**0.7** **(—)**	**0.7** **(—)**	**0.7** **(—)**
IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 **Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984**	—	**10.8** **(0.1)**	**15.0** **(0.2)**	**20.7** **(0.2)**
परिवहन चालक Transport Operators	—	3.6 (—)	5.5 (0.1)	7.6 (0.1)
खुदरा व्यापारी Retail Traders	—	4.5 (0.1)	5.5 (0.1)	7.7 (0.1)

(जारी) Contd......

सारणी 4.5 : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्योरे (समाप्त)
TABLE 4.5 : SECTOR-WISE DETAILS OF DICGC'S GUARANTEED ADVANCES (*Concld.*)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

योजना/उधारकर्ताओं की श्रेणी Scheme/Category of borrowers	जून के अंत में स्थिति As at the end of June			
	1972	1985	1986	1987
व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति Professional and Self-employed persons	—	1.6 (—)	1.9 (—)	2.6 (—)
कारोबारी उद्यम Business Enterprises	—	1.1 (—)	2.1 (—)	2.9 (—)
जोड़ I + II + III + IV **Total I + II + III + IV**	**208.4** **(100.0)**	**8,923.0** **(100.0)**	**10,446.0** **(100.0)**	**10,977.6** **(100.0)**
आ. लघु उद्योग उधारकर्ता **B. SSI Borrowers**				
लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981				
कुटीर उद्योगों सहित समस्त लघु उद्योग इकाइयाँ All SSI units including cottage industries		5,843.7	7,497.5	7,738.0

— शून्य या नगण्य
Nil or negligible

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े जोड़ में प्रतिशत दर्शाते हैं।
Note : Figures in brackets are percentages to total.

स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम।
Source : Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation.

करोड़ रुपये हो गयी, जो कि साल भर में हुई 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है।

4.32 वर्ष के दौरान निगम की लघु उद्योगों की योजना के अंतर्गत 116.5 करोड़ रुपये के 39,895 दावे प्राप्त हुए थे, और 61.9 करोड़ रुपये के 34,637 दावों का निपटान किया गया। इस योजना की शुरुआत से जून 1987 तक प्राप्त और निपटाये गये कुल दावे क्रमशः 333.6 करोड़ रुपये के 107,936 दावे तथा 150.7 करोड़ रुपये के 92,198 दावे थे।

4.33 लघु उद्योगों के लिए सरकार की पहले की योजना (जो मार्च 1981 के अंत से रद्द कर दी गयी है), के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम शेष कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। पहली अप्रैल 1981 को ग्रहण किये गये 98.2 करोड़ रुपये के 30,826 दावों के अलावा निगम को जून 1987 के अंत तक 117.4 करोड़ रुपये के 53,589 दावे और प्राप्त हुए। योजना की शुरुआत से जून 1987 के अंत तक 191.6 करोड़ रुपये के 82,461 दावों का निपटान किया गया।

4.34 परिचालनगत क्षमता बढ़ाने तथा हमेशा बढ़ते हुए दावों की प्राप्तियों को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से निगम क्रियाविधियों की लगातार समीक्षा करता रहा है तथा उन्हें संगत और सरल बनाता रहा है। यहां तक कि निगम ने सभी उद्योगेतर दावों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है तथा दावों के प्राप्त होने से निपटान होने के बीच की अवधि कम करके 10-12 सप्ताह तक कर दी गयी है। लघु उद्योगों के कम मूल्य के दावों के कम्प्यूटरीकरण तथा ऋण संस्थाओं से दावों की मेग्नेटिक (चुम्बकीय) टेप पर प्राप्ति तथा अन्य उपायों पर निगम सक्रिय विचार कर रहा है। निगम द्वारा चलायी जानेवाली विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है, जो इसके कामकाज में और सुधार लाने के लिए सिफारिश करेगी।

end of June 1987 recording a rise of 3.2 per cent over the year.

4.32 During the year 39,895 claims for Rs. 116.5 crores were received under the Corporation's scheme for small-scale industries and 34,637 claims for Rs. 61.9 crores were disposed of. The total receipt and disposal since inception of the scheme till June 1987 were 107,936 claims for Rs. 333.6 crores and 92,198 claims for Rs. 150.7 crores, respectively.

4.33 Under the Government's earlier scheme for small-scale industries, which was cancelled at the end of March 1981, the DICGC has been acting as an agent of the Government of India for the discharge of residual functions. The Corporation, in addition to taking over 30,826 claims for Rs. 98.2 crores as on April 1, 1981 had received 53,589 claims for Rs. 117.4 crores till the end of June 1987. The disposal since the inception of the scheme till June 1987 was 82,461 claims for Rs. 191.6 crores.

4.34 With a view to increasing the operational efficiency and to speed up the settlement of the ever increasing inflow of claims, the Corporation has been constantly reviewing, streamlining and simplifying procedures. Towards this end, the Corporation has computerised all non-industrial claims, thus bringing down the time-lag between receipt and disposal of claims to 10-12 weeks. The computerisation of lower value SSI claims and the receipt of claims on magnetic tapes from credit institutions are other measures under active consideration of the Corporation. An expert committee has also been constituted to review in detail the various schemes operated by the Corporation and to make recommendations for further improvements in its working.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

4.35 वर्ष 1986 के दौरान एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में काम करनेवाले अंतर-संस्थागत कार्यकारी दल ने आपूर्ति, निर्माण, हर तरह से तैयार परियोजनाओं (टर्न-की) तथा परामर्श परियोजनाओं के वास्ते, 1,540 करोड़ रुपये के मूल्य की 151 निर्यात बोलियों का अनुमोदन किया। वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिद्धांत रूप में निर्यात बोलियों के लिए वायदे को बढ़ाकर निधिक सहायता की राशि 349 करोड़ रुपये तथा गैर-निधिक सहायता की राशि 179 करोड़ रुपये कर दी गयी। 1986 में तथा उससे पहले जिन परियोजनाओं के लिए एक्ज़िम बैंक ने सिद्धांततः वायदे किये थे उनमें से 640 करोड़ रुपये के मूल्य की 68 संविदाएं भारतीय निर्यातकों द्वारा बीमाकृत थीं। इन संविदाओं में निर्माण परियोजनाएं (354 करोड़ रुपये के), तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली (टर्न की) परियोजनाएं (141 करोड़ रुपये), आपूर्ति ठेके (112 करोड़ रुपये) तथा परामर्श ठेके (30 करोड़ रुपये) शामिल थे। जहां वर्ष के दौरान बीमाकृत निर्यात संविदाओं के मूल्य में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां निर्माण ठेकों, तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनाओं और आपूर्ति ठेकों में क्रमशः 139 प्रतिशत, 110 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि परामर्श ठेके पिछले वर्ष से 40 प्रतिशत कम रहे।

4.36 वर्ष के दौरान, निधिक सहायता के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक ने 562 करोड़ रुपये मंजूर किये जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 27.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। (सारणी 4.6)। 524 करोड़ रुपये की निधिक सहायता का उपयोग 37.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसने गारंटियों के रूप में 76.3 करोड़ रुपये के मूल्य की गैर-निधिक सहायता तथा 39.6 करोड़ रुपये के मूल्य की गारंटियां जारी कीं। दिसंबर 1986 के अंत में निधिक तथा गैर-निधिक सहायता की राशि क्रमशः 644 करोड़ रुपये और 529 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 554 करोड़ रुपये तथा 466 करोड़ रुपये थी।

Export - Import Bank of India

4.35 During 1986, the inter-institutional Working Group which functions under the auspices of the Exim Bank approved 151 export bids valued at Rs. 1,540 crores for supply, construction, turnkey, and consultancy projects. Commitments-in-principle for export bids for enlarged scope of work on on-going projects, amounting to Rs. 349 crores of funded assistance and Rs. 179 crores of non-funded assistance were made during the year. Out of the projects where Exim Bank made in-principle commitments in 1986 and earlier, 68 contracts worth Rs. 640 crores were secured by Indian exporters during the year. These contracts consisted of construction projects (valued at Rs. 354 crores), turnkey projects (Rs. 141 crores), supply contracts (Rs. 112 crores) and consultancy contracts (Rs. 30 crores). While the value of export contracts secured during the year rose by 84 per cent and the value of construction contracts, turnkey projects, and supply contracts by 139 per cent, 110 per cent and 38 per cent, respectively, that of consultancy contracts decreased by 40 per cent, over the previous year.

4.36 Exim Bank sanctioned Rs. 562 crores during the year under various programmes of funded assistance showing an increase of 27.4 per cent over the previous year (Table 4.6). Utilisation of funded assistance at Rs. 524 crores showed a rise of 37.5 per cent. It sanctioned non-funded assistance in the form of guarantees worth Rs. 76.3 crores and issued guarantees valued at Rs. 39.6 crores. Outstandings at the end of December 1986 under funded and non-funded assistance stood at Rs. 644 crores and Rs. 529 crores respectively, as against Rs. 554 crores and Rs. 466 crores a year ago.

सारणी 4.6: भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यकलाप

TABLE 4.6 : OPERATIONS OF EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

(जनवरी-दिसंबर)
(January-December)

(करोड़ रुपये) (Rs. crores)

उधार संबंधी कार्यक्रम Lending Programmes	1985			1986		
	स्वीकृतियां Sanctions	उपयोग Utilisations	बकाया Outstandings	स्वीकृतियां Sanctions	उपयोग Utilisations	बकाया Outstandings
	1	2	3	4	5	6
(अ) निधिक **A. Funded**						
क्रेता ऋण Buyer's Credit	—	3.4	61.7	14.0	8.1	67.6
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता Direct Financial Assistance	93.2	81.6	214.5	86.1	44.3	233.2
निर्यात बिल पुनर्भुनाई Export Bills Rediscounting	199.5	199.5	50.0	200.0	200.0	50.0
निर्यात ऋण पुनर्वित्त Export Credit Refinance	48.2	34.5	70.5	32.5	30.1	90.2
निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए वित्त Finance for Export Oriented Units	6.3	0.6	0.6	5.4	2.7	3.3
ऋण सीमाएं Lines of Credit	5.0	12.0	101.5	5.0	24.3	120.5
समुद्रपारीय निवेश वित्त Overseas Investment Finance	0.4	0.3	6.7	0.3	0.4	5.0
पोतलदानपूर्व ऋण Pre-shipment Credit	6.4	5.6	4.4	29.2	25.1	23.0
पुनः ऋण देने संबंधी सुविधा Relending Facility	31.3	0.4	1.1	—	—	0.9
लघु उद्योग निर्यात बिल पुनर्भुनाई Small-Scale Industry Export Bills Re-discounting	50.0	42.7	42.7	189.0	189.0	50.0
अन्य निधिक सहायता* Other Funded Assistance*	0.9	0.7	0.7	0.6	0.1	0.1
जोड़ Total	**441.2**	**381.3**	**554.4**	**562.1**	**524.1**	**643.8**
(आ) गैर निधिक @ B. Non-Funded @	73.2	68.3 @@	466.1	76.3	39.6 @@	529.0

* निर्यात प्रयोजनों के लिए आयात ऋण की मंजूरी तथा उपयोग।
Sanction and utilisation of import loans for export purposes.

@ गैर-निधिक सहायता गारंटियों के रूप में दी गयी है।
Non-funded assistance is given in the form of guarantees.

@@ जारी की गयी गारंटियां।
Guarantees issued.

टिप्पणी : वर्ष के अन्त में मंजूरी / उपयोग के समय में लागू विनिमय दर को उपयोग में लाते हुए सभी मंजूरियां, उपयोग और विदेशी मुद्रा में बकाया राशि रुपयों में परिवर्तित की गयी है (बकाया राशि के मामले में)

Note : All sanctions, utilisations and outstanding amounts in foreign currency have been converted into rupees using the exchange rate prevailing at the time of sanction/utilisation and in the case of outstandings at the end of the year.

स्रोत : भारतीय निर्यात-आयात बैंक।

Source : Export-Import Bank of India.

4.37 निर्माण परियोजनाओं की राशि निधिक स्वीकृतियों* की लगभग 43 प्रतिशत थी। पूँजी तथा इंजीनियरी माल की जिन प्रमुख श्रेणियों के लिए सहायता मंजूर की गयी थी उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:– वस्त्र-उद्योग मशीनरी, रेल के डिब्बे, वाणिज्यिक वाहन, साइकिलों के पुर्जे, सीमेंट संयंत्र मशीनरी, मशीनी औजार, डीज़ल इंजिन और पंप, स्वचालित वाहनों के पुर्जे, बिजली का उत्पादन तथा वितरण संबंधी उपकरण। गैरनिधिक सहायता में निर्माण ठेके मंजूरी के 88 प्रतिशत थे; अन्य हिताधिकारियों में बिजली उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं शामिल थीं।

4.38 1986 के दौरान स्वीकृत* निधिक सहायता क्षेत्रवार, का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया (51 प्रतिशत) का था। इसके बाद उप-सहारा अफ्रीका (18 प्रतिशत), अमेरिका (16 प्रतिशत) तथा उत्तरी अफ्रीका (12 प्रतिशत) के देशों को निर्यातों के लिए मंजूर किया गया था। निधिक सहायता मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों के निर्यातों के लिए उपयोग में लायी गयी*: पश्चिम एशिया (39 प्रतिशत) तथा उसके बाद उप-सहारा अफ्रीका (35 प्रतिशत), दक्षिण एशिया (14 प्रतिशत) और उत्तरी अफ्रीका (7 प्रतिशत)। गैर निधिक सहायता की अधिकांश राशि पश्चिम एशिया (93 प्रतिशत) की परियोजनाओं के लिए मंजूर तथा जारी की गयी।

4.39 एक्ज़िम बैंक ने जून 1986 में सहायता के लिए निर्यात विपणन निधि नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी भारतीय कंपनियाँ जो निर्यात विपणन संबंधी कार्य करती हैं, उन्हें वित्त उपलब्ध कराया जाता है। पात्र निर्यात विपणन क्रियाविधियों की कुल लागत के 50 प्रतिशत तक इस वित्त में व्याप्त होते हैं। ये वितरण

* क्षेत्रवार और उद्योगवार विश्लेषण में, मंजूरियों और प्रयुक्तियों में पोतलदान पूर्व ऋण और बिलों के पुनर्भांजन को शामिल नहीं किया जाता है; क्षेत्रवार विश्लेषण में शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों और निर्यात अभिसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को शामिल नहीं किया जाता तथा संकल्पनागत और सांख्यिकी संबंधी कारणों से उद्योगवार विश्लेषण में मंजूरियों में ऋण व्यवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

4.37 Construction projects accounted for about 43 per cent of funded sanctions.* Major categories of capital and engineering goods for which assistance was sanctioned included textile machinery, railway rolling stock, commercial vehicles, bicycle parts, cement plant machinery, machine tools, diesel engines and pumps, auto components, power generation and distribution equipment. In the case of non-funded assistance, construction projects accounted for 88 per cent of sanctions; other beneficiaries included projects in the field of power generation and distribution.

4.38 Region-wise, the largest share of funded assistance sanctioned* during 1986 was for exports to West Asia (51 per cent), followed by Sub-Saharan Africa (18 per cent), Americas (16 per cent), and North Africa (12 per cent). Funded Assistance was utilised* mainly for exports to West Asia (39 per cent); this was followed by Sub-Saharan Africa (35 per cent), South Asia (14 per cent) and North Africa (7 per cent). The bulk of non-funded assistance was sanctioned and issued for projects in West Asia (93 per cent).

4.39 The Exim Bank introduced in June 1986 a new programme of assistance called the Export Marketing Fund (EMF). Under this programme, finance is available to Indian companies for undertaking export marketing activities. Such finance covers upto 50 per cent of total cost incurred

* In the region-wise and industry-wise analysis, pre-shipment credit and bills rediscounting are excluded from sanctions and utilisations, 100% export oriented units and units located in export processing zones are excluded from the region-wise analysis, and in the industry-wise analysis lines of credit are excluded from sanctions because of conceptual and data-related reasons.

अनुदान राशि के रूप में होते हैं। विकसित देशों के बाजारों में इंजीनियरी निर्यात उत्पादों की चुनी हुई वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए, भारत को विश्व बैंक का 2500 लाख अमेरिकी डालर का जो ऋण मिलता है, निर्यात विपणन निधि उसका एक हिस्सा है। भारत सरकार ने एक्ज़िम बैंक को, निर्यात विपणन निधि का प्रबंध करने के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया है। कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलाप शामिल हैं – डेस्क अनुसंधान, छोटे उत्पादों का अनुकूलन, विदेश यात्रा, उत्पाद निरीक्षण सेवा, प्रशिक्षण, विदेशों में कार्यकलापों की स्थापना तथा विदेशी खरीदारों द्वारा भारत की यात्रा। निर्यात विपणन निधि कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरी निर्यात वस्तुओं की प्रमुख श्रेणियों में हल्की इंजीनियरी वस्तुएं आती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं - सांचे में ढली हुई वस्तुएं, गढ़ी हुई वस्तुएं, औद्योगिक वाल्व, स्वचालित वाहनों के पुर्जे, डीज़ल इंजिन, पंप बिजली चालित मोटर, स्टार्टर तथा हाथ के औजार उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि साइकिलें तथा स्कूटर और पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि वाणिज्य वाहन, रासायनिक संयंत्र, मशीनी औजार तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर। वर्ष 1986 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 78 लाख रुपये मंजूर किये, जिसमें से 3.4 लाख रुपयों का उपयोग किया गया।

4.40 एक्ज़िम बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ 150 लाख अमेरिकी डालर की एजेंसी ऋण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है, जिसके अंतर्गत देश के निजी क्षेत्र के लघु और मझौले उद्यमों को निर्यात क्षमता तैयार करने और बढ़ाने के लिए संयंत्र और मशीनरी, उत्पाद तथा प्रकिया जानकारी (प्रोसेस नो-हाउ) में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा के मीयादी ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है। सहायता प्राप्त उद्यमियों को समानता के आधार पर (मैचिंग बेसिस) पर एक्ज़िम बैंक रुपया मीयादी ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से किसी भारतीय वित्तीय संस्था को दी जानेवाली यह पहली ऋण व्यवस्था है। नवंबर 1986 में इस ऋण-व्यवस्था के विपणन की शुरुआत हुई।

4.41 वर्ष के दौरान विनिमय संबंधी प्रणाली द्वारा 550 लाख अमेरिकी डालर के समतुल्य राशि जुटाने के लिए एक्ज़िम

on eligible export-marketing activities. Disbursals are in the form of grant. EMF is a component of World Bank loan of US $ 250 million to India for promotion of a select group of engineering export products in developed country markets. The Government of India has designated the Exim Bank as the agency to manage EMF. The programme covers activities like desk research, minor product adaptation, overseas travel, product inspection services, training, establishing overseas operations, and travel to India by buyers overseas. Major categories of engineering export products, covered under the EMF programme are: light engineering goods comprising castings, forgings, industrial valves, auto components, diesel engines, pumps, electric motors, starters and hand tools; consumer durables like bicycles and scooters; capital goods such as commercial vehicles, chemical plants, machine tools; and computer software. During 1986, Exim Bank sanctioned Rs. 78 lakhs under the programme of which Rs. 3.4 lakhs were utilised.

4.40 It concluded an agency credit line of US $ 15 million with International Finance Corporation (IFC) under which financial assistance by way of foreign currency term loans is available to private sector small and medium enterprises in the country for investment in plant and machinery, product and process know-how to create and enhance export capabilities. Exim Bank provides rupee term loans on matching basis to assisted enterprises. This is the first ever agency line of credit from IFC to an Indian financial institution. Marketing of this credit line began in November 1986.

4.41 It also tapped during the year the sterling market for raising the equivalent of

बैंक ने स्टर्लिंग बाजार का भी सहारा लिया। इसने निश्चित ब्याज दर वाला स्टर्लिंग ऋण प्राप्त किया तथा साथ ही इसका डालर देयता चल दर में विनिमय किया जिसके कारण यह लंदन अंतर-बैंक प्रस्तुत दर मूल्य पर डॉलर निधि चल दर प्राप्त कर सका।

राज्य वित्तीय निगम

4.42 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान राज्य वित्तीय निगम द्वारा मंजूर की गयी कुल सहायता में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 1,235 करोड़ रुपये हो गयी। वितरणों की राशि 788 करोड़ रुपये थी और 1985-86 की तुलना में उसमें 29.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 1987 के अंत में सभी राज्य वित्तीय निगमों के संदर्भ में बकाया राशि 2,853 करोड़ रुपये थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह राशि 2,545 करोड़ रुपये थी। राज्य वित्तीय निगमों के कार्य कलापों के ब्योरों को सारणी 4.7 में दिया गया है।

सारणी 4.7 : राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप

(अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपये)

	1985-86 @	1986-87 @
मंजूर सहायता	1,009.1*	1,235.2
वितरित सहायता	608.5*	788.0
मार्च के अंत में बकाया ऋण	2,544.9	2,852.8

@ अनंतिम

* संशोधित

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

US $ 55 million through a swap related mechanism. It raised a fixed interest rate sterling loan and simultaneously swapped it into a floating rate dollar liability which enabled it to obtain floating rate dollar funds at sub-LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) pricing.

State Financial Corporations

4.42 Total assistance sanctioned by State Financial Corporations (SFCs) rose by 22.4 per cent to Rs.1235 crores during the year ended March 1987. Disbursals aggregated Rs. 788 crores, recording a rise of 29.5 per cent over 1985-86. Loans outstanding in respect of all SFCs as at the end of March 1987 stood at Rs. 2,853 crores as compared with Rs. 2,545 crores a year ago. Details of operations of SFCs are given in Table 4.7.

TABLE 4.7 : OPERATIONS OF STATE FINANCIAL CORPORATIONS
(April-March)

(Rs.crores)

	1985-86@	1986-87@
Assistance sanctioned	1,009.1*	1,235.2
Assistance disbursed	608.5*	788.0
Loans outstanding as at the end of March	2,544.9	2,852.8

@ Provisional

* Revised

Source : Industrial Development Bank of India.